IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

25 जुलाई 2016

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Annual Report of the Bank for FY 2015-16

In terms of Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we forward herewith (i) the Annual Report of the Bank for FY 2015-16, (ii) Form A- Unqualified/ Matter of Emphasis Report for year ended March 31, 2016 (standalone and consolidated) and (iii) Business Responsibility Report of the Bank for FY 2015-16.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

25/07/16

[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

ANNUAL REPORT 2015-16

रूपांतरण बैंक का

Transforming Bank

रूपांतरण ज़िंदगियों का

Transforming Lives

रूपांतरण भारत का

Transforming India

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक ने शुरू की सूर्य शक्ति स्कीम
नयी दिल्ली. एजेंसी.
सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक ने पंजाब सरकार के निजी स्तर पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जैसी पहल में मददगार बनते हुए सस्ती
ऋण उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है. ऐसे में आईडीबीआई बैंक द्वारा शुरू की गयी सूर्य शक्ति स्कीम इस दिशा में बड़ा कदम है.
पूरी की जा सकती है, जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है
IDBI Bank plans overseas expansion as devp institution
READY TO TAKE OFF
IDBI Bank inaugurates BCP facility
IDBI Bank launches RuPay Platinum Debit card
IDBI Bank, in association with National Payments Corporation of India, on Monday launched the RuPay Platinum Debit card, the bank said in a statement.
IDBI to cut net N
to zero in revam
IDBI to mop up
₹2800cr via QIP
किशोर खरात बने IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक
एजेंसियां मुंबई.
We have increased focus on retail business
Bank with care
IDBI Bank organises Kisan Sangosthi
IDBI Bank to flex arms to pump up business
IDBI Bank's green bonds fetch ₹2,310 cr
IDBI Bank executes MOU with Mahila Arthik Vikas Mahamandal
Memorandum of Understanding (MoU) between IDBI Bank Ltd and Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM) was signed by
Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank Ltd and release of special journal
Seen in the photograph (L-R) are Viney Kumar, ED; R K Bansal, ED B K Batra, Deputy MD; Suneet Kumar Mathur, ED (CVO); U B Nerurkar GM and P S Dubey, GM at the launch of the special journal

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii रूपांतरण बैंक का. रूपांतरण जिंदगियों का. रूपांतरण भारत का.

iv वित्तीय विशेषताएं

vi यथा 31 मार्च 2016 को निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन

viii प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

xvi कुछ प्रमुख गतिविधियां

xxii पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्टें

2 निदेशकों की रिपोर्ट

16 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

50 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

132 एकल वित्तीय विवरण

236 समेकित वित्तीय विवरण

346 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Transforming Bank. Transforming Lives. Transforming India.

iv Financial Highlights

vi Board of Directors and Top Management as on March 31, 2016

viii Managing Director & CEO's Message

xvi Some Major Events

xxii Awards & Accolades

Statutory Reports

9 Directors' Report

33 Management Discussion and Analysis

92 Corporate Governance Report

Financial Statements

132 Standalone Financial Statements

236 Consolidated Financial Statements

346 Pillar III Disclosures

रूपांतरण बैंक का.
रूपांतरण ज़िंदगियों का.
रूपांतरण भारत का.

मंद और कमजोर आर्थिक वृद्धि की मार से जूझ रहे विश्व में भारत स्थायित्व और अवसरों के केंद्र के रूप में मजबूती से खड़ा है. सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधारों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है ताकि देश को उच्चतर वृद्धि पथ पर अग्रसर किया जा सके. भारत के एक सबसे युवा संपूर्ण सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंक के रूप में, आईडीबीआई बैंक देश के विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए स्वयं को अनवरत रूप से रूपांतरित करता रहा है और लाखों लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहा है.

इन तमाम वर्षों में बैंक ने अलग-अलग श्रेणियों के ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को पुनर्निर्धारित करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि राष्ट्रीय रूपांतरण के उद्देश्य को सुसाध्य और व्यापक बनाया जा सके. बैंक ने बैंकिंग सुविधाओं से रहित और समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

बैंक ने प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकियों पर आधारित पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के निधीयन के लिए पहल करते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है. यह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नवंबर 2015 में ग्रीन बांड के जरिए 350 मिलियन यूएस डॉलर जुटाये. इन परियोजनाओं में अन्य के साथ-साथ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जल रीसाइक्लिंग प्रणालियाँ शामिल हैं.

बैंक कारोबार में विस्तार, प्रतिभा समूह को प्रशिक्षण, कॉरपोरेट अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ कर और उन्नत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र अपनाते हुए रूपांतरण के अपने अति महत्वपूर्ण अधिदेश को कार्यान्वित कर रहा है.

Transforming Bank.
Transforming Lives.
Transforming India.

In a world grappling with sluggish and fragile economic growth, India stands as a haven of stability and an outpost of opportunity. The Government is focussing on sweeping reforms across all sectors of the economy to elevate the country to a higher growth trajectory. As one of India's youngest full-service commercial banks, IDBI Bank is relentlessly transforming itself to keep pace with a nation on the move; emerging as a catalyst of positive change for millions of people.

Over the years, the Bank has taken significant steps to facilitate and extend the cause of national transformation by aligning its strategies to address the evolving aspirations of a wide cross-section of customers. It has contributed immensely to the mandate of financial inclusion by ensuring access to financial products and services to the unbanked and disadvantaged sections of society.

The Bank has played a pioneering role in the Indian banking sector in the area of environmental banking by taking initiatives for funding of green projects based on clean technologies. It was the first public sector commercial bank to raise US$ 350 million through green bonds in November 2015 for financing green projects, which include wind energy, solar energy, biomass, water recycling systems, among others.

The Bank is driving its overarching mandate for transformation through business expansion, nurturing a talent pool, strengthening corporate governance and risk management, and adopting an advanced technology ecosystem.

चुनिंदा रूपांतरण स्तंभ

कारोबार

आईडीबीआई ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत की औद्योगिक और बुनियादी संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के ज़रिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. बिजली बुनियादी संरचना, दूरसंचार परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर मेट्रो रेलवे परियोजनाओं तक, हवाईअड्डों से लेकर बंदरगाहों और अनेक विनिर्माण क्षेत्रों की परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंक अनेकानेक तरीकों से राष्ट्र-निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दे रहा है.

लोग

बैंक उच्च कार्य-निष्पादन और व्यावसायिकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है. यह क्षमताओं में वृद्धि करने और अभिप्रेरित टीम का निर्माण करने के लिए सतत प्रशिक्षण और टीम सहभागिता संबंधी पहल कार्यों पर भी विशेष ध्यान देता है. बैंक की मानव संसाधन रणनीतियों को प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और बनाये रखने तथा उत्कृष्टता को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए अनुरूप बनाया गया है.

प्रक्रियाएँ

बैंक का सुदृढ़ और बढ़ता हुआ परिचालन तंत्र अपने ग्राहकों को इसके तेजी से बढ़ते शाखा और एटीएम नेटवर्क तथा वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यमों के ज़रिए बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है. यह कार्यकुशलता बढ़ाने, कारोबारी वृद्धि के नए अवसरों की तलाश करने और संभावित जोखिमों से निपटने के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार करता है.

प्रौद्योगिकी

आईडीबीआई बैंक में प्रौद्योगिकी का अर्थ है- गति, सरलता, सुरक्षा और सेवा की विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर उच्च स्तरीय ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना. सीबीएस प्लेटफॉर्म पर 100% शाखाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने वाले पहले बैंकों में से एक होने के नाते आईडीबीआई बैंक ग्राहक इंटरफेस के साथ-साथ कारोबार प्रक्रियाओं में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में हमेशा अग्रणी रहा है.

रूपांतरणशील मानसिकता के साथ आईडीबीआई बैंक जहां एक ओर लोगों को सशक्त बना कर, उद्यमिता को प्रोत्साहित कर तथा अर्थव्यवस्था को अधिक गति प्रदान कर भारत के रूपांतरण में सहयोग प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, पुनर्वास और अन्य पहल कार्यों में सहायता प्रदान कर समुदाय के उत्थान में भी निवेश कर रहा है.

Select transformation pillars

Business

IDBI has played a significant role in helping promote industrial growth through financing of India's industrial and infrastructure projects, in consonance with national priorities. From financing power infrastructure, telecom projects, national highways to metro railway projects, airports to ports and projects in many manufacturing sectors, the Bank is supporting the cause of nation-building in more ways than one.

People

The Bank inculcates a culture of high performance and professionalism. It also focuses on continuous training and team engagement initiatives to enhance capabilities and build a motivated team. The Bank's HR strategies are aligned to attract, develop and retain talent and to recognise and reward excellence.

Processes

The Bank's robust and scalable operating framework is designed to provide best-in-class bouquet of products and services to its customers across its rapidly expanding branch and ATM network as well as through alternate channels of delivery. It formulates specific policies to reinforce efficiency, seek new opportunities for business growth and manage potential risks.

Technology

Technology at IDBI is all about speed, simplicity, security and providing a wide range of services to ensure a high level of customer satisfaction. As one of the first banks to achieve 100% networking of branches on CBS platform, IDBI Bank has always been in the forefront of adapting new technologies - both in customer interface as well as business processes.

With a transformational mindset, IDBI Bank is facilitating India's transformation by empowering people, encouraging entrepreneurship and providing greater impetus to the economy. At the same time, it is investing in community upliftment by supporting education, rehabilitation and other initiatives.

वित्तीय विशेषताएं
Financial Highlights

जमाराशियां
Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

Year	Amount
2011-12	2,10,493
2012-13	2,27,116
2013-14	2,35,774
2014-15	2,59,836
2015-16	2,65,720

अग्रिम
Advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

Year	Amount
2011-12	1,80,572
2012-13	1,96,306
2013-14	1,97,686
2014-15	2,08,377
2015-16	2,15,893

कुल कारोबार
Total Business

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

Year	Amount
2011-12	3,91,065
2012-13	4,23,423
2013-14	4,33,460
2014-15	4,68,213
2015-16	4,81,613

सकल आय*
Gross Income*

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

Year	Amount
2011-12	25,482
2012-13	28,284
2013-14	29,576
2014-15	32,162
2015-16	31,453

* अन्य आय सहित सकल ब्याज आय
* Gross Interest Income plus Other Income

कर्मचारी उत्पादकता
Employee Productivity

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

Year	Amount
2011-12	23.83
2012-13	25.64
2013-14	24.65
2014-15	26.21
2015-16	25.18

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)
Net Interest Margin (NIM)

(%)

Year	Value
2011-12	2.02
2012-13	2.12
2013-14	2.17
2014-15	1.90
2015-16	1.88

आय-लागत अनुपात
Cost-to-Income Ratio

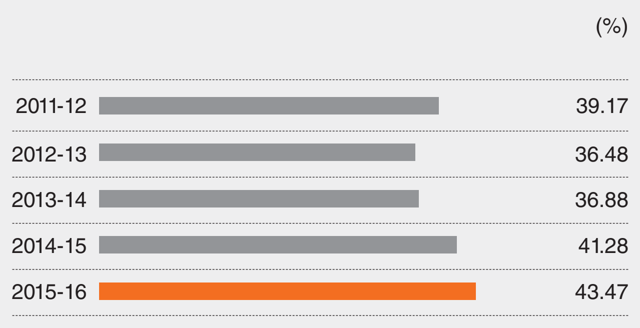

अग्रिम संमिश्र 2015-16
Advances Mix 2015-16

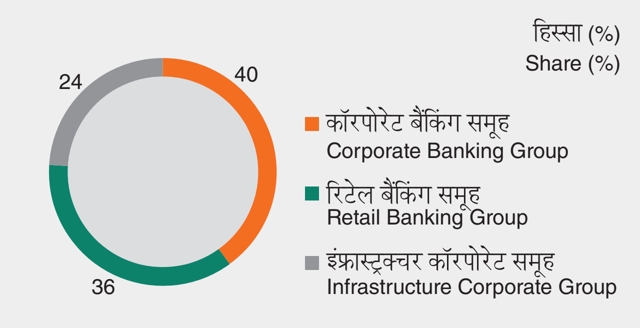

सीआरएआर*
CRAR*

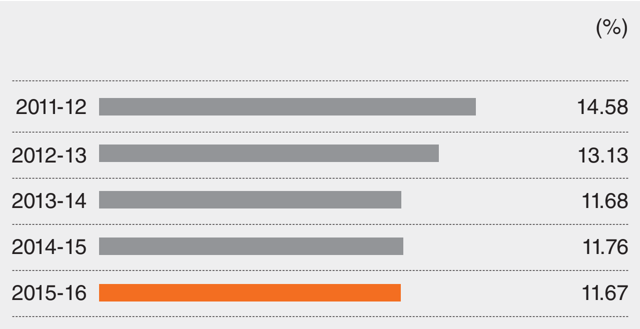

जमाराशि संमिश्र 2015-16
Deposits Mix 2015-16

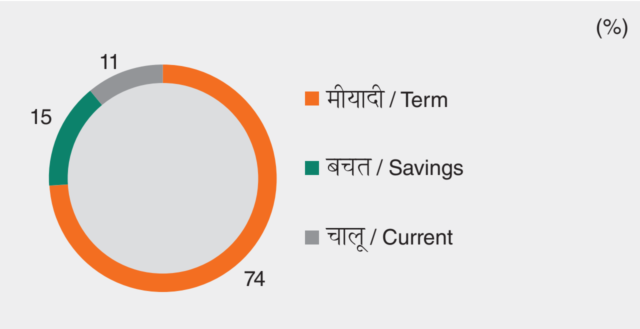

(* वित्तीय वर्ष 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के सीआरएआर आंकड़े बासेल II के अनुसार हैं)
(* CRAR Figures for FY 2012 & FY 2013 are as per Basel II)

(वित्तीय वर्ष 2014, वित्तीय वर्ष 2015 एवं वित्तीय वर्ष 2016 के आंकड़े बासेल III के अनुसार हैं)
(FY 2014, FY 2015 and FY 2016 are as per Basel III)

यथा 31 मार्च 2016 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on March 31, 2016

बैठे हुए (बायें से दायें):
श्री बी.के. बत्रा, श्री किशोर खरात, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव

खड़े हुए (बायें से दायें):
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स, श्री एस. रवि

Seated (left to right):
Shri B.K. Batra, Shri Kishor Kharat, Ms. Snehlata Shrivastava

Standing (left to right):
Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats, Shri S. Ravi

यथा 31 मार्च 2016 को शीर्ष प्रबंधन
Top Management as on March 31, 2016

बैठे हुए (बायें से दायें):
श्री विनय कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री आर.के. बंसल, कार्यपालक निदेशक, श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन, कार्यपालक निदेशक

खड़े हुए (बायें से दायें):
कार्यपालक निदेशकः श्री सुनीत कुमार माथुर, श्री पी. सीताराम, श्री ए.एल. बोंगिरवार, श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, श्री जी.एम. यादवडकर, श्री जी.ए. तड़स, श्री के.पी. नायर, श्री एन.एस. वेंकटेश

Seated (left to right):
Shri Viney Kumar, ED, Shri B.K. Batra, DMD, Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri R. K. Bansal, ED, Shri S. K. V. Srinivasan, ED

Standing (left to right):
Executive Directors: Shri Suneet Kumar Mathur, Shri P. Sitaram, Shri A. L. Bongirwar, Smt. Mythili Balasubramanian, Shri G. M. Yadwadkar, Shri G. A. Tadas, Shri K. P. Nair, Shri N. S. Venkatesh

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Managing Director & CEO's Message

किशोर खरात - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Kishor Kharat – Managing Director & CEO

''बदलाव का रहस्य इस बात में नहीं है कि आप अपनी समूची ऊर्जा पुराने को बचाने में खर्च करें बल्कि इस बात में है कि आप उसे नवनिर्माण में लगाएं.''

-सुकरात

आईडीबीआई अपनी सर्वव्यापकता पर गर्व करता है जो अपनी स्थापना से ही एक नए, बदलते भारत की आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करता है. वर्ष 1964 में शीर्ष विकास वित्त संस्था (डीएफआई) के रूप में स्थापित आपके बैंक ने 2004 में यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र को विस्तारित किया. वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत नव प्रवेशी होने के बावजूद आपके बैंक को अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग तथा बुनियादी संरचना क्षेत्रों में अपनी उत्प्रेरक मध्यस्थता के ज़रिए राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान की विरासत की बदौलत बैंकिंग जगत में बेजोड़ स्थान हासिल है. राष्ट्र के विकास और संपन्नता की खोज यात्रा में आपका बैंक देश के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है.

समकालीन रूप से प्रासंगिक संस्था बनी रहने के लिए यह आवश्यक है कि आपका बैंक स्वयं में लगातार परिवर्तन करके उनमें नयापन लाता रहे, बात चाहे इसके कारोबार मॉडल की हो या इसके उत्पादों और सेवाओं की. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके बैंक ने एक कारोबार रूपांतरण योजना तैयार की है जिसमें आने वाले तीन वर्षों में इसके कारोबार को लगभग दुगुना करने की परिकल्पना की गई है. साथ ही, उक्त अवधि में निवल लाभ को भी बढ़ाने के लिए रणनीतियां अपनाई जाएंगी. इस रूपांतरण योजना में अपेक्षित रणनीतियों और सक्षमकारी कारकों को लागू करना शामिल है ताकि उक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके. देश में अग्रणी वित्तीय महासंगठन के रूप में अपना अमिट एवं विशिष्ट स्थान बनाने के बैंक के प्रयासों की दिशा में इन रणनीतियों में स्थिरता निर्णायक कारक साबित होगी. इन सभी रणनीतियों का मूल मर्म बैंक के ध्येय को ध्यान में रखते हुए सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करना होगा. इस रूपांतरण प्रक्रिया के ज़रिए आपके बैंक का उद्देश्य मूर्त बदलाव लाते हुए भारत के लोगों के जीवन को रूपांतरित करना और फलस्वरूप भारत को समावेशी तथा तेजी से विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में सहभागी होना भी है.

"The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new."

– Socrates

IDBI Bank prides itself on its universality that mirrors the needs of a new, changing India ever since its inception. Established as an apex Development Financial Institution (DFI) in 1964, your Bank stretched its operational ambit to become a universal bank in 2004. Despite being a relatively new entrant in the commercial banking space, your Bank enjoys an unparalleled stature in the banking industry owing to its legacy of nation building through its catalytic intervention in industry and infrastructure sectors, among other areas. Your Bank is one of the most trusted partners of the nation in its quest for growth and prosperity.

To be a contemporaneously relevant entity, it is necessary for your Bank to continuously reinvent itself, be it in terms of its business model or in its products and services. Towards this end, your Bank has devised a business transformation plan which envisages almost doubling its business over the next three years. Simultaneously, strategies will be pursued to augment its net profit during the said period. The transformation plan involves putting in place requisite strategies and enablers to achieve the said targets. The defining factor in these strategies would be sustainability in order to allow the Bank to carve an indelible niche for itself as a leading financial conglomerate in the country. The crux of all the strategies would be to enhance value proposition for all the stakeholders, in keeping with its vision. Through its transformation process, your Bank also aims to transform lives of people of India by making a tangible difference and consequently, partnering in the transformation process of India as an inclusive and rapidly growing economy.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है. वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन और पहल-कार्यों का सारांश प्रस्तुत करती है.

समष्टि-आर्थिक विहंगावलोकन

बैंक के कार्य-निष्पादन का सही परिप्रेक्ष्य में आकलन करने के लिए इसके परिचालन परिदृश्य को समझना आवश्यक है. अतः मैं पिछले वर्ष विद्यमान समष्टि-आर्थिक परिदृश्य पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा.

भारत अपने समष्टि-आर्थिक परिवेश में सुधार, व्यापक नीतिगत सुधार और भारत सरकार द्वारा किए गए मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि जैसे कई समर्पित पहल-कार्यों की बदौलत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है. तथापि, कुछ उप क्षेत्रों - विशेषकर औद्योगिक तथा बुनियादी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्रों - का वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों के कारण कमजोर रहा. अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के बीच विद्यमान जटिल संबंधों को देखते हुए इन उप क्षेत्रों में कमजोर कार्य-निष्पादन का प्रभाव लाभप्रदता की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा है.

कारोबार रणनीति

आपका बैंक औद्योगिक तथा बुनियादी क्षेत्रों के वित्तपोषण में अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और गहन अनुभवों का लाभ उठाते हुए रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो के हिस्से को बढ़ाने के लिए रणनीतिक पहल-कार्य करता रहा. आपके बैंक के पहल-कार्यों का केंद्र बिन्दु जोखिम को कम करने और शुल्क आधारित आय के ज़रिए कोर बैंकिंग कारोबार से आय को संपूरित करने के लिए विविधीकृत पोर्टफोलियो संमिश्र सुनिश्चित करना था. वित्तीय महासंगठन के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपके बैंक ने अपनी संगठनात्मक संरचना में और साथ ही अपनी सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं तथा स्थापित अन्य संगठनों के साथ सहक्रियात्मक तालमेल बढ़ाने का प्रयास किया है.

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present your Bank's Annual Report for FY 2015-16 for your perusal. The Annual Report outlines your Bank's performance and initiatives during FY 2015-16.

Macroeconomic Overview

In order to assess its performance in the proper perspective, it is important to understand the Bank's operating environment. I would, therefore, like to briefly dwell upon the macroeconomic environment prevailing last year.

India has been emerging as the fastest growing economy globally, aided by improvement in its macroeconomic environment, wide-ranging policy reforms and several dedicated initiatives taken by the Government of India such as Make in India, Startup India, Stand Up India, Skill India, Digital India etc. However, some sub-sectors, especially within the industrial and infrastructure sectors, underperformed during the year due to sector-specific issues. Given the inextricable linkages that exist between the economy and the banking sector, weak performance in these sub-sectors impacted the banking sector in terms of their profitability.

Business Strategy

Your Bank pursued strategic initiatives to augment the share of retail and priority sector portfolios while simultaneously leveraging its strengths, capabilities and rich experience in industrial and infrastructure financing. The focal point of your Bank's initiatives was on ensuring a diversified portfolio mix to mitigate risk and supplement the income from core banking business through fee-based income. To further strengthen its position as a financial conglomerate, your Bank sought to foster synergy across its organisation structure as also with its subsidiaries, associates and other organisations set up by it.

कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष के दौरान कारोबार के रणनीतिक विकास और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए आपके बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पहल-कार्यों से परिचालनगत कार्य-निष्पादन बनाए रखने में सहायता मिली है. बैंक का परिचालनगत लाभ ₹ 5,370 करोड़ रहा है. वर्ष के दौरान हमारा ध्यान कारोबार में आक्रामकता पर न होकर कारोबार की गुणवत्ता तथा संमिश्र में सुधार लाने के लिए आस्तियों और देयताओं, दोनों के पोर्टफोलियो में पुनर्संतुलन पर केंद्रित रहा. कुल कारोबार बढ़कर ₹ 4.82 लाख करोड़ रहा जिसमें गत वर्ष की तुलना में 2.86% की वृद्धि दर्ज हुई है. जमा राशियां और अग्रिम क्रमशः 2.26% और 3.61% बढ़कर ₹ 2.66 लाख करोड़ और ₹ 2.16 लाख करोड़ रहे.

कम लागत वाली जमा राशियों का हिस्सा बढ़ाने की अपनी रणनीति के अनुरूप आपके बैंक ने यथा 31 मार्च 2016 को कुल ₹ 0.69 लाख करोड़ की कम लागत वाली कासा जमा राशियां जुटाईं. इन जमा राशियों के फलस्वरूप निधियों की लागत में कमी आई है.

आपके बैंक ने अपने पीएसएल पोर्टफोलियो में भी 7.23% की जोरदार वृद्धि दर्ज की जो 31 मार्च 2016 को ₹ 0.90 लाख करोड़ रहा.

परिचालनगत कार्य-निष्पादन में सुधार के बावजूद आपके बैंक को ₹ 3,665 करोड़ की निवल हानि हुई. यह मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जिसमें बैंकों से कतिपय खातों के लिए तत्परतापूर्वक प्रावधान करने की अपेक्षा की गई है, के अनुसरण में एनपीए तथा/या दबावग्रस्त आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण के कारण हुई. प्रावधानीकरण के कारण हानि या लाभ में गिरावट अन्य बैंकों के मामले में भी देखी गई है, अतः इसे आपके बैंक के कारोबार मॉडल में किसी कमजोरी के रूप में न देखा जाए. इसके अलावा, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 की तीसरी तथा चौथी तिमाहियों के दौरान आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अंतर्गत पहचाने गए दबावग्रस्त खातों के लिए प्रावधानीकरण को साभिप्राय विस्तारित किया है, अतः इन दोनों तिमाहियों के दौरान कार्य-निष्पादन में पहली तथा दूसरी तिमाहियों की तुलना में लाभप्रदता की दृष्टि से गिरावट आई है. तथापि मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि हमारे तुलनपत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और लाभप्रदता में निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिक कार्यकुशलता के साथ बैंक के कारोबार को रणनीतिक रूप से बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए ऐसे शोधन (क्लीन अप) उपाय अनिवार्य थे.

Performance Highlights

Various initiatives undertaken by your Bank for strategic business development and strengthening its financial position during the year has helped in maintaining its operational performance. The Bank's operating profit stood at ₹ 5,370 crore. During the period, our focus remained on rebalancing of portfolios, both on asset as well as liabilities side, to make improvement in quality and mix of business, rather than aggression in business. Total business increased to ₹ 4.82 lakh crore, marking a growth of 2.86% over previous year. Deposits and Advances increased by 2.26% and 3.61%, respectively, to ₹ 2.66 lakh crore and ₹ 2.16 lakh crore.

In alignment with its strategy of augmenting the share of the low-cost deposits, your Bank mobilised low-cost CASA deposits to the tune of ₹ 0.69 lakh crore as on March 31, 2016, thereby allowing it to drive down its cost of funds.

Your Bank also posted robust growth of 7.23% in its PSL portfolio which stood at ₹ 0.90 lakh crore as on March 31, 2016.

Despite improvement in its operational performance, your Bank incurred a net loss of ₹ 3,665 crore. This has happened predominantly because of prudential provisioning for NPA and/ or stressed assets following the Reserve Bank of India's Asset Quality Review (AQR) which required banks to proactively provide for certain accounts. The losses or fall in profits on account of provisioning has also been witnessed in case of other banks and therefore, should not be viewed as any weakness in your Bank's business model. Furthermore, your Bank consciously spread over the provisioning for stressed accounts identified under AQR over the third and the fourth quarter of FY 2015-16 and therefore, the performance over these two quarters have witnessed a deterioration in terms of profitability as compared to the first and the second quarter. However, I must emphasise that such clean-up measures were essential for improving the health of our balance sheet and work towards strategically growing the Bank's business with greater efficiency to get sustainability in its profitability.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Managing Director & CEO's Message

2015-16 में बैंक द्वारा किए गए प्रमुख पहल-कार्य

वर्ष 2015-16 कई मोर्चों पर बैंक के लिए महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान बैंकिंग जगत तथा अन्य क्षेत्रों में हमारे द्वारा कई पहल-कार्य किए गए. वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहल-कार्य निम्नलिखित हैं:

- केंद्र सरकार के स्किल इंडिया अभियान के अनुरूप शिक्षा ऋण के अंतर्गत एक विशेष योजना अर्थात् कौशल ऋण योजना का शुभारंभ.
- शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए सर्व सेवा पोर्टल *'विद्या लक्ष्मी पोर्टल'* का सदस्य बना.
- सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) लि. के साथ सामान्य पुनर्वित्त करार पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर ₹ 10 लाख तक की ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दो प्रमुख उत्पादों अर्थात् आईडीबीआई मुद्रा ऋण तथा आईडीबीआई बुनकर मुद्रा योजना (आईबीएमवाई) का शुभारंभ.
- 18 सितंबर 2015 को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में सूक्ष्म उद्यम ऋण के रूप में बैंक द्वारा निधिक सहायता प्रदत्त 101 ई-रिक्शों तथा 501 साइकिल रिक्शों का वितरण किया गया.
- क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो में दो और नए कार्ड अर्थात् यूफोरिया तथा इंपीरियम शामिल किए गए.
- 14 अप्रैल 2016 को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर समूचे भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ.
- बहु-उद्देश्यीय स्व-सेवा एटीएम (लघु शाखा) - अपने किस्म का पहला - जो 24x7 आधार पर नियमित रूप से एटीएम सेवाएं प्रदान करता है और व्यक्तिकृत चेक तथा मांग ड्राफ्ट जारी करने की सुविधा प्रदान करता है.
- पेऐप्ट वॉलेट - एक मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन - जो भुगतान जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान पर समग्र भुगतान समाधान है.
- जस टैब - एक टैब बैंकिंग समाधान - जो ग्राहकों को टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए घर से खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है.
- अभय ऐप - अपनी किस्म का पहला और पथ-प्रवर्तक ऐप - जो ग्राहकों को तात्कालिक आधार पर अपने एटीएम तथा डेबिट कार्डों की पीओएस सीमा को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है. जिससे कार्ड के दुरूपयोग की गुंजाइश कम रह जाती है.

Major initiatives undertaken by the Bank in 2015-16

The year 2015-16 was momentous for the Bank on numerous fronts and saw various initiatives being undertaken by us in the banking space and beyond. Some of the important initiatives launched/ started by your Bank during the year are:

- A special scheme, viz. Skill Loan Scheme under education loan, in alignment with the Central Government's Skill India campaign.
- Became member to the '*Vidya Laxmi Portal*' which is one-stop portal for the students who are seeking education loan.
- General Refinance Agreement (GRA) signed with Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Ltd. under which credit facilities up to ₹ 10 lakh are offered to Micro Enterprises at a competitive interest rate under PMMY.
- Two major priority sector products, viz. IDBI MUDRA Loan and IDBI Bunkar MUDRA Yojana (IBMY) under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).
- Flagged off 101 e-Rickshaws and 501 cycle rickshaws funded by the Bank as micro enterprise loan in Varanasi on September 18, 2015 at an event graced by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi.
- Two more variants of credit cards, viz. Euphoria and Imperium, added to its portfolio.
- Stand Up India Scheme was launched on a pan-India basis on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar on April 14, 2016.
- Multi-purpose self-service ATM (mini-branch) – first of its kind – which provides regular ATM services and facilitates issuance of personalised cheques and demand drafts on 24x7 basis.
- PayApt wallet - a mobile wallet application - which is a one-step, one-stop payment solution for meeting payment needs on the go.
- JusTab - a tab banking solution - to offer the convenience of opening of accounts at customers' door step using a tablet.
- Abhay App – first of its kind and path-breaking app which allows the customers to control the ATM and POS limit of their debit cards on a real-time basis in order to minimise the chance of misuse of the card.

- पूरे भारत में *'किसान संगोष्ठियों'* का आयोजन कर 23 दिसंबर 2015 को किसान दिवस मनाया.
- रिटेल निवेशकों के लिए एटीएम के माध्यम से जी-सेक निवेश सुविधा जो बैंक के समृद्धि जी-सेक पोर्टल का विस्तार है.
- ई-कॉल मनी - ई-ट्रेजरी के अंतर्गत एक मॉड्यूल - एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसमें शाखाएं अपने ग्राहकों अर्थात् सहकारी बैंकों की ओर से मांग/ सूचना पर देय/ मीयादी मुद्रा दर्ज कर सकती हैं.
- ई-ट्रेजरी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत गैर-व्यापारिक तार अंतरण (टीटी) विप्रेषणों (आवक तथा बाह्य) के लिए रिटेल/ कम मूल्य के लेनदेनों के लिए फॉरेक्स दरें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली.
- 6 मई 2016 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में भारत के पहले और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) खोलने वाला सरकारी क्षेत्र का पहला बैंक बना.
- नवंबर 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ग्रीन बांडों के ज़रिए 350 मिलियन यूएस डॉलर की निधियां सफलतापूर्वक जुटाने वाला भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला वाणिज्यिक बैंक बना.

ये आपके बैंक द्वारा किए गए कई पहल-कार्यों में से कुछेक हैं. वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में इन पहल-कार्यों की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है.

सतत् एवं लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आईडीबीआई बैंक का रूपांतरण

बदलते परिचालन परिदृश्य के अनुरूप आपका बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आपके बैंक के रणनीतिक पहल-कार्यों को आवधिक रूप से नया रूप दिया जाए ताकि यह अपने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर बना रहे. इस दिशा में आपके बैंक ने एक रूपांतरण योजना की परिकल्पना की है जिसमें मार्च 2019 के अंत तक ₹ 10 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा आपके बैंक ने कासा जमा राशियों में और वृद्धि, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का हिस्सा बढ़ाकर संतुलित पोर्टफोलियो संमिश्र, उच्चतर निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में सुधार, उन्नत आस्ति गुणवत्ता और पर्याप्त पूंजी की परिकल्पना की है. आपके बैंक की व्यापक रूपांतरण प्रक्रिया पाँच स्तंभों अर्थात् कारोबार, लोग, प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी तथा पूंजी प्रबंधन पर आधारित है. इसका अंतिम उद्देश्य सतत् एवं लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करते हुए सभी अंशधारकों के लिए मूल्यवर्धन करना है. हालांकि आपका बैंक देश में विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष 50 ब्रांडों में पहले से ही स्थान रखता है, रूपांतरण प्रक्रिया से इस ब्रांड को और मजबूती मिलेगी.

- Celebrated Farmers' Day on December 23, 2015 by organising *'Kisan Sangosthis'* across India.
- G-Sec Investment Facility through ATM for retail investors which is an extension of its Samriddhi G-Sec portal.
- eCallMoney - a module under e-Treasury – as an online platform wherein branches can book Call/ Notice/ Term money on behalf of their clients, that is, Co-operative Banks.
- An online system for booking of FX rates for retail/ small value transactions for non-trade Telegraphic Transfer (TT) remittances (inward and outward) under the e-Treasury Platform.
- Became the first Public Sector Bank to open its IFSC Banking Unit (IBU) at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) on May 06, 2016.
- Became the first public sector commercial bank in India to have successfully raised funds to the tune of US$ 350 million by way of Green Bonds from international market during November 2015.

These are but a few of the many initiatives taken by your Bank. The Management Discussion and Analysis section of the Annual Report covers these initiatives in greater detail.

Transforming IDBI Bank to Ensure Sustainable and Profitable Growth

In tandem with evolving operating environment, your Bank ensures its strategic initiatives are periodically revamped to be at the top of its game. Towards this end, your Bank has envisaged a transformation plan that targets growth in business to ₹10 lakh crore by end-March 2019. Apart from this, your Bank has envisioned further increase in CASA deposits, balanced portfolio mix by increasing share of retail and PSL, higher Net Interest Margin (NIM), improved Return on Assets (RoA) and Return on Equity (RoE), improved asset quality and adequate capital. The comprehensive transformational process of your Bank is based on five pillars viz. Business, People, Processes, Technology and Capital Management. The ultimate aim is to enhance the value for all stakeholders by ensuring sustainable and profitable growth. While your Bank already ranks among the top 50 brands across sectors in the country, the transformation process will further strengthen the brand.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Managing Director & CEO's Message

आगे की राह

जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, आपका बैंक 3 वर्ष की अवधि में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक एक रणनीतिक कारोबार रूपांतरण प्रक्रिया अपनाएगा जिससे इसे ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण, उत्पाद नवोन्मेषण, आक्रामक मार्केटिंग, कौशल विकास तथा श्रम शक्ति में व्यावसायिकता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी वृद्धि संभाव्यता को बनाए रखने और निर्मित करने में सहायता मिलेगी. विगत वर्षों में आपका बैंक हर भारतीय के लिए आवश्यकतानुरूप तथा व्यापक बेहतरीन वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए लोगों के जीवन से सफलतापूर्वक जुड़ा है. आपके बैंक की सर्वव्यापकता तथा युवापन ने न केवल बदलते भारत की जरूरतों को प्रतिबिम्बित किया है बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान देने में भी उत्प्रेरक रहा है. इस दिशा में आपके बैंक की रूपांतरण योजना में ऐसे तत्वों को भी समाहित किया गया है जो हरेक तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने और फलस्वरूप समावेशी तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की रूपांतरण प्रक्रिया को और गति प्रदान करने में सहायक होंगे. ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुरूप तैयार किए गए नए उत्पाद तथा सेवाएं पेश करते हुए आपका बैंक अपने सभी अंशधारकों, बड़े पैमाने पर समुदाय और समग्र रूप में देश को लाभ पहुंचाना चाहता है. विभिन्न ग्राहक खंडों को वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान कर आपके बैंक ने भारत की जनता को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए और इस प्रकार उनके जीवन को रूपांतरित करते हुए उनके कल्याण के लिए असीम योगदान दिया है.

आपके बैंक की पेशकशों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर इसके रणनीतिक पहल-कार्यों में उपयुक्त रूप से सहायता दी जाएगी, इससे खासकर बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ेगी और बदले में वित्तीय सुविधाओं के वंचन संबंधी मुद्दे पर अधिक ध्यान जाएगा. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अलावा, आपका बैंक मौजूदा खंडों (सेगमेंटों) के अलावा उभरते, लाभप्रद खंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शाखा एवं एटीएम नेटवर्क तथा सुव्यवस्थित संगठनात्मक संरचना को रणनीतिक रूप से विस्तारित करने और श्रम शक्ति को आवश्यक कौशल सेट से सुसज्जित करने जैसे आवश्यक समर्थकारक विकसित करने की प्रक्रिया में है.

आपके बैंक ने रणनीतिक हस्तक्षेप की दृष्टि से पहले ही एक मजबूत नींव डाल दी है और अपने समर्पित कर्मचारियों की सहायता से तथा अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अधिक उच्चतर वृद्धि प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है.

Way Forward

As stated earlier, your Bank will pursue a strategic business transformation plan in three-year period, i.e. FY 2016-17 till FY2018-19, which would allow it to sustain and build its growth potential by focusing on customer-centric approach, product innovation, aggressive marketing, skill development and institutionalising professionalism among the workforce. Your Bank, over the years, has been successfully touching lives by relentlessly striving to provide customised and comprehensive best-in-class financial solutions for every Indian. Your Bank's universality and youthfulness has not only mirrored the needs of changing India but has also been catalytic in contributing towards economic development of the country. Towards this end, your Bank's transformation plan has also woven in elements that would help in transforming the lives of each and every individual and consequently, provide an added impetus to the transformation process of India as an inclusive and rapidly growing economy. By introducing new products and services, which are aligned and customised to cater to emerging customer needs, your Bank aims at benefitting all its stakeholders, the community at large and the country as a whole. By extending its assistance, both financial and non-financial, to varied customer segments, your Bank has contributed immensely towards the welfare of people of India by empowering them socio-economically and thereby, transforming their lives.

The strategic initiatives of your Bank will be ably supported by increasing digitisation across its offerings which would enhance accessibility, especially in the unbanked areas which, in turn, would address the issue of financial exclusion. Apart from leveraging technology, your Bank is in the process of developing the necessary enablers such as strategically expanding its branch and ATM network, granular organisation structure and equipping workforce with necessary skills sets in order to tap the emerging, profitable segments, in addition to the existing ones.

Your Bank has already laid a strong foundation in terms of strategic interventions and is poised to achieve much higher growth during FY2016-17 with support of its dedicated workforce and good corporate governance.

आभार

मैं विभिन्न अवसरों पर मिले समर्थन और सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ जिनसे वर्ष के दौरान आए उतार-चढ़ावों के बीच आपके बैंक को संचालित करने में मुझे सहायता मिली है. मैं सभी अंशधारकों, अर्थात् भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बहुपक्षीय संस्थाओं को उनके सतत् सामयिक सहयोग एवं समर्थन और साथ ही मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिनसे बैंक को वांछित दिशा में ले जाने में मुझे सहायता मिली है. मैं बैंक के ग्राहकों के प्रति, जिनके सतत् विश्वास से हमें वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है; बैंक के निदेशक मंडल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए और साथ ही उनके निरंतर परामर्श और सहयोग के लिए और साथ ही कार्य के प्रति समर्पित एवं उत्साही बैंक के कर्मचारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. अंत में, मैं आप सभी के विश्वास और निष्ठा के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिसकी वजह से बैंक की प्रगति में सहायता मिली है. मैं आपसे सतत् मार्गदर्शन और सहायता की आकांक्षा करता हूँ ताकि हम साथ मिलकर बैंक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकें और सभी अंशधारकों का मूल्यवर्धन कर सकें.

आपको और आपके परिजनों को शुभकामनाओं सहित,

किशोर खरात

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

Acknowledgements

I am profoundly grateful for support and co-operation exhibited at various quarters that enabled me to steer your Bank through highs and lows evidenced during the year. I would like to thank all the stakeholders, viz. the Government of India, various State Governments, the RBI, all other statutory and regulatory authorities, other banks, financial institutions and multilateral institutions for their continued timely support and co-operation as well as valuable guidance which helped me to steer the Bank towards a desired direction. I would also like to express my gratitude to the Bank's customers for their continued trust in us for helping them achieve financial well-being; to the Bank's Board of Directors for their service as well as for their continuing counsel and support as well as to the Bank's employees who are committed and enthusiastic about their work. Last, but not the least, I would like to express my gratitude to you for the confidence and belief you have shown that has enabled the Bank to progress thus far. I solicit your continued guidance and support so that we can together propel the Bank to a new high and maximise value for all stakeholders.

With best wishes to you and your families,

Kishor Kharat

Managing Director & CEO

> ''परिवर्तनों के साथ स्वयं को बेहतर ढंग से ढाल लेने वाला व्यक्ति ही टिक सकेगा, न कि सर्वाधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान.''
>
> **-चार्ल्स डार्विन**

> "It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change."
>
> **– Charles Darwin**

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

14 सितंबर 2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात

Shri Kishor Kharat, MD & CEO, IDBI Bank receiving Rajbhasha Kirti Puraskar from Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee on September 14, 2015

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2015 को वाराणसी में आईडीबीआई बैंक के वित्तीय समावेशन पहल-कार्य का शुभारंभ किया. इस अवसर पर एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात उपस्थित थे

Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi flagged off a Financial Inclusion initiative by IDBI Bank at Varanasi on September 18, 2015. Shri Kishor Kharat, MD & CEO was present during the occasion

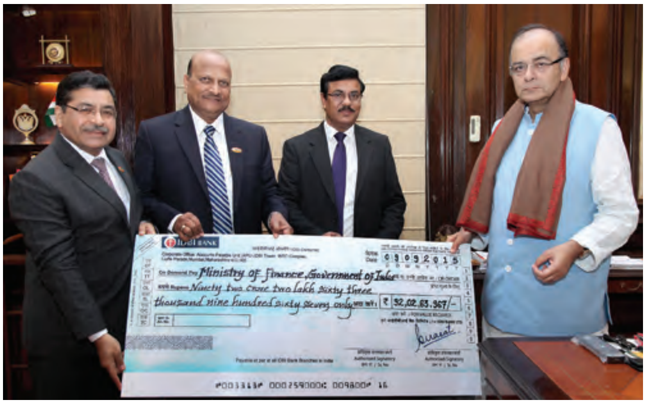

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात तथा उप प्रबंध निदेशक श्री बी.के. बत्रा

Shri Kishor Kharat, MD & CEO, and Shri B. K. Batra, DMD, presenting the dividend cheque to Shri Arun Jaitley, Hon'ble Finance Minister

आईडीबीआई बैंक के 52वें स्थापना दिवस समारोह में श्रोताओं को संबोधित करते हुए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

Shri Suresh Prabhakar Prabhu, Hon'ble Minister for Railways, addressing the audience at IDBI Bank's 52nd Foundation Day celebrations

आईडीबीआई बैंक को माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा से बड़े बैंक वर्ग तथा सरकारी योजनाओं की श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के लिए ऐसोचैम पुरस्कार 2015 प्राप्त हुआ

IDBI Bank received the ASSOCHAM Award 2015 for Financial Inclusion under Large Bank class and Government Schemes category from Hon'ble MoS for Finance, Shri Jayant Sinha

आईडीबीआई बैंक को रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई. रिज़र्व बैंक गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन से शील्ड प्राप्त करते हुए आईडीबीआई बैंक लि. के कार्यपालक निदेशक श्री के.पी. नायर तथा तत्कालीन महाप्रबंधक डॉ. सुनील कुमार लाहोटी

IDBI Bank bags RBI Rajbhasha Shield. Receiving the Shield from RBI Governor Dr. Raghuram G. Rajan are Shri K. P. Nair, ED, and Dr. Sunil Kumar Lahoti, the then GM, IDBI Bank Ltd.

4 मई 2016 को आईडीबीआई बैंक के प्रधान कार्यालय में विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अज़ीम एच. प्रेमजी के साथ एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात तथा उप प्रबंध निदेशक श्री बी.के. बत्रा

Shri Kishor Kharat, MD & CEO and Shri B.K. Batra, DMD with Shri Azim H. Premji, Chairman of Wipro Limited at IDBI Bank's Head Office on May 04, 2016

हरियाणा के हिसार जिले में बैंक की गुराना शाखा का उद्घाटन करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री आर.के. बंसल. इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय शर्मा तथा बैंक के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे

Shri R. K. Bansal, ED, inaugurating the Bank's Gurana Branch at District Hisar in Haryana. Shri Ajay Sharma, CGM and other officers of the Bank were also present on the occasion

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को 59वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए

Paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on his 59th Death Anniversary

जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में 12 एवं 13 दिसंबर 2015 को आयोजित कारोबार समीक्षा एवं रणनीति बैठक

Business Review & Strategy Meet held at JNIBF, Hyderabad on December 12 & 13, 2015

सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक के उत्कृष्ट कार्यों के लिए लॉयन्स क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन से लॉयन्स सीएसआर प्रीशियस अवार्ड 2016 प्राप्त करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री विनय कुमार

Shri Viney Kumar, ED, receiving the Lions CSR Precious Award 2016 from Lions Clubs International Foundation for IDBI Bank's exemplary work in the field of social service

रिटेल निवेशकों के लिए एटीएम के ज़रिए अपने किस्म की पहली जी-सेक निवेश सुविधा का उद्घाटन करते हुए निदेशक श्री निनाद कर्पे. साथ ही बैंक के एमडी एवं सीईओ तथा अन्य निदेशक उपस्थित थे

Shri Ninad Karpe, Director, along with MD & CEO and other Directors of the Bank inaugurating the nation's first of its kind G-Sec investment facility through ATM for Retail Investors

बैंक को भारतीय बैंक संघ के बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार की चार श्रेणियों में रनर-अप पुरस्कार प्राप्त हुए. इन श्रेणियों में ग्राहक अनुभव में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम प्रयोग, डिजिटल एवं चैनल टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम प्रयोग, धोखाधड़ी एवं जोखिम के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पहलकार्य और वर्ष का श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक शामिल हैं

The Bank won runner up awards in 4 categories at the IBA's Banking Technology Awards. These categories included Best Use of Technology to Enhance Customer Experience, Best Use of Digital & Channels Technology, Best Fraud and Risk Management Initiatives and Best Technology Bank of the Year

1 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में आयोजित ग्राहक संगोष्ठी

Customer Meet held at New Delhi on February 01, 2016

अहमदाबाद में 'किसान संगोष्ठी' में एक किसान को ऋण मंजूरी पत्र प्रदान करते हुए एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात

Shri Kishor Kharat, MD & CEO, handing over sanction letter to a farmer at the Kisan Sangoshti in Ahmedabad

नागपुर में अंचल कार्यालय का उद्घाटन

Inauguration of Zonal Office at Nagpur

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

आईडीबीआई टॉवर, मुंबई में कर्मचारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यशाला

International Yoga Day Workshop for employees at IDBI Tower, Mumbai

जेएनआईबीएफ कैंपस, हैदराबाद में कॉल सेंटर के लिए बीसीपी सुविधा एवं सीसीयू का उद्घाटन

Inauguration of BCP facility for Call Centre & CCU at JNIBF campus, Hyderabad

पुणे में एक सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यम का उद्घाटन करते हुए एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात

Shri Kishor Kharat, MD & CEO, inaugurating an assisted Micro Enterprise at Pune.

आईडीबीआई बैंक तथा महिला आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम) के बीच 15 दिसंबर 2015 को एक सहमति ज्ञापन हुआ. इस ज्ञापन पर श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन, कार्यपालक निदेशक और सुश्री कुसुम बालसराफ, प्रबंध निदेशक, एमएवीआईएम द्वारा हस्ताक्षर किए गए.

IDBI Bank and Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM) entered into a MoU on December 15, 2015. The Memorandum was signed by Shri S.K.V. Srinivasan, ED and Ms. Kusum Balsaraf, MD of MAVIM

चेन्नै में 26 फरवरी 2016 को टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ श्री किशोर खरात, उप प्रबंध निदेशक श्री बी. के. बत्रा, कार्यपालक निदेशक श्री एस. के. वी. श्रीनिवासन, मुमप्र श्री रबिनारायण पांडा और मुमप्र श्री वी. नारायणमूर्ति उपस्थित थे

A Town Hall Meet was organised on February 26, 2016 in Chennai, which was attended by Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri B. K. Batra, DMD, Shri S. K. V. Srinivasan, ED, Shri Rabinarayan Panda, CGM and Shri V. Narayanamurthy, CGM

आईडीबीआई बैंक ने 14 अप्रैल 2016 को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारत में 'स्टैंड अप इंडिया' योजना का शुभारंभ किया

IDBI Bank launched the 'Stand Up India' Scheme on a pan India basis on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar on April 14, 2016

आईडीबीआई बैंक को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के 55वें वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत चार पुरस्कार प्राप्त हुए. इस अवसर पर आईडीबीआई बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री ए.एल. बोंगिरवार

IDBI Bank received 4 awards at the 55th Association of Business Communicators of India (ABCI) Annual Awards. Shri A. L. Bongirwar, ED receiving an award on behalf of the Bank at the Awards

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और इस अवसर के उपलक्ष्य में एक विशेष जर्नल का विमोचन

Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank and release of a Special Journal to mark the occasion

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades

आईडीबीआई बैंक को वर्तमान वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और ब्रांड निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं. इनमें से कुछ पुरस्कारों का उल्लेख नीचे किया गया है -

- आईडीबीआई बैंक ने मिलवर्ड ब्राउन की रिपोर्ट ब्रांड जेड के अनुसार भारत के सर्वोत्तम 50 ब्रांडों में 39वां स्थान बनाए रखा है और इसके ब्रांड मूल्य में 28% की वृद्धि हुई है. ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट ने अपनी "ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2016" में आईडीबीआई बैंक को 63वां स्थान दिया है जबकि 2013 में इसने बैंक को 159वां, 2014 में 85वां और 2015 में 64वां स्थान दिया था. रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने दूसरे सबसे विश्वसनीय पीएसयू बैंक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है.
- बैंक ने 16 फरवरी 2016 को आईबीए के बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार की चार श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं. इन श्रेणियों में ग्राहक के अनुभव में बढ़ोतरी के लिए टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम प्रयोग, डिजिटल एवं चैनल टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम प्रयोग, धोखाधड़ी एवं जोखिम के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पहल-कार्य और वर्ष का श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक की श्रेणी शामिल है. साथ ही बैंक को 42वें स्कॉच समिट के दौरान 'स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट' से सम्मानित किया गया है और हाल ही में आरंभ किए गए अपने मोबाइल एप्लिकेशन "अभय कार्ड ऐप" के लिए एंटरप्राइज़ मोबिलिटी श्रेणी के तहत नेट ऐप इनोवेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.
- बैंक को बड़े बैंक और सरकारी योजनाओं की श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिष्ठित एसोचैम पुरस्कार 2015 प्राप्त हुआ है. हरित पहल को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में अपने उत्पाद सूर्य शक्ति के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की पंजाब सोलर समिट में भी प्रशंसा की गई थी.
- आईडीबीआई बैंक लि. को वर्ष 2014-15 के दौरान हिंदी प्रयोग में श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत 'ख' भाषा क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- बैंक ने 5वें वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर पुरस्कार में वर्ष 2015-16 के लिए प्लैटिनम श्रेणी में पुरस्कार जीतकर वर्ष के दौरान एक ज़िम्मेवार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अपने प्रयासों के ज़रिए लगातार अपनी पहचान बनाए रखी. बैंक को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के स्कूलों में यूनिसेफ के माध्यम से चलाई जा रही अपनी पानी, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य परियोजना (वॉश) के लिए प्राप्त हुआ है. बैंक को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए लायंस सीएसआर प्रीशियस पुरस्कार 2016 से भी सम्मानित किया गया.

IDBI Bank in the current year received several awards and accolades for its contribution in the field of Information Technology, Financial Inclusion, Corporate Social Responsibility and Brand Building. Some of them are listed below:-

- IDBI Bank retained 39th position and the Bank's brand value has risen by 28% across top 50 brands in India as per Millward Brown's Report Brand Z. The Brand Trust Report has also ranked IDBI Bank in 63rd position across sectors in its 'Brand Trust Report 2016' as compared to its earlier ranking of 64th in 2015, 85th in 2014 and 159th in 2013. As per the report, the Bank has retained its position as the 2nd most trusted PSU Bank.
- The Bank won awards in 4 categories at IBA's Banking Technology Awards on February 16, 2016. These categories are Best Use of Technology to Enhance Customer Experience, Best Use of Digital & Channels Technology, Best Fraud and Risk Management Initiatives and Best Technology Bank of the Year. Also, the Bank has been conferred "Skoch Order-of-Merit" award during the 42nd Skoch Summit and the NetApp Innovation Award under Enterprise Mobility Category for its newly launched mobile application "Abhay Card App".
- The Bank received the prestigious ASSOCHAM Award 2015 for Financial Inclusion under Large Bank class and Government schemes category. As part of its endeavor towards pushing forward green initiatives, the Bank was lauded for the steps taken towards promotion of Solar Energy at the Punjab Solar Summit through the product Surya Shakti.
- IDBI Bank was awarded second prize in linguistic region 'B' of nationalised banks and financial institutions category of Rajbhasha Kirti Puraskar for the year 2014-15 for its outstanding performance in the use of Hindi.
- During the year, the Bank continued to be recognised for its efforts as a conscientious corporate citizen by winning the 5th Annual Greentech CSR Award for the year 2015-16 in the Platinum category. The Bank received this award for its Water, Sanitation and Health (WaSH) Project being implemented by UNICEF in schools across Uttar Pradesh and Maharashtra. The Bank was also awarded the Lions CSR Precious Award 2016 for exemplary work in the field of social service.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक की कारोबार रणनीति को उभरते समष्टि आर्थिक विकास और नवोन्मेषी कारोबार गतिशीलताओं द्वारा आकार दिया गया. वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो संमिश्र का पुर्नसंतुलन आपके बैंक की कारोबार रणनीति का मुख्य आधार बना रहा. इसने अन्य उपायों के साथ-साथ सुसंगठित संगठनात्मक संरचना, बैंकिंग संपर्क बिन्दुओं के रणनीतिक विस्तार, अपने प्रमाणित आईटी कौशल के सक्रिय रूप से उपयोग, कारोबार प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारोबारी समर्थकारकों के साथ आपके बैंक को कम परिचालन लागत पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाया है.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 2% एवं 4 % की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,65,720 करोड़ एवं ₹ 2,15,893 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में प्रस्तुत की गई हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सकल लाभ ₹ 31,453 करोड़ रहा जिसमें ₹ 28,043 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 3,410 करोड़ की अन्य आय शामिल है. कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ₹ 21,954 करोड़ का ब्याज व्यय और ₹ 4,130 करोड़ का परिचालनगत व्यय शामिल है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने परिचालनों में ₹ 5,370 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया.

तथापि कतिपय खातों के लिए बैंकों द्वारा तत्परतापूर्वक प्रावधान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति गुणवत्ता समीक्षा निर्देश के फलस्वरूप आपके बैंक का कुल प्रावधान बढ़ गया. वर्ष के दौरान कर को छोड़कर कुल प्रावधान ₹ 10,340.82 करोड़ रहा जिसमें मुख्यत: अनर्जक आस्तियों, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान हेतु ₹ 9,191 करोड़ की राशि शामिल है. परिणामस्वरूप आपके बैंक को वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 3,665 करोड़ की निवल हानि हुई.

तालिका 1 : मुख्य वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च की स्थिति	2015	2016
पूंजी	1,603.96	2,058.81
रिजर्व और अधिशेष	22,712.96	25,662.97
जमाराशियां	2,59,835.97	2,65,719.83
उधार राशियां	61,832.46	69,573.94
अन्य देयताएं और प्रावधान	10,158.65	11,356.57
कुल देयताएं	**3,56,144.00**	**3,74,372.12**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	13,152.82	13,822.91
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	1,489.99	2,757.63
निवेश	97,700.88	98,999.43
अग्रिम	2,08,376.87	2,15,893.45
अचल और अन्य आस्तियां	35,423.44	42,898.70
कुल आस्तियां	**3,56,144.00**	**3,74,372.12**
इस अवधि में	**2014-15**	**2015-16**
कुल आय	32,161.62	31,453.46
कुल व्यय (प्रावधानों को छोड़कर)	26,433.52	26,083.39
प्रावधान (कर छोड़कर)	4,440.78	10,340.82
कर पूर्व लाभ / (हानि)	1,287.33	(4970.75)
कर के लिए प्रावधान*	413.94	(1,305.95)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	873.39	(3,664.80)

* वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर

अग्रिमों की प्रवृत्तियां

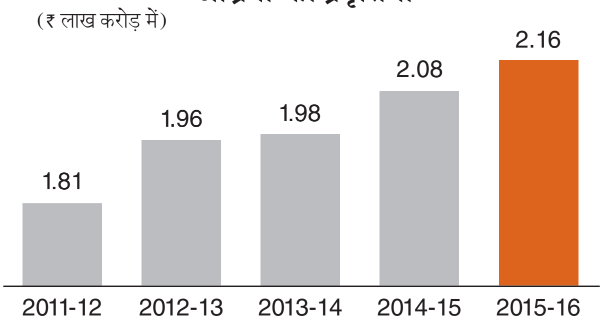

जमाराशियों की प्रवृत्तियां

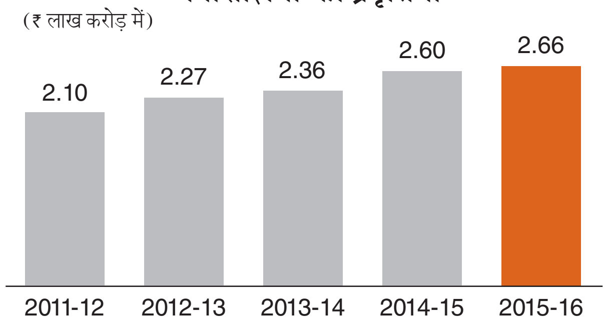

वर्ष के दौरान ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ₹ (21.77) रहा, जबकि मार्च 2016 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 107.41 रहा. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की सिफ़ारिश नहीं की है.

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 21 की अपेक्षानुसार इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल बैंक के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी सहायक संस्थाओं और अन्य समेकन संस्थाओं के लेखों को शामिल किया गया है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार बैंक की सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के मुख्य वित्तीय विवरणों को दर्शाने वाला विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में अलग से शामिल किया गया है.

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक की सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति को इस रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुबद्ध किया गया है.

(₹ '000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
मूल: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	96.92%	27721 78 91	103.18%	-3664 80 26
सहायक संस्थाएं :				
भारतीय :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.	1.09%	313 05 08	-0.26%	9 27 76
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.13%	37 64 87	-0.12%	4 22 08
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	0.34%	97 16 58	-0.10%	3 47 92
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	1 07 61	0.00%	17 30
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.	0.46%	131 85 45	-1.07%	38 10 39
विदेशी :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.21%	61 45 62	-0.49%	17 26 11
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.01%	40 38
2. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.69%	24 59 78
3. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.71%	25 22 10

(₹ '000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियां के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
विदेशी :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.05%	300 83 27	-0.21%	7 33 53
विदेशी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	28603 41 78	100%	-3551 99 01
विलोपन	-1.91%	-544 98 23	1.09%	-38 82 52
निवल कुल	98.09%	28058 43 54	101.09%	-3590 81 53

नोट : *उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.*

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों :

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं हैं जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2016 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख अर्थात् 20 मई 2016 के दौरान उत्पन्न हुई है.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरे :

बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं. इन नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणनों के माध्यम से संचालित किया जाता है. इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के पिलर-I दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता का परिकलन करता है. बासेल III मानदंडों के अंतर्गत दर्शाई गई उच्च गुणवत्ता पूंजी आवश्यकता के संबंध में, वर्तमान में आपके बैंक के पास दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

सीआरएआर की प्रवृत्ति*

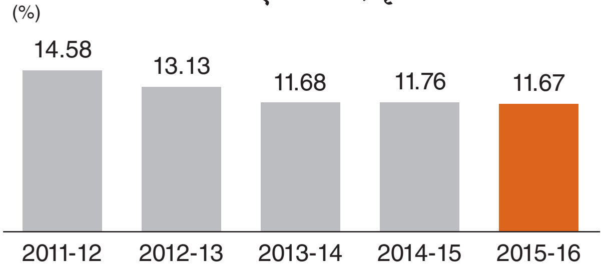

*(*सीआरएआर आंकड़े वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए बासेल II और 2013-14 से बासेल III के अनुसार हैं.)*

बासेल दिशानिर्देशों ने 31 मार्च 2016 से अनिवार्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की शुरुआत की है. सीसीबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक सामान्य अवधियों के दौरान (अर्थात् दबावग्रस्त अवधियों को छोड़कर) सुरक्षित भंडार निर्मित करें जिसे दबावग्रस्त अवधियों के दौरान होने वाली हानियों के मामले में आहरित किया जा सकता है. विनियामक दिशानिर्देशों की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 31 मार्च 2016 के लिए लागू सीसीबी 0.625% (2.5% के कुल सीसीबी का 25%) है. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की

तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 11.67% था जो कि 9.625% (सीसीबी सहित) की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है. आपके बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) अनुपात 7.99% रहा. यह भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत 6.125% (सीसीबी सहित) के न्यूनतम लागू सीईटी 1 अनुपात से अधिक है. 31 मार्च 2016 को टीयर-I अनुपात विनियामक अपेक्षा 7.625% (सीसीबी सहित) की तुलना में 8.90% रहा.

बासेल III के अंतर्गत पिलर-II मानदंडों की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिससे बैंक सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिम प्रबंधन के लिए उचित रणनीति विकसित करने के साथ ही पिलर-I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक निर्धारण और उनका परिमाण निर्धारण करता है. आपके बैंक ने बासेल ढांचे के अंतर्गत पिलर-III मानदंडों के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है और परिणामस्वरूप हरेक तिमाही की समाप्ति पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन उपलब्ध कराए जाते हैं.

कारोबार रणनीति

आपका बैंक रूपांतरण के मोड़ पर खड़ा है और अपनी वित्तीय सेहत में नई ताकत का संचार करने के लिए रूपांतरण पथ पर अग्रसर होने के लिए इसके पास बेहतरीन अवसर है. बैंक की व्यापक रूपांतरण प्रक्रिया पाँच स्तंभों अर्थात् कारोबार, लोग, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रबंध पर आधारित है. आपका बैंक उक्त पाँच रूपांतरकारी स्तंभों के साथ-साथ अपने कारोबार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बहु-आयामी नीति भी अपनाएगा. इस बहु-आयामी नीति में विभिन्न वर्टिकलों, सहायक और सहयोगी कंपनियों के बीच सहक्रिया से लाभ उठाना; परियोजना सलाहकारी और ऋण समूहन कारोबार जैसे क्षेत्रों में मूल दक्षताओं का लाभ उठाना; जमाकर्ता आधार में संवृद्धि करना; चालू और बचत खाता (कासा) जमाराशियों को जुटाने पर विशेष जोर देना; शुल्क आय में तीव्र वृद्धि करना; कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र को उधार सहित रिटेल, विशेष रूप से पीएसएल, को दिए जाने वाले उधारों में वृद्धि करना; प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना; वसूली प्रयासों में तेजी लाना आदि शामिल हैं. आपके बैंक के नेटवर्क को रणनीतिक रूप से विस्तारित करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने से इन पहल कार्यों को परिपूर्णता मिलेगी और बढ़ती कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी सूचना प्रौद्योगिकी दक्षता से आगे और सहायता मिलेगी. ये सभी पहल-कार्य उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे और इसके परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करेंगे. इस रूपांतरण प्रक्रिया से आपका बैंक अपने लिए एक विशेष स्थान बना सकेगा और एक अग्रणी वित्तीय महासंगठन के रूप में उभर कर सामने आएगा.

महत्वपूर्ण कारोबारी पहल-कार्य

अधिक संतुलित कारोबार पोर्टफोलियो संमिश्र प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप आपके बैंक ने अपने रिटेल कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित रखा. इस कारोबार पुनरभिमुखीकरण प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए आपका बैंक अपने ग्राहकों की विविध जरूरतों को पूरा करने हेतु अपनी भौतिक शाखाओं और एटीएम के साथ-साथ, वैकल्पिक माध्यमों के ज़रिए नवोन्मेषी और आवश्यकतानुरूप तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं की शृंखला पेश करता है जिसमें देयता, आस्ति, पूंजी बाजार, अन्य पक्ष उत्पाद शामिल हैं. इसे प्रतिस्पर्धी रूप से आगे बनाए रखने के लिए आपके बैंक ने अपने मौजूदा उत्पादों और सेवाओं का पुनर्निर्माण करना और साथ ही नए उत्पाद और सेवाएं प्रारंभ करना जारी रखा.

रिटेल ग्राहकों तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए बैंक ने अपने शाखा एवं एटीएम नेटवर्क को रणनीतिपरक तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपनी मौजूदगी को विस्तारित करने के लिए प्रयास जारी रखे. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1,846 शाखाएं (एक विदेशी शाखा सहित) और 3,310 एटीएम शामिल थे.

शाखा नेटवर्क में वृद्धि

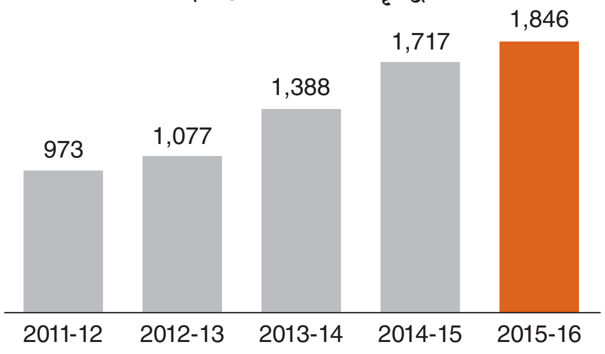

एटीएम नेटवर्क में वृद्धि

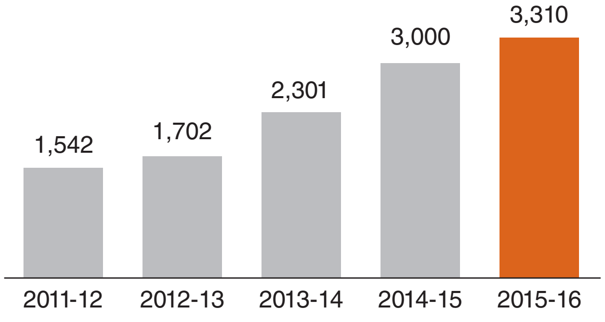

आपका बैंक अपनी परंपरागत शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ, अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना से लाभ उठाते हुए अपने वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों को भी लगातार विस्तारित और सुदृढ़

करता रहा है ताकि उसके ग्राहकों को सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं की व्यापक शृंखला उपलब्ध कराई जा सके. आपके बैंक के वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों अर्थात् एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल और टैब बैंकिंग, किओस्क, ई-लाउंज सुविधा आदि को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वे ग्राहकों को निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाओं की व्यापक शृंखला की सुपुर्दगी कर सकें. आपका बैंक ग्राहकों के लेन-देनों, सूचना और डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. इसके फलस्वरूप आपके बैंक ने अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जारी रखा ताकि ग्राहकों को वैकल्पिक चैनलों के ज़रिए लेनदेन करते समय विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. इस दिशा में आपके बैंक द्वारा वर्ष के दौरान शुरू किए गए पथ-प्रवर्तक पहल कार्यों में 'अभय ऐप' का प्रारंभ एक है जिससे ग्राहकों को अपने डेबिट कार्ड को अच्छी तरह से संभालने और उसके दुरुपयोग की संभावना को न्यूनतम स्तर पर रखने में सहूलियत हुई है.

विनियामक दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में आपके बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) पर विशेष ध्यान देना जारी रखा. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत गैर-कृषि आय उत्पादन कार्यकलापों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो प्रमुख उत्पाद अर्थात् आईडीबीआई मुद्रा ऋण तथा आईडीबीआई बुनकर मुद्रा योजना (आईबीएमवाई) शुरू किए. बैंक के नेटवर्क के अनुपूरक के तौर पर आपके बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र खंडों तक अपनी पहुँच को विस्तारित करने और उसके ज़रिए टिकाऊ पीएसएल पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए कॉरपोरेट और साथ ही साथ वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधि/कारोबार सुलभकर्ता (बीसी/बीएफ़) नियुक्त किए हैं.

आपका बैंक समाज के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा अपेक्षित समुचित वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किफ़ायती लागत पर उनकी पहुँच सुनिश्चित करते हुए नीति निर्माताओं के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से सहभागी रहा है.

आपका बैंक रणनीतिक रूप से स्थित अपनी शाखाओं के ज़रिए अपने तीन समर्पित वर्टिकलों अर्थात् कॉरपोरेट बैंकिंग समूह-I (सीबीजी-I), कॉरपोरेट बैंकिंग समूह-II (सीबीजी-II) और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह-I (आईसीजी) के माध्यम से कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है. सीबीजी I और सीबीजी II बृहत आकार और मध्यम आकार वाले कॉरपोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि आईसीजी बुनियादी क्षेत्र के कॉरपोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बिजली, दूर- संचार, बन्दरगाह, सड़क और पुल, हवाई अड्डे, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल हैं.

आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, संरचनागत और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने में सक्रिय रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को मूल्यांकन और ऋण समूहन के कई अधिदेश प्राप्त हुए. आपके बैंक को लगातार भारत के अग्रणी ऋण समूहनकर्ताओं की श्रेणी में रखा जाता रहा है.

आपका बैंक पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से पर्यावरण बैंकिंग के क्षेत्र में सक्रिय रहा है तथा इस क्षेत्र में अग्रदूत की भूमिका प्राप्त कर चुका है. आपका बैंक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से ग्रीन बांड के माध्यम से 350 मिलियन यूएस डालर की राशि सफलतापूर्वक जुटाने वाला भारत का सरकारी क्षेत्र का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है. इन ग्रीन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के निधीयन में किया जाएगा.

आपका बैंक अपने कॉरपोरेट और रिटेल व्यापार वित्त ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए देश भर में अपने परिपूर्ण व्यापार वित्त केन्द्रों (विदेशी मुद्रा के मामले में प्राधिकृत डीलर) और रिटेल बैंकिंग शाखाओं के माध्यम से अपने देशी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त (टीएफ) कारोबार का संचालन करता है. वर्ष के दौरान एक नवोन्मेषी ऑनलाइन सुविधा 'आईडीबीआई ई ट्रेड' आरंभ की गई. इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक कागज-रहित पद्धति तथा झंझटमुक्त तरीके से विभिन्न व्यापार वित्त उत्पादों के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं.

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) स्थित आपके बैंक की विदेश स्थित शाखा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल), ईसीबी/एफसीएल का समूहन और व्यापार वित्त उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार की कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है. आपका बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के अवसर भी तलाश रहा है.

वर्ष के दौरान किए गए बैंक के कारोबारी पहल-कार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

सीएसआर कार्यकलाप को कॉरपोरेट प्रतिष्ठा निर्माण और कर्मचारी विनियोजन में निवेश मानते हुए आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति कार्यान्वित की है. अपने सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से आपका बैंक अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के संवर्धन, स्वच्छता सुविधाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ाने, व्यावसायिक और रोजगारपरक कौशल के विकास, समाज के सुविधाविहीन लोगों के लिए आजीविका अवसरों में वृद्धि, पर्यावरणीय अक्षयता और गांवों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता रहा है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, आपके बैंक के संस्था अन्तर्नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 में यथा परिकल्पित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2016 को आपके बैंक के बोर्ड में सात निदेशक थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), एक गैर-कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे. यथा 31 मार्च 2016 को बोर्ड में श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक के रूप में, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, केंद्र सरकार की सरकारी नामिती, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स और श्री ज्ञान प्रकाश जोशी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में शामिल थे. संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट 13 निदेशकों की अधिकतम संख्या की तुलना में बोर्ड में सात निदेशकों की वर्तमान संख्या अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

बैंक के कारोबार और परिचालन से संबद्ध विभिन्न कामकाजी पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल सोलह समितियां अर्थात् बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, कारोबार समीक्षा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, कार्यपालक समिति, पारिश्रमिक समिति, अंशधारक संबंध समिति, नामांकन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, जोखिम प्रबंध समिति, वसूली समीक्षा समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, इरादतन चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति है.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ नियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारिता मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्य कारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 22 दिसंबर 2015 की अपनी अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/ 2015-16/27 के ज़रिए बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध 500 शीर्ष संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबार दायित्व (बीआर) रिपोर्ट का समावेशन अनिवार्य कर दिया है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर प्रदर्शित की गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई कार्मिक बैंक की सेवा में नहीं था जिसे ₹ 60 लाख से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 5 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के पास बैंक के 2% इक्विटी शेयर से कम शेयर धारित न हों.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी विनिमय का अर्जन तथा व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं हैं. तथापि, आपका बैंक अपने परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग लगातार कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

एतद्द्वारा निदेशक मंडल घोषणा और पुष्टि करता है कि :

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्त्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर रूप से प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक के अनुपालन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठ शेयरधारकों और ग्राहकों को भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में उनसे निरंतर सहयोग की आशा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए. बैंक के प्रयासों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संस्थाओं/ एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता है.

[बी.के बत्रा]	[किशोर खरात]
उप प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन-00015732)	(डीआईएन-07266945)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its business and operations for the financial year ended March 31, 2016.

During 2015-16, your Bank's business strategy was shaped by emerging macroeconomic developments and evolving business dynamics. Re-balancing the portfolio mix continued to be the mainstay of your Bank's business strategy during the year. This, along with other critical business enablers such as a well-calibrated organisational structure, strategic expansion of banking touch-points, actively leveraging on its proven IT prowess, digitisation of business processes, among other measures, has enabled your Bank to deliver enhanced customer experience at a reduced operating cost.

Financial Highlights

As on March 31, 2016, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,65,720 crore and ₹ 2,15,893 crore, respectively, implying a growth of 2% and 4%, respectively, over the previous year. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

During the year under review, your Bank's gross income amounted to ₹ 31,453 crore, comprising interest income of ₹ 28,043 crore and other income of ₹ 3,410 crore. Interest expenses stood at ₹ 21,954 crore and operational expenses at ₹ 4,130 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies). Your Bank's operations during the year resulted in an operating profit of ₹ 5,370 crore.

However, total provisioning of your Bank increased following the RBI's Asset Quality Review (AQR) which required banks to proactively provide for certain accounts. Total provisions other than tax during the year were at ₹ 10,340.82 crore, which mainly include ₹ 9,191 crore towards provision for non-performing assets, bad and doubtful debts and investments. As a result, your Bank incurred a net loss of ₹ 3,665 crore during 2015-16.

Table 1 : Key Financials

(₹ In crore)

As on March 31	2015	2016
Capital	1,603.96	2,058.81
Reserves & Surplus	22,712.96	25,662.97
Deposits	2,59,835.97	2,65,719.83
Borrowings	61,832.46	69,573.94
Other Liabilities & Provisions	10,158.65	11,356.57
Total Liabilities	**3,56,144.00**	**3,74,372.12**
Cash & Balances with RBI	13,152.82	13,822.91
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	1,489.99	2,757.63
Investments	97,700.88	98,999.43
Advances	2,08,376.87	2,15,893.45
Fixed & Other Assets	35,423.44	42,898.70
Total Assets	**3,56,144.00**	**3,74,372.12**
For the period	**2014-15**	**2015-16**
Total Income	32,161.62	31,453.46
Total Expenses (other than provisions)	26,433.52	26,083.39
Provisions (other than tax)	4,440.78	10,340.82
Profit/ (Loss) Before Tax	1,287.33	(4970.75)
Provision for Tax*	413.94	(1,305.95)
Profit/ (Loss) After Tax	873.39	(3,664.80)

* *Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

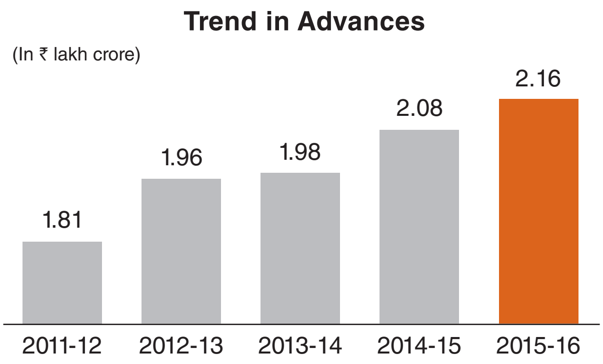

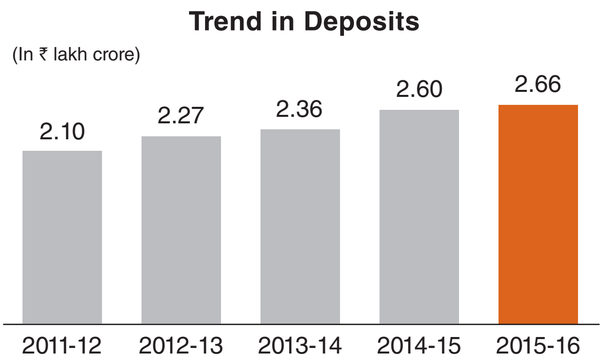

For each share with face value of ₹ 10, Earnings per Share (EPS) during the year stood at ₹ (21.77), while Book Value per Share stood at ₹ 107.41 as at end-March 2016. For the financial year 2015-16, the Board of Directors has not recommended any dividend.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement

As required by Accounting Standard-21 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank's consolidated financial statements included in this Annual Report incorporate the accounts of its subsidiaries and other consolidating entities.

A statement pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013 showing key financials of the Bank's subsidiaries/ Joint Venture is included separately in this Annual Report.

The performance and financial position of Subsidiaries, Joint Venture and associates of the Bank as on March 31, 2016 has been annexed to this report as under.

(₹ In '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd	96.92%	27721 78 91	103.18%	-3664 80 26
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.09%	313 05 08	-0.26%	9 27 76
2. IDBI Intech Ltd.	0.13%	37 64 87	-0.12%	4 22 08
3. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.34%	97 16 58	-0.10%	3 47 92
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	1 07 61	0.00%	17 30
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.46%	131 85 45	-1.07%	38 10 39
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.21%	61 45 62	-0.49%	17 26 11
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	-0.01%	40 38
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	-0.69%	24 59 78
3. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.	NA	NA	-0.71%	25 22 10

(₹ In '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Foreign	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures				
(as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
Indian				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.05%	300 83 27	-0.21%	7 33 53
Foreign	NA	NA	NA	NA
TOTAL	100%	28603 41 78	100%	-3551 99 01
Elimination	-1.91%	-544 98 23	1.09%	-38 82 52
Net Total	98.09%	28058 43 54	101.09%	-3590 81 53

Note: *None of the above subsidiaries have any subsidiary*

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report.

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank which have occurred between the end of the financial year of the Bank i.e. March 31, 2016 and the date of the Directors' Report i.e. May 20, 2016.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

The Bank has adequate internal controls and processes in place with respect to its financial statements which provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements. These controls and processes are driven through various policies, procedures and certifications. The processes and controls are reviewed periodically.

Capital Adequacy

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks, as prescribed under the Pillar-I guidelines of the Basel III framework, on a quarterly basis. With regard to the requirement for higher quality capital highlighted under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

Trend in CRAR*

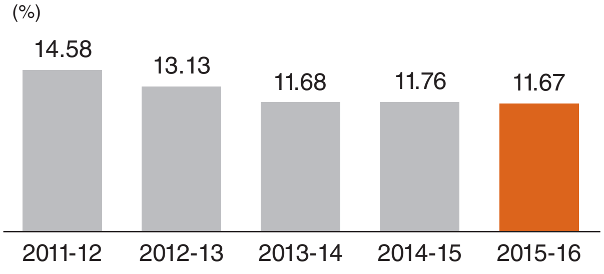

(CRAR Figures are as per Basel II for 2011-12 and 2012-13 and as per Basel III from 2013-14)*

The Basel guidelines have introduced a mandatory Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. The CCB is designed to ensure that banks build up buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which can be drawn down in case of losses incurred during stressed period. In line with the transitional arrangements of the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2016 is 0.625% (25% of total CCB of 2.5%). As on March 31, 2016, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of your Bank was 11.67% which is above the minimum regulatory requirement of 9.625% (including CCB). Your Bank's Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio was 7.99% which is also above the minimum applicable CET 1 ratio of 6.125% (including CCB) stipulated by RBI. The Tier-I ratio stood at 8.90% as on March 31, 2016 against the regulatory requirement of 7.625% (including CCB).

Your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in line with the Pillar-II norms of the Basel III framework, which enables it to internally assess and quantify those risks that are not covered under Pillar-I as well as develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar-III norms under the Basel framework and consequently, publishes disclosures on the Bank's website at the end of each quarter.

Business Strategy

Your Bank is at an inflection point and has a significant opportunity to embark on a path of transformation in order to reinvigorate its financial health. The comprehensive transformational process of the Bank is based on five pillars, viz. Business, People, Processes, Technology and Capital Management. Your Bank, along with leveraging on these five transformational pillars, will also adopt a multi-pronged strategy to achieve its business targets. This multi-pronged strategy will encompass further leveraging the synergy across verticals, subsidiaries and associate companies; capitalise on areas of core competencies such as project advisory and loan syndication business; augmenting the depositor base; aggressive focus on raising CASA deposits; boosting fee income; stepping up lending to retail including agricultural and MSME Lending, particularly PSL; digitisation of processes; strengthening recovery efforts etc. These initiatives will be complemented by strategic expansion of your Bank's network and adoption of latest cutting edge technology to further leverage on its IT prowess to seamlessly cater to the growing business requirements. All these initiatives will ensure high level of customer satisfaction and consequently, improve the profitability of the Bank. The transformation process of your Bank will enable it to carve a niche for itself and emerge as a leading financial conglomerate.

Key Business Initiatives

In tandem with the broader objective of obtaining a more balanced business portfolio mix, your Bank continued to focus on increasing its retail business. To lend support to this business re-orientation process, your Bank offers a bouquet of innovative and customised products and services covering Liability, Asset, Capital Market, Third Party products through its brick and mortar branches and ATMs as well as alternate channels to cater to the diverse needs of its customers. To lend it a competitive edge, your Bank continued to revamp its existing product and services as also introduced new ones.

To widen its reach to the retail customers, the Bank has been continuously striving to expand its footprints by tactically augmenting its branch and ATM network. As on March 31, 2016, your Bank's network stood at 1,846 branches (including one overseas branch) and the number of ATMs stood at 3,310.

Growth in Branch Network

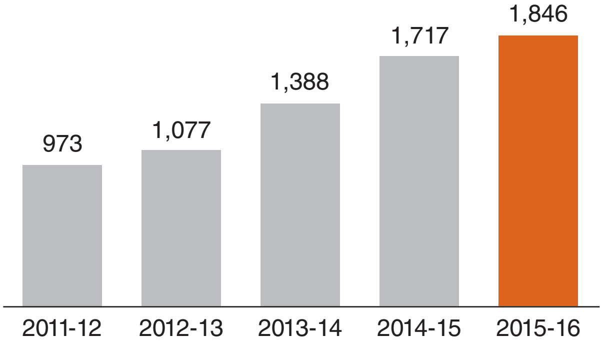

Growth in ATM Network

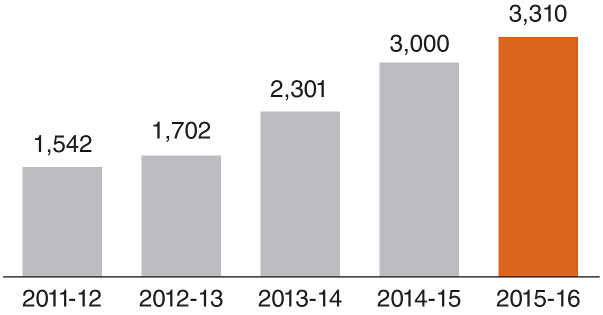

Apart from augmenting its brick and mortar branches, your Bank is also continuously expanding and strengthening its alternate channels of delivery by leveraging its state-of-the-art technology infrastructure to provide a wide range of banking services to its customers on 24x7 basis. Your Bank's alternate channels of delivery viz. ATM, internet banking, mobile and tab banking, kiosks, e-lounge facility etc. are designed to deliver a wide range of banking services in a seamless manner. Your Bank accords topmost priority to security and confidentiality of customer transactions, information and data. Consequently, your Bank continues to employ highly sophisticated technology to ensure safe and secure environment for the customer while transacting through alternate channels. Towards this end, one of the path-breaking initiatives launched by your Bank during the year was the *'Abhay App'* which enables the customers to manage their debit card, thereby minimising chance of misuse.

In adherence to the regulatory guidelines, your Bank continued to focus on Priority Sector Lending (PSL). During the year, your Bank launched two major products viz. IDBI MUDRA Loan and IDBI Bunkar MUDRA Yojana (IBMY) to cater to the credit requirements of all non-farm income generating activities under the Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY). To supplement the Bank's network, your Bank has appointed corporate as well as individual Business Correspondents/ Business Facilitators (BCs/ BFs) to expand its outreach to the priority sector segments, thereby building a sustainable PSL portfolio.

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to appropriate financial products and services needed by most vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner.

Your Bank, through its strategically located branches, serves the corporate customers through its three dedicated verticals viz. Corporate Banking Group–I (CBG–I), Corporate Banking Group–II (CBG–II) and Infrastructure Corporate Group (ICG). While CBG I and CBG II cater to large-sized and mid-sized corporate customers, ICG caters to corporate customers in the infrastructure sector which includes power, telecom, ports, roads and bridges, airports, urban infrastructure development, among other sectors.

Your Bank continues to be proactive in extending project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors. During the year, your Bank bagged several mandates for appraisal and debt syndication. Your Bank has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India.

Your Bank has been active in the field of environmental banking for over two decades and has attained the role of a pioneer in this field. Your Bank became the first public sector commercial bank in India to have successfully raised US$ 350 million by way of Green Bonds from the international market. The funds raised through these Green Bonds will be utilised towards funding clean energy projects in India.

Your Bank conducts its domestic and international Trade Finance (TF) business through its full-fledged TF Centres (Authorised Dealer in Foreign Exchange) and retail banking branches across the country so as to serve its corporate and retail trade finance customers. An innovative online facility *'IDBI eTrade'* was launched during the year for enabling customers to place online requests for various TF products in a paperless mode and hassle-free manner.

Your Bank's overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC) provides a wide-range of corporate banking services, including External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL) and syndication of ECB/ FCL, and trade finance products. Your Bank is also exploring opportunities to expand its presence internationally.

The detailed descriptive of the Bank's business initiatives undertaken during the year is contained in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Considering CSR interventions as an investment in building corporate reputation and employee engagement, your Bank has put in place a Board approved CSR policy in compliance with Companies Act, 2013. Through its CSR interventions, your Bank has been, *inter alia,* contributing towards promotion of healthcare, improved access to sanitation facilities, advancement of vocational and employable skills, enhancement of livelihood opportunities for disadvantaged strata of the society, supplementing environmental sustainability and holistic development of villages.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of your Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2016, the Board comprised of seven Directors, including Managing Director and CEO (MD & CEO), Deputy Managing Director (DMD), one Non-Executive Director and four Independent Directors. Shri Kishor Kharat, Managing Director & CEO as Executive Director, Shri B.K. Batra, Dy. Managing Director as Executive Director, Ms. Snehlata Shrivastava, Central Government official Nominee as Non-Executive Director, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats and Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2016. The present strength of seven Directors on the Board, as against constitution for the maximum strength of 13 Directors provided for under Article 116 (1), meets the requirement of Article 114 (a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has a total of sixteen committees, namely, Audit Committee of the Board, Customer Service Committee, Business Review Committee, Information Technology Committee, Executive Committee, Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Nomination Committee, Frauds Monitoring Committee, HR Steering Committee, Risk Management Committee, Recovery Review Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Independent Directors' Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee and Wilful Defaulters Review Committee, to oversee various functional aspects of your Bank's business and operations.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting the best corporate governance practices. It believes that proper corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide its notification in The Gazette of India SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27 dated December 22, 2015, has mandated the inclusion of Business Responsibility (BR) Report as part of the Annual Report for Top 500 listed entities based on market capitalisation at BSE and NSE. The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (www.idbi.com).

Statement under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration over ₹ 60 lakh annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 5 lakh per month. Further, there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

The provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 are not applicable to your Bank. However, your Bank has been increasingly using information technology in its operations.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and all other statutory/ regulatory authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. During the financial year, the Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in the banking domain. The Board is thankful to all such organisations/ agencies for formally recognising the Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment in improving your Bank's performance.

[B.K. Batra]	**[Kishor Kharat]**
Deputy Managing Director	Managing Director & CEO
(DIN-00015732)	(DIN-07266945)

Place: Mumbai
Date : May 20, 2016

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

Management Discussion and Analysis

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

कैलेंडर वर्ष 2015 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सामान्य बनी रही जिसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2.4% से 3.1% तक की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है. वैश्विक आर्थिक वृद्धि सतत् समष्टि आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता; पण्यों की कम कीमतों और घटते व्यापार प्रवाह; विनिमय दरों और पूंजी प्रवाह में बढ़ती अस्थिरता; स्थिर निवेश तथा घटती उत्पादकता वृद्धि जैसे कई कारकों द्वारा प्रभावित हुई है. इस पृष्ठभूमि में भारत ने विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है. बाजार मूल्यों पर भारत का सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) 2014-15 में 7.2% की वृद्धि की तुलना में 2015-16 में 7.6% की दर से बढ़ा है. भारत में समष्टि आर्थिक परिवेश में विगत दो वर्षों में सुधार हुआ है. भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे व्यापक नीतिगत सुधारों की बदौलत उपभोक्ता तथा निवेशक विश्वास में सुधार हुआ है.

अर्थव्यवस्था में किए जा रहे विभिन्न संरचनात्मक सुधारों और साथ ही सुधरती समष्टि आर्थिक स्थितियों के फलस्वरूप भारत के लिए भावी संभावनाएं अनुकूल हैं. मुद्रास्फीति की अनुकूल संभावना, नरम ब्याज दर परिवेश और भारत सरकार द्वारा जारी सुधार कार्यक्रमों से कारोबार तथा उपभोक्ता धारणाओं में और सुधार लाने में सहायता मिलेगी. इन गतिविधियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति को बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है और यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वृद्धि अपने शिखर पर बनी रहे.

कारोबार समीक्षा

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने संकेन्द्रण जोखिम को न्यूनतम तथा कम करने के लिए और साथ ही विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो संमिश्र को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए रिटेल तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार पोर्टफोलियो के सतत् विस्तार पर विशेष ध्यान दिया. साथ ही, आपके बैंक ने एक शीर्ष विकास वित्त संस्था (डीएफआई) के रूप में अपनी विरासत से प्राप्त शक्तियों, क्षमताओं और गहन अनुभवों का भरपूर फायदा उठाया. इसके अलावा, आपके बैंक के सभी विभागों / वर्टिकलों के बीच सहक्रियात्मक तालमेल और साथ ही स्वयं बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाओं के बीच सहक्रियात्मक तालमेल बढ़ाकर समग्र सेवा वित्तीय महासंगठन के रूप में बैंक की स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

आपके बैंक द्वारा अपनायी गई रणनीतिक पहलों को पूरे देश में बढ़ते शाखा तथा एटीएम नेटवर्क से उपयुक्त समर्थन मिला है. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1,846 शाखाएं शामिल थीं, जिनमें पूरे भारत में महानगरीय केन्द्रों में 378 शाखाएं, शहरी केन्द्रों में 460 शाखाएं, अर्द्धशहरी केन्द्रों में 586 शाखाएं और ग्रामीण केन्द्रों में 421 शाखाएं (244 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी), दुबई स्थित एक समुद्रपारीय शाखा और 3,310 एटीएम शामिल थे.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता

आपका बैंक उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई), बच्चे, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक, वेतनभोगी व्यक्ति, कारोबारी व्यक्ति आदि जैसे विभिन्न खंडों में देयता उत्पाद ऑफर करता है. ग्राहकों की निरंतर बदलती और उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक नए उत्पादों की पेशकश और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा देयता उत्पादों की विशेषताओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता रहा है. साथ ही, आपके बैंक ने कम लागत वाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ाने तथा शुल्क आधारित आय उत्पन्न करने के लिए नए अवसरों का उपयोग किया है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और मूलभूत अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा से लेकर एफसीएनआर जमाओं पर वायदा रक्षा, भारतीय सेकंडरी शेयर बाजार में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाओं की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसी मूल्य संवर्धित सेवाओं तक वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का एक पूर्ण फलक प्रदान करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है. आपका बैंक तीव्र, किफ़ायती और सुविधाजनक निधि अंतरण करने के लिए एनआरआई ग्राहकों को भारत में झंझट-रहित निधि अंतरण के लिए भी कई विकल्प प्रदान करता है.

संरचित रिटेल आस्ति कारोबार

वर्ष के दौरान आपका बैंक अपने नवोन्मेषी एवं उत्कृष्ट उत्पाद तथा सेवा पेशकशों के साथ संरचित रिटेल आस्ति खंड में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बना रहा. आपके बैंक ने नवोन्मेषी उत्पाद की पेशकश तथा प्रक्रियाओं में सुधार सहित विभिन्न पहल-कार्य किए हैं. आपका बैंक अपने संरचित रिटेल आस्ति पोर्टफोलियो के अंतर्गत आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, आटो ऋण, शिक्षा ऋण तथा वैयक्तिक ऋण और उनके विभिन्न प्रकार ऑफर करता है.

वर्ष के दौरान अपनी ऋण पेशकशों में आपके बैंक द्वारा किए गए मुख्य पहल-कार्य निम्नलिखित हैं :

क. शिक्षा ऋण :

- बेहतर कोटि के ऋण आकृष्ट करने के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए मानदंडों में संशोधन किया.
- केन्द्र सरकार के स्किल इंडिया अभियान के अनुरूप शिक्षा ऋण के अंतर्गत एक विशेष योजना अर्थात् कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित किए गए या नामांकित किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर रहे छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किए गए.
- शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए सर्व सेवा पोर्टल 'विद्या लक्ष्मी पोर्टल' का सदस्य बना, जिसके द्वारा बैंक बड़ी संख्या में अग्रताओं का प्रबंध कर रहा है. चूंकि पोर्टल को बेहतर दृश्यता तथा स्वीकृति प्राप्त हो रही है, इससे आपके बैंक को अल्प अधिग्रहण लागत के साथ गुणवत्तापूर्ण पीएसएल पोर्टफोलियो निर्मित करने में सहायता मिलेगी.

ख. ऑटो ऋण:

- अपने सपनों का वाहन रखने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की तीव्र चाहत रखने वाली आज की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऑटो ऋण उत्पादों को नवोन्मेषी रूप से पेश किया.

ग. विशेष योजनाएं:

- चेन्नै में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को अपने मकानों/ अन्य आस्तियों की मरम्मत/ नवीकरण करवाने और चिकित्सा उपचार प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना अर्थात् 'चेन्नै मैत्री योजना' का शुभारंभ किया.

नवोन्मेषी उत्पाद विशेषताएं पेश करने के अलावा आपके बैंक ने उत्पाद मानदंडों/ दिशानिर्देशों की नियमित समीक्षा जारी रखी ताकि उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक पर त्वरित ध्यान दिया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके बैंक की पेशकशें उद्योग में सर्वोत्तम में से एक बनी रहें. इसके अलावा, आपके बैंक ने एक ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रोसेसिंग प्रणाली (एलएपीएस) लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है. यह प्रणाली रिटेल ऋण उत्पादों के लिए एक संपूर्ण समाधान है. इससे प्रस्ताव के लॉगइन चरण से लेकर ऋण खाता खोलने तक पूरी ऋण प्रक्रिया का स्वचालन हो गया है.

वैकल्पिक चैनल

एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि जैसे वैकल्पिक चैनल पसंदीदा बैंकिंग चैनल के रूप में उभरे हैं. आपके बैंक ने आधुनिकतम प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपनी पहुंच को रणनीतिक रूप से व्यापक बनाया है.

आपके बैंक ने नियमित एटीएम सेवाएं प्रदान करने के अलावा 24x7 आधार पर व्यक्तिकृत चेक तथा मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए जुलाई 2015 में एक बहु-उद्देश्यीय स्वतः सेवा एटीएम (लघु शाखा) का शुभारंभ किया जो भारत में अपनी किस्म का पहला है. आपका बैंक देश में कई स्थानों पर ई-लाउंज सुविधाएं भी प्रदान करता है जो मूलतः स्वतः सेवा शाखाएं हैं.

आपका बैंक ग्राहकों को इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हुए अपना बैंकिंग लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक के मोबाइल बैंकिंग समाधान में प्रश्न आधारित सेवा (एसएमएस बैंकिंग), अलर्ट्स तथा मोबाइल भुगतान (पेमेंट), शेष पूछताछ, लघु लेन-देन विवरण, बिल भुगतान आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं. आपके बैंक ने 'मिस्ड कॉल' सेवा शुरू की है जिसमें ग्राहक अपने पिछले 5 लेन-देनों के लघु विवरण प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और खाते में उपलब्ध शेष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेज सकते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक की 'टैब बैंकिंग (जस टैब)' सेवा भी शुरू की गई, जिससे ग्राहक कम कार्रवाई समय के साथ टैबलेट के माध्यम से अपने घर / कार्यालय से बचत खाता खोल सकते हैं. आपके बैंक ने 'पेऐप्ट वॉलेट' का भी शुभारंभ किया जो मोबाइल भुगतान जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान पर समग्र भुगतान समाधान है.

आपके बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए एटीएम के माध्यम से जी-सेक निवेश सुविधा का शुभांरभ किया. यह एक अनोखी और अपने किस्म की पहली सेवा है जो खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करती है. यह देश में सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा धारिता को व्यापक आधार देने तथा विस्तारित करने और इस प्रकार से ऋण बाजार को गहन करने के भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों के अनुरूप है. यह सुविधा, जो बैंक के समृद्धि जी-सेक पोर्टल का विस्तार है, ग्राहकों को एटीएम के प्रयोग से सरकारी प्रतिभूतियों में आसान, सुविधाजनक, पारदर्शी तथा लागत प्रभावी तरीके से लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करती है.

साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए और ऐसे अपराधों से ग्राहकों को संरक्षित करने के लिए आपका बैंक ग्राहकों द्वारा वैकल्पिक चैनलों का प्रयोग करते समय सुरक्षित तथा संरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने के लिए 128-बिट इन्क्रिप्शन लेवल, फायर वाल्स, ट्रिपल डीईएस ईएमवी चिप्स आदि के रूप में सुरक्षा विशेषताओं सहित अत्यधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है. इस दिशा में एक उल्लेखनीय पहल आपके बैंक का डेबिट कार्ड कंट्रोल मोबाइल ऐप अर्थात् अभय ऐप है जिसे वर्ष के दौरान शुरू किया गया. अभय ऐप बैंकिंग जगत में अपनी किस्म का पहला है और ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए डेबिट कार्ड का प्रबंध करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे डेबिट कार्ड के दुरुपयोग की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. अभय ऐप को एंटरप्राइज

मोबिलिटी श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट, नेटऐप इनोवेशन अवॉर्ड तथा प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी के अंतर्गत एडफिएप अवॉर्ड 2016 प्राप्त हुए हैं.

कार्ड उत्पाद

आपके बैंक के कार्ड पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के डेबिट-सह-एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्री-पेड कार्ड शामिल हैं जो ग्राहकों की विभिन्न लेन-देन जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं. डेबिट-सह-एटीएम कार्ड में क्लासिक डेबिट कार्ड, गोल्ड डेबिट कार्ड, प्लेटिनम डेबिट कार्ड, सिग्नेचर डेबिट कार्ड, किड्स डेबिट कार्ड, बीइंग मी डेबिट कार्ड तथा वुमन्स डेबिट कार्ड शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक लक्ष्य खंडों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन कार्डों में विभिन्न विशेषताएं शामिल की गई हैं. आपके बैंक के डेबिट-सह-एटीएम कार्डों का इस्तेमाल भारत तथा विदेश में पैसा निकालने के लिए किया जा सकता है. भारत में 9 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा दुनियाभर में लगभग 3 करोड़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में शॉपिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. अपने ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कांटैक्टलेस डेबिट कार्डों का भी शुभारंभ किया जो कार्ड धारक को एक कांटैक्टलेस समर्थित रीडर पर अपने कांटैक्टलेस कार्ड को सिर्फ टैप कर लेन-देन करने हेतु समर्थ बनाता है.

आपका बैंक वर्तमान में 4 प्रकार के क्रेडिट कार्ड उत्पाद अर्थात् रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, यूफोरिया वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, इंपीरियम प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, एस्पायर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है. इनमें से यूफोरिया तथा इंपीरियम कार्ड आपके बैंक के स्थापना दिवस 1 अक्तूबर 2015 को आरंभ किए गए.

आपके बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रीपेड कार्डों में गिफ्ट कार्ड, कैश कार्ड तथा वर्ल्ड करेंसी कार्ड/ ग्लोबल करेंसी कार्ड शामिल हैं. ये प्रीपेड कार्ड सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ग्राहकों की यात्रा तथा उपहार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं.

व्यापार अधिग्रहण कारोबार

आपके बैंक के व्यापार अधिग्रहण कारोबार ने बैंक को भुगतान कार्ड लेन-देन प्राप्त करने और व्यापारियों के साथ बैंकिंग संबंध विकसित करने की सुविधा प्रदान की है. व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो आपके बैंक के मूल्यवान ग्राहक हैं, वीजा, वीजा इलेक्ट्रॉन, मास्टर कार्ड, माईस्ट्रो तथा रुपे ब्रांडों के अंतर्गत जारी किए गए सभी क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों को स्वीकार कर सकते हैं. आपके बैंक के बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल भी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं.

पेमेंट गेटवे सुविधा

आपका बैंक अपने पेमेंट गेटवे उत्पाद 'ईजी2पे' के ज़रिए इंटरनेट पर कार्ड स्वीकृति समाधान प्रदान करता है. कार्ड आधारित पेमेंट गेटवे 128-बिट सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) डेटा इनक्रिप्शन मानक का इस्तेमाल करता है. सभी लेन-देन मर्चेन्ट प्लगिन (एमपीआई) के माध्यम से पुनः सुरक्षित किए जाते हैं और वीजा द्वारा सत्यापित (वीबीवी) तथा मास्टर सुरक्षित अधिप्रमाणन के लिए प्रेषित किए जाते हैं. ईजी2पे वेबसाइट सुरक्षा के लिए एक अग्रणी प्रमाणन प्राधिकरण वेरीसाइन आईएनसी द्वारा प्रमाणित है.

अन्य पक्ष उत्पाद (टीपीडी) तथा पूंजी बाजार उत्पाद

अपने ग्राहकों को मूल्य-योजित सेवाएं प्रदान करने के प्रयास के रूप में आपका बैंक उनके जोखिम प्रोफाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अन्य पक्ष उत्पाद ऑफर करता है.

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की ओर से सॉवरिन गोल्ड बांड स्कीम 2015-16 जारी की जिसके अंतर्गत आपके बैंक ने लगभग ₹ 8.0 करोड़ की निधियां जुटाई हैं. वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेंशन की महत्ता को समझते हुए आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अभिदान का तत्परतापूर्वक समर्थन किया और ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण तथा अभिदान जैसे समर्थकारकों को कार्यान्वित किया है. आपके बैंक को दिसंबर 2015 में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सरकारी बैंक श्रेणी के अंतर्गत खोले गए डीमैट खाते में स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के सर्वाधिक निर्बल वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने में नीति-निर्माताओं की भागीदारी में तत्पर रहा है. आपका बैंक चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विस्तारित करने, उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर जोर के साथ वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक ने रुपे एटीएम-सह-डेबिट कार्ड तथा ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 10 लाख से अधिक खाते खोले हैं. आपके बैंक ने भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदारी की है. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 9 लाख से अधिक बैंक खाता धारकों तथा पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक बैंक खाता धारकों को नामांकित किया है. आपके बैंक ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 35,000 से अधिक बैंक खाताधारकों को नामांकित किया है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुँच को बढ़ाने के प्रयास में कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) के अपने नेटवर्क का उपयोग किया है ताकि अधिक वित्तीय

समावेशन सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) कारोबार को अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सके. बीसी (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा गया है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेन-देन करने की सुविधा दी गई है. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक के पास 1,300 से अधिक वैयक्तिक कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं का नेटवर्क है जिन्होंने सामूहिक रूप से ₹ 1,100 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है. इसके अतिरिक्त, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल सेट को बढ़ाने और उन्हें आत्मविश्वासपूर्ण, आत्मनिर्भर तथा अर्थक्षम बनाने के लिए आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर 1,300 से अधिक कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेन-देन करने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने हेतु तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु कार्य पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया है.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों को उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के एक महत्वपूर्ण भाग की पूर्वापेक्षा के रूप में निर्धारित किया गया है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में 'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र' नामक डेस्क स्थापित किए हैं जो विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में शाखा से बाहर साक्षरता कैम्प आयोजित कर आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक की ग्रामीण शाखाओं ने ऐसे 900 से अधिक बाह्य साक्षरता कैम्पों का आयोजन किया. विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की महत्ता के बारे में बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए आपके बैंक ने महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के 100 से अधिक स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए भी वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन किया. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे स्व-रोजगार हेतु सक्षम हो सकें. इस संस्थान को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'ए' ग्रेड से पुरस्कृत किया गया है. वर्ष के दौरान आईडीबीआई-आरएसईटीआई ने 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 793 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया.

अन्य पहल-कार्य

आपका बैंक आधार नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास पंजीकृत है. आपके बैंक ने अब तक 14 राज्यों के 43 लाख से अधिक निवासियों का नामांकन किया है. आपका बैंक केंद्र/ राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने बीसी चैनल के माध्यम से रायपुर तथा छत्तीसगढ़ में 24,000 से अधिक वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण तथा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों की 190 से अधिक ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरी का वितरण करना जारी रखा. यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक द्वारा लगभग 23,000 लाभार्थी खाते खोले गए.

वित्तीय समावेशन के लिए पुरस्कार

आपके बैंक को उसके वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं से पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए. इनमें एलेट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड, लोकमत बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा) अवार्ड्स, एलेट्स फाइनेंशियल इनक्लूशन एंड पेमेंट सिस्टम्स (एफआईपीएस) अवार्ड, वित्तीय समावेशन के लिए एसोचैम अवार्ड 2016 तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के लिए बैंकिंग फ्रंटियर के फिन्नोविटी अवार्ड 2016 शामिल हैं.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 के लिए पीएसएल के अंतर्गत निर्धारित विनियामक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं. पीएसएल के लिए विनियामक दिशानिर्देशों में हुए हाल में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों (एसएफएमएफ) तथा सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया है. कृषि क्षेत्र को उधार को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने लघु एवं सीमांत किसानों को निधीयन सहायता के लिए कृषि मशीनरी/ उपकरणों के मूल उपकरण निर्माताओं, सौर प्रणाली इंटीग्रेटरों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ रणनीतिक गठ-जोड़ किया है. इसी प्रकार, आपके बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के हिस्से के रूप में वाहन खरीद के वित्तपोषण के लिए विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों तथा ऑपरेटरों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. आपके बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की योजना के अनुसार पीएसएल के अंतर्गत 2 प्रमुख उत्पाद अर्थात् आईडीबीआई मुद्रा ऋण तथा आईडीबीआई बुनकर मुद्रा योजना (आईबीएमवाई) भी शुरू किए हैं. आपके बैंक ने पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 1,300 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए ₹ 1,600 करोड़ से अधिक की राशि संवितरित की है. आपके बैंक ने कमजोर वर्गों, अजा/ अजजा और महिला श्रेणियों से संबंधित 6 लाख से अधिक नए उधार खाते खोले हैं.

पीएसएल के अंतर्गत प्रमुख पहल-कार्य तथा अभियान

- आपके बैंक ने मुख्यतः लघु एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म उद्यमों तथा कमजोर वर्गों से पीएसएल कारोबार प्राप्त करने के लिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेटों को बीसी/बीएफ के रूप में नियुक्त किया है.
- आपके बैंक ने अपने एक बीसी के साथ व्यवस्था के तहत वाराणसी तथा लखनऊ में ई-रिक्शा तथा साइकल रिक्शा का निधियन किया है. इस व्यवस्था के तहत मंजूरी पत्रों तथा रिक्शों के वितरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में 18 सितंबर 2015 तथा 22 जनवरी 2016 को क्रमशः वाराणसी तथा लखनऊ में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. आपके बैंक ने 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भी सहभागिता की. यह योजना 14 अप्रैल 2016 को डॉ. बी. आर. आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर एमडी एवं सीईओ द्वारा आपके बैंक के सभी केन्द्रों में शुरू की गई.

- आपका बैंक हाइड्रोफोनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा नवोन्मेषी उच्च प्रौद्योगिकीय कृषि उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है तथा उनमें सहायता प्रदान करता है. इसके तहत मिट्टी के बिना पानी में खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करते हुए पौधे उगाए जाते हैं.
- समाज के अंतिम छोर तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के अनूठे उपाय के तौर पर किसानों तक अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए आपके बैंक ने संपूर्ण भारत में 'किसान संगोष्ठियों' का आयोजन कर 23 दिसंबर 2015 को किसान दिवस मनाया. सभी राज्यों में 180 से अधिक किसान संगोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा इस दिन विभिन्न गांवों के लगभग 15,000 किसानों ने भाग लिया.

इन पहल-कार्यों से आपके बैंक को गुणवत्तापूर्ण तथा टिकाऊ पीएसएल पोर्टफोलियो के निर्माण में सहायता मिली जिससे बैंक अपने सभी अंशधारकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों को तीन भिन्न वर्टिकलों अर्थात् कॉरपोरेट बैंकिंग समूह-I (सीबीजी-I), कॉरपोरेट बैंकिंग समूह-II (सीबीजी-II) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह (आईसीजी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं. सीबीजी-I (बृहत आकार के खातों के लिए) और सीबीजी-II (मध्यम आकार के खातों के लिए) पूरे भारत में 32 शाखाओं के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न क्षेत्रों के कॉरपोरेट ग्राहकों की ₹ 5 करोड़ से अधिक की निधीयन अपेक्षाओं को पूरा करता है. आईसीजी भारत में 7 केन्द्रों पर रणनीतिक रूप से स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से बिजली, दूर संचार, बंदरगाह, सड़कों एवं पुलों, हवाई अड्डों, शहरी बुनियादी विकास आदि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है.

आपके बैंक के सीबीजी पोर्टफोलियो में अन्य के साथ-साथ वस्त्र, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल्स, एनबीएफसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण सहायता शामिल है. आपका बैंक भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत वस्त्र उद्योग (गैर एमएसएमई क्षेत्र) के लिए नोडल एजेंसी भी है. इस योजना के अंतर्गत एक नोडल बैंक के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर अपने ग्राहकों से संबंधित मामलों की प्रोसेसिंग के अलावा आपके बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, सहकारी बैंकों आदि सहित 61 प्रमुख ऋणदात्री संस्थाओं के साथ नोडल एजेंसी के रूप में सहयोगित भी किया गया. आपके बैंक ने चीनी मिलों को 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2014 तथा सुलभ ऋण 2015' के अंतर्गत ऋण भी प्रदान किया और तथा सब्सिडी संबंधी कार्रवाई भी की है.

आपका बैंक अपने कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत, अन्य के साथ-साथ मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य की खरीद, बिल भुनाई, एनबीएफसी को उधार जैसे विभिन्न आस्ति-पक्ष उत्पाद ऑफर करता है. सीबीजी तथा आईसीजी भी कॉरपोरेट आदि के डीलरों/ वेंडरों के लिए चैनल वित्तपोषण तथा वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पाद ऑफर कर पीएसएल पर जोर देते हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग टीम कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतें पूरी करने के लिए उपयुक्त उत्पाद विकसित करने और समाधान तैयार करने के लिए रिटेल बैंकिंग, ऋण समूहन, लेन-देन बैंकिंग, ट्रेजरी आदि क्षेत्रों में कार्यरत अन्य विशेषीकृत कारोबार टीमों के साथ कार्य करती है.

बुनियादी क्षेत्र के पोर्टफोलियो में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स आदि में कई परियोजनाओं के अलावा 65,000 मेगावॉट से अधिक कुल निर्माण क्षमता से युक्त बिजली परियोजनाएं, 57 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे दूर संचार सेवा प्रदाता, पूरे देश में 30 से अधिक राजमार्ग परियोजनाएं, 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के आधार (मुंबई और दिल्ली सहित) को सेवाएं प्रदान करने वाली बिजली वितरण कंपनियां, मुंबई में मेट्रो रेलवे परियोजना, पश्चिमी तट पर बंदरगाह, निजी क्षेत्र द्वारा परिचालित देश के 2 बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं.

आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् बुनियादी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, संरचना तथा सलाहकारी सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान कर रहा है तथा भारत में एक अग्रणी ऋण समूहनकर्ता के स्थान पर लगातार बना रहा है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक को कुल ₹ 20,000 करोड़ से अधिक राशि के ऋण के मूल्यांकन तथा समूहन के लिए 30 से अधिक अधिदेश प्राप्त हुए जिनमें से 17 प्रस्ताव मंजूर किए गए. आपके बैंक ने वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के लिए बैक-स्टॉप सुविधा तथा महाराष्ट्र सरकार की सौर पंप योजना के वित्तपोषण जैसे नवोन्मेषी संरचित उत्पाद सफलतापूर्वक विकसित किए हैं. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के साथ कुछ अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) लेन-देन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं.

आपके बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर आधारित हरित परियोजनाओं के निधीयन के लिए पहल करते हुए पर्यावरणीय बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है. आपका बैंक हरित परियोजनाओं, जिनमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जल पुनर्चक्रण प्रणालियों आदि के लिए नवंबर 2015 में ग्रीन बांडों के माध्यम से 350 मिलियन यूएस डॉलर जुटाने वाला सरकारी क्षेत्र का पहला वाणिज्यिक बैंक है. बैंकिंग के क्षेत्र में अद्यतन गतिविधियों को शामिल करने के लिए आपके बैंक द्वारा प्रकाशित एक न्यूज लेटर अर्थात् आईडीबीआई कार्बन न्यूज़लेटर को मार्च 2016 में 55वें एबीसीआई अवार्ड में एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेशन ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ.

समष्टि-आर्थिक परिदृश्य और साथ ही क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के फलस्वरूप वर्ष के दौरान बहुत कम नई परियोजनाएं आईं. इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों की आय पर दबाव रहा. निर्माण उद्योग में तैयार स्टॉक की विपुलता, बिजली कंपनियों में ईंधन संबंधी मुद्दे, बिजली वितरण कंपनियों में चलनिधि बाधाएं जिससे बिजली का कम उठाव हुआ, यातायात में कम वृद्धि, चुंगी के संग्रहण संबंधी मुद्दे आदि ने बुनियादी परियोजनाओं की स्थिति को बदतर किया. कॉरपोरेट पोर्टफोलियो से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आपके बैंक ने संकेन्द्रण जोखिम से बचने

और अपने कॉरपोरेट ग्राहकों से अधिक गैर-निधि आधारित कारोबार/ शुल्क-आधारित आय प्राप्त करने के लिए अपने पोर्टफोलियो संमिश्र को रणनीतिक रूप से सुव्यवस्थित करना जारी रखा. कारोबार बढ़ाने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दबाव के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले खातों पर विशेष ध्यान दिया गया और कंपनियों को दबाव से निकलने में समर्थ बनाने के लिए एसडीआर, 5/25 योजना के माध्यम से वित्तपोषण आदि जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया को अपनाया है तथा अपने आस्ति पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित नीति तैयार की है. दबाव वाले खातों के बारे में सुधारात्मक कार्य योजना के साथ गहन निगरानी तथा सुधार के लिए कार्रवाई की जाती है. आपका बैंक अनर्जक और साथ ही विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की वसूली के लिए एक गहन प्रक्रिया भी अपनाता रहा है.

यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक को ऋण आस्तियों में 89.02% मानक, 4.34% अवमानक, 6.35% संदिग्ध और 0.29% हानि आस्तियां थीं. विनियामकीय मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रावधानीकरण किए गए. अनर्जक आस्तियों की बढ़ोतरी में अधिकांश वे आस्तियां शामिल हैं जिनको रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अंतर्गत अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अंतर्गत अनर्जक आस्ति के रूप में निर्धारित सभी आस्तियों का वर्गीकरण कर दिया है तथा सभी अभिनिर्धारित मामलों के लिए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार प्रावधान किए हैं.

आपका बैंक अनर्जक आस्तियों तथा साथ ही विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए विधिक प्रक्रियाओं, सरफेसी कार्रवाइयों, एकबारीय निपटान/बातचीत से तय निपटानों तथा साथ ही जोरदार वसूली कार्रवाइयों के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रयास करता रहा है. आपका बैंक चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध एक ही समय में सरफेसी और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के अंतर्गत कार्रवाइयों सहित समयबद्ध वसूली कार्रवाई करता है. वसूली प्रक्रिया की कई स्तरों पर संरचना और निगरानी की जाती है. डीआरटी के माध्यम से गारंटीकर्ताओं की संपत्ति को कुर्की करने के लिए संगठित और संकेंद्रित प्रयास भी किए गए हैं. आपके बैंक ने जहां कहीं भी अपेक्षित होने पर चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम/फोटोग्राफ समाचार पत्रों में प्रकाशित कर, उनके इरादतन चूककर्ता होने की घोषणा कर, दिवालिएपन/समापन की याचिका दायर कर, सिविल गिरफ्तारी के लिए आवेदन पत्र दायर कर आदि के माध्यम से समाधान के लिए जोरदार वसूली कार्रवाई भी की है. आपके बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को कुछ दबावग्रस्त आस्तियां भी बेची हैं. आपके बैंक ने कृषि क्षेत्र, मझौले और लघु उद्योगों में तथा विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए ₹ 10 करोड़ तक के ऋणों के निपटान के लिए विशेष वसूली अभियान का शुभारंभ किया.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने करीब 60 श्रेणी बी प्राधिकृत डीलर व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों और 65 से भी अधिक रिटेल शाखाओं के माध्यम से संचालित व्यापार वित्त कारोबार में प्रभावशाली वृद्धि दर्शाना जारी रखा.

आपके बैंक ने एक ऑनलाइन नवोन्मेषी सुविधा, अर्थात् 'आईडीबीआई ई ट्रेड' की शुरुआत की जो ग्राहकों को अपने डेस्क/ कार्यालय/ घर से बैठे-बैठे आराम से झंझट मुक्त होकर व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है. रिज़र्व बैंक द्वारा नामित किए जाने पर आपके बैंक ने एक समर्पित ईरानी व्यापार कक्ष की स्थापना की है तथा यह भारत और ईरान के बीच गैर-तेल भारतीय रुपया व्यापार निपटान के लिए एकमात्र बैंक है.

निर्यात ऋण कारोबार में तेजी लाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) और स्थानीय वाणिज्य मंडलों के सहयोग से मुख्य केन्द्रों पर निर्यातक सम्मेलनों का आयोजन किया. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 40 प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ मिलकर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लिकेशन (आरएमए) की स्थापना की जिससे इसकी संख्या बढ़कर 1,340 से भी अधिक हो गई. इस बढ़े हुए नेटवर्क के कारण आपका बैंक दुनिया भर में मुख्य भौगोलिक स्थानों पर द्विपक्षीय व्यापार लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है. दि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन और सिटीबैंक ने आपके बैंक की बेहतर परिचालनगत क्षमता को सम्मानित करने के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग अवार्ड प्रदान किया है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा साथ ही राज्य सरकारों से प्राप्त राशियों और उनके भुगतानों का प्रबंध करने के लिए एजेंट का कार्य करता है. आयकर, टीडीएस, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क भुगतानों सहित केंद्र सरकार के करों को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत किए जाने के अतिरिक्त, आपके बैंक को रेलवे भाड़ा प्रभारों, वाणिज्यिक कर और 19 राज्य सरकारों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य सरकारी प्राप्तियों की इलेक्ट्रॉनिक वसूली का अधिकार भी प्राप्त है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न करों और शुल्क भुगतानों के रूप में ₹ 2.55 लाख करोड़ से भी अधिक संग्रहित किए हैं. अपने सर्वोत्तम तकनीकी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हुए आपका बैंक अन्य बातों के साथ-साथ कर भुगतानों के लिए 24x7 की इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है.

आपका बैंक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से जनता की सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खातों को स्वीकार करने और संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है. आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई 'जीवन प्रमाण योजना' के अंतर्गत पेंशनरों द्वारा अपने 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' को लॉग इन करने और जमा करने के लिए सिविल, केंद्र, रेलवे और रक्षा क्षेत्र के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण संबंधी आधार-आधारित प्रमाणन सुविधा भी प्रदान की है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपके बैंक की नकदी प्रबंधन सेवा (सीएमएस) विशेषीकृत सॉफ्टवेयर (संग्रहण और भुगतान दोनों के लिए) का नियंत्रित तरीके से उपयोग करते हुए कॉरपोरेट ग्राहकों के निधि संचलन, भुगतानों एवं प्राप्य राशि प्रणालियों पर निगरानी रखने और कॉरपोरेट ग्राहकों की सम्पूर्ण चलनिधि स्थिति के प्रबंधन का कार्य करती है. इससे ऋण के दिन पर व्यवस्था,

मूल्य-निर्धारण, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रतिनिधि बैंक चेक के लिए प्रोसेसिंग, ग्राहक लाइन और ऐसे कई मानदंडों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.

आपका बैंक कर्ज चुकौती उत्पादों, वर्चुअल खाता प्रणाली, प्रत्यक्ष नामे सुविधा, वेंडर प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित समाशोधन गृह जमा एवं नामे सेवा आदि जैसी संग्रहण और भुगतान उत्पाद सुविधाएं प्रदान करता है. ये सभी उत्पाद ग्राहक सिस्टम के साथ आधुनिकतम तकनीकी एकीकरण पर आधारित हैं और विकसित बाजार-प्रवृत्ति के अनुरूप हैं.

आपके बैंक को भारतीय रेल के ई-फ्रेट भुगतान सिस्टम के लिए इसके ग्राहकों को रेल के दस अंचलों में सेवा प्रदान करने हेतु और साथ ही स्टेशनों पर उपार्जन के संग्रहण और कुछ रेल अंचलों में भुगतान के लिए भी प्राधिकृत किया गया है. आपके बैंक को वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी सरकारी संस्थाओं (पीएसयू) और कॉरपोरेट से लाभांश वितरण के लिए अधिदेश प्राप्त होते रहे तथा इस क्षेत्र में इसने अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जारी रखी.

ट्रेज़री परिचालन

आपके बैंक के कॉरपोरेट सेंटर में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी क्रय-विक्रय परिचालनों से संबंधित कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी नकदी रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी विनियामकीय अनुपालन का प्रबंधन करते समय ग्राहक को बाजार उत्पादों में लेन-देन, संसाधन जुटाने, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और बाजार निर्माण के कार्य में सुगमता प्रदान करता है. आपके बैंक के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण समाधान देने तथा सक्षम कारोबार परिचालन के लिए ट्रेजरी विभाग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त है.

जमाराशियों के संग्रहण के अतिरिक्त, आपके बैंक ने तुलन पत्र में वृद्धि और देयताओं की परिपक्वता के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधार राशियां, बांडों के निर्गम, विभिन्न स्रोतों से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार राशियों सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. विभिन्न अल्पावधि/ मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से निधि तथा बाजार की स्थिति के आधार पर चलनिधि का उपयुक्त स्तर पर प्रबंध किया गया. आपका बैंक विविध बाज़ारों के रुख पर भी लगातार नजर रखता है तथा व्यापार लाभ के लिए स्थितियों के स्वीकार्य स्तर को अपनाता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और उन्नत चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एलसीआर प्रकटन मानकों को शामिल करते हुए चलनिधि मानकों के लिए बासेल III रूपरेखा को कार्यान्वित किया है.

आपके बैंक की ट्रेजरी की 11 केंद्रों पर मौजूद सेल्स टीम है जो विदेशी मुद्रा- विनिमय और डेरिवेटिव उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग करती है. यह टीम आपके बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से नियमित रूप से संपर्क करती है और मुद्राओं तथा दरों में उनके एक्सपोजर का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने के लिए तत्परतापूर्वक उनको समाधान देती है. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियम, विकल्पों और स्वैपों के संमिश्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से ग्राहकों के बचाव के लिए उनको प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के मानक और ग्राहकोनुकूल समाधान प्रदान किए.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान बीकेसी, मुंबई में अत्याधुनिक ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र खोला. बीसीपी साइट कारोबार अवरुद्ध होने के मामले में, बैंक के मुख्य ट्रेजरी डीलिंग केंद्र के नज़दीकी केंद्र के लिए विकल्प के रूप में कार्य करता है. यह केंद्र विभिन्न बाजार खंडों एकीकृत परिचालनों के साथ सम्बद्धता और अत्याधुनिक प्रौद्यौगिकी से सुसज्जित है तथा सदैव निर्बाध ट्रेजरी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड-ऑफिस के कार्य का संचालन कर सकता है.

इसके अलावा, आपके बैंक ने सामान्यतः नियत आय उत्पादों तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए विभिन्न केंद्रों पर ऋण विक्रय टीमों का गठन किया है. यह टीम विशेष रूप से स्क्रीन आधारित एनडीएस-ओएम मार्केट से बाहर के लेन-देन करने हेतु निवेशकों की आवश्यकताएं पूरी करती है.

आपका बैंक ट्रेजरी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों को आरंभ करने में अग्रणी रहा जो बाजार विकास में परोक्ष रूप से योगदान कर रहे हैं. निवेशकों को उनके खरीदे गए स्टॉक पर प्रतिदिन मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) स्थिति उपलब्ध कराने हेतु 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक पोर्टल' को भी पुनर्निर्मित किया गया है.

कॉरपोरेट बांडों में रेपो के विकास हेतु विभिन्न बाजार सहभागियों के साथ वैश्विक प्रधान पुनर्खरीद करार (जीएमआरए) करने में आपके बैंक का अग्रणी स्थान बना रहा.

वर्ष के दौरान बाह्य कारकों के सामने घरेलू बाजार में लचीलापन देखने को मिला तथा मजबूत घरेलू आधारभूत रुझानों के चलते बाहरी दबावों के समक्ष सामान्य उतार-चढ़ाव और अधिक स्थिरता देखने को मिली. निवेश के लिए पसंदीदा देश के रूप में भारत के उभरने और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई उदार मौद्रिक नीति के कारण पूरे वर्ष के अधिकांश समय में बाजार एकतरफा रहा. इस धारणा और रुझान के आधार पर आपके बैंक ने अपने ट्रेडिंग और निवेश बही का सक्रियता से प्रबंधन किया, चलनिधि को बाजार स्रोतों तथा परिवर्तनीय रेपो दर विंडो के जरिए रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से संतुलित रखा तथा अपने विदेशी मुद्रा विनिमय दर एक्सपोजरों को अपने रणनीति कौशल से नियंत्रित रखा.

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा जुटाए गए विभिन्न अवधियों के ऋण की पर्याप्त राशि की हामीदारी दी है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेकर निधियां जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को भी सहायता प्रदान की है. टी-बिल खंड में भी प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार ने अपेक्षित सफलता अनुपात और सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों व टी-बिलों में सेकंडरी बाजार टर्नओवर को हासिल करने के संबंध में सभी लागू वचनबद्धताओं को पूरा किया है.

आपके बैंक की ट्रेजरी द्वारा कुछ मुख्य कारोबार पहल कार्य निम्नलिखित हैं:

1. **ई कॉलमनी :**

आपके बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म के रूप में ई-ट्रेजरी के तहत एक मॉड्यूल - ई-कॉलमनी शुरू किया है जिसमें शाखाएं अपने ग्राहकों अर्थात् सहकारी बैंकों की ओर से कॉल/ नोटिस/ मीयादी धनराशि बुक कर सकती हैं. आपके बैंक की शाखाएँ केवाईसी अनुपालक सहकारी बैंकों, विशेषकर जिनके चालू खाता बैंक के पास हैं, से कॉल/ नोटिस/ मीयादी जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं. निवेश की न्यूनतम राशि ₹ 25 लाख है और उसके पश्चात ₹ 1 लाख के गुणकों में है.

2. **रिटेल फॉरेक्स प्रणाली**

आपके बैंक ने ई-ट्रेजरी प्लेटफ़ार्म के तहत गैर-व्यापार टेलिग्राफिक अंतरण (टीटी) विप्रेषणों (आवक और जावक) हेतु रिटेल/ छोटे मूल्य वाले लेन-देनों के लिए फॉरेक्स दरों की बुकिंग हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है. इस प्रणाली का उद्देश्य शाखाओं द्वारा आपके बैंक के मौजूदा ग्राहकों को उपलब्ध तत्काल दरों पर खुदरा फॉरेक्स लेन-देनों की सीधी बुकिंग की सुविधा देना है. यह ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म फॉरेक्स दरों का उल्लेख करने में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन द्वारा सुधार करने में मदद करता है.

सीमा पार शाखाएं

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में आपके बैंक की विदेश में पहली शाखा ने अपने परिचालन के छह वर्ष पूरे कर लिए हैं. आपके बैंक की डीआईएफसी शाखा कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल), ईसीबी/ एफसीएल का समूहन तथा व्यापार वित्त उत्पाद शामिल हैं.

आपके बैंक ने सिंगापुर में अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू) की स्थापना के लिए सिंगापुर के मुद्रा प्राधिकारी, (एमएएस) के पास और शंघाई में प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना के लिए चीन बैंकिंग विनियामक कमीशन (सीबीआरसी), चीन के पास भी आवेदन किया है.

आपका बैंक दिनांक 06 मई 2016 को, गुजरात इंटरनेशनल फ़ाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में भारत के पहले और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) खोलने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है.

आपके बैंक ने हांगकांग मुद्रा प्राधिकारी (एचकेएमए) द्वारा अनुमत कार्यकलापों के परिचालन के लिए हांगकांग में विदेश शाखा स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन भी प्रस्तुत किया है. आपका बैंक अन्य विकासशील और विकसित देशों में अपनी पहुँच को विस्तार देने के लिए संभावनाएं तलाश रहा है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है.

रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग निम्नानुसार है :

रुपया उधारराशियों के लिए रेटिंग

	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च
सावधि जमाराशियां	एफएएए/ निगेटिव	एमएए+/ निगेटिव	इंड टीएएए
अल्पावधि उधारराशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टीयर II बांड)	क्रिसिल एए/ निगेटिव	[इक्रा] एए/ निगेटिव	इंड एए+
हाइब्रिड - अपर टीयर II बांड	क्रिसिल एए-/ निगेटिव	[इक्रा] एए-/ निगेटिव	इंड एए-
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल एए-/ निगेटिव	[इक्रा] एए-/ निगेटिव	----
हाइब्रिड एटी1 (बासेल III)	क्रिसिल ए/निगेटिव	[इक्रा] ए+(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड एए-
टीयर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल एए/निगेटिव	[इक्रा] एए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड एए+

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग तीन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज़), स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) तथा फिच रेटिंग (फिच) द्वारा की जाती है. दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ स्टैंड-एलोन क्रेडिट प्रोफ़ाइल (एसएसीपी)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज़)	
दीर्घावधि रेटिंग	बीएए3/स्टेबल
आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन	बी1
फिच रेटिंग	
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबीबी-/स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	बीबी
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी)	
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर)	बीबी+ /स्टेबल
स्टैंड-एलोन क्रेडिट प्रोफ़ाइल (एसएसीपी)	बीबी

दीर्घावधि रुपया उधार राशियां

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने देशी बांड जारी कर कुल ₹ 2,900 करोड़ की राशि जुटाई जिसमें बासेल III अनुपालक टीयर II बांड (₹ 1,900 करोड़) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड (₹ 1000 करोड़) शामिल हैं.

विदेशी मुद्रा संसाधन

आपका बैंक नवंबर 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ग्रीन बांड के माध्यम से सफलतापूर्वक यूएस $350 मिलियन जुटाने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है. ग्रीन बांड पहल के तहत आपका बैंक प्राप्त राशियों का उपयोग भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निधीयन हेतु करेगा जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, जल पुनःउपयोग प्रणाली, ऊर्जा वितरण एवं प्रबंधन प्रणाली तथा दीर्घकालिक यातायात शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके बैंक के ग्रीन बांड निर्गम में निवेशकों ने जबर्दस्त उत्साह दिखाया है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा में कुल यूएस $ 6,229.35 मिलियन के समतुल्य विदेशी मुद्रा जुटाई है जिसमें (i) यूएस $245 मिलियन केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 10 वर्ष की अवधि के लिए जून 2015 में ऋण के रूप में आहरित किया गया (ii) यूएस$5 बिलियन मध्यम मीयादी नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के तहत यूएस$350 मिलियन नवंबर 2015 में ग्रीन बांड जारी कर जुटाया गया (iii) यूएस$ 100 मिलियन एसबीआई नसाऊ से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2015 में ऋण के रूप में आहरित किया गया (iv) यूएस$ 5534.35 मिलियन बैंकों से अल्पावधि उधारराशियों के रूप में जुटाया गया.

यथा 31 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक डीलिंग योजना के तहत आपके बैंक की बकाया उधारराशियां (यूएस $ 225 मिलियन) टीयर I पूंजी की 100% निर्धारित सीमा की कुल अनुमत उधारराशि के भीतर रहीं.

यथा 31 मार्च 2016 को एमटीएन कार्यक्रम के तहत आपके बैंक की कुल निर्गम उधारराशियां यूएस$ 1,990.32 मिलियन के समतुल्य थीं.

जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक का जोखिम प्रबंधन दर्शन पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा शेयरधारकों के मूल्य में सतत् वृद्धि से संचालित होता है. जोखिम प्रबंध रणनीति सतत् आधार पर कारोबार जोखिमों के अभिनिर्धारण, आकलन तथा निगरानी पर आधारित है जिससे पूंजी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके. इस रणनीति का उद्देश्य उचित न्यूनीकरण तथा कीमत-लागत निर्धारण के ज़रिए बैंकिंग कारोबार से जुड़े जोखिम प्रतिफल को उपयुक्त रूप से संतुलित करने का प्रयास करना है. जोखिम नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावी उपायों में सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करना और अपने बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप जोखिम सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की रूप-रेखा तैयार करना शामिल है. कारोबारी गतिशीलता, नवोन्मेषण और विनियामक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनों के संदर्भ में आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है.

आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. यद्यपि समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है किन्तु दैनंदिन कार्यकलाप जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं.

निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है. जोखिम-तंत्र प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण तथा परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें मापने में सहायता करता है, जिनसे उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां तैयार करने में सुविधा होती है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर - I दिशानिर्देशों के अनुपालन में तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामकीय पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. बासेल III मानदंडों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता पूंजी आवश्यकता के संबंध में आपके बैंक के पास वर्तमान में दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

बासेल दिशानिर्देशों द्वारा 31 मार्च 2016 से एक अनिवार्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) लागू किया गया है. सीसीबी को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय (अर्थात् दबावग्रस्त अवधि से बाहर) में बफर का सृजन करें ताकि दबावग्रस्त अवधि में हानि होने की दशा में इसका उपयोग कर इसमें कमी लाई जा सके. बैंकों से 31 मार्च 2019 तक सामान्य इक्विटी टीयर -1 (सीईटी 1) सहित 2.5% सीसीबी बनाए रखना अपेक्षित है जो 9% की न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता के अलावा होगी. विनियामक दिशानिर्देशों में शामिल संक्रमणकालीन व्यवस्था के अनुरूप 31 मार्च 2016 के लिए लागू सीसीबी 0.625% (2.5% का 25%) है.

तदनुसार, कुल पूंजी की न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता और सीसीबी 9.625% (सीआरएआरए और सीसीबी को जोड़कर) है. आपके बैंक का सीआरएआर अनुपात 11.67% है जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं से अधिक है. इसी तरह हमारे बैंक का सीईटी 1 अनुपात 7.99% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम लागू अनुपात 6.125% (सीईटी 1 + सीसीबी) से अधिक है.यथा 31 मार्च 2016 को टीयर -1 अनुपात 8.90% है जबकि विनियामकीय आवश्यकता 7.625%(सीसीबी सहित) है.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर - II मानदंडों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. इस नीति द्वारा आपका बैंक उन जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना कर सकता है जो पिलर - I के तहत कवर नहीं किए गए हैं और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त

रणनीतियां भी बना सकता है. आपके बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया गया है. दबाव परीक्षण ढांचा आपके बैंक को असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में जोखिम प्रबंधन ढांचे का आकलन करने में सहायता करता है और किसी अप्रत्याशित अनिश्चित स्थिति में उपयुक्त रणनीतियां लागू करने में सहायक होता है.

आपके बैंक ने बासेल मानकों के तहत पिलर - III अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति बनाई है जिसे प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी वेबसाइट पर अनिवार्यतः प्रकाशित करता है तथा इस प्रकार उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है.

वर्तमान में आपका बैंक पूंजी के परिकलन के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है तथा यह उन्नत दृष्टिकोण अर्थात् आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) प्रणाली में माइग्रेशन के लिए अपने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और उन्नत और कारगर बनाने की प्रक्रिया में है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामकीय पूंजी प्रभार परिकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाता है. उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में माइग्रेशन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) का एक सेट तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन रूपरेखा उपलब्ध कराई गई हैं. बाजार जोखिम के संबंध में विनियामकीय पूंजी के परिकलन के लिए आपका बैंक मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का प्रयोग करता है तथा उन्नत कार्यप्रणाली अर्थात् आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) में अंतरण के लिए उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

ऋण जोखिम

आपके बैंक ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसमें प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएमए) और पूंजी की स्वचालित गणना के लिए पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) शामिल है.

प्रभावी ऋण मूल्यांकन, ऋण सुपुर्दगी, पोर्टफोलियो प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय ऋण नीति का अनुपालन किया जाता है. यह नीति प्रचलित कारोबारी और सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक के कारोबारी लक्ष्यों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है.

शीर्ष स्तरीय रेटिंग समिति ऋण रेटिंग को अभिपुष्ट करती है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती है. एक सक्रिय उपाय के रूप में आपका बैंक विभिन्न ऋण सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी करता है जिसमें विभिन्न कारोबारी समूहों, देशों, खंडों, क्षेत्रों तथा उद्योगों में ऋण निवेश शामिल हैं.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थिति के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम का प्रबंधन बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति एवं निवेश नीति के अनुरूप किया जाता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम उठाने के उचित स्तर की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिम व अपवादों के प्रबंधन, रिपोर्टिंग तथा बढ़त के आकलन की प्रणाली लागू करती हैं.

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से आपके बैंक ने निगरानी और रिपोर्टिंग टूल सहित उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाई है. संकेंद्रण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाओं को अपनाया गया है. सभी प्रक्रियाओं सहित सभी निर्धारित सीमाओं को ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा गहन निगरानी की जाती है जो कि ट्रेजरी के फ्रंट और बैक ऑफिस से अलग है.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया परिचालन जोखिम व व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति से निदेशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग क्रियाकलापों से संबद्ध परिचालनगत जोखिम की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है.

आपके बैंक ने परिचालनगत जोखिम के नियंत्रण/ कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- मुख्य जोखिम संकेतकों की निगरानी;
- नए (संशोधित) उत्पादों/ प्रणालियों से सम्बद्ध जोखिम का मूल्यांकन और उनका न्यूनीकरण;
- विभिन्न जोखिमों और नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन;
- परिचालनगत हानि वाले मामलों की निगरानी;
- प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन;
- विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार.

परिचालनगत जोखिम की निगरानी के भाग के रूप में आपके बैंक में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा उसके आकलन हेतु एक व्यापक आईटी प्रणाली मौजूद है. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा आकलन के संदर्भ में प्रगति आवधिक रूप से बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है.

आपका बैंक पूरी संस्था में जोखिम जागरूकता संस्कृति पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है जो कारोबार व्यवधान को न्यूनतम करती है. बीसीएम के भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) हैं. यह कारोबार व्यवधान के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए है. इसके अलावा आपके बैंक ने अपनी मुख्य स्थापनाओं के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की है ताकि आपदा की संभावना व उनके प्रभाव को कम किया जा सके और

मानव जीवन व महत्वपूर्ण आस्तियों की रक्षा की जा सके. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, आपदा प्रबंधन तथा मॉक इवैक्यूवेशन ड्रिलों के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. आपके बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने बेलापुर, महाराष्ट्र स्थित डेटा सेंटर में एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा उपकरणों/ समाधानों अर्थात् फायरवाल, राऊटर्स, आईडीएस/ आईपीएस/ पीआईएम, डीएलपी, एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर आक्रमणों की निगरानी और कम-से-कम समय में सुधारात्मक कार्रवाई करता है. एसओसी साइबर अपराधों से निपटने के लिए कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है और मूल्यवान ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा हमारे बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करता है. आपका बैंक नियमित रूप से बाह्य पहुँच वाले एप्लीकेशनों अर्थात् आई-नेट बैंकिंग, मेल मेसेंजिंग आदि के लिए भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने अप्रैल 2011 में रिज़र्व बैंक कार्यदल द्वारा सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर जारी सिफ़ारिशों को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है. दिशानिर्देशों में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार आपके बैंक ने उचित संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है. ग्राहक डेटा की सुरक्षा, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान का कार्यान्वयन अर्थात् सुविधाप्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, पैच प्रबंधन उपाय, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे आदि लागू किए गए हैं.

कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/विफल करने के लिए ग्राहकों को मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टरों के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जाती है.

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सिस्टम को पेरिमीटर और एंडपॉइंट्स सहित एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. कस्टमर फेसिंग इंटरफेस में दो स्तरीय अधिप्रमाणन प्रक्रिया मौजूद है. आपके बैंक तथा ग्राहक से संबंधित संवेदनशील डेटा के गलत प्रयोग को रोकने के लिए बैंक ने सूचना सुरक्षा के परिदृश्य में डेटा लीकेज निवारण (डीएलपी) उपाय शुरू किया है. आपके बैंक के डेटा केंद्र और आपदा प्रबंधन केंद्र को आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानदंडों का प्रमाणन प्राप्त है. आपके बैंक में जोखिम लेन-देनों हेतु शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने के लिए एक नियर-डीआर साइट भी स्थापित की है. आपके बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

आपके बैंक में मानव संसाधन (एचआर) रणनीति को इस प्रकार तैयार किया गया है कि भर्ती, नियोजन, प्रशिक्षण, प्रतिभा को बनाए रखने तथा प्रेरणास्पद रणनीतियों से संबंधित विभिन्न एचआर नीतियों का कारोबारी अपेक्षाओं के साथ प्रभावी रूप से संयोजन हो सके जिससे कि आपके बैंक के संकल्प और उद्देश्य को प्राप्त करने में निर्बाध सहायता मिल सके. इस दिशा में आपका बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान कर उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है और साथ ही बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण के विभिन्न उपाय करता रहा है.

जनशक्ति

यथा 31 मार्च 2016 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,570 थी. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	14,999
एक्ज़ीक्यूटिव	631
लिपिकीय	1,024
अधीनस्थ स्टाफ सदस्य	916
कुल	**17,570**

प्रभावी जनशक्ति योजना और विवेकपूर्ण नियुक्ति के कारण आपके बैंक में युवा अधिकारियों की एक उत्कृष्ट टीम है जिनकी औसत आयु लगभग 33 वर्ष है.

भर्ती और स्टाफिंग

आपके बैंक के वार्षिक जनशक्ति मूल्यांकन में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की संख्या, त्यागपत्रों की संख्या, शाखा विस्तार तथा कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखा जाता हैं. तदनुसार आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 1584 अधिकारी, 444 एक्ज़ीक्यूटिव तथा 2 लिपिक (अनुकंपा आधार पर नियुक्त) नियुक्त किए हैं. इनमें से 335 अनुसूचित जाति (अ.जा.) से, 294 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से तथा 762 अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) से संबंधित हैं. इसके अतिरिक्त, 44 व्यक्ति शारीरिक रूप से अशक्त हैं.

आपके बैंक ने ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की है और एक्जिक्यूटिव की भर्ती एकल आधार पर आईबीपीएस के माध्यम से अलग भर्ती प्रक्रिया द्वारा की है. साथ ही, आपके बैंक ने सुरक्षा संबंधी मामलों की देखरेख करने के लिए सुरक्षा अधिकारी के रूप में, ग्रेड 'बी' में, चार समर्पित और व्यावसायिक अर्हताप्राप्त अधिकारियों को भी एक अलग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया है.

आईडीबीआई मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग

मई 2015 में आपके बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की अवधि को बढ़ाया जिसके तहत छात्र-छात्राओं का एक वर्षीय बैंकिंग व फाईनेंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) में नामांकन किया जाता है. यह व्यवस्था 'प्रशिक्षण, भर्ती व समावेश मॉडल' पर कार्य करती है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 415 अभ्यर्थियों की सहायक प्रबंधक के रूप में भर्ती की. वर्तमान में 400 से अधिक अभ्यर्थी दो बैच में पीजीडीबीएफ पूरा कर रहे हैं और उन्हें यथा समय आपके बैंक में नियुक्त किया जाएगा.

आरक्षण नीति

आपका बैंक भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है. आपके बैंक ने अजा/अजजा/पीडबल्यूडी तथा अपिव के लिए महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) की नियुक्ति की है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग रोस्टर बनाया है.

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक की कुल मानव शक्ति संख्या में अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व निमन्वत है:

श्रेणी	अजा	अजजा	अपिव
अधिकारी	2,090	803	3,436
एक्जीक्यूटिव	69	35	188
लिपिक	119	35	83
अधीनस्थ-कर्मचारी	209	74	172
कुल	**2,487**	**947**	**3,879**

प्रशिक्षण एवं विकास

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के विकास को अधिकतम महत्व देना जारी रखा है. आपके बैंक ने 17,181 प्रतिभागियों के लिए 830 आंतरिक कार्यक्रम संचालित किए हैं. आपके बैंक ने 379 अधिकारियों को बाह्य देशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तथा 32 अधिकारियों को बाह्य विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया. आपके बैंक ने ग्रेड ए अधिकारियों के लिए 180 दिनों के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को जारी रखा जिसमें कक्षा प्रशिक्षण तथा काम के दौरान प्रशिक्षण शामिल हैं. इसी प्रकार से आपके बैंक ने अपने रिटेल बैंकिंग वर्टिकल में पदापित एक्जीक्यूटिव को 17 दिनों का कक्षा प्रशिक्षण देना जारी रखा है.

आपके बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित कार्यक्रम अर्थात् 'उन्नति' का संचालन किया ताकि महिला कर्मचारी अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन सुनिश्चित करते हुए संगठन में नेतृत्व वाले पदों की जिम्मेदारी संभालने के लिए आवश्यक गुण विकसित कर सकें. वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 844 महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया.

विनियामक निदेशों के अनुसार, आपके बैंक ने ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण को और अधिक विकसित करने तथा प्रभावी और दक्ष ग्राहक सेवा देने के लिए ग्राहक सेवा पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित कीं. अधिकारियों को केवाईसी/एएमएल क्षेत्र के नवीनतम नियमों और विनियमों के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए इन विषयों पर भी कार्यशालाएं आयोजित की गईं. इसके अलावा आपके बैंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) द्वारा विभिन्न स्थलों पर संचालित सामान्य प्रबंधन तथा रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करना जारी रखा है जबकि मध्य प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है.

आपके बैंक ने ई-लर्निंग पर ज़ोर देना जारी रखा. इस दिशा में आपके बैंक ने एक सुदृढ़ लर्निंग प्रबंधन प्रणाली अर्थात् ओजेएएस की शुरुआत की है ताकि ई-लर्निंग में सुविधा हो तथा ऑनलाइन प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सके. इसमें स्व-नामांकन, प्रशिक्षण के परिचालनगत रूप के समस्त पहलुओं के साथ मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से पूरा करना शामिल है.

उत्तराधिकार योजना

आपके बैंक में महत्वपूर्ण / मुख्य पदों के उत्तराधिकार योजना की रणनीति के रूप में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर महत्वपूर्ण पदों की पहचान की गई है ताकि संगठनात्मक कार्य-निष्पादन को बनाए रखा जा सके तथा दीर्घावधि कारोबार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके. इस दिशा में कनिष्ठ तथा मध्य प्रबंधन स्तर पर अधिकारियों की पहचान क्षमतावान उत्तराधिकारियों के रूप में की गई है. मूल्यांकन विकास केंद्र अभ्यास के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमताओं को अपनाने के लिए उत्तराधिकार मैट्रिक्स तथा विकास पहल कार्यों अर्थात् कार्यशालाओं, ऑन-जॉब परियोजनाओं आदि में इन अधिकारियों का निर्धारण जारी है.

समूह जीवन बीमा योजना (जीएलआईएस)

मृतक कर्मचारी के परिवार की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए समूह जीवन मीयादी बीमा पॉलिसी की सुविधा दी है जो अधिवर्षिता की आयु के बाद भी 70 वर्ष पूरे होने तक कवर देगी. इस योजना के तहत आपका बैंक वार्षिक प्रीमियम राशि का 50% अंशदान करता है और शेष 50% राशि का भुगतान कर्मचारी करते हैं. अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है.

आईडीबीआई बैंक अधिकारी अध्ययन योजना (आईबीओएसएस)

प्रतिभा को बनाए रखने के उपाय के रूप में आपके बैंक ने अधिकारियों के लिए आईबीओएसएस की शुरुआत की है ताकि वे भारत अथवा विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. यह योजना प्रतिभावान अधिकारियों को उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है. इस योजना के तहत चुनिंदा अधिकारियों को शिक्षा ऋण दिया जाता है. पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करने पर ऋण को माफ कर दिया जाता है.

प्रोत्साहन योजना

आपके बैंक ने अपने उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन आधारित नकद प्रोत्साहन योजना लागू की है.

बाढ़ राहत अग्रिम

आपके बैंक ने तमिलनाडु में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित कर्मचारियों को ब्याज मुक्त बाढ़ राहत अग्रिम प्रदान किया है.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

कर्मचारियों में पीओएसएच के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक के इंट्रानेट पर एक संवादात्मक ऑडियो / विडियो समर्थित ई-लर्निंग मॉड्यूल होस्ट किया गया है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है. आपके बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समिति बनाई है. 2015-16 के दौरान आपके बैंक को 2 (दो) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी समिति द्वारा छानबीन की गई. इनमें से 1(एक) शिकायत का समाधान कर दिया गया है. यथा 31 मार्च 2016 को कुल 4 (चार) शिकायतें लंबित थीं जिसमें 1 (एक) लंबित शिकायत वर्ष 2015-16 की थी तथा 3 (तीन) शिकायतें (न्यायालय मध्यक्षेप के कारण लंबित) विगत वर्षों की थीं.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण वृहद रूप से मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. बैंक में अपनी शेयरधारिता को 50% से कम करने का विकल्प होने संबंधी सरकार के बयान के विरुद्ध आईडीबीआई बैंक के अधिकारी / कामगारों के एक वर्ग ने विभिन्न यूनियनों / संघों के बैनर तले 27 नवंबर 2015 को तथा 28-31 मार्च 2016 को हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा समझौते की कार्यवाही के आयोजन के बावजूद यूनियनों / संघों ने उक्त दिनों पर हड़ताल की. तथापि, कोई भी अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं की गई और आपका बैंक लगभग 50% शाखाओं / कार्यालयों को खुला रखने में सफल रहा और हड़ताल के दिनों में अबाध ग्राहक सेवा के लिए सभी एटीएम तथा अन्य वैकल्पिक चैनल उपलब्ध थे. इसके अलावा, यूनियनों/ संघों द्वारा चार दिन के हड़ताल के आह्वान के कारण बैंक के कारोबार में बाधा तथा ग्राहकों की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया कि आम जनता के लिए सभी शाखाएं एवं कार्यालय 26 मार्च 2016 (शनिवार) को पूरे दिन खुले रहें, जो अन्यथा एक बैंक अवकाश था.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में एक सुसज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो विभिन्न कारोबार / सहायता वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों की नियमित लेखापरीक्षा करता है. लेखापरीक्षाएं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में की जाती हैं. नियत कार्यों को करते समय लेखापरीक्षा कार्य अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखते हैं. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आंतरिक एवं समवर्ती लेखापरीक्षा पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है.

आपके बैंक के पास परिचालनों के स्वरूप और जटिलताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में अनुभवी आंतरिक सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा टीम है. आपके बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अपने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के पूरक के रूप में एक व्यापक समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली भी कार्यान्वित की है. अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की गई है. यह प्रणाली व्यापक रूप से ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी और ऋण प्रशासन के क्षेत्रों में आपके बैंक की नीतियों के अनुपालन पर ध्यान देती है. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों (ज़ेडएओ), एक आंतरिक वेब-आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) तथा एक ऑफ-साइट अलर्ट प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) का पर्याप्त सहयोग प्राप्त है.

आपके बैंक ने प्रबंधन कार्य की विश्वसनीयता, आस्तियों की सुरक्षा और नियमों व विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में नियंत्रण परिवेश की समीक्षा और रिपोर्ट के लिए जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा (आरबीएमए) लागू की है.

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है तथा विभिन्न जोखिमों के समाधान के लिए नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाने के उपाय सुझाता है. इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक अपनी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति, समवर्ती लेखापरीक्षा नीति और सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है.

परिचालन गुणवत्ता बढ़ाने और प्रक्रियाओं में सही तालमेल लाने के लिए लेखापरीक्षा विभाग, परिचालन जोखिम विभाग और अन्य परिचालन विंग के बीच उचित समन्वय रहता है. बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के प्रयास में बैंक के व्यवहारों और प्रक्रियाओं के लिए उच्च स्तरीय मानदंड स्थापित करने पर ज़ोर दिया जाता है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और अंचल लेखापरीक्षा समिति नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है, आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिकारियों को निर्देश देती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और साथ ही विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है.

धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफ़एमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद (एफआरसी) का गठन किया गया है ताकि प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हो, की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें तथा जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाईयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपराचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ी की घटनाओं का पहले ही पता लगाने, उनसे बचाव, रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग कार्यरत है जो सतर्कता से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई मामलों में दंड की मात्रा और प्रकार के बारे में सुझाव के अलावा, सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने तथा नियंत्रण प्रणालियों और निर्धारित प्रक्रियाओं में कमियों, यदि कोई हो, में सुधार लाने के लिए शीर्ष प्रबंधन को सुधारात्मक उपाय सुझाने का कार्य करता है. आपके बैंक ने सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है और एक प्रणाली लागू की है जिसमें जनता/ किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग की साइट मौजूद है जिस पर सतर्कता विभाग का विवरण, आपके बैंक की सभी शाखाओं/ कार्यालयों में प्रदर्शित की जाने वाली सीवीसी की नोटिस के मानक प्रारूप, सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र/ दिशानिर्देश, सीवीसी और बैंक के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इससे अधिकारियों में सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में आपके बैंक को सहायता मिली है.

वर्ष के दौरान अनाचार, यदि कोई हो तथा स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन की जांच के लिए विभिन्न शाखाओं के औचक सतर्कता दौरे किए गए और जहां आवश्यक समझा गया, वहां समुचित सुधारात्मक उपाय सुझाए गए.

वर्ष के दौरान आपके बैंक के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए निवारक एवं सहभागितात्मक सतर्कता पर केंद्रित कई चर्चापरक कार्यशालाएं और व्याख्यान/ प्रस्तुतियां आयोजित की गईं. उक्त कार्यक्रमों के दौरान सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने रोजमर्रा के कामकाज में अपनी इच्छाशक्ति से स्वतः निवारक सतर्कता को अपनाने की जरूरत के साथ ही सतर्कता जागरूकता संगठनात्मक दक्षता के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायता करती है, इस पर ज्यादा ज़ोर दिया गया.

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और सभी शाखा कार्यालयों में 26-31 अक्तूबर 2015 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए एक विशेष जर्नल भी जारी किया.

सतर्कता मामलों के साथ - साथ सतर्कता कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार - वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों / दिशानिर्देशों / निदेशों के तत्काल और सुलभ संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सतर्कता मैनुअल तैयार किया है. इस मैनुअल में सीवीसी, एमओएफ़, आदि द्वारा इस मामले में 31 मार्च 2016 तक जारी किए गए अद्यतन अनुदेशों को शामिल किया गया है.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक ने विभिन्न सांविधिक और विनियामक शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. आपके बैंक में अनुपालन संबंधी कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक समर्पित अनुपालन विभाग है. आपके बैंक के अनुपालन कार्यकलाप के क्षेत्र में सांविधिक तथा विनियामक शर्तों और साथ ही इसके आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा बैंक के लिए अनुपालन नीति अपनायी गई है. इस नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टीयर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है. स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के जरिए विनियामक तथा सांविधिक अनुपालनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद है जिसके द्वारा निदेशक मंडल को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) तथा बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक / तिमाही अंतराल पर अवगत कराया जाता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आवेदनों का उत्तर देने के लिए 24 केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर

कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है.

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

आपके बैंक ने अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन तथा सरकार के पहल कार्यों का अनुसरण जारी रखा. आपके बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय के विभागों और शाखाओं द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास किए गए.

ग्राहक इंटरफेस वाले कई पहल कार्यों को हिन्दी में उपलब्ध कराया गया है. इन पहल कार्यों में एटीएम में निर्देशों का द्विभाषिक डिस्प्ले (अंग्रेजी तथा हिन्दी में), दोनों भाषाओं में एटीएम लेन-देन स्लिप जारी होना तथा बैंक की वेबसाइट पर सूचनाओं को हिन्दी और अंग्रेजी में डिस्प्ले करना शामिल हैं. आपके बैंक ने टेम्पलेट पत्रों, फॉर्मों तथा अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री को द्विभाषिक रूप - हिन्दी और अंग्रेजी में - तैयार कर तथा साथ ही अपनी इंट्रानेट साइट पर द्विभाषिक शब्दकोश उपलब्ध करा कर स्टाफ सदस्यों को उनके कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुविधा दी है. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई ताकि स्टाफ सदस्यों को राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं तथा हिन्दी यूनिकोड के प्रयोग से परिचित कराया जा सके. आपके बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए पहल कार्यों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें मान्यता देने के लिए सभी क्षेत्रों में अनेक आंतरिक अभियान चलाए गए.

आपके बैंक द्वारा अपने परिचालनगत डोमेन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास को वर्ष के दौरान विभिन्न मंचों पर सराहना मिली. आपके बैंक को 'ख' क्षेत्र में राजभाषा के सराहनीय प्रयोग के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया. आपके बैंक को उसी क्षेत्र में वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन द्वारा राजभाषा शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा संगठन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आपके बैंक और इसके अधिकारियों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की पुणे, मुंबई तथा देहरादून इकाइयों ने प्रशंसा की. संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख उप समिति ने आपके बैंक द्वारा राजभाषा नीति लागू करने के प्रयासों की सराहना की. बैंक की आंतरिक तिमाही हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' की एबीसीआई ने प्रशंसा की तथा दो श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया. साथ ही, सुविख्यात सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समूह, आशीर्वाद ने भी इसे 'सर्वोत्तम आंतरिक पत्रिका' के रूप में सम्मानित किया.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी अंशधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर विशेष जोर दिया गया है. आपके बैंक ने सभी ग्राहक संपर्क बिन्दुओं में सेवा स्तर में सुधार करने की अपनी मुहिम को जारी रखा है.

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति जो बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को रिपोर्ट करती है, सुनिश्चित करती है कि ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन मामलों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), जो आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित है, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करता है. आपके बैंक ने समन्वित शिकायत प्रबंध सॉफ्टवेयर, जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों/परिवादों की रिकार्डिंग, निगरानी और समयबद्ध निपटान को सुसाध्य बनाता है, का प्रयोग करते हुए विभिन्न डिलीवरी माध्यमों में अपनी शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. अपने ग्राहकों को अबाधित सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने हाल ही में बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित अपने कॉल सेंटर के अलावा हैदराबाद में भी एक और पूर्णतः सज्जित कॉल सेंटर प्रारंभ किया है.

ग्राहक सेवा अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए आपके बैंक ने कई नए उपाय किए हैं और मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में भी सुधार किए हैं. इन उपायों में (i) खाते में शेष राशि की जानकारी और लघु विवरण पत्र प्राप्त करने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू करना; (ii) ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों की सम्पूर्ण ट्रैकिंग और त्वरित निष्पादन हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू करना; (iii) बैंक की वेबसाइट के जरिए शिकायतों के पंजीयन की सुविधा प्रारंभ कर मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना; और (iv) बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों तथा बैंक के फोन बैंकिंग चैनल की पारस्परिक मौखिक प्रत्युत्तर (आईवीआर) प्रणाली के जरिए सुरक्षित बैंकिंग टिप्स और बीसीएसबीआई संहिता को बढ़ावा देते हुए ग्राहक जागरूकता निर्मित करना शामिल हैं.

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड अपनाया है. आपके बैंक की बीसीएसबीआई कोड के प्रति प्रतिबद्धता और अनुपालन को बीसीएसबीआई कोड अनुपालन रेटिंग 2015 के अनुसार कुल 85 अंकों के साथ 'उच्च' रेटिंग दी गई है. पिछली रेटिंग में भी आपके बैंक को कुल 81अंक के साथ 'औसत से ऊपर' का दर्जा दिया गया था. आपके बैंक की रेटिंग में सुधार निर्बाध ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुरक्षा विशेषताओं से युक्त व्यापक उन्नत वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करने के लिए अपनी प्रामाणिक आईटी श्रेष्ठता का पूर्ण लाभ उठाना जारी रखा. अपने ग्राहकों को बेजोड़ अनुभव उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों के तहत आपका बैंक नई-नई प्रौद्योगिकियां अपनाता रहा है और प्रभावशाली उत्पाद, सेवाएँ और प्रणालियां शुरू करता रहा है ताकि प्रमाणित एवं नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर आधारित सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित किया जा सके जिससे उसके ग्राहक लेन-देन करते समय सहज महसूस करें. ये प्रौद्यगिकी नवोन्मेष न केवल परिचालन सुविधा में सुधार लाते हैं बल्कि प्रणालियों और प्रक्रियाओं की क्षमता और सुरक्षा में भी वृद्धि करते हैं. विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी पहल कार्यों का व्यावसायिक तरीके से संचालन और प्रबंध करने के लिए आपके बैंक में आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईटी सहायक कंपनी है जो आईटी संबन्धित आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देती है.

आपके बैंक ने ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी शाखाओं में 100% कंप्यूटरीकरण के लिए अपनी आईटी श्रेष्ठता से लाभ उठाना जारी रखा. आपके बैंक में सुरक्षा के सभी उपायों से सुसज्जित टीयर 3 डेटा केंद्र हैं और इसके डेटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र के लिए आईएसओ-27001 (2013) सुरक्षा प्रमाणन भी प्राप्त किया गया है.

हरित पहल के रूप में आपके बैंक ने न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ गतिशील संसाधन पुनराबंटन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वर आभासीकरण प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया है.

आपके बैंक का प्राथमिक उद्देश्य अपने ग्राहकों को झंझट मुक्त एवं निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए उनकी सेवा करना है. अतः आपके बैंक ने कारोबार निरंतरता प्रबंध के लिए बीएस-25999 प्रमाणन के साथ कारोबार की निरंतरता के मामले में वैश्विक मानक अपनाए हैं. ग्राहक सुरक्षा और हर्ष में वृद्धि तथा ग्राहकों की जरूरतों एवं प्रोफ़ाइल को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करने के लिए अपने आईटी एजेंडा के भाग के रूप में आपके बैंक ने तुलनात्मक रूप से दीर्घावधि वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि उद्यम-वार डेटा वेयर हाउस सोल्युशन और उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध सोल्युशन भी साथ-साथ शुरू की हैं. आपका बैंक बेहतर और आनंदमय ग्राहक अनुभव के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ लेने हेतु अपने कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) को उन्नत कर रहा है.

आपके बैंक को उच्च क्यूओएस वीपीएन अवधारणा, एचएक्स वीसैट पर उच्च बैंडविड्थ सेवाएँ अपनाने के लिए पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) होने के नाते अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है. आपके बैंक ने मध्यम बैंक श्रेणी में चार आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड भी हासिल किए.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे कि मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर टीडीएस, कार्डों, पिन मेलर, चेक बुक, खाता विवरण तथा ग्राहकों को सुपुर्द किए जाने वाले अन्य प्रदेयों के निर्माण और सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने आदि के लिए एक आधुनिकतम केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है. इसी प्रकार से आपके बैंक के पास बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने के लिए अत्याधुनिक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाइयां (आरपीयू) भी हैं. ये आरपीयू मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, पुणे और अहमदाबाद में स्थित हैं. सीपीयू और आरपीयू खाता खोलते समय केवाईसी और एएमएल के दृष्टिकोण से लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और लागत की बचत पर और बेहतर तथा एकीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं. सीपीयू और सभी 6 आरपीयू को आईएसओ 9001-2008 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणपत्र से प्रमाणित किया गया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को सीपीसी (टीडीएस), ट्रेसेस की वेबसाइट के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण स्थापित करने वाले पहले बैंक के तौर पर आयकर विभाग द्वारा सराहना की गई है.

आपका बैंक पूरे भारत में स्थित अपने 17 केन्द्रीय समाशोधन इकाइयों (सीसीयू) के माध्यम से कागज आधारित लिखतों और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन लिखतों के भुगतान और संग्रहण की सेवा प्रदान करता है. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के माध्यम से समाशोधन कार्यकलापों की देखरेख के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में 3 ग्रिड स्थित हैं. इन तीनों ग्रिडों के समाशोधन कार्यकलाप सीटीएस में अंतरित हो गए हैं तथा यह परिवर्तन बड़ी सुगमता से और रिज़र्व बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रस्तावित अनुसूचियों के अनुरूप हुआ है. चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर) के स्थान पर सीटीएस समाशोधन प्रणाली में हुए रूपांतरण के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में स्थान विशिष्ट सीसीयू की अवधारणा और आवश्यकता पुरानी हो चुकी है. आपके बैंक ने स्थान विशिष्ट 12 सीसीयू को 3 ग्रिड केंद्र सीसीयू में विलय कर दिया है ताकि स्थापना, प्रशासन, परिचालन की लागत को कम किया जा सके और समन्वय और कार्य क्षमता में वृद्धि हो.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक परिचालन संबंधी कार्यों को देखनेवाले स्टाफ को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों से संबंधित ज्ञान से अवगत कराने में अग्रणी रहा है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयोजन से विभिन्न सोल्युशन जैसे- लॉकर प्रबंध सॉफ्टवेयर, ई-रजिस्टर, ई-रिपोर्ट तथा अन्य सोल्युशन उपलब्ध कराये हैं.

आपके बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 को आवधिक आधार पर राशियां अंतरित करने संबंधी विनियामक निर्देशों का पूरा अनुपालन किया है. व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें जारी करने तथा आपके बैंक में सभी भुगतान एवं विप्रेषण सेवाओं के परिचालन कार्य-कलापों के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए एक केंद्रीय 'देशी भुगतान एवं विप्रेषण सेवा अनुभाग' भी बनाया गया है. आपके

बैंक ने विभिन्न माध्यमों जैसे तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), आधार भुगतान सेतु प्रणाली (एपीबीएस), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार प्रसंस्करण केंद्र (ईटीपीसी) नामक एक विशिष्ट परिचालन इकाई भी स्थापित की है ताकि परिचालनों का बेहतर ढंग से समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, सेवा सुपुर्दगी की क्षमता को बढ़ाया जा सके और शंकाओं एवं शिकायतों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सके.

आपका बैंक बैंकिंग उद्योग में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को सुनिश्चित करने में अग्रणी रहा है. आपके बैंक ने देश भर में 12 अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट (सीसी) स्थापित किए हैं. ये करेंसी चेस्ट सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी को प्रसंस्कृत करते हैं और एटीएम तथा शाखाओं के जरिए वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपका बैंक समाज के कमजोर तबके के लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण और टिकाऊ सुधार लाने में सीएसआर कार्यकलापों के महत्व को स्वीकार करता है. आपका बैंक सीएसआर हस्तक्षेपों को कॉरपोरेट प्रतिष्ठा का निर्माण करने, कर्मचारी सहभागिता और नवोन्मेष के नजरिए से निवेश के रूप में देखता है. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति तैयार की है जो 1 अप्रैल 2014 से लागू है.

वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने 20 सीएसआर मध्यस्थता परियोजनाओं को निधि उपलब्ध करायी. कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों में इन विविध सीएसआर कार्यकलापों के जरिए आपके बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, हेल्थकेयर को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने, व्यावसायिक एवं रोजगार मूलक कौशल उन्नति, समाज के वंचित वर्गों के लोगों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने, पर्यावरणीय स्थायित्व को बढ़ाने और योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के जरिए गाँवों का संपूर्ण विकास करने में भी योगदान दिया है.

इसके सिवाय, तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फँसे लोगों को राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए आपके बैंक ने 'मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत निधि - तमिलनाडु' में भी अंशदान दिया है. आपके बैंक ने भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए सरकारी निधियों में भी योगदान दिया है.

इन प्रयासों की मान्यता के तौर पर, समाज सेवा के क्षेत्र में इसके अनुकरणीय योगदान के लिए आपके बैंक को लायन्स सीएसआर प्रीशियस अवार्ड 2016 प्राप्त हुआ है. आपके बैंक को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 400 विद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही इसकी पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) परियोजना के लिए वर्ष 2015-16 हेतु प्लेटिनम श्रेणी में 5वां वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

Global Economic Scenario

In Calendar Year (CY) 2015, the global economy continued to grow at moderate pace with different agencies estimating growth rate ranging from 2.4% to 3.1%. The global economic growth was weighed down by several factors, viz. persistent macro-economic uncertainties and volatility; low commodity prices and declining trade flows; rising volatility in exchange rates and capital flows; stagnant investment and diminishing productivity growth. Against this backdrop, India cemented its position as one of the bright spots in the global economy, overtaking China as the fastest growing major economy in the world. India's Gross Domestic Product (GDP) at market prices grew at 7.6% in 2015-16 as compared to growth of 7.2% in 2014-15. The macro-economic environment in India has improved over the past two years. Consumer and investor confidence have improved on the back of wide-ranging policy reforms that are being implemented by the Government of India.

The outlook for India remains favourable on the back of various structural reforms being undertaken in the economy as also improving macroeconomic fundamentals. The favourable outlook for inflation, softer interest rate environment and continued reform agenda of the Government of India are expected to help in further improving the business and consumer sentiments. These developments are expected to fuel the growth momentum in the Indian economy going forward and ensure the growth is sustained at an elevated trajectory.

BUSINESS REVIEW

During the year, your Bank focussed on continued expansion of its retail and priority sector lending portfolios in view of the need to rebalance its portfolio mix to minimise and mitigate concentration risk as well as meet regulatory requirements. Simultaneously, your Bank leveraged its strengths, capabilities and rich experience gained from its legacy as an apex Development Finance Institution (DFI). Furthermore, emphasis was placed on strengthening your Bank's position as one-stop financial conglomerate by augmenting the synergy between all its departments/ verticals as well as synergy between itself and its subsidiaries.

The strategic initiatives adopted by your Bank have been aptly supported by expanding branch and ATM network across the country. As on March 31, 2016, your Bank's network stood at 1,846 branches, comprising of 378 branches at metro locations, 460 branches at urban centres, 586 branches at semi-urban centres and 421 branches at rural centres, (including 244 Financial Inclusion branches) across India and 1 overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and 3,310 ATMs.

Retail Banking

Retail Liability

Your Bank offers liability products across various segments such as High Net Worth Individuals (HNIs), kids, women, youth, senior citizens, salaried individuals, business persons etc. Keeping in view continuously evolving as well as emerging customer needs, your Bank continued to introduce new products and review the features and processes of existing retail liability products to meet those needs. Simultaneously, your Bank tapped new avenues to increase the share of low-cost deposits and generate fee-based income.

NRI Services

Your Bank highly values its relationship with its NRI customers and caters to their needs by offering a full spectrum of financial products and services, ranging from basic Non Resident External (NRE) Account, Non Resident Ordinary (NRO) Account and Foreign Currency Non Resident (FCNR) deposits to value-added services such as forward cover on FCNR deposits, Portfolio Investment Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, overdraft facilities against the security of NRI deposits, home loans, loans against property and more. Your Bank also offers various options to NRI customers for hassle-free fund remittances to India to enable a fast, economical and convenient fund transfer.

Structured Retail Assets (SRA) Business

During the year, your Bank continued to be one of the most competitive players in the Structured Retail Assets segment with its innovative and best-in-class product and service

offerings. Your Bank has taken various initiatives including introducing innovative products/ offerings and improvement in processes. Your Bank offers home loan, loan against property, auto loan, education loan and personal loan and their variants under its SRA portfolio.

The key initiatives undertaken by your Bank across its loan offerings during the year are given below:

a. Education Loan:

- Modified the norms for loans extended to students pursuing courses in premier educational institutions to attract better quality loans.
- Launched a special scheme, viz. Skill Loan Scheme under education loan, in alignment with the Central Government's Skill India campaign, wherein students enrolled in or in the process of enrolling in various skill development courses were extended education loans.
- Became member to the 'Vidya Laxmi Portal' which is a one-stop portal for the students who are seeking education loan, thereby managing large number of leads. As the portal gets better visibility and acceptance, this is expected to help your Bank build quality PSL portfolio with low acquisition cost.

b. Auto Loan:

- Innovatively placed its auto loan products to meet the needs of today's generation who are more inclined towards seeking financial assistance for owning their dream vehicle.

c. Special Schemes:

- Introduced a special scheme, viz. 'Chennai Maitri Scheme' to offer financial assistance to people who were affected by the Chennai floods to repair/ renovate their houses/ other assets and avail medical treatment.

Apart from introducing innovative product features, your Bank continued to carry out regular review of product norms/ guidelines so as to make them more competitive. The feedback received from various quarters is given prompt attention ensuring your Bank's offerings remain among the best in the industry. Additionally, your Bank has leveraged technology to put in place an online Loan Application Processing System (LAPS), which is an end-to-end solution for retail loan products, enabling automation of the loan process right from the stage of proposal login till the opening of the loan account.

Alternate Channels

Alternate banking channels such as ATMs, mobile banking, internet banking, phone banking etc. have emerged as preferred banking channels. Your Bank has strategically expanded its reach through alternate channels by leveraging its state-of-the-art technology infrastructure.

Your Bank has launched a multi-purpose self-service ATM (mini-branch) in July 2015, which is first of its kind in India, to facilitate issuance of personalised cheques and demand drafts on 24x7 basis, apart from providing regular ATM services. Your Bank also offers e-lounge facilities, which are essentially self-service branches, at multiple locations across the country.

Your Bank offers its customers the convenience of carrying out their banking transactions using internet and mobile banking. Your Bank's mobile banking solution incorporates services such as query-based service (SMS Banking), alerts and mobile payments (Paymate), balance enquiry, mini transaction statement, bill payment etc. Your Bank has initiated a 'Missed Call' service wherein customers can give a missed call on a toll-free number to get a mini statement of his/ her last 5 transactions and send an SMS to obtain information about available account balance. Your Bank's 'Tab Banking (JusTab)' service was also launched during the year which allows opening of savings account from the comfort of the customers' home/ office through a tablet for improved Turnaround Time (TAT). Your Bank also launched 'PayApt Wallet' which is a one-step, one-stop payment solution for meeting the mobile payment needs.

Your Bank launched G-sec Investment Facility through ATM for retail investors, which is an unique and first of its kind service, that provides easy access to retail investors to invest in Government Securities. This is in line with the efforts of the Government of India and the Reserve Bank of India to broad-base and expand retail holding of G-Sec in the country, thereby deepening the debt market. This facility, which is an extension of the Bank's Samriddhi G-Sec portal, allows customers to transact in G-Sec using the ATM in a simple, convenient, transparent and cost-effective manner.

In view of the rising incidence of cyber-crimes and to protect its customers from such crimes, your Bank employs highly sophisticated technology, including security features in the form of 128-bit encryption levels, firewalls, triple DES EMV chips etc., to ensure safe and secure environment while the customer transacts using the alternate channels. Towards this end, one of the path-breaking initiatives is your Bank's Debit Card Control Mobile App, viz. Abhay App, which was launched during the year. Abhay App is first of its kind in the banking industry and allows the customer to manage

debit card using their smartphones, thereby minimising the chance of misuse of debit cards. The Abhay App has won Skoch Order-of-Merit, NetApp Innovation Award under the Enterprise Mobility category and ADFIAP Awards 2016 under the Technology Development category.

Card Products

Your Bank's portfolio of cards include variants of debit-cum-ATM cards, credit cards and prepaid cards which are customised to suit different transactional needs of the customers. The debit-cum-ATM card variants include Classic Debit Card, Gold Debit Card, Platinum Debit Card, Signature Debit Card, KIDS Debit Card, Being Me Debit Card and Women's Debit Card. The card variants are loaded with various features, keeping in view the financial needs of each of these target segments. Your Bank's debit-cum-ATM cards can be used to withdraw cash across India and abroad. It can also be used for shopping at more than 9 lakh merchant establishments in India and nearly 3 crore merchants worldwide. To provide added convenience to its customers, your Bank also introduced contactless debit cards during the year which enables the cardholder to transact by simply tapping their contactless card onto a contactless-enabled reader.

Your Bank currently offers 4 types of credit card products, viz. Royale Signature Credit Card, Euphoria World Credit Card, Imperium Platinum Credit Card, Aspire Platinum Credit Card. Out of these, the Euphoria and Imperium variants were launched on the occasion of your Bank's Foundation Day on October 1, 2015.

The prepaid cards offered by your Bank include Gift Cards, Cash Cards and World Currency Card/ Global Currency Card. Besides offering convenience, the Prepaid Cards have been tailored to meet the travel and gifting requirements of its customers.

Merchant Acquisition Business

Your Bank's Merchant Acquisition (ME) business has allowed it to acquire payment card transactions and develop a banking relationship with the merchants. Merchant establishments, which are your Bank's valued customers, can accept all credit and debit cards issued under Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro and RuPay brands. Your Bank's Point of Sale (POS) terminals also have the capability to accept American Express cards.

Payment Gateway Facility

Your Bank offers card acceptance solutions on the Internet, through its Payment Gateway product 'Easy2Pay'. The card-based payment gateway uses a 128-bit Secure Socket Layer (SSL) data encryption standard. All the transactions are further secured through Merchant Plugin (MPI) and are routed for Verified by Visa (VBV) and Master secure authentication. Easy2Pay is certified by VeriSign Inc., one of the leading certifying authorities for web-site security.

Third Party Products (TPD) and Capital Market Products

In its bid to provide value-added services to its customers, your Bank offers various third party products, keeping in view their risk profile and financial goals.

During the year, the Reserve Bank of India issued Sovereign Gold Bond Scheme 2015-16 on behalf of Government of India, under which your Bank has mobilised funds to the tune of nearly ₹ 8.0 crores. In cognisance of importance of pension in ensuring social security in old age, your Bank has proactively endorsed subscription to National Pension System (NPS) among its customers and put in place enablers such as online registration and subscription through eNPS. Your Bank has been conferred with the Star Performance Award 2015 in Demat Account Opened under PSU Bank Category by National Securities Depository Ltd. (NSDL) in December 2015.

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to appropriate financial products and services needed by the most vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in four key areas, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

As on March 31, 2016, your Bank had opened more than 10 lakh accounts under PMJDY with facility of RuPay ATM-cum-Debit cards and overdraft. Your Bank has proactively participated in social security schemes of Government of India, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover, and Atal Pension Yojana (APY) for pension in old age. As on March 31, 2016, your Bank had enrolled more than 9 lakh bank account holders under PMSBY and more than 4.5 lakh bank account holders under PMJJBY. Under APY, your Bank has enrolled more than 35,000 bank account holders.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration particularly in rural and semi-urban areas and thereby, ensuring greater financial inclusion as also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. To provide facility of payments through BCs (also referred to as Bank Mitras), hand-held devices have been provided to them which are enabled with the facilities to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. As on March 31, 2016, your Bank had a network of more than 1,300 individual BCs/ BFs who have collectively done business amounting to more than ₹ 1,100 crore. Furthermore, to enhance the skill sets of BCs/ BFs and thereby, prepare them to become confident, self-sufficient and viable, your Bank conducted extensive training sessions/ workshops for more than 1,300 BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skill to operate on technology platforms for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as 'Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras' in its rural branches which have been entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and Government social security schemes through conduct of outdoor literacy camps. During the year, your Bank's rural branches conducted more than 900 such outdoor literacy camps. Recognising the need to educate children about the importance of prudent financial management, your Bank also conducted financial literacy camps for higher secondary students in more than 100 schools across Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) located in Satara District in Maharashtra also conducts free residential training programmes in job-oriented courses for the rural youth to empower them to be self-employed. The Institute has been awarded 'A' grade by Ministry of Rural Development. During the year, IDBI-RSETI conducted 28 training programmes and trained 793 candidates.

Other Initiatives

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for Aadhaar enrolments. Your Bank has so far enrolled more than 43 lakh residents across 14 States. Your Bank has actively participated in Direct Benefit Transfer (DBT) scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through the BC channel to more than 24,000 old-age pensioners in Raipur and Chhattisgarh and distribution of MNREGA wages in 3 districts in Chhattisgarh, covering more than 190 Gram Panchayats. As on March 31, 2016, nearly 23,000 beneficiary accounts have been opened by your Bank.

Awards for Financial Inclusion

Your Bank was conferred with awards and accolades from various quarters for its financial inclusion initiatives. These include Elets Knowledge Exchange Award, the Lokmat BFSI (Banking, Financial Services and Insurance) Awards, the Elets Financial Inclusion and Payment Systems (FIPS) Award, the ASSOCHAM Award for Financial Inclusion 2016 and Banking Frontier's FINNOVITTI AWARD 2016 for Innovative Technology.

Priority Sector Banking

Your Bank has been contributing significantly to Priority Sector Lending (PSL) and has achieved the regulatory targets under PSL as on March 31, 2016 set by the Reserve Bank of India. With the recent changes in regulatory guidelines for PSL, your Bank focussed on financing Small and Marginal Farmers (SFMF) and Micro Enterprises, during the financial year. To boost lending to agriculture sector, your Bank entered into strategic tie-up with Original Equipment Manufacturers (OEMs) of agro-machinery/ equipment, solar system integrators, NGOs for funding SFMF. Similarly, your Bank has signed MoUs with various auto manufacturing companies and operators for financing vehicle purchase as a part of lending to Micro Enterprises. Your Bank also launched 2 major products under PSL viz. IDBI MUDRA Loan and IDBI Bunkar MUDRA Yojana (IBMY) in terms of the Government of India scheme to extend financial assistance under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). Your Bank disbursed more than ₹ 1,600 crore under PMMY scheme surpassing the target of ₹ 1,300 crore set by the Government of India. Your Bank added more than 6 lakh new borrowal accounts belonging to weaker sections, SCs/ STs and women categories.

Major initiatives and campaigns under PSL

- In order to extend its reach, your Bank has appointed corporates as BCs/ BFs to supplement its network to garner PSL business mainly towards SFMF, Micro Enterprises and Weaker Sections.
- Your Bank, in an arrangement with one of its BCs, funded e-Rickshaws and cycle rickshaws in Varanasi and Lucknow. Functions for distribution of sanction letters and rickshaws under this arrangement were

held on September 18, 2015 and January 22, 2016 in Varanasi and Lucknow, respectively, which were graced by the presence of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. Your Bank also participated in the launch function of Stand Up India scheme by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi at Noida on April 5, 2016. The scheme was launched across all centres of your Bank by MD & CEO on April 14, 2016 to commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar.

- Your Bank encourages and assists innovative hi-tech agricultural practices through financing hydroponic projects. Under this, plants are grown without soil, using mineral nutrients in water solution.
- As a unique measure for last mile connect, your Bank celebrated Farmers' Day on December 23, 2015 by organising 'Kisan Sangosthis' across India. More than 180 Kisan Sangosthis were conducted across all the states and about 15,000 farmers from various villages participated on a single day.

These initiatives have helped your Bank to build a qualitative and sustainable PSL portfolio which will enable it to meet the aspirations of all its stakeholders.

Corporate Banking

The corporate customers of your Bank are serviced through three different verticals, viz. Corporate Banking Group-I (CBG-I), Corporate Banking Group–II (CBG-II) and Infrastructure Corporate Group (ICG). CBG–I (for large-sized accounts) and CBG-II (for medium-sized accounts) cater to the requirements of the corporate customers in sectors other than infrastructure with funding requirements of more than ₹ 5 crore through 32 branches pan-India. ICG serves corporate customers in infrastructure sectors such as power, telecom, ports, roads and bridges, airports, urban infrastructure development etc. through its branches strategically located at 7 centres across India.

CBG portfolio of your Bank includes exposure to sectors as varied as textiles, cement, steel, engineering, construction, paper and paper products, electronics and electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, NBFC, among others. Your Bank is also the Nodal Agency for Textile Industry (non-MSME sector) under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) of the Government of India. Besides processing cases pertaining to its clients on pan-India basis as a Nodal Bank under the scheme, your Bank has also co-opted with 61 Prime Lending Institutions, including Scheduled Commercial Banks, State Financial Corporations, Co-operative Banks etc., as a Nodal Agency. Your Bank has also extended loans to sugar mills and processes subsidy under the 'Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings 2014 (SEFASU) and Soft Loan 2015'.

Your Bank, under its corporate banking portfolio, offers various asset-side products such as term loans, working capital (both fund based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, lending to NBFCs, among others. CBG and ICG also place emphasis on PSL by offering products like channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporate etc. The corporate banking team works closely with other specialised business teams working in the domains of retail banking, loan syndication, transaction banking, treasury etc. to develop suitable products and devise solutions that fulfil specific needs of the corporate clients.

The portfolio in the infrastructure sector includes power projects with aggregate generation capacity of over 65,000 MW, telecom service providers catering to over 57 crore subscribers, more than 30 highway projects across the country, power distribution companies serving a base of more than 1 crore consumers (including Mumbai and Delhi), Metro Railway project in Mumbai, ports on the western coast, 2 large private sector operated airports of the country, besides a host of projects in urban infrastructure, logistics, etc.

Your Bank has been proactively providing project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors viz., infrastructure, manufacturing, renewable energy etc. and has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India. During the year, your Bank bagged more than 30 mandates for appraisal and syndication of debt aggregating over ₹ 20,000 crore, out of which 17 proposals were sanctioned. Your Bank has successfully developed innovative structured products like back-stop facility for Commercial Paper (CP) and financing Solar Pump Scheme of the Government of Maharashtra (GoM). During the year, your Bank successfully completed a few Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) transactions with various banks/ Financial Institutions (FIs), both in public as well as private sectors.

Your Bank has played a pioneering role in the Indian banking sector in the area of environmental banking by taking initiatives for funding of green projects based on clean technologies. Your Bank is the first public sector commercial bank to raise US$ 350 million through green bonds in November 2015 for financing green projects which include wind energy, solar energy, biomass, water recycling systems etc. A newsletter, viz. IDBI Carbon Newsletter, which is published by your Bank to cover latest developments in the domain of green banking, has won Gold Award from the Association of Business Communicators of India (ABCI) at the 55th ABCI Award held in March 2016.

The macroeconomic environment as also sector-specific issues resulted in fewer new projects being awarded during the year. Further, there was stress on the earnings of the

existing companies. Build-up of receivables in construction industry, fuel-related issues in power companies, liquidity constraints in the electricity distribution companies leading to lower power off-take, lower traffic growth, issues in collection of toll etc. worsened the condition of infrastructure projects. To mitigate risks emanating from its corporate portfolio, your Bank continued to strategically granularise its portfolio mix to avoid concentration risk and tapping more non-fund based business/ fee-based income from its corporate clientele. Besides increasing the business, focus continued to remain on the accounts which were facing difficulties due to stress in the economy and various corrective measures like SDR, refinancing through 5/25 scheme etc. were undertaken to enable the corporates to come out of stress.

Asset Quality

Your Bank adopted a robust mechanism for credit risk assessment and has a well laid out policy for monitoring of its assets portfolio. The accounts exhibiting stress are subjected to close monitoring and remedial measures which include corrective action plan. Your Bank also continues to adopt an intensive process for recovery from the non-performing as also prudentially written-off assets.

As on March 31, 2016, 89.02% of your Bank's loan assets were standard, 4.34% sub-standard, 6.35% doubtful while loss assets were 0.29%. Adequate provisions were made in conformity with the regulatory prescriptions. The larger increase in NPAs include the assets which are classified as non-performing based on the Asset Quality Review (AQR) by the Reserve Bank of India. Your Bank has classified all the assets identified under AQR by the Reserve Bank of India as non-performing and has made provisions as per the AQR for all the identified cases.

Your Bank is actively pursuing early realisation from the NPAs as also prudentially written-off assets through legal process, SARFAESI action, one-time settlement/ negotiated settlements as also various rigorous recovery measures. Your Bank takes simultaneous time-bound recovery actions including SARFAESI and Debt Recovery Tribunal (DRT) actions against the defaulting borrowers. The recovery process is structured and monitored at various levels. Concerted and focussed efforts have also been made to attach the properties of guarantors through DRT. Your Bank has also taken rigorous recovery measures for resolution wherever warranted viz. publishing the names/ photographs of the defaulting borrowers in newspapers, declaring them as wilful defaulters, filing insolvency/ winding up petition, filing application for civil arrest etc. Your Bank has also sold few stressed assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs). Your Bank launched special recovery drive for settlement of loans amounting up to ₹ 10 crore in agriculture sector, medium and small industries and prudentially written-off accounts.

Trade Finance

Your Bank continued to show impressive growth in Trade Finance business conducted through nearly 60 Category B Authorised Dealer Trade Finance (TF) centres and more than 65 retail branches.

Your Bank launched an innovative online facility, viz. 'IDBI *e*Trade', which enables customers to apply for trade finance products and services in a hassle-free manner from the comforts of their desks/ offices/ homes. Your Bank has set up a dedicated Iranian Trade Cell on being designated by the Reserve Bank of India as the sole bank for non-oil INR trade settlement between India and Iran.

With a view to boost export credit business, your Bank organised Exporters' Meets at major centres in association with Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO) and local Chambers of Commerce. During the year, your Bank established Relationship Management Applications (RMAs) with 40 major foreign banks, taking the total RMAs to more than 1,340. With this enhanced network, your Bank facilitates bi-directional trade transactions with major geographical locations across the globe. The Bank of New York Mellon and Citibank have conferred Straight Through Processing Awards to your Bank in recognition of its operational efficiency.

Government Business

Your Bank acts as an agent for the Central Government as well as the State Governments to manage their receipts and payments. Besides being authorised to collect Central Government taxes including Income Tax, TDS, Corporation Tax, Excise Duty, Service Tax and Custom Duty payments, your Bank also has the mandate for collecting electronic payment of railway freight charges, Commercial Tax and other Government receipts for 19 State Governments and 3 Union Territories. During the year, your Bank collected over ₹ 2.55 lakh crore through various taxes and duty payments collected on behalf of the Central and the State Governments. Leveraging its best-in-class technology platform, your Bank provides, inter alia, 24x7 internet banking facilities for tax payments.

Your Bank is accredited by the Government of India for acceptance and conduct of Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme and Sukanya Samridhi accounts from the public through its authorised branches on a pan-India basis. Your Bank has also extended Aadhaar-

based authentication of Life Certificate for Civil, Central, Railway and Defence Pensioners under 'Jeevan Pramaan Yojna' launched by the Government of India to enable pensioners to log in and submit their Digital Life Certificate.

Cash Management Services

Cash Management Services (CMS) offered by your Bank involves keeping track of corporate clients' fund movement, payments and receivables systems and managing overall liquidity positions of the corporate clients by using specialised software (both for collection and payments) that controls credit day arrangements, pricing, Management Information System (MIS), processing for correspondent bank cheques, client lines and many such parameters.

Your Bank offers a suite of collection and payment products such as debt servicing products, virtual account system, direct debit facility, vendor management system, automated clearing house credit and debit service etc. All these products ride on cutting-edge technological integration with client systems in tune with evolving market trends.

Your Bank is also authorised to offer e-freight payment system of Indian Railways to its customers in ten railway zones and also for collection of station earnings and payment in some of the railway zones. Your Bank continued to bag prestigious dividend distribution mandates of large Public Sector Units (PSUs) and other corporates during the year and has continued to maintain a significant market presence in this segment.

Treasury Operations

An integrated Treasury at your Bank's Head Office covers various segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading for efficient fund management and treasury operations. The Treasury facilitates customer transactions in market products, resource raising, trading and market making in various market segments while managing the regulatory compliance on Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR). The Treasury is equipped with state-of-the-art technology to deliver quality solutions to your Bank's customers and for conducting its business operations efficiently.

In addition to mobilising deposits, your Bank has used various instruments including Certificates of Deposits, Inter-Bank borrowings, issuance of bonds, refinance from various sources and foreign currency borrowings to manage liquidity for balance sheet growth and maturity of liabilities. Liquidity was managed at appropriate level depending upon fund position and market situation through various short-term/ money market instruments. Your Bank also regularly tracks various markets and adopts acceptable level of positions for trading gains.

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, your Bank, during the year, has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards covering Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards for improved liquidity risk management.

Your Bank's Treasury is supported by a sales team present across 11 centres for effective marketing of foreign exchange and derivative products. The team interacts constantly with your Bank's corporate clients and proactively provides them solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. During the year, your Bank provided various types of standard and customised solutions at competitive rates to the customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through a mix of FX, options and swaps, as permitted by the Reserve Bank of India.

As part of operational risk management, your Bank, during the year, opened a state-of-the-art Treasury Business Continuity Centre at BKC, Mumbai. The BCP site serves as a near-site alternative to the Bank's main Treasury dealing centre in the event of any business disruption. The Centre is fully equipped with state-of-the-art technology and connectivity with integrated operations covering various market segments and can handle the front office, back office and mid-office functions of Treasury to ensure uninterrupted treasury services at all times.

In addition, your Bank has set up debt sales team at various centres for retailing of fixed income products in general and Government Securities in particular. The team caters especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based NDS-OM market.

Your Bank's Treasury continues to be at the forefront of introducing innovative financial solutions, which indirectly contribute towards market development. Your Bank's IDBI Samriddhi GSEC portal has been revamped to provide daily mark-to-market (MTM) position to the investors on their purchased stocks.

Your Bank continues to be at the forefront of entering into Global Master Repurchase Agreements (GMRA) with various market participants facilitating development of repo in corporate bonds.

During the year, domestic market conditions displayed resilience to external factors and exhibited mild volatility and more stickiness as strong domestic fundamentals aided sentiments to withstand the external shocks. With India emerging as a preferred destination for investment and accommodative monetary policy stance of the Reserve Bank of India, the markets traded sideways for majority of the year. Depending on this sentiment and trend, your Bank managed

its trading and investment book proactively, balanced liquidity through market sources and the Reserve Bank of India's Liquidity Adjustment Facility (LAF) via variable Repo Rate window and strategically contained its foreign exchange rate exposures.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank has underwritten adequate amount of debts of various tenors as raised by the Government of India. Your Bank has also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. In the T-Bills segment also, the PD business has fulfilled all the applicable commitments with regard to achievement of the required success ratio and secondary market turnover in Government dated securities and T-Bills.

Some of the key business initiatives taken by your Bank's Treasury are as follows:

1. **eCallMoney:**

   Your Bank launched eCallMoney - a module under e-Treasury – as an online platform wherein branches can book Call/ Notice/ Term money on behalf of their clients, that is, Co-operative Banks. Your Bank's branches can accept Call/ Notice/ Term deposits from KYC-compliant Co-operative Banks, preferably having current account with it. The minimum amount of investment is ₹ 25 lakh and in multiples of ₹ 1 lakh thereafter.

2. **Retail FX System**

   Your Bank also launched an online system for booking of FX rates for retail/ small value transactions for non-trade Telegraphic Transfer (TT) remittances (inward and outward) under the e-Treasury Platform. The purpose of this system is to facilitate direct booking of retail FX transactions for existing customers of your Bank at live rates by the branches. This online platform helps in improving the transparency, competitiveness and flexibility in quoting of FX rates.

Cross-Border Branches

Your Bank's first overseas branch at the Dubai International Financial Center (DIFC), Dubai has completed 6 years of operations. The DIFC Branch of your Bank provides a range of corporate banking services, including External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL), syndication of ECB/ FCL and trade finance products.

Your Bank has also submitted applications to the Monetary Authority of Singapore (MAS) for setting up an Offshore Banking Unit (OBU) at Singapore and to the China Banking Regulatory Commission (CBRC), China for setting up a Representative Office at Shanghai.

Your Bank become the first public sector bank to open its IFSC Banking Unit (IBU) at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) on May 06, 2016.

Your Bank has also submitted an application to the Reserve Bank of India for setting up a foreign branch in Hong Kong to take up activities that may be permitted by Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Your Bank is also exploring opportunities to expand its overseas presence to other developing and advanced countries.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings.

The ratings for the Rupee resources are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

	CRISIL	ICRA	India Ratings & Research
Fixed Deposit	FAAA/ Negative	MAA+/ Negative	IND tAAA
Short Term Borrowings (Certificate of Deposits)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+
Long Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II bonds)	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA/ Negative	IND AA+
Hybrid - Upper Tier II Bonds	CRISIL AA-/ Negative	[ICRA] AA-/ Negative	IND AA–
Hybrid - IPDI (Basel II)	CRISIL AA-/ Negative	[ICRA] AA-/ Negative	----
Hybrid - AT1 (Basel III)	CRISIL A/ Negative	[ICRA] A+(hyb)/ Negative	IND AA-
Tier II bonds (Basel III)	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA (hyb) /Negative	IND AA+

The Foreign Currency borrowings of your Bank are rated by three International Rating Agencies, viz., Moody's Investor Services (Moody's), Standard & Poor's (S&P) and Fitch Ratings (Fitch). The long-term Foreign Currency Ratings and Baseline Credit Assessment (BCA)/ Stand-alone Credit Profile (SACP)/ Viability Rating (VR) are as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rating Agency	Rating
Moody's Investor Services (Moody's)	
Long Term Rating	Baa3/Stable
Baseline Credit Assessment	b1
Fitch Ratings	
Long Term Issuer Default Rating	BBB-/Stable
Viability Rating (VR)	bb
Standard & Poor's (S&P)	
Issuer Credit Rating (ICR)	BB+/Stable
Stand-alone Credit Profile (SACP)	bb

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank raised an aggregate amount of ₹ 2,900 crore through domestic bond issuances comprising of Basel III Compliant Tier 2 bonds (₹ 1,900 crore) and Infrastructure Bonds (₹ 1,000 crore).

Foreign Currency Resources

Your Bank became the first commercial bank in India to have successfully raised funds to the tune of US$ 350 million by way of Green Bonds from international market during November 2015. Under the Green Bond initiative, your Bank will utilise the proceeds towards funding clean energy projects in India which includes wind energy, solar energy, biomass, water recycling systems, energy distribution and management system and sustainable transport. Your Bank's Green Bond issuance received overwhelming response from investors in the international market.

During the year, your Bank raised an aggregate sum of US$ 6,229.35 million equivalent in Foreign Currency, of which (i) US$ 245 million loan was drawn in June 2015 for a tenor of 10-years from KfW, Germany (ii) US$ 350 million was raised by way of Green Bond issuance in November 2015 under the US$ 5 billion Medium Term Note (MTN) programme (iii) US$ 100 million loan was drawn in December 2015 for a tenor of five years from SBI Nassau and (iv) US$ 5534.35 million was raised by way of short-term borrowings from banks.

As on March 31, 2016, your Bank's outstanding amount of borrowings (US$ 225 million) under the Inter-Bank Dealings Scheme of the Reserve Bank of India was within the permitted overall the stipulated limit of 100% of Tier I capital.

As on March 31, 2016, your Bank's total issuances outstanding under the MTN Programme was equivalent to US$ 1,990.32 million.

RISK MANAGEMENT

Your Bank's risk management philosophy is governed by the objective of sustainable enhancement of shareholders' value by judicious use of capital. The risk management strategy is based on the identification, measurement and monitoring of business risks on an on-going basis to ensure efficient usage of capital. The objective of the strategy is to appropriately balance the risk-return trade-off inherently associated with the banking business through appropriate mitigation and pricing. Some of the effective methods for controlling risks include setting up of well-defined risk-management policies and outlining risk limits and procedures in line with your Bank's risk appetite. Periodic policy updates factor in business dynamics, innovation and changes from the regulatory perspective.

Your Bank constantly endeavours to improve the risk culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure.

The risk management systems and processes are consistently upgraded to meet the challenges of an increasingly complex financial system and aligned to regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk mitigation strategies.

Implementation of Basel Norms

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar-I guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis. With regard to the requirement for higher quality capital highlighted under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

The Basel guidelines have introduced a mandatory Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. The CCB is designed to ensure that banks build up buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which can be drawn down in case of losses that are incurred during stressed period. Banks are required to maintain a CCB of 2.5% comprising of Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9.0%

by March 31, 2019. In line with the transitional arrangements included in the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2016 is 0.625% (25% of 2.5%).

Accordingly, the minimum regulatory requirement of total capital plus CCB is 9.625% (CRAR plus CCB). Your Bank has a CRAR ratio of 11.67% which is above the minimum regulatory requirement. Similarly, your Bank has a CET 1 ratio of 7.99% which is above the minimum applicable ratio of 6.125% (CET 1 + CCB) as stipulated by the Reserve Bank of India. The Tier-I ratio stands at 8.90% as on March 31, 2016 against the regulatory requirement of 7.625% (including CCB).

Your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar-II norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar-I as well as to develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework which is in line with the Reserve Bank of India guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess the strength under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to be put in place to meet unforeseen contingencies.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar-III requirements under the Basel norms, and accordingly disclosures as at end of each quarter are made available on its website, thereby exhibiting high degree of transparency.

At present, your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital and is in the process of further upgrading and strengthening its Credit Risk Management System for migration to the advanced approaches viz. Internal Rating Based (IRB). Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. As a part of migration process to Advance Measurement Approach (AMA), a comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk and Control Self-Assessment (RCSA) framework has been rolled out across different business segments for effective control mechanism. For Market Risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital and necessary steps to migrate to advanced methodology viz. Internal Models Approach (IMA) would be undertaken in due course.

Credit Risk

Your Bank has deployed a comprehensive Credit Risk Management System, which includes a Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital computation.

A proactive Credit Policy is followed to ensure efficient credit evaluation, credit delivery, portfolio management and monitoring. The Policy is prepared to assimilate your Bank's business objectives by taking prevailing business and socio-economic environment into consideration.

The Rating Committees at the apex level validate credit ratings and provide guidance to risk analysts and relationship managers. As a proactive measure, your Bank regularly monitors various exposure limits to different business groups, countries, segments, sectors and industries.

Market Risk

Market Risk management in your Bank, in terms of functions and business positions, operate in line with policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions.

In order to manage market risks, your Bank has put in place appropriate risk management systems, including monitoring and reporting tools. Various exposure limits are also put in place to mitigate concentration risk. All the prescribed limits along with all the procedures are monitored closely by Treasury mid-office which is independent of Front and Back offices of Treasury.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management framework which includes an organisational setup comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee and nodal officers of various functions/ departments. The operating procedure for operational risk are guided by Operational Risk and Business Continuity Management Policy which aims to identify, monitor, measure and manage operational risks attached to banking activities.

Your Bank has taken proactive measures to contain/ mitigate operational risk which include:

- Monitoring of Key Risk Indicators;
- Assessment and mitigation of risk associated with new (revised) products/ systems;
- Self-assessment of various risks and controls;
- Operational loss events monitoring;
- Assessment of systemic risk;
- Improvement in various processes.

As a part of monitoring of operational risk, your Bank has put in place a comprehensive IT system for management and measurement of operational risk. The progress on Operational Risk management and measurement is reported to Operational Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board on a periodic basis.

Your Bank conducts various training programmes to instil a risk awareness culture across the organisation.

Business Continuity Management

Your Bank has a robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions. As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plan (BCP) is in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers, despite business disruption. Besides, comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery and mock evacuation drills. Your Bank's Business Continuity Management System is well equipped with an automated tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve IT risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre located at Belapur, Maharashtra. Through the SOC, your Bank centrally monitors security devices/ solutions like firewalls, routers, IDS/ IPS, PIM, DLP, antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions in shortest span of time. The SOC acts as a Command Centre for countering cyber threats and ensure compliance with your Bank's Information Security Policy, besides fulfilling its objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) of external facing applications, viz. iNet Banking, mail messaging, etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the recommendations of the Reserve Bank of India Working Group on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds which was issued in April 2011. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework as recommended in the guidelines. Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Patch Management solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Apart from conducting regular information security awareness programs for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMS, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach.

IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and endpoints. Customer-facing interface has two-factor authentication process in place. On the Information Security aspect, your Bank has rolled out Data Leakage Prevention (DLP) solution to protect the sensitive data pertaining to it and customers from being misused. Your Bank's Data Centre as well as Disaster Recovery Centre is certified with ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank has also setup a Near-DR site to ensure zero data loss for critical transactions. The Information Security Steering Committee of your Bank provides directions for mitigating operational risk in the information systems.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

The Human Resource (HR) strategy in your Bank has been framed to effectively align the business requirements with various HR policies pertaining to recruitment, deployment, training, talent retention and motivational strategies so as to seamlessly support achievement of your Bank's vision and mission. In this direction, your Bank has been making constant efforts to encourage its employees to deliver excellent standards of performance by incentivising performance and also taking various employee welfare measures to provide a better work–life balance.

Manpower

As on March 31, 2016, your Bank had total staff strength of 17,570. The category-wise break up of employees is given below:

Category	Total
Officers	14,999
Executives	631
Clerical	1,024
Sub-Staff	916
Total	**17,570**

Due to effective manpower planning and judicious recruitment, your Bank has an excellent team of officers whose average age is around 33 years.

Recruitment and Staffing

Your Bank's annual manpower assessment takes in to consideration the number of superannuating/ voluntarily retiring officers, the number of resignations, branch expansion and business growth. Accordingly, your Bank appointed 1,584 officers, 444 Executives and 2 clerks (appointed on compassionate ground) during the year. Out of these, 335 belong to Scheduled Castes (SCs), 294 belong to Scheduled Tribes (STs) and 762 belong to Other Backward Classes (OBCs). Furthermore, 44 individuals are Persons with Disabilities.

Your Bank recruited officers in Grade 'A' through common recruitment process for all Public Sector Banks (PSBs) conducted by Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Executives through a separate recruitment process through IBPS route on standalone basis. Further, your Bank has also recruited, through a separate recruitment process, four dedicated and professionally qualified Officers in grade 'B' as Security Officers for taking care of security related matters.

IDBI Manipal School of Banking

In May 2015, your Bank has extended the Memorandum of Understanding (MoU) with Manipal Global Education Services Pvt. Ltd., Bengaluru, under which students are enrolled for one year Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) which works on the model of 'Train, Recruit and Induct'. During the year, your Bank had recruited 415 candidates as Assistant Managers on successful completion of the course. Currently, more than 400 candidates are on-board pursuing PGDBF in two batches and they would be inducted in your Bank in due course.

Reservation Policy

Your Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government of India. Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for SC/ ST/ PWD and OBC, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.

Representation of SC/ ST/ OBC in the total manpower strength as on March 31, 2016 is as under:

Category	**SC**	**ST**	**OBC**
Officers	2,090	803	3,436
Executives	69	35	188
Clerical	119	35	83
Sub-staff	209	74	172
Total	**2,487**	**947**	**3,879**

Training and Development

Your Bank continues to place utmost importance on the development of its employees. Your Bank has conducted 830 in-house programmes for 17,181 participants. Your Bank has also nominated 379 officers for external domestic training programmes and 32 officers for external foreign training programmes. Your Bank continues to impart 180 days induction training program for officers in Grade A, which includes classroom training as well as on-the-job training. Similarly, your Bank continues to impart 17 days of classroom training to the Executives posted to its retail banking vertical.

Your Bank has conducted focussed programme on women empowerment, viz. 'Unnati', to enable women employees to develop necessary attributes for taking up leadership position in the organisation, while ensuring work life balance. Under this programme, 844 women employees were trained during the year.

In line with regulatory directives, your Bank has conducted trainings and workshops on customer service in order to develop further a customer centric approach and provide effective and efficient customer service. Workshops were also held on KYC/ AML to update the officers on the latest rules and regulations in this area. Besides this, your Bank continues to nominate senior officers for programmes on general management and strategic leadership conducted by Indian Institute of Managements (IIMs) at various locations while middle management level officers are nominated for other Management Development Programmes.

Your Bank continues to give thrust on e-learning. In this direction, your Bank has also launched a robust Learning Management System, viz. OJAS, to facilitate e-learning and provide online certifications, which will include self-nomination, mandatory module completion along with the entire gamut of operational aspects of training.

Succession Planning

As a strategy towards succession planning for critical/ key positions in your Bank, critical positions in senior management level have been identified to maintain organisational performance and achieve long-term business goals. In this direction officers in junior and middle management level have been identified as potential successors. Through Assessment Development Centres exercise, the fitments of these officers into the succession matrix and development initiatives, viz. workshops, on-the-job projects, etc. to hone critical competencies are in progress.

Group Life Insurance Scheme (GLIS)

With a view to mitigate hardship of a deceased employee's family, your Bank has extended a Group Life Term Insurance

Policy for all permanent employees covering beyond the age of superannuation till completion of 70 years. Under the scheme, your Bank contributes 50% of the annual premium amount while the balance 50% of the amount is borne by the employees. Beyond the age of superannuation, retiring employees have the option to continue with the scheme by paying the full premium amount.

IDBI Bank Officers Study Scheme (IBOSS)

As a talent retention measure, your Bank has introduced IBOSS for officers to pursue higher education at reputed institutions, either in India or abroad. This encourages meritorious officers to enhance their professional development. Under the scheme, education loans are granted to selected officers. On completion of the course, the loan is waived subject to compliance of certain terms and conditions.

Incentive Scheme

Your Bank has put in place Performance Linked Cash Incentives Scheme on the lines of the directives of the Government of India, to motivate its top performing employees.

Flood Relief Advance

Your Bank has extended interest free flood relief advances to the employees affected by devastating floods in Tamil Nadu.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With an objective of creating awareness about the POSH among the employees, an interactive audio/ video enabled e-learning module has been hosted on your Bank's intranet.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Your Bank has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Your Bank has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment. During 2015-16, your Bank received 2 (two) complaints which were inquired into by it, out of which 1 (one) complaint has been resolved. As on March 31, 2016, a total of 4 (four) complaints were pending, which included 1 (one) pending complaint pertaining to 2015-16 and 3 (three) complaints (pending due to court interventions) pertaining to previous years.

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has been largely cordial during the year with most of the issues having resolved amicably. A section of IDBI Bank's officers / workmen under the banners of various unions/ associations had given strike calls on November 27, 2015 and from March 28 - 31, 2016, against the Government's statement of having an option of dilution of its shareholding below 50% in the Bank. Despite the conciliation proceedings convened by Regional Labour Commissioner (Central), the unions/ associations proceeded with the strike action on these days. However, no untoward incidents were reported and your Bank managed to keep close to 50% branches/ offices open and all ATMs and other alternate channels were available for uninterrupted customer service on the strike days. Further, in order to minimise the disruption in the Bank's business and inconvenience to its customer due to the four days strike call given by unions/ associations, your Bank had also ensured that all branches and offices remained opened for public for the full day on March 26, 2016 (Saturday), which otherwise was a bank holiday.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit Department which carries out regular audit of various activities undertaken by different business/ support verticals, zonal offices, regional offices and branches. Audits are conducted under the guidance and supervision of the Audit Committee of Board (ACB). The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. Your Bank has adopted Risk-Based Internal Audit as its strategy in line with the Reserve Bank of India guidelines and guidelines issued by the Government of India on Internal and Concurrent Audits.

Your Bank has an experienced in-house Information System (IS) Audit team in place, as part of internal audit mechanism, to address technology and IT related security issues commensurate with the nature and complexities of the operations. Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive Concurrent Audit System to supplement its internal audit function. To achieve continuous improvement in the quality of its credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place. The system broadly captures compliance with your Bank's policies in the areas of credit appraisal, sanction of loans and credit administration. Internal Audit function is adequately supported by Zonal Audit Offices (ZAOs), an in-house web-based Audit Management System (AMS) and an Off-site Alerts Management System (OMS).

Your Bank has also put in place a Risk Based Management Audit (RBMA) to review and report the control environment as a whole, in terms of reliability of the management function, safeguarding of assets and compliance with rules and regulations.

Your Bank evaluates, on a continuous basis, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies and procedures and suggests measures to

strengthen and streamline control for addressing various risks. Keeping this in mind, your Bank reviews its Risk Based Internal Audit Policy, Concurrent Audit Policy and Information Security Audit Policy on an annual basis.

There exists proper co-ordination among Audit Department, Operation Risk Department and other operational wings for enhancing operational efficiency and fine-tuning of the processes. Emphasis is placed on benchmarking the Bank's practices and procedures in an endeavour to migrate to the best practices in the industry. The Audit Committee of the Board, the Audit Committee of Executives and the Zonal Audit Committees review the performance on continuous basis, give directions to the internal audit functionaries and review effectiveness of internal control systems, as also compliance with regulatory guidelines.

Fraud Management System

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) under the Internal Audit Department. A Fraud Review Council (FRC) has been constituted to monitor and review all frauds to identify systemic lacunae, if any, and initiate corrective measures, monitor progress of investigations and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent recurrence of frauds. These actions include strengthening of internal controls and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been put in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department is operational at your Bank's Head Office to carry out investigation into vigilance related complaints and suggest corrective measures to the top management for reducing deficiencies, if any, in the control systems and laid down procedures, apart from giving suggestions on quantum and type of penalties with regard to vigilance related disciplinary action cases. Your Bank has implemented the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) for improving vigilance administration, and has put in place a system wherein complaints received from the public/ any other sources are attended to promptly.

A Vigilance Department site is hosted on the Intranet of your Bank, which provides an overview of the Vigilance Department, Format of Standard Notice of CVC to be displayed at all the branches/ offices of your Bank, Important Circulars/ Guidelines issued from time to time by CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC and the Bank, and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst officers.

During the year, surprise vigilance visits were made to various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid down systems and procedures and suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary.

With a view to spread vigilance awareness among employees of your Bank, numerous interactive workshops and talks/ presentations on vigilance awareness with focus on preventive and participative vigilance were organised during the year. During the aforesaid events, due emphasis was laid on the need for preventive vigilance to be exercised by all the staff members in their day-to-day work of their own volition as also how vigilance awareness helps in achieving the larger goal of organisational efficiency.

Vigilance Awareness Week was observed by your Bank during October 26-31, 2015 at its Head Office, its Zonal Offices and all branch offices to sensitise the employees about evils of corruption. On this occasion, your Bank released a Special Journal for the benefit of its staff members.

In order to have a quick and ready reference of the latest instructions/ guidelines/ directives from the Central Vigilance Commission (CVC), Government of India – Ministry of Finance (MoF), Reserve Bank of India and the Bank, relating to vigilance matters as also procedures for vigilance activities, your Bank had prepared a Vigilance Manual. The same has been updated with the latest instructions of CVC, MoF, etc. in the matter issued up to March 31, 2016.

Regulatory Compliance

Your Bank has taken adequate steps to ensure compliance with various statutory and regulatory stipulations and guidelines. Your Bank has a dedicated Compliance Department, which is headed by a senior official designated as Chief Compliance Officer, to oversee compliance related activities. The scope of the compliance function of your Bank extends to ensuring compliance to statutory and regulatory norms as well as its internal guidelines.

A Compliance Policy for the Bank was adopted by the Board as per the Reserve Bank of India guidelines. The Policy is reviewed annually. The role and responsibility with regards compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. A well-established reporting system exists to ensure compliance of regulatory and statutory compliance through self-certification process by which compliance certificate is submitted to the Board of Directors. The Audit Committee of the Board (ACB) and the Board are apprised at monthly/ quarterly intervals about important communications/ guidelines received from the Reserve Bank of India.

Right to Information Act

Your Bank has designated 24 Central Public Information Officers (CPIOs) to respond to applications on various

functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications received under the RTI Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as an Appellate Authority for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer has been appointed for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link on the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com).

Progressive use of Hindi

Your Bank continued to adhere to the directives and complement the initiatives of the Government of India to promote the use of Hindi in the conduct of its business. In this regard, concerted efforts were made to achieve the targets stipulated for the Departments at Head Office and branches of your Bank.

A large number of initiatives which involve customer interface are provided in Hindi. These initiatives include bilingual display (in Hindi and English) of instructions in ATMs, generation of ATM transaction slips in both languages and display of information on the Bank's website in Hindi and English. Your Bank has also facilitated staff to increase use of Hindi in their official work by creating template letters, forms and other relevant reference material in bilingual form - in Hindi and English – along with bilingual dictionaries on its intranet site. In order to progressively ramp up the usage of Hindi, a series of Rajbhasha Awareness Programmes were organised in all the regions of your Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language Implementation and use of Hindi Unicode. A number of in-house campaigns were launched across regions to encourage and recognise initiatives taken by the staff for promoting the use of Hindi in your Bank.

Your Bank's endeavour to accelerate the application of Hindi in its operational domain found due recognition in various forums during the year. Your Bank was awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar for commendable use of Official Language in Region 'B' by the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee. Your Bank also received the Rajbhasha Shield for the same region from the Governor of Reserve Bank of India, Shri Raghuram Rajan, for commendable performance in the use of Hindi during the year. Further, your Bank and its officials received appreciation from Town Official Language Implementation Committee's (TOLIC) Pune, Mumbai and Dehradun chapters for propagating the use of Hindi within the organisation. The Drafting and Evidence Sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language commended the efforts made by your Bank in implementing the Official Language Policy. The Bank's in-house quarterly Hindi magazine 'Vikas Prabha' received commendation and awards from ABCI in two categories as also the coveted 'Best in-house Hindi magazine' citation from Ashirvaad, a renowned cultural and literary group.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in its quest for being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on excellent customer service and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions. Your Bank continued its drive towards improvement in service quality across all customer touch-points.

The Customer Service Committee of the Board and the Standing Committee on Customer Service, which reports to the former, ensures that Customer Service and Complaints Management matters receive utmost attention.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank, which is ISO 9001:2008 certified, deals with complaints management through assorted modes. Your Bank has taken various steps to improve the effectiveness of its grievance redressal mechanism across delivery channels by using integrated complaint management software which facilitates recording, monitoring and timely resolution of all the grievances/ complaints received through the assorted modes. To ensure uninterrupted service to its customers, your Bank has recently inaugurated another full-fledged Call Centre at Hyderabad in addition to its Call Centre in Belapur, Navi Mumbai.

With an objective of further enhancing the customer experience, your Bank has taken up several new measures as also improvements in existing systems and processes. These include (i) introduction of missed call facility to obtain account balance and mini statement; (ii) introduction of an online module enabling end-to-end tracking and quicker execution of customer requests; (iii) strengthening of existing grievance redressal mechanism by introducing web-based escalation of complaints through the Bank's website; and (iv) creating customer awareness by promoting safe banking tips and BCSBI codes through the Bank's official social media channels and Interactive Voice Response (IVR) system of the Bank's phone banking channel.

Your Bank is a member of the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises. Your Bank's commitment and compliance with the BCSBI codes has been rated as 'High' with a total score of 85 as per the BCSBI Code Compliance Rating 2015. Even in the previous rating, your Bank was rated as 'Above Average' with a total score of 81. The improvement in your Bank's rating is a reflection of its commitment to provide seamless customer service.

Information Technology

Your Bank has continued to proactively leverage its proven IT prowess to offer a wide array of financial services and products, embedded with the latest technology and security features, to address the felt needs of its customers and further their banking convenience. In an endeavour to provide unique experience to its customers, your Bank has been bringing in newer technologies and introducing efficient products, services and systems, ensuring secured environment backed by proven and innovative technologies for its customers to feel comfortable while transacting. These technological innovations not only improve operational convenience but also enhance efficiency and security of the systems and processes. In an effort to professionally operate and manage various technology initiatives, your Bank has an in-house IT department and an IT subsidiary which gives focussed attention to its IT-related requirements.

Your Bank continued to leverage its IT prowess by enabling 100% computerisation of its branches to improve the banking experience of the customer. Your Bank has Tier 3 Data Centres with all the security measures in place and has also obtained ISO-27001 (2013) Security Certification for its Data Centre and Disaster Recovery Centre.

As a green initiative, your Bank has implemented the Server Virtualisation technology to achieve dynamic reallocation of resources with lower energy consumption.

Your Bank's primary objective is to serve its customers by providing seamless and uninterrupted banking services. Your Bank has, therefore, adopted global standards in maintaining business continuity with BS-25999 Certification for Business Continuity Management. As part of its continuing IT agenda for enhancing customer safety and delight and scientifically mining customer needs and profiles, your Bank has simultaneously initiated several critical projects, which have relatively long-gestation period, such as Enterprise-wide Data Warehouse Solution and Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution. Your Bank is in the process of upgrading its Core Banking Solution (CBS) to leverage the technological advancement for enhanced and delightful customer experience.

Your Bank has received an Achievement Award for being the first Public Sector Bank (PSB) to adopt High QoS VPN concept, High Bandwidth Services on HX VSAT. Your Bank also won four IBA Banking Technology Awards in the Medium Bank Group.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) for centralised services such as TDS on interest on term deposits, production and delivery of cards, pin mailers, cheque books, account statements and other deliverables to customers, Demat Account Opening etc. Similarly, your Bank has state-of-the-art Regional Processing Units (RPUs) for opening of Savings Bank Account, Current Account and Fixed Deposit Account. The RPUs are located at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad. The CPU and RPUs ensure enhanced and uniform controls at the time of opening accounts from KYC and AML point of view, reduction in Turnaround Time (TAT) and savings in cost. CPU and all the 6 RPUs are certified under ISO 9001-2008 Quality Certificate. During the year, your Bank has been appreciated by Income Tax Department for being the first bank to successfully integrate with the website of CPC (TDS), TRACES.

Your Bank extends payment and collection of paper-based instruments and electronic clearing instruments through its 17 Central Clearing Units (CCUs) present pan-India. There are 3 grids for handling clearing activities through Cheque Truncation System (CTS) at Chennai, Delhi and Mumbai. The clearing activities have been migrated to CTS in all 3 grids and the transition was very smooth and according to the schedules proposed by the Reserve Bank of India and National Payments Corporation of India (NPCI). The concept and need for location-specific CCUs had become obsolete in view of changed scenario from Magnetic Ink Character Recognition (MICR) to CTS clearing. Your Bank has merged 12 location-specific CCUs with 3 grid centre CCUs with a view to reduce cost of establishment, administration, operations and to increase co-ordination and efficiency.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to operating staff about their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services etc. Your Bank has provided various solutions like Locker Management Software, e-Registers, e-Reports and other solutions aimed at improving customer service.

Your Bank is fully compliant with regulatory directions for periodical transfer of amounts to Depositor Education Awareness Fund Scheme, 2014. A nodal 'Domestic Payment and Remittance Services section' has also been set up for formulating and issuing comprehensive policy guidelines and for controlling and monitoring operational activities of all payment and remittance services in your Bank. Your Bank has also set up an exclusive operational unit, namely, Electronic Transaction Processing Centre (ETPC) to handle Electronic Payments through various modes such as Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Fund Transfer (NEFT), National Automated Clearing House (NACH), Electronic Clearing Service (ECS), Aadhaar Payment Bridge System (APBS), Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)

and Direct Benefit Transfer (DBT) so as to ensure better co-ordination of operations, increase efficiency of service delivery and quick resolution of queries and complaints.

Your Bank is at the forefront in the industry in ensuring Clean Note Policy of the Reserve Bank of India. Your Bank has 12 state-of-the-art Currency Chests (CCs) located across the country. These CCs process cash from all the linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank appreciates the importance of CSR activities in creating a meaningful and lasting improvement in the lives of the marginalised sections of the society. Your Bank views its CSR interventions as an investment in building corporate reputation, employee engagement and innovation. Your Bank has put in place a Board approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Companies Act, 2013.

During 2015-16, your Bank funded 20 CSR interventions. Through diverse CSR activities in various areas as stipulated in the Companies Act 2013, your Bank, inter alia, contributed towards promotion of healthcare, improved access to health services and sanitation facilities, advancement of vocational and employable skills, enhancement of livelihood opportunities for disadvantaged strata of the society, supplementing environmental sustainability and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

Furthermore, in order to assist local government's efforts to provide relief measures to the populace stranded at the flood-affected areas of Tamil Nadu, your Bank contributed to 'Chief Minister's Public Relief Fund - Tamil Nadu'. Your Bank also contributed to Government funds for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen, war widows and their dependents.

As recognition of these efforts, your Bank received the Lions CSR Precious Award 2016 for its exemplary work in the field of social service. Your Bank also received the 5th Annual Greentech CSR Award for the year 2015-16 in the Platinum category for its Water, Sanitation and Health (WaSH) project being implemented in 400 schools across Uttar Pradesh and Maharashtra.

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
2री मंजिल, कपूर हाउस,
परांजपे 'बी' स्कीम रोड नं. 1,
विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
सनदी लेखाकार
15/17, राघवजी, 'बी' बिल्डिंग,
राघवजी रोड,
कैंप्स कॉर्नर के पास, मुंबई 400 036

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्य,

हमने 1 अप्रैल 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के सूचीबद्धता करार (सूचीबद्धता करार) के खंड 49 में यथा निर्धारित रूप में और 1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 15 (2) में यथा उल्लिखित अनुसार सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सूचीबद्धता विनियमन) के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

सूचीबद्धता करार/ सूचीबद्धता विनियमन, जो भी लागू हो, में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार/सूचीबद्धता विनियमन, जो भी लागू हो, में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

कृते **मुकुंद एम चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

ह./-
अभय वी. कामत
साझेदार (स. सं.- 039585)

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045

ह./-
निलेश आर. जोशी
साझेदार (स. सं.- 114749)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग आदि बैंक के अन्य नीतिगत दिशानिर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल :

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (सूचीबद्धता विनियम) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2016 को बैंक के बोर्ड में सात निदेशक थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एमडी एवं सीईओ), उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), एक गैर-कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे. 31 मार्च 2016 को बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ और श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, केंद्र सरकार की नामिती तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स तथा श्री ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल रहे. संस्था अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट बोर्ड में 13 निदेशकों की कुल संख्या की तुलना में वर्तमान में सात निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का अन्य निदेशक से संबंध नहीं है.

निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान बोर्ड की कुल 12 बैठकें हुईं, जो 01 मई 2015, 26 मई 2015, 29 जून 2015, 15 जुलाई 2015, 12 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2015, 30 सितंबर 2015, 04 नवंबर 2015, 16 दिसंबर 2015, 12 फरवरी 2016, 19-20 फरवरी 2016 (रणनीति बैठक) और 22 मार्च 2016 को संपन्न हुईं. इनमें से 01 मई 2015, 29 जून 2015, 15 जुलाई 2015 तथा 19-20 फरवरी 2016 को हुई चार बैठकें नई दिल्ली में और अन्य सभी बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं.

बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता के ब्योरे तालिका 1 में दिए गए हैं.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महासभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 12)	12 अगस्त 2015 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी/एसआरसी सदस्यता/ (अध्यक्षता)
1	2	3	4	5
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [14.08.2015 से] (डीआईएन-07266945)	7 (7)	लागू नहीं	5 (5)	0
श्री एम.एस. राघवन, सीएमडी [30 जून 2015 तक] (डीआईएन-05236790)	3 (3)	लागू नहीं	6 (5)	0
श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732)	12 (12)	उपस्थित	3 (3)	2 (0)
श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक [13 अगस्त 2015 तक] (डीआईएन-00292670)	5 (5)	उपस्थित	1 (1)	0
गैर-कार्यपालक निदेशक				
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173)	9 (12)	उपस्थित नहीं	2 (2)	2 (0)
स्वतंत्र निदेशक				
श्री पी.एस. शेनॉय [29.07.2015 तक] (डीआईएन -00108547)	4 (4)	लागू नहीं	3 (3)	3 (1)
श्री एस. रवि (डीआईएन - 00009790)	12 (12)	उपस्थित	11 (8)	5 (3)
श्री निनाद कर्पे (डीआईएन - 00030971)	11 (12)	उपस्थित	5 (2)	2 (1)
श्री पंकज वत्स (डीआईएन - 06712380)	12 (12)	उपस्थित	0	0
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी [28.08.2015 से] (डीआईएन - 00603925)	5 (6)	लागू नहीं	1 (1)	0

कॉलम 4 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता और कॉलम 5 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

अ. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल सोलह समितियां हैं, अर्थात्:

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- कारोबार समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- जोखिम प्रबंध समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2016 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) में एक कार्यपालक निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (डीएमडी), एक सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों सहित कुल छह सदस्य थे. श्री एस. रवि, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स और श्री ज्ञान प्रकाश जोशी इसके अन्य सदस्य थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के साथ पठित विनियम 18 के अनुरूप हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

लेखापरीक्षा समिति के अधिकार

i. विचारार्थ विषयों के अंतर्गत किसी भी कार्यकलाप की जांच-पड़ताल कर सकती है;

ii. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांग सकती है;

iii. जहां कहीं आवश्यक हो बाहरी कानूनी या व्यावसायिक सलाह ले सकती है;

iv. आवश्यक समझे जाने पर संबद्ध क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है.

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका

1. वित्तीय विवरणों की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटीकरण का निरीक्षण करना;

2. बैंक के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गईं किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन करना;

4. वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले मुख्यतः निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

   क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (सी) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जाने वाले ऐसे विषय जो बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे;

   ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा उनके कारण;

   ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

   ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता तथा अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;

   च. किसी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण;

   छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत.

5. बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

6. निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/ अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रॉस्पेक्टस/ नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई निधियों के विवरण तथा सार्वजनिक या अधिकार निर्गम से प्राप्त राशि के उपयोग की निगरानी के लिए निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफ़ारिशें करना.

7. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

8. सम्बद्ध पक्षों के साथ बैंक के लेन-देनों का अनुमोदन करना;

9. अंतर-कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करना;

10. जहां कहीं भी आवश्यक हो, बैंक के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन करना;

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;

12. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

13. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना व्याप्ति और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवधिकता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

14. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

15. आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण स्वरूप की संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता संबंधी मामलों पर किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस मामले की रिपोर्ट करना;

16. लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और साथ ही महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात् विचार-विमर्श करना;

17. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों का पता लगाना;

18. सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना;

19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (अर्थात् पूर्णकालिक वित्तीय निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्य का प्रमुख हो या उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हो) के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना;

20. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना.

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

1. प्रबंधन से विचार-विमर्श तथा वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों का विश्लेषण;

2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशेष महत्व वाले संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार);

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र/ आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधी पत्र;

4. आंतरिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

5. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पद से हटाना और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के अधीन होंगी;

6. विचलनों का विवरण:

    क. विनियम 32(1) के निबंधनों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन(नों) का तिमाही विवरण.

    ख. विनियम 32(7) के निबंधनों के अनुसार ऑफर दस्तावेज़/ प्रॉस्पेक्टस/ नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान एसीबी की बारह बैठकें हुईं. ये बैठकें 1 मई 2015, 26 मई 2015, 28 जुलाई 2015, 12 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2015, 30 सितंबर 2015, 04 नवंबर 2015, 24 नवंबर 2015, 16 दिसंबर 2015, 29 जनवरी 2016, 12 फरवरी 2016 तथा 15 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

2. कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी) का गठन कार्यसूची की कुछ मदों की अभिपुष्टि/ अनुमोदन करने के अतिरिक्त समीक्षा और रिपोर्टिंग मदों पर गहन चर्चा और बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गईं सूचनार्थ मदों पर चर्चा करने के लिए किया गया है. बोर्ड बीआरसी बैठकों के कार्यवृत्त को नोट करने के दौरान इन मदों पर की गई चर्चाओं पर ध्यान देता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है. इस समिति के कार्यों में समीक्षा मदों (कैलेंडर समीक्षा सहित), जो सूचनार्थ प्रस्तुत की गई हों और जिनमें कोई अनुमोदन/ अभिपुष्टि/ रणनीति और रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत मदें शामिल न हों, पर चर्चा और सचिवीय रिपोर्टिंग से भिन्न रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत मदों पर चर्चा करना शामिल है. 31 मार्च 2016 को बीआरसी में पाँच सदस्य थे जिनमें दो कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक अर्थात् सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, एस.रवि, पंकज वत्स तथा ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान कारोबार समीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं जो 24 अप्रैल 2015, 19 जून 2015, 16 सितंबर 2015, 19 अक्तूबर 2015, 24 नवंबर 2015, 16 जनवरी 2016 और 25 फरवरी 2016 को संपन्न हुईं.

3. कार्यपालक समिति (ईसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड और बीआरसी के अलावा बैंक में कार्यपालक समिति (ईसी) भी कार्यरत है, जो नीतिगत मामलों और खास तौर पर ऐसे मामलों, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, को

छोड़कर ऋणों तथा अग्रिमों के अनुमोदन, संशोधन आदि मामलों पर विचार करती है. यह बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करती है. 31 मार्च 2016 को कार्यपालक समिति में दो कार्यपालक निदेशकों और दो स्वतंत्र निदेशकों सहित चार सदस्य अर्थात् श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एस. रवि और श्री निनाद कर्पे शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 23 बैठकें हुईं. ये बैठकें 10 अप्रैल 2015, 24 अप्रैल 2015, 18 मई 2015, 19 जून 2015, 29 जून 2015, 15 जुलाई 2015, 28 जुलाई 2015, 12 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2015, 16 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2015, 19 अक्तूबर 2015, 6 नवंबर 2015, 24 नवंबर 2015, 14 दिसंबर 2015, 28 दिसंबर 2015, 16 जनवरी 2016, 29 जनवरी 2016, 8 फरवरी 2016, 25 फरवरी 2016, 15 मार्च 2016, 21 मार्च 2016 तथा 29 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

4. अंशधारक संबंध समिति (एसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2016 को बैंक की अंशधारक संबंध समिति में एक कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशकों सहित तीन सदस्य थे. श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक तथा श्री एस. रवि समिति के सदस्य थे. इस समिति का गठन शेयरधारकों तथा बांडधारकों एवं निवेशकों के शेयर-अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने, घोषित लाभांश प्राप्त नहीं होने आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है. यह समिति सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान एसआर समिति की चार बैठकें हुईं जो 19 जून 2015, 16 सितंबर 2015, 28 दिसंबर 2015 तथा 29 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

5. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

धोखाधड़ी का पता लगाने, उसपर निगरानी रखने और उससे निपटने के लिए धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. 31 मार्च 2016 को समिति में पाँच सदस्य अर्थात् सर्वश्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, एस. रवि, निनाद कर्पे तथा ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) की कुल छह बैठकें हुईं जो 18 मई 2015, 28 जुलाई 2015, 29 सितंबर 2015, 6 नवंबर 2015, 16 दिसंबर 2015 तथा 29 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

6. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2016 को बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) में कुल चार सदस्य अर्थात् सर्वश्री एस. रवि अध्यक्ष के रूप में तथा बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, निनाद कर्पे तथा ज्ञान प्रकाश जोशी सदस्य के रूप में शामिल थे. यह समिति बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उनमें कमी लाने का प्रयास और आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करती है. समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा भी करती है. जोखिम प्रबंधन समिति सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 21 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों को भी पूरा करती है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि के दौरान (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें 26 मई 2015, 28 अगस्त 2015, 24 नवंबर 2015 तथा 29 जनवरी 2016 को संपन्न हुईं.

7. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है. 31 मार्च 2016 को समिति में चार सदस्य अर्थात् श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के मुख्य दायित्व हैं :

क. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;

ख. खंड (क) में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और

ग. समय-समय पर बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की दो बैठकें 28 जुलाई 2015 और 24 नवंबर 2015 को संपन्न हुईं.

8. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहकों को कारगर सेवा देने के लिए बैंक द्वारा ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है. यथा 31 मार्च 2016 को समिति में पांच सदस्य अर्थात् श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक, श्री निनाद कर्पे तथा श्री ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 1 मई 2015, 30 सितंबर 2015, 16 दिसंबर 2015 तथा 22 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

9. सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक ने प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) का गठन किया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना, नए उत्पाद शुरू करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना है. इस समिति में तीन सदस्य थे जिसमें आईटी उद्योग से संबद्ध अध्यक्ष श्री निनाद कर्पे तथा अन्य सदस्यों के रूप में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की पाँच बैठकें 19 जून 2015, 15 जुलाई 2015, 28 अगस्त 2015, 19 अक्तूबर 2015 और 16 जनवरी 2016 को संपन्न हुईं.

10. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है. पारिश्रमिक समिति, सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है. 31 मार्च 2016 को इस चार सदस्यीय समिति की अध्यक्ष सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक थीं तथा अन्य सदस्यों के रूप में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

11. नामांकन समिति (एनसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों के 'उपयुक्त व उचित' स्तर का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करने हेतु नामांकन समिति का गठन किया गया है. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सभी शेयरधारकों द्वारा चुन कर किए जाने को देखते हुए उपर्युक्त कार्रवाई की अब आवश्यकता नहीं रह गई है तथापि नामांकन समिति अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 19 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों को पूरा करती है. 31 मार्च 2016 को तीन सदस्यीय नामांकन समिति के अध्यक्ष श्री निनाद कर्पे थे तथा अन्य सदस्यों में श्री एस. रवि और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान नामांकन समिति की एक बैठक 29 जून 2015 को सम्पन्न हुई.

12. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधन संबंधी निम्नलिखित मामलों के लिए मानव संसाधन संचालन समिति का गठन किया गया है :

i. भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां;

ii. कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रतिकर और कैरियर विकास की पहल;

iii. प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार आयोजना; और

iv. मानव संसाधन रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना.

31 मार्च 2016 को समिति में चार सदस्य अर्थात् श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक और श्री एस. रवि शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की सात बैठकें 26 मई 2015, 15 जुलाई 2015, 28 अगस्त 2015, 30 सितंबर 2015, 04 नवंबर 2015, 16 दिसंबर 2015 और 22 मार्च 2016 को संपन्न हुईं.

13. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, ओएल मामलों, डीआरटी मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए वसूली समीक्षा समिति गठित की गई है. यथा 31 मार्च 2016 को समिति में पाँच सदस्य अर्थात् श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक, श्री एस. रवि तथा श्री पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान वसूली समीक्षा समिति की चार बैठकें 26 मई 2015, 28 अगस्त 2015, 24 नवंबर 2015 और 12 फरवरी 2016 को संपन्न हुईं.

14. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित मामलों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की समिति गठित की गई है:

i. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के कार्य-निष्पादन की पूर्ण समीक्षा;

ii. कार्यपालक निदेशकों तथा गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा.

iii. बैंक के प्रबंधन वर्ग और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है.

31 मार्च 2016 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में चार सदस्य अर्थात् श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स और श्री ज्ञान प्रकाश जोशी शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की समिति की एक बैठक 15 मार्च 2016 को संपन्न हुई.

15. असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनबीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 दिसंबर 2014 के परिपत्र के अनुसार 6 फरवरी 2015 को एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों से युक्त असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया. यह समिति उधारकर्ता को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने आदि से संबंधित असहयोगी उधारकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करती है. यथा 31 मार्च 2016 को इस समिति में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री एस. रवि तथा श्री पंकज वत्स सदस्य के रूप में शामिल थे.

16. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी 2015 के परिपत्र के अनुसार 6 फरवरी 2015 को एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों से युक्त इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया. यह समिति उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने इत्यादि से संबंधित इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करती है. यथा 31 मार्च 2016 को इस समिति में श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, श्री एस. रवि तथा श्री निनाद कर्पे सदस्य के रूप में शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016) के दौरान इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति की एक बैठक 29 सितंबर 2015 को संपन्न हुई.

समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2 : समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक)

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		बीआरसी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआरएससी		आरआरसी		आईडीसी		एनबीआरसी		डब्ल्यूडीआरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [14.08.2015 से] (डीआईएन - 07266945)	-	-	5	5	15	15	-	-	4	4	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	5	5	3	3	-	-	0	0	1	1
2	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 05236790) [30 जून 2015 तक]	-	-	2	2	5	5	-	-	1	1	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	0	0	0	0
3	श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन- 00015732)	12	12	7	7	23	21	4	4	6	5	4	4	2	2	4	4	5	5	-	-	-	-	7	7	4	4	-	-	-	-	-	-
4	श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक [13 अगस्त 2015 तक] (डीआईएन 00292670)	-	-	2	2	8	8	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक (डीआईएन - 06478173)	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	0	0	-	-	7	5	4	3	-	-	-	-	-	-
6	श्री पी. एस. शेनॉय [29.07.2015 तक] (डीआईएन -00108547)	3	3	2	2	7	7	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	0	0	1	1	2	2	-	-	0	0	0	0	0	0
7	श्री एस. रवि (डीआईएन- 00009790)	12	12	7	7	23	23	4	4	6	6	3	3	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	5	5	4	4	1	1	0	0	1	1
8	श्री निनाद कर्पे (डीआईएन- 00030971)	12	11	-	-	23	19	-	-	6	5	4	4	2	2	3	3	5	4	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
9	श्री पंकज वत्स (डीआईएन- 06712380)	12	12	7	7	-	-	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	5	5	0	0	1	1	-	-	4	4	1	1	0	0	-	-
10	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी [28.08.2015 से] (डीआईएन- 00603925)	7	7	4	4	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें.
ए - निदेशक ने बैठकों में भाग लिया.

वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का उद्धरण नीचे दिया गया है :

I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उपश्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयरों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	**पंजीकृत कार्यालय:** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 संपर्क विवरण : फोन नं. : 022-6655 3355, 22189111, फैक्स: (022) 2218 0411 वेबसाइट: www.idbi.com
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण.	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032 टेली नं. (040) 67162222 टोल फ्री नं. : 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ईमेल : einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के ब्योरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक/ सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि., तीसरी मंजिल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100%	2(87)
2	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100%	2(87)
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. मफतलाल सेंटर, पांचवीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100%	2(87)
4	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. मफतलाल सेंटर, पांचवीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67%	2(87)
5	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि., एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70%	2(87)
6	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प). मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48%	2(6)
7	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'ए' विंग, चौथी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30%	2(6)
8	एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाइम्स टॉवर, पहली मंज़िल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U72900MH1995PLC095642	सहयोगी	30%	2(6)
9	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, पाँचवीं मंजिल, अणुव्रत भवन, 210 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93%	2(6)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक/ सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
10	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेडफी हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25%	2(6)
11	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. 60,रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14%	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ.	प्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
क)	व्यक्ति/ हिन्दू अविभक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	केंद्र सरकार	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
ग)	राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	कॉरपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च)	अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग (अ) (1)	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
(2)	विदेशी									
क)	एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	कॉरपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ)	अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग (अ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ) = (अ)(1)+(अ)(2)	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
आ.	सार्वजनिक शेयरधारिता									
1.	संस्थाएं									
क)	म्यूचुअल फंड	1126916	100	1127016	0.07	189079	100	189179	0.01	-0.06
ख)	बैंक/ एफआई	17743818	18826	17762644	1.11	18152760	0	18152760	0.88	-0.23
ग)	केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ)	जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च)	बीमा कंपनियां	154703233	0	154703233	9.65	152758141	158769587	311527728	15.13	5.49
छ)	एफआईआई	53567646	2020	53569666	3.34	53325920	2020	53327940	2.59	-0.75
ज)	विदेशी जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ)	अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य वित्त निगम	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0	0
	एनबीएफसी	0	0	0	0	18482	0	18482	0	0
	उप-योग (आ)(1)	**227141613**	**56626**	**227198239**	**14.17**	**224444382**	**158807387**	**383251769**	**18.61**	**4.45**
2.	गैर-संस्था									
क)	कॉरपोरेट निकाय									
i)	भारतीय	18906798	303799	19210597	1.20	17421626	300919	17722545	0.86	-0.34
ii)	विदेशी									

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख)	व्यक्ति									
(i)	₹ 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	86667858	14958633	101626491	6.34	89837993	14452244	104290237	5.07	-1.27
(ii)	₹ 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	21677686	109480	21787166	1.36	22703883	109480	22813363	1.11	-0.25
(ग)	अन्य कोई (निर्दिष्ट करें)									
	समाशोधन सदस्य	548333	0	548333	0.03	2014563	0	2014563	0.10	0.07
	अनिवासी भारतीय	3694042	1687973	5382015	0.34	3626556	1656833	5283389	0.26	-0.08
	सोसाइटियां	0	28960	28960	0	0	28960	28960	0	0
	न्यास	1119742	37440	1157182	0.07	260253	36800	297053	0.01	-0.06
	उप-योग (आ)(2)	132614459	17126285	149740744	9.34	135864874	16585236	152450110	7.41	-1.93
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)= (आ)(1)+(आ)(2)	359756072	17182911	376938983	23.50	360309256	175392623	535701879	26.02	2.52
इ.	जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग (अ+आ+इ)	1586774694	17182911	1603957605	100	1883422458	175392623	2058815081	100	0

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1.	भारत सरकार	1227018622	76.50%	0.00%	1523113202	73.98%	0.00%	-2.52%

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	भारत सरकार	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	1227018622	76.50%	1227018622	76.50%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी (30.12.2015)	296094580	15.58%	1523113202	73.98%
	वर्ष के अंत में	1523113202			73.98%

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	वर्ष के आरंभ में	94731366	5.91	94731366	5.91
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी (क्रय) (23.03.2016)	158761801	0	253493167	7.71
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	253493167	12.31
2.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	17555855	1.09	17555855	1.09
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	17555855	0.85
3.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	वर्ष के आरंभ में	10500000	0.65	10500000	0.65
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	10500000	0.51
4.	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि.	वर्ष के आरंभ में	8057143	0.50	8057143	0.50
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	8057143	0.39
5.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस - 1 ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	7902237	0.49	7902237	0.49
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	7902237	0.38
6.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट मनी प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	6869656	0.43	6869656	0.43
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	6869656	0.33
7.	वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड - एएसईआरआईई	वर्ष के आरंभ में	5806899	0.36	5806899	0.36
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		20.11.2015- बिक्री	174874	0.01	5632025	0.35
		27.11.2015- बिक्री	40804	0.00	5591221	0.35
		04.12.2015- बिक्री	149225	0.01	5441996	0.34
		18.12.2015- बिक्री	32217	0.00	5409779	0.34
		25.12.2015- बिक्री	23860	0.00	5385919	0.34
		31.12.2015- बिक्री	6367	0.00	5379552	0.28
		15.01.2016- बिक्री	42189	0.00	5337363	0.28
		22.01.2016- बिक्री	51030	0.00	5286333	0.28
		29.01.2016- बिक्री	39494	0.00	5246839	0.28
		05.02.2016- बिक्री	111459	0.01	5135380	0.27
		12.02.2016- बिक्री	42455	0.00	5092925	0.27
		11.03.2016 - खरीद	24720	0.00	5117645	0.27
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	5117645	0.25

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
8	मैक्वायरी इमर्जिंग मार्केट एशियन ट्रेडिंग पीटीई लि.	वर्ष के आरंभ में	5324000	0.33	5324000	0.33
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		10.04.2015- बिक्री	24000	0.00	5300000	0.33
		17.04.2015- खरीद	310435	0.02	5610435	0.35
		24.04.2015- बिक्री	568000	0.04	5042435	0.31
		01.05.2015- बिक्री	540000	0.03	4502435	0.28
		08.05.2015- बिक्री	1308000	0.08	3194435	0.20
		15.05.2015- बिक्री	1888000	0.12	1306435	0.08
		22.05.2015- बिक्री	448000	0.03	858435	0.05
		29.05.2015- बिक्री	172000	0.01	686435	0.04
		05.06.2015- बिक्री	160000	0.01	526435	0.03
		12.06.2015- बिक्री	524000	0.03	2435	0.00
		19.06.2015- खरीद	40000	0.00	42435	0.00
		26.06.2015- खरीद	108000	0.01	150435	0.01
		30.06.2015- खरीद	580000	0.04	730435	0.05
		03.07.2015- बिक्री	132000	0.01	598435	0.04
		10.07.2015- खरीद	12000	0.00	610435	0.04
		17.07.2015- खरीद	528000	0.03	1138435	0.07
		24.07.2015- खरीद	608000	0.04	1746435	0.11
		31.07.2015- बिक्री	360000	0.02	1386435	0.09
		07.08.2015- खरीद	871900	0.05	2258335	0.14
		14.08.2015- खरीद	272000	0.02	2530335	0.16
		21.08.2015- खरीद	556000	0.03	3086335	0.19
		28.08.2015- बिक्री	1772000	0.11	1314335	0.08
		04.09.2015- बिक्री	309958	0.02	1004377	0.06
		11.09.2015- बिक्री	484000	0.03	520377	0.03
		18.09.2015- खरीद	192000	0.01	712377	0.04
		25.09.2015- बिक्री	464000	0.03	24877	0.02
		30.09.2015- खरीद	500000	0.03	748377	0.05
		02.10.2015- बिक्री	484000	0.03	264377	0.02
		09.10.2015- खरीद	872000	0.05	1136377	0.07
		16.10.2015- खरीद	728000	0.05	1864377	0.12
		23.10.2015- खरीद	920400	0.06	2784777	0.17
		30.10.2015- खरीद	80100	0.00	2864877	0.18
		06.11.2015- बिक्री	1032000	0.06	1832877	0.11
		13.11.2015- खरीद	368000	0.02	2200877	0.14
		20.11.2015- खरीद	952000	0.06	3152877	0.20
		27.11.2015- खरीद	40000	0.00	3192877	0.20
		04.12.2015- बिक्री	2512000	0.16	680877	0.04
		11.12.2015- बिक्री	16000	0.00	664877	0.04
		18.12.2015- बिक्री	112000	0.01	552877	0.03
		25.12.2015- बिक्री	544000	0.03	8877	0.00
		31.12.2015- खरीद	440000	0.02	448877	0.02
		01.01.2016- बिक्री	264000	0.01	184877	0.01
		08.01.2016- बिक्री	168000	0.01	16877	0.00
		15.01.2016- बिक्री	16000	0.00	877	0.00
		25.03.2016- खरीद	24000	0.00	24877	0.00
		31.03.2016- बिक्री	8000	0.00	16877	0.00
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	16877	0.00

क्र. सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
9	आशीष रमेश कुमार गोयनका	वर्ष के आरंभ में	4813753	0.30	4813753	0.30
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		05.02.2016- बिक्री	375000	0.02	4438753	0.23
		11.03.2016- खरीद	780000	0.04	5218753	0.25
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	5218753	0.25
10	स्विस फाइनेंस कॉरपोरेशन (मॉरिशस) लि.	वर्ष के आरंभ में	4503716	0.28	4503716	0.28
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
		24.04.2015- बिक्री	4000	0.00	4499716	0.28
		08.05.2015- बिक्री	632000	0.04	3867716	0.24
		15.05.2015- बिक्री	344000	0.02	3523716	0.22
		22.05.2015- बिक्री	48000	0.00	3475716	0.22
		29.05.2015- बिक्री	32000	0.00	3443716	0.21
		05.06.2015- बिक्री	60000	0.00	3383716	0.21
		12.06.2015- बिक्री	60000	0.00	3323716	0.21
		19.06.2015- बिक्री	20000	0.00	3303716	0.21
		26.06.2015- खरीद	112000	0.01	3415716	0.21
		10.07.2015- बिक्री	36000	0.00	3379716	0.21
		24.07.2015- खरीद	4000	0.00	3383716	0.21
		31.07.2015- बिक्री	200000	0.01	3183716	0.20
		07.08.2015- खरीद	24000	0.00	3207716	0.20
		14.08.2015- बिक्री	8000	0.00	3199716	0.20
		21.08.2015- खरीद	16000	0.00	3215716	0.20
		28.08.2015- बिक्री	40667	0.00	3175049	0.20
		04.09.2015- बिक्री	1032000	0.06	2143049	0.13
		11.09.2015- बिक्री	312000	0.02	1831049	0.11
		18.09.2015- खरीद	12000	0.00	1843049	0.11
		25.09.2015- बिक्री	132000	0.01	1711049	0.11
		30.09.2015- बिक्री	76000	0.00	1635049	0.10
		16.10.2015- खरीद	78457	0.00	1713506	0.11
		23.10.2015- खरीद	200000	0.01	1913506	0.12
		13.11.2015- बिक्री	13790	0.00	1899716	0.12
		18.12.2015- बिक्री	16000	0.0	1883716	0.12
		25.12.2015- बिक्री	1840000	0.11	43716	0.00
		15.01.2016- बिक्री	40000	0.00	3716	0.00
		25.03.2016- खरीद	72000	0.00	75716	0.00
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	75716	0.00

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [14.08.2015 से] (डीआईएन - 07266945)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
2.	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [30 जून 2015 तक] (डीआईएन - 05236790)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
3.	श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732)	वर्ष के आरंभ में	1,001	0	1,001	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	1,001	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	1,001	0	1,001	0
4.	श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक [13.08.2015 तक] (डीआईएन - 00292670)	वर्ष के आरंभ में	460	0	460	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	460	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	460	0	460	0
5.	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
6.	श्री पी.एस. शेनॉय, स्वतंत्र निदेशक [29.07.2015 तक] (डीआईएन - 00108547)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
7.	श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00009790)	वर्ष के आरंभ में	200	0	200	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	200	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	200	0	200	0
8.	श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00030971)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
9.	श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 06712380)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
10.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक [28.08.15 से] (डीआईएन - 00603925)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक						
1.	श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ सदस्यता सं : A024088	वर्ष के आरंभ में	160	0	160	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	160	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	160	0	160	0
2.	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव सदस्यता सं. F7744	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक् होने की तारीख को)	0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता

(₹ '000 में)

	जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर-जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	10560 38 68	54539 26 92	259835 97 39	3249356299
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	2385 30 32	1019 57 35	869 57 26	42744493
कुल (i+ii+iii)	**12945 69 00**	**55558 84 27**	**260705 54 65**	**329210 07 92**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि	4710 06 64	-	5545 53 89	10255 60 53
• कमी	-	(1507 86 09)	-	(1507 8609)
निवल परिवर्तन	**4710 06 64**	**(1507 86 09)**	**5545 53 89**	**8747 74 44**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	17527 46 46	53064 17 80	265719 83 13	336311 47 39
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	128 29 18	986 80 39	531 25 40	16463497
कुल (i+ii+iii)	**17655 75 64**	**54050 98 19**	**266251 08 53**	**337957 82 36**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक का नाम				कुल राशि (₹)
		श्री किशोर खरात [14 अगस्त 2015 से]	श्री एम. एस. राघवन [30 जून 2015 तक]	श्री बी.के. बत्रा	श्री एम.ओ. रेगो [13 अगस्त 2015 तक]	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	12,89,103.00	6,65,406.00	18,80,702.00	8,58,021.00	46,93,232.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	1,36,386.00	36,000.00	1,73,268.00	41,376.00	3,87,030.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें [साधारण छुट्टी का नकदीकरण]	-	5,22,560.00	-	-	5,22,560.00
6.	छुट्टी किराया रियायत	-	-	1,65,162.00	-	1,65,162.00
	कुल (अ)	**14,25,489.00**	**12,23,966.00**	**22,19,132.00**	**8,99,397.00**	**57,67,984.00**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	-	-	-	-	-

आ) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि (₹)
	स्वतंत्र निदेशक	**श्री पी.एस. शेनॉय**	**श्री एस. रवि**	**श्री निनाद कर्पे**	**श्री पंकज वत्स**	**श्री ज्ञान प्रकाश जोशी**	
	• बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए फीस	2,15,000	11,50,000	9,30,000	6,35,000	3,70,000	33,00,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**2,15,000**	**11,50,000**	**9,30,000**	**6,35,000**	**3,70,000**	**33,00,000**
	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	**सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव**					
	• बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (आ)= (1+2)	**2,15,000**	**11,50,000**	**9,30,000**	**6,35,000**	**3,70,000**	**33,00,000**
	समग्र प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**57,67,984.00**					
	अधिनियम के अनुसार कुल उच्चतम सीमा[1]						

[1] स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. सभी गैर-कार्यपालक/ स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर हैं.

इ) प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		कुल राशि (₹)
		श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ	**श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव**	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	21,80,779.48	18,97,690.07	40,78,469.55
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	4,69,717.03	6,85,013.11	11,54,730.14
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	96,686.00	77,458.00	1,74,144.00
	छुट्टी किराया रियायत	75,000.00	50,000.00	1,25,000.00
	कुल	**28,22,182.51**	**27,10,161.18**	**55,32,343.69**

VII. जुर्माना/दंड/ शमनीय अपराध :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्मानि/ दंड/ शमनीय शुल्क के विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
अ) कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
आ) निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
इ) चूक में अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री पंकज वत्स और श्री ज्ञान प्रकाश जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2016 को घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उल्लेखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निदेशक मंडल द्वारा 29 अप्रैल 2016 को इसे नोट किया गया.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति इसकी वेबसाइट (www.idbi.com) पर प्रदर्शित की गई है.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

बैंकिंग कंपनी होने के कारण ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण विनिर्दिष्ट फॉर्म एओसी-2 में नीचे दिए गए हैं :

एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ करारों, के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	इस प्रकार की संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खों), यदि कोई हो (हों)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
शून्य						

ह./-

किशोर खरात
(डीआईएन - 07266945)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
26 अप्रैल 2016

जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

वर्ष के दौरान सीएसआर नीति तथा उसके कार्यान्वयन संबंधी विवरण

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में विवरण निम्नानुसार हैं:

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ.**

   बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग के जीवन में महत्वपूर्ण, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाने एवं व्यापक रूप से समाज के कल्याण के लिए निरंतर सकारात्मक योगदान देने की इच्छा से संचालित है. अपने सीएसआर कार्यकलापों के संचालन में बैंक का उद्देश्य एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करना, समाज में व्याप्त विभेदों की पहचान करना और

समाज की बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित अंशदान देना, बहुआयामी प्रभाव वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अल्पसुविधा प्राप्त समुदायों के टिकाऊ एवं समग्र विकास के लिए अंशदान करना और सक्रिय मध्यस्थता के जरिए सामुदायिक प्रतिष्ठा अर्जित करना है.

बैंक की सीएसआर नीति अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, खेलों के प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों की मध्यस्थता करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की वेब-लिंक http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:
सीएसआर समिति की संरचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम
1.	श्री किशोर खरात	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2.	श्री बी के बत्रा	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री निनाद कर्पे	स्वतंत्र निदेशक
4.	श्री पंकज वत्स	स्वतंत्र निदेशक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ ₹ 720.64 करोड़ रहा है.

4. विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत): वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए किया जाने वाला सीएसआर व्यय ₹ 14.41 करोड़ है (अर्थात् औसत निवल लाभ का 2%, जो कर घटाकर है परंतु इसमें भारत के बाहर की शाखाओं, चाहे अलग कंपनी के रूप में या अन्यथा परिचालित हों, से उत्पन्न लाभ तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश शामिल नहीं होंगे जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हैं तथा उनके अनुपालन में हैं).

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण :

(क) **वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि:** सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि ₹ 14.41 करोड़ है.

(ख) **व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो:** सीएसआर के तहत व्यय न की गई राशि ₹ 4.97 करोड़ थी.

(ग) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:**

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
1	अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ सामुदायिक व्यवस्थाओं और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए समुदाय सहभागिता और स्वामित्व मॉडल के आधार पर तारु गाँव का 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकास करना.	ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण	अन्य	लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर	3,55,00,000	26,16,323	0	3,52,53,427	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
2	भोजन, आवास, कपड़े, किताबें आदि के व्ययों को पूरा करने के लिए निशुल्क छात्रावास को वित्तीय सहायता	शिक्षा तथा आजीविका वर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	10,50,000	3,15,000	0	10,50,000	एआईएम फॉर सेवा, चेन्नै, तमिलनाडु
3	गरीबों की मोतिया बिंद शल्य चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य सुविधा तथा गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	चेन्नै, तमिलनाडु	12,50,000	3,12,500	0	12,50,000	शंकर नेत्रालय, चेन्नै, तमिलनाडु
4	नामची में डिजाइनर मोमबत्ती तथा अन्य स्थानीय हस्त-शिल्प वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए एक शोरूम की स्थापना और शुरुआती अवधि हेतु परिचालन लागत के लिए सहायता हेतु वित्तीय सहयोग.	शिक्षा तथा आजीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	दक्षिण सिक्किम, सिक्किम	16,90,000	4,80,000	0	10,10,000	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी, असम
5	चुनिंदा 400 ग्रामीण विद्यालयों में पानी, सैनिटेशन और स्वच्छता (वाश) सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता	i) ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण ii) स्वास्थ्य सुविधा तथा गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	लातूर, महाराष्ट्र और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	2,67,04,545	1,30,68,182	0	2,67,04,545	यूनिसेफ, नई दिल्ली
6	दारूथेंगा में ग्रामीण युवा केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता.	i) शिक्षा तथा आजीविका वर्धन को बढ़ावा देना ii) ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण	अन्य	खुर्दा, ओड़िशा	22,51,170	6,88,378	0	22,51,170	साई आनंदम ट्रस्ट, भुवनेश्वर, ओड़िशा
7	चुनिंदा गाँवों में जलवायु दक्ष जल प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता.	पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना	अन्य	कांचीपुरम, तमिलनाडु	14,25,000	7,12,500	0	14,25,000	सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर चेंज, चेन्नै, तमिलनाडु
8	अशक्त व्यक्तियों के लिए टिकाऊ रोजगार अवसरों के सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई उनकी "कागजी लिफाफा निर्माण परियोजना" हेतु पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता.	शिक्षा तथा आजीविका वर्धन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	4,75,000	2,37,500	0	4,75,000	नेशनल असोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइजेज, मुंबई, महाराष्ट्र
9	आमकोटा गाँव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना.	ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण	अन्य	मोरीगाँव, असम	35,55,200	10,58,000	0	26,15,050	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी, असम
10	इसाबेला थोबर्न कॉलेज में रेनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजना के लिए वित्तीय सहायता.	पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	7,69,000	3,84,500	0	7,69,000	इन्टरनेशनल अकैडमी ऑफ एनवायरनमेंटल हेल्थ एंड पब्लिक सैनिटेशन, नई दिल्ली

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गई राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
11	टेरी के 'लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता जिसके तहत चार राज्यों के चुनिंदा 5000 घरों को सोलर लायटिंग सिस्टम उपलब्ध कराये गए.	i) पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना ii) ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण	अन्य	उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिले	2,52,72,500	1,76,90,750	0	2,27,45,250	दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
12	समूचे भारत में आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के निकट स्थित ग्रामीण विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता तथा स्वच्छ भारत कोष में अंशदान.	i) ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण ii)स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जिलों में	8,60,22,146*	1,71,44,378	0	8,60,22,146	प्रत्यक्ष सहायता
13	ठाणे, कल्याण और भिवंडी के आसपास के क्षेत्रों में आजीविका एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता.	शिक्षा तथा आजीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	ठाणे, महाराष्ट्र	15,00,000	7,50,000	0	15,00,000	उरीवि विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली
14	दो गाँवों यथा- वाराणसी जिले के सुजाबाद और चंदौली जिले के भभौरा में सीएसआर कार्यकलाप.	ग्रामीण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण	अन्य	वाराणसी और चंदौली, उत्तर प्रदेश	3,00,00,000	2,00,00,000	0	2,00,00,000	केंद्रीय लोक कार्य विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
15	दवा रोधी टीबी मरीजों को पोषक आहार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता.	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	47,16,343*	47,16,343	0	47,16,343	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई, महाराष्ट्र
16	सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत करनाली पंचायत के चार गाँवों में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता.	शिक्षा तथा आजीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	वड़ोदरा, गुजरात	60,75,000	9,95,436	0	9,95,436	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
17	भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सशस्त्र सैन्य बल फ्लैग दिवस निधि में अंशदान.	सशस्त्र सैन्य बल के सेवा-निवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी उपाय	अन्य	अखिल भारत	25,00,000	25,00,000	0	25,00,000	प्रत्यक्ष सहायता
18	राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष-तमिलनाडु में अंशदान.	अन्य (आपदा राहत)	अन्य	तमिलनाडु	1,00,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000	प्रत्यक्ष सहायता
19	एंबुलेंस वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता.	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	पटना, बिहार	4,35,000	4,35,000	0	4,35,000	ग्रामीण स्नेह फ़ाउंडेशन, पटना, बिहार
20	बहुउद्देशीय उपयोग के लिए वैन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता.	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	3,40,000	3,40,000	0	3,40,000	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
कुल					**24,15,30,904**	**9,44,44,790**		**22,20,57,367**	

* निरसन घटाने के बाद निवल राशि

† कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय पता

6. यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को व्यय करने में असफल रहता है तो कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे.

कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक अपनी अधिकांश सीएसआर गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम के रूप में संचालित करता रहा है. मंजूर कार्यक्रमों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के चलते कुछ मामलों में व्यय के लिए वास्तविक राशि परवर्ती वर्षों में खर्च करनी पड़ती है. पिछले वर्ष की ऐसी मंजूरियों में से कुछ मामलों में वर्ष 2015-16 के दौरान (i) परियोजना के लिए सरकारी निधीयन (₹ 3.53 करोड़ का संवितरण रद्द किया गया), (ii) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब (₹ 1.04 करोड़ का संवितरण स्थगित किया गया), (iii) दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब (₹ 0.33 करोड़ का संवितरण स्थगित किया गया), और (iv) मंजूर राशि की तुलना में कम राशि में परियोजना का पूरा कर लिया जाना (₹ 0.40 करोड़ की बचत की गई) जैसे विभिन्न कारकों के कारण संवितरण नहीं किए जा सके हैं. इसके अलावा, मार्च 2016 में मंजूर कुल ₹ 1.79 करोड़ राशि की दो परियोजनाओं के मामले में रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान संवितरण नहीं किया जा सका है.

उपर्युक्त कारणों के चलते बैंक ₹ 9.44 करोड़ की राशि खर्च कर पाया है जो ₹ 14.41 करोड़ के बजट व्यय का लगभग 65.51% है.

7. सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है.

आईडीबीआई बैंक की सीएसआर समिति घोषित करती है कि सीएसआर नीति और इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी अक्षरशः कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में है.

ह./-
किशोर खरात
(डीआईएन - 07266945)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
27 मई 2016

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की समिति ने दिनांक 15 मार्च 2016 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 29 अप्रैल 2016 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के सभी निदेशकों (एमडी एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशक तथा सरकारी निदेशक को छोड़कर जिनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है) के कार्य-निष्पादन, अपने कार्य-निष्पादन के साथ-साथ बोर्ड की समितियों के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन किया. बोर्ड द्वारा जिन निदेशकों का मूल्यांकन किया गया ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त होने और त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवासमाप्ति	दिनांक
श्री किशोर खरात	भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना एफ. सं. 4/2/2015-बीओ. आई द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त	14.08.2015
श्री एम. एस. राघवन	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा समाप्ति	30.06.2015
श्री एम. ओ. रेगो	14 अगस्त 2015 से बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप डीएमडी के रूप में सेवा समाप्ति	14.08.2015
श्री पी. एस. शेनॉय	70 वर्ष की आयु पूरी करने पर और बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 116 ए (i) के साथ पठित अंतर्नियम 116 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रारंभिक चार वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के फलस्वरूप निदेशकता की समाप्ति	29.07.2015
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	निदेशक मंडल द्वारा 28 अगस्त 2015 को सम्पन्न अपनी बैठक में बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए	28.08.2015

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवासमाप्ति	दिनांक
	शून्य	

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की बनने वाली या न रहने वाली सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के नाम

सहायक कंपनियों के नाम	बनने वाली/न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

सहयोगी कंपनियों के नाम	बनने वाली/न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

संयुक्त उद्यमों के नाम	बनने वाली/न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अधीन शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों के विवरण जो इस अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में शामिल नहीं हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार इस उप-धारा का कोई भी अंश बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा, अतः उपर्युक्त विवरण के प्रकटन की अपेक्षा आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं है.

चालू प्रतिष्ठान स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सार्थक और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया गया जो आईडीबीआई बैंक की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और भविष्य में बैंक के परिचालनों को प्रभावित करते हैं.

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित / प्रतिनियुक्त किया गया. इस संबंध में विस्तृत ब्योरे बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत दिए गए हैं:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Familiarisation Programme for Directors

सतर्कता प्रणाली की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता प्रणाली स्थापित की है. सतर्कता प्रणाली पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है. वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया. बैंक

द्वारा सतर्कता प्रणाली नीति इसकी वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत रखी गई है जिसमें सतर्कता प्रणाली की स्थापना के ब्योरे दिए गए हैं:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Policy on Vigil Mechanism

महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 49 की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत दी गई है:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Policy for determining material subsidiaries

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बनाई है.

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Policy on Related Party Transactions

व्यापक रूप से सूचीबद्ध संस्था के हितों से संभावित टकराव वाले भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने भौतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई संबद्ध पक्ष लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों से किसी प्रकार के टकराव की संभावना हो.

पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों का प्रकटन

बैंक विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है.

लेखांकन व्यवहार का प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन मानदंड में निर्धारित विधियों से अलग कोई भी विधि नहीं अपनायी गई है. अत: इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है.

निदेशकों के पारिश्रमिक

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक, जिनकी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं, के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां सरकार द्वारा तय की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका 3 में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

तालिका 3 : एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार)	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [14.08.15 से] - वेतन ₹ 75,500/- प्रति माह और 125% की दर से ₹ 94,375/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,69,875/- श्री एम.एस. राघवन, सीएमडी [30.06.15 तक] - वेतन ₹ 80,000/- प्रति माह और 113% की दर से ₹ 90,400/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,70,400/- श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक - वेतन ₹ 71,030/- प्रति माह और 125% की दर से ₹ 88,787.50/ महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,59,817.5/- श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक [13.08.15 तक] - वेतन ₹ 68,960/- प्रति माह और 119% की दर से ₹ 82,062.4/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,51,022.4/-
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों, दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का नि:शुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों, दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार.

पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा छह माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	श्री किशोर खरात - भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना सं.एफ.नं.4/2/2015-बीओ.I द्वारा 14 अगस्त 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख 30 सितंबर 2018 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ नियुक्त. श्री एम.एस. राघवन - भारत सरकार की दिनांक 5 जुलाई 2013 की अधिसूचना सं.एफ.नं.4/4/2012-बीओ.I द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 जून 2015 तक की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त. श्री राघवन ने 5 जुलाई 2013 को कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 30 जून 2015 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवा-निवृत्त हुए. श्री बी.के. बत्रा- भारत सरकार की दिनांक 12 जनवरी 2012 की अधिसूचना एफ सं.9/14/2009-बीओ.I द्वारा 13 जनवरी 2012 से अधिवर्षिता की तारीख (31.07.2016) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री एम.ओ. रेगो- भारत सरकार की दिनांक 30 अगस्त 2013 की अधिसूचना एफ सं.7/3/2011-बीओ.I द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री रेगो ने 30 अगस्त 2013 को पदभार ग्रहण किया और बैंक ऑफ इंडिया में एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त होने के कारण दिनांक 14 अगस्त 2015 से उप प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे.

अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹ 20,000/- की बैठक फीस प्रति बोर्ड, ईसी और एसीबी के लिए और बोर्ड समिति की अन्य बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 10,000/- अदा किए गए. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक फीस की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदत्त बैठक फीस (₹)
श्री पी.एस. शेनॉय [29.07.2015 तक]	2,15,000
श्री एस. रवि	11,50,000
श्री निनाद कर्पे	9,30,000
श्री पंकज वत्स	6,35,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी [28.08.2015 से]	3,70,000

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप पारिश्रमिक में लागू वृद्धि सहित भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है. उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू तथा सरकारी क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक में लागू वृद्धि के साथ बैंक द्वारा अपनाए गए सरकारी क्षेत्र के वेतनमानों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन का संबंध बैंक के कार्य-निष्पादन सहित अन्य कारकों से होता है. बैंक ने कोई एफपीओ नहीं जारी किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाज़ार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के शेयरों के बाज़ार मूल्य वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा एमडी एवं सीईओ/ डीएमडी, जो भारत सरकार के अनुसार वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, सहित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 17,570 थी, जिसमें 637 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी थे. इस बात की

भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात और अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुपालन में हैं.

महासभा की बैठकें

(i) वार्षिक महासभा का विवरण

बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 12 अगस्त 2015 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 4 में दिया गया है.

तालिका 4 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

गत तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय.	1) 04 सितंबर 2013 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई-400 018 (बैंक की 9वीं वार्षिक महासभा). 2) 30 जून 2014 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 10वीं वार्षिक महासभा). 3) 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 11वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.	**9वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 04 सितंबर 2013 को संपन्न 9वीं वार्षिक महासभा में (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(ए) के तहत बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने, (ii) बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए गए. **10वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 30 जून 2014 को संपन्न 10वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी बढ़ाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) धन उधार लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. **11वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 12 अगस्त 2015 को संपन्न 11वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए ₹ 20,000 करोड़ तक एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बांड जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतदान के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है	नहीं

(ii) असाधारण महासभा का विवरण

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने दो असाधारण महासभाओं का आयोजन किया. पारित किए गए संकल्पों का संक्षिप्त विवरण तालिका में दिया गया है :

तालिका 5 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की असाधारण महासभाओं (ईजीएम) का विवरण

	4 नवंबर 2015 को आयोजित ईजीएम	22 मार्च 2016 को आयोजित ईजीएम
ईजीएम की तारीख, समय और स्थान	4 नवंबर 2015, अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021	22 मार्च 2016, अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021
मांगा गया अनुमोदन	अधिमानी आबंटन आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 2,229 करोड़ के ₹ 75.28 प्रति शेयर (₹ 65.28 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर बैंक के 29,60,94,580 इक्विटी शेयरों को ऑफर, जारी और आबंटित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1)(सी) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प.	अधिमानी आबंटन आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को कुल ₹ 1,500 करोड़ के ₹ 53.44 प्रति शेयर (₹ 43.44 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर बैंक के 28,06,88,622 इक्विटी शेयरों को ऑफर, जारी और आबंटित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1)(सी) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प.
संवीक्षक	निदेशक मंडल ने दिनांक 23 सितंबर 2015 को संपन्न अपनी बैठक में ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया.	निदेशक मंडल ने दिनांक 19-20 फरवरी 2016 को संपन्न अपनी बैठक में ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया.
सूचना की तारीख	1 अक्तूबर 2015	20 फरवरी 2016
ई-वोटिंग सुविधा	सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ईजीएम में सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे वोट की प्रक्रिया पूरी कर सकें. साथ ही, ईजीएम स्थल पर सदस्यों के लिए टैब-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी.	
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	संवीक्षक को 367 सदस्यों से 1,41,28,20,498 वोट प्राप्त हुए (रिमोट ई-वोटिंग से 271 सदस्यों के 18,57,73,904 वोट और ईजीएम में 96 सदस्यों से प्राप्त 1,22,70,46,594 वोट). डाले गए 1,41,28,20,498 मतों में से 1,41,01,69,441 मत अर्थात् कुल मतों का 99.81% संकल्प के पक्ष में और 26,51,057 मत अर्थात् कुल मत का 0.19% संकल्प के विरुद्ध डाले गए.	संवीक्षक को 311 सदस्यों से 1,72,08,34,889 वोट प्राप्त हुए (रिमोट ई-वोटिंग से 204 सदस्यों के 19,76,90,816 वोट और ईजीएम में 107 सदस्यों से प्राप्त 1,52,31,44,073 वोट). डाले गए 1,72,08,34,889 मतों में से 1,71,80,57,626 मत अर्थात् कुल मत का 99.84% संकल्प के पक्ष में और 27,77,263 मत अर्थात् कुल मत का 0.16% संकल्प के विरुद्ध डाले गए.
	दिनांक 4 नवंबर 2015 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया. गुरुवार, दिनांक 5 नवंबर 2015 को अध्यक्ष द्वारा डाक मतदान का परिणाम घोषित किया गया और बैंक, आरटीए, अर्थात् कार्वी और एनएसडीएल की वेबसाइटों पर इसे प्रदर्शित किया गया. इसे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई और एनएसई को भी प्रकट किया गया.	दिनांक 22 मार्च 2016 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया. मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2016 को अध्यक्ष द्वारा डाक मतदान का परिणाम घोषित किया गया और बैंक, आरटीए, अर्थात् कार्वी और एनएसडीएल की वेबसाइटों पर इसे प्रदर्शित किया गया. इसे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई और एनएसई को भी प्रकट किया गया.

प्रकटन

1 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान निम्न को छोड़कर, ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता हो :

i. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड (आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. द्वारा प्रतिनिधित्व) - श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के बोर्ड में हैं. तथापि, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक कंपनी होने के नाते इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

ii. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड - श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ और श्री बी.के. बत्रा, डीएमडी आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के बोर्ड में हैं. तथापि, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक कंपनी होने के नाते इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी मामले पर बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं :

2013-14	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों संबंधी रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक पर ₹ 10 मिलियन का दंड लगाया. (ii) सेबी ने 22 अप्रैल 2010 को क्यूआईपी माध्यम से वेलस्पन इंडिया लि. के 50 लाख इक्विटी शेयर खरीदने के लिए सेबी के अधिग्रहण और पीआईटी विनियमावली के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकटन सूचना की प्राप्ति में विलंब के लिए बैंक पर ₹ 2 लाख का दंड लगाया.
2014-15	रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जुलाई 2014 के अपने आदेश के ज़रिए डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लि. के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन में विचलन के लिए ₹ 15 लाख का दंड लगाया.
2015-16	शून्य

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने इसके निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. सूचीबद्धता विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह./-

किशोर खरात
(डीआईएन - 07266945)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

3 मई 2016

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के विनियम 8 के अनुसार बैंक ने अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता बनाई है. यह संहिता बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है :

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Prevention of Insider Trading-Code of Conduct

उक्त विनियमावली के विनियम 9 के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जा रही ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचरण संहिता भी बनाई है.

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

सहायक कंपनियां

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली पांच सहायक कंपनियां थीं, जिनके नाम हैं: आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड. बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी संशोधित सूचीबद्धता विनियमावली के विनियमन 16 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त बैंक की बीआरसी बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं.

सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव, बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की. दिनांक 12 मई 2016 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् बिज़नस लाइन में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकमत में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गए हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः तालिका 6 और तालिका 7 में दिया गया है.

तालिका 6 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	22 जुलाई 2016, शुक्रवार, अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2016, भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 5.00 बजे समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	15 जुलाई 2016 से 22 जुलाई 2016 (दोनों दिन शामिल)

v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. बीएसई लि. (बीएसई) पता : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -01. 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. पताः (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंज़िल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-51 बीएसई और एनएसई के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान क्रमशः दिनांक 26 अप्रैल 2016 और 22 अप्रैल 2016 को किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.
ix.	वित्तीय कैलेंडर	01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 : 1) 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के परिणाम 12 अगस्त 2015 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही / छमाही के परिणाम 04 नवंबर 2015 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2015 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ महीने के परिणाम 12 फरवरी 2016 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2016 को समाप्त चौथी तिमाही / वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम 20 मई 2016 को अनुमोदित किए गए.
x.	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	बुधवार, 20 जुलाई 2016
xi.	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के समापन से 45 दिनों के भीतर और वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर.
xii.	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2016 को श्री एस. रवि स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर थे.
xiii.	डिबेंचर न्यासी का विवरण	1. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई- 400 025, फोन : 022-24255232. 2. एसबीआईकैप ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, एपीजे हाउस, 6ठी मंजिल, 3 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई -400 020, फोनः 022-43025503. 3. आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, द आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई 400 051. फोन : 022-26593927.

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेंजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 7 : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2015 - मार्च 2016 (₹)

माह	एनएसई		बीएसई		माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न		उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2015	82.15	72.05	82.05	72.15	अक्तूबर 2015	89.15	75.65	89.00	75.60
मई 2015	76.65	66.70	76.75	66.65	नवंबर 2015	93.55	82.00	93.45	82.00
जून 2015	70.90	59.90	70.95	59.95	दिसंबर 2015	93.35	82.25	93.20	82.30
जुलाई 2015	66.85	59.20	66.85	59.20	जनवरी 2016	89.90	55.25	89.90	55.30
अगस्त 2015	70.75	56.05	70.65	56.10	फरवरी 2016	59.45	51.55	59.30	52.00
सितंबर 2015	81.50	53.95	81.35	53.95	मार्च 2016	70.80	59.50	70.80	59.50

31 मार्च 2016 को शेयरधारिता का स्वरूप

मार्च 2015 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 8 और तालिका 9 में दी गई है.

तालिका 8 : 31 मार्च 2016 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की सं.	कुल का %
भारत सरकार	1523113202	73.98
कर्मचारी	920699	0.04
जनता	122911648	5.97
हिन्दू अविभाजित परिवार	3269892	0.16
कंपनी निकाय	17722545	0.86
संस्थाएं		
अ) बैंक	2946447	0.14
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	53327940	2.59
इ) राज्य वित्त निगम	35680	0
ई) वित्तीय संस्थाएं	15206313	0.74
उ) म्यूचुअल फंड	189179	0.01
सोसायटी	28960	0
न्यास	297053	0.01
बीमा कंपनियां	311527728	15.13
अनिवासी भारतीय	5283389	0.26
निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	1001	0
(ii) श्री एस.रवि, स्वतंत्र निदेशक	200	0
(iii) श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफ़ओ	160	0
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	2014563	0.10
पात्र विदेशी निवेशक	0	0
एनबीएफसी	18482	0
कुल योग	**2058815081**	**100.00**

व्यापक सूचकांकों अर्थात् बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल सूचकांक आदि की तुलना में प्रदर्शन

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

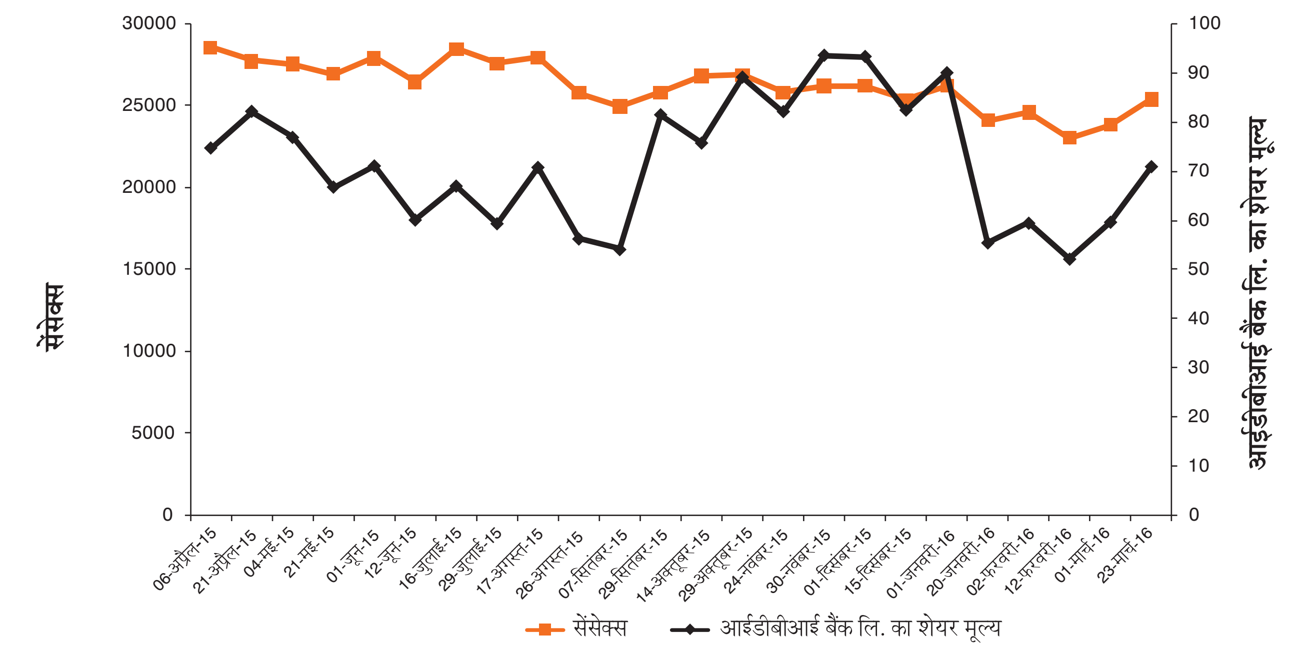

शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायत समाधान:

तालिका 9 : 31 मार्च 2016 के अंत में वितरण अनुसूची

क्र. सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	374090	90.54	567529280.00	2.76
2	5001	10000	23040	5.58	179078360.00	0.87
3	10001	20000	9408	2.28	140011110.00	0.68
4	20001	30000	2522	0.61	64606420.00	0.31
5	30001	40000	1105	0.27	39739020.00	0.19
6	40001	50000	801	0.19	37886920.00	0.18
7	50001	100000	1219	0.30	90054620.00	0.44
8	100001 और अधिक		981	0.24	19469245080.00	94.57
कुल			**413166**	**100.00**	**20588150810.00**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

1 अप्रैल 2015 को निवेशकों से प्राप्त एक शिकायत निवारण के लिए लंबित थी और 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 4863 शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान सभी 4864 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2016 को किसी भी शिकायत का निवारण लंबित नहीं था.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2015 को अंतरण के लिए कोई भी मामला लंबित नहीं था. 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरों के अंतरण के लिए 1446 अनुरोध प्राप्त हुए. वर्ष के दौरान शेयरों के अंतरण से संबंधित सभी 1433 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2016 तक 13 अनुरोध लंबित थे.

अंशधारक रिलेशनशिप समिति के संबंध में प्रकटन

(क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र निदेशक
(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं. वे परिचालनों का पर्यवेक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अनुपालन से संबंधित सेबी विनियमावली और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता विनियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है.
(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 में शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	1,212
(घ) शेयरधारकों की संतुष्टि तक समाधान नहीं किए गए मामलों की संख्या	-
(ङ) लंबित शिकायतों की संख्या	-

डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे की रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2015 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4898	875934
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	44	9120
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान उचंत खाते से अंतरित किए गए	43	8960
(घ)	दिनांक 31 मार्च 2016 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4855	866974
(ङ)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज़ रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

तालिका 10 : डीमटेरियलाइजेशन के ब्योरे तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	69888	175392623	8.52
एनएसडीएल (डीमटेरियलाइज्ड)	230769	324718165	15.77
सीडीएसएल (डीमटेरियलाइज्ड)	112509	1558704293	75.71
कुल	**413166**	**2058815081**	**100.00**

बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर उपलब्ध है.

पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 20वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- (022) - 66552779, 66553062, 66552620 फैक्स - (022) - 2218 23 52 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbi.com
	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032. फोन : (040) 67162222 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	**आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड** तीसरी मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड** आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614. **आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005. **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड** 5वीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001.

विनियम 27 की विवेकाधिकार अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के तहत दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और वह विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉर्पोरेट अभिशासन पर तिमाही/ छमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई के अंतर्गत दी गई विवेकाधिकार अपेक्षाओं के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकाधिकार अपेक्षाएं	स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष-कार्यालय को बनाए रखने का अधिकार होगा और उन्हें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त होगी.	वर्तमान में बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष का पद खाली है.
2.	पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजी जाए.	बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयर धारकों और अन्य अंशधारकों की जानकारी के लिए तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी द्वारा अध्यक्ष और एमडी/सीईओ पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए.	अब बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के अलग-अलग पद हैं.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाए.	आंतरिक लेखापरीक्षक, श्री उमेश जैन, मुमप्र सीधे एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने **31 मार्च 2016** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, कंपनी ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के विस्तार तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियम;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992-14 मई 2015 तक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (15 मई 2015 से प्रभावी);

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

   च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - **लागू नहीं, क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है.**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर बाजार से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है.**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम,1998;

लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है.

vi. कंपनी पर विशेष रूप से लागू कानून निम्नानुसार हैं:

1. बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
4. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
5. फेमा नियम, विनियम व समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं;
6. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993;
7. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण, आदि) नियम, 2005;
8. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल (एसएस-1) और महासभा (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा 1 जुलाई 2015 से लागू सचिवीय मानक.

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार तथा 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

➢ कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत् गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

➢ सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दे दी जाती है, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट काफी समय पहले भेजे जाते हैं और बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

➢ बहुमत का निर्णय माना जाता है. तथापि, असहमत सदस्यों के विचारों, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में शामिल और दर्ज किया जाता है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा तथा कंपनी सचिव द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) के आधार पर हमारी राय है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं.

➢ जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग, दावा, दंड के नोटिसों का उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की गई है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल ने :

1. 30 दिसंबर 2015 को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 2,229 करोड़ के ₹ 10/- के 29,60,94,580 इक्विटी शेयर ₹ 75.28 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर जारी और आबंटित किए;
2. 23 मार्च 2016 को अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को कुल ₹ 848 करोड़ के ₹ 10/- के 15,87,61,801 इक्विटी शेयर ₹ 53.44 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर जारी और आबंटित किए.

कृते **एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या पी1991एमएच040400

ह./-
एस.एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
सी.पी नं. 1774

दिनांक : 12 मई 2016
स्थान : ठाणे

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएनः L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400 005

इस दिनांक की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू विधिक व विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करे और सुनिश्चित करे कि प्रणालियां पर्याप्त हों और वे प्रभावी रूप से कार्य करें.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा पालन किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.
3. हमें विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.
4. जहां भी आवश्यक है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही कंपनी के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या पी1991एमएच040400

ह./-
एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
सी.पी नं. 1774

दिनांक : 12 मई 2016
स्थान : ठाणे

Auditors' Report On Corporate Governance

Mukund M. Chitale & Co
Chartered Accountants
2nd Floor Kapur House,
Paranjpe 'B' Scheme Road No. 1,
Vileparle (East), Mumbai 400057

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants,
15/17, Raghavji, 'B' Bldg,
Raghavji Road,
Off Kemps Corner Mumbai 400036

To the Members of **IDBI Bank Limited**

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited ('the Bank') for the year ended March 31, 2016 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement (Listing Agreement) of the Bank with the Stock Exchanges for the period April 1, 2015 to November 30, 2015 and as per relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as referred to in Regulation 15 (2) of the Listing Regulations for the period December 1, 2015 to March 31, 2016.

The compliance with conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Agreement/ Listing Regulations, as applicable, is the responsibility of the Bank's management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement / Listing Regulations, as applicable.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Mukund M Chitale & Co.**
Chartered Accountants
FRN – 106655W

Sd/-
Abhay V. Kamat
Partner (M. No. 039585)

For **CHOKSHI & CHOKSHI LLP**
Chartered Accountants
FRN – 101872W/ W100045

Sd/-
Nilesh R. Joshi
Partner (M. No. 114749)

Place : Mumbai
Date : May 20, 2016

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's philosophy on code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

Board of Directors:

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations). The Board functions directly as well as through various board committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank.

As on March 31, 2016, the Board comprised of seven Directors, including Managing Director and CEO (MD & CEO), Deputy Managing Director (DMD), one Non-Executive Director and four Independent Directors. Shri Kishor Kharat, MD & CEO and Shri B. K. Batra, DMD as Executive Directors, Ms. Snehlata Shrivastava, Central Government official Nominee as Non-Executive Director, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats and Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2016. The present strength of seven Directors on the Board, as against the composition for maximum strength of 13 Directors provided under Article 116(1) of the Articles of Association meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Relationship between Directors inter-se

No Director on the Bank's Board is related to any other Director.

Board Meetings

During the period under review (April 01, 2015 – March 31, 2016), 12 Board Meetings were held on May 1, 2015, May 26, 2015, June 29, 2015, July 15, 2015, August 12, 2015, August 28, 2015, September 30, 2015, November 4, 2015, December 16, 2015, February 12, 2016, February 19-20, 2016 (Strategy Meet) and March 22, 2016. Out of these, four meetings of May 1, 2015, June 29, 2015, July 15, 2015 and February 19-20, 2016 were held in New Delhi, and all other meetings were held in Mumbai.

Details in respect of each Director of the Bank regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees are given in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of Director	Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 12)	Attendance at the last AGM held on August 12, 2015	Directorships in other companies (other public companies)	ACB/ SRC Memberships/ (Chairmanships) in other Companies
1	2	3	4	5
Whole Time Directors				
Shri Kishor Kharat, MD & CEO [w.e.f. 14.08.2015] (DIN - 07266945)	7 (7)	NA	5 (5)	0
Shri M. S. Raghavan, CMD [till June 30, 2015] (DIN-05236790)	3 (3)	NA	6 (5)	0
Shri B. K. Batra, DMD (DIN - 00015732)	12 (12)	Present	3 (3)	2 (0)
Shri M. O. Rego, DMD [till August 13, 2015] (DIN - 00292670)	5 (5)	Present	1 (1)	0
Non-Executive Directors				
Ms. Snehlata Shrivastava (DIN - 06478173)	9 (12)	Not Present	2 (2)	2 (0)
Independent Directors				
Shri P.S.Shenoy [till 29.07.2015] (DIN-00108547)	4 (4)	NA	3 (3)	3 (1)
Shri S. Ravi (DIN- 00009790)	12 (12)	Present	11 (8)	5 (3)
Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971)	11 (12)	Present	5 (2)	2 (1)
Shri Pankaj Vats (DIN- 06712380)	12 (12)	Present	0	0
Shri Gyan Prakash Joshi [w.e.f. 28.08.2015] (DIN- 00603925)	5 (6)	NA	1 (1)	0

Figures in parentheses in column 4 indicate directorships in Public Companies and in column 5 indicate chairmanships of committees

A. Board Committees

The Board has a total of 16 committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Business Review Committee
- Executive Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Risk Management Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee
- Independent Directors' Committee
- Wilful Defaulters' Review Committee

1. Audit Committee of the Board (ACB)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2016, the Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with one Executive Director/ Whole-Time Director (DMD), Government Director and four Independent Directors. Shri S. Ravi, a Chartered Accountant and an Independent Director, was the Chairman of the Audit Committee and Shri B. K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats and Shri Gyan Prakash Joshi were the other members. The role and powers of the ACB are in line with the provisions of the Companies Act, 2013, relevant RBI guidelines and Regulation 18 read with Part C of Schedule II of the Listing Regulations, which among other things, includes the following:

Powers of the Audit Committee

i. Can investigate any activity within its terms of reference;

ii. Can seek information from any employee;

iii. Can obtain outside legal or other professional advice, wherever required;

iv. Can secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Role of the Audit Committee

1. Oversees the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;

2. Recommends the appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the Bank;

3. Approves payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;

4. Reviews with the management, the annual financial statements and auditors' report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:

   a. Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement which needs to be a part of the Board's report in terms of clause (c) of sub-section 3 of Section 134 of the Companies Act, 2013;

   b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

   c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by the management;

   d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

   e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;

   f. Disclosure of any related party transactions;

   g. Modified opinion(s) in the draft audit report.

5. Reviews, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;

6. Reviews, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;

7. Reviews and monitors the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

8. Approves transactions of the Bank with related parties;

9. Scrutinises inter-corporate loans and investments;

10. Valuation of undertakings or assets of the Bank, wherever it is necessary;

11. Evaluates internal financial controls and risk management systems;

12. Reviews, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;

13. Reviews the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the Internal Audit Department, staffing and seniority of the official heading the Department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;

14. Discusses with internal auditors of any significant findings and follow up there on;

15. Reviews the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;

16. Discusses with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;

17. Looks into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;

18. Reviews the functioning of the vigil mechanism;

19. Approves the appointment of Chief Financial Officer (CFO) (i.e., the whole-time Finance Director or any other person heading the finance function or discharging that function) after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;

20. Carries out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Review of information by the Audit Committee

1. Management Discussion and Analysis of the financial condition and results of operations;

2. Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee), submitted by the management;

3. Management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;

4. Internal audit reports relating to internal control weaknesses;

5. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor shall be subject to review by the Audit Committee;

6. Statement of deviations:

    a. Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).

    b. Annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice in terms of Regulation 32(7).

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), the ACB met 12 times on May 1, 2015, May 26, 2015, July 28, 2015, August 12, 2015, August 28, 2015, September 30, 2015, November 4, 2015, November 24, 2015, December 16, 2015, January 29, 2016, February 12, 2016 and March 15, 2016.

2. Business Review Committee (BRC)

Composition and brief terms of reference

The Business Review Committee (BRC) has been constituted to have focussed discussion on review and reporting items and items for information that were earlier submitted to the Board, apart from ratifying/ approving a few items of agenda. The Board observes and records the discussions held on these items, while noting the minutes of the BRC meetings. The Committee's functions also include discussion of the review items (including calendar reviews) which are submitted for information and does not involve any approval/ ratification/ strategy and items which are submitted for reporting other than secretarial reportings. As on March 31, 2016, the BRC comprised of five members with two Executive Directors and three Independent Directors viz., S/ Shri Kishor Kharat, MD & CEO, B. K. Batra, DMD, S. Ravi, Pankaj Vats and Gyan Prakash Joshi.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), seven meetings of the BRC were held on April 24, 2015, June 19, 2015, September 16, 2015, October 19, 2015, November 24, 2015, January 16, 2016 and February 25, 2016.

3. Executive Committee (EC)

Composition and brief terms of reference

Apart from the Board and the BRC, the Bank has an Executive Committee (EC) to take into account matters including approvals of loans and advances, modifications, etc. and other than policies and those specifically required to be considered by the Board. It also considers exercising such other powers as delegated to it by the Board. As on March 31, 2016, the Executive Committee comprised of four members with two Executive Directors and two Independent

Directors. S/Shri Kishor Kharat, MD & CEO, B. K. Batra, DMD, S. Ravi and Ninad Karpe were the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), 23 meetings of the EC were held on April 10, 2015, April 24, 2015, May 18, 2015, June 19, 2015, June 29, 2015, July 15, 2015, July 28, 2015, August 12, 2015, August 28, 2015, September 16, 2015, September 29, 2015, October 19, 2015, November 6, 2015, November 24, 2015, December 14, 2015, December 28, 2015, January 16, 2016, January 29, 2016, February 8, 2016, February 25, 2016, March 15, 2016, March 21, 2016 and March 29, 2016.

4. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2016, the Stakeholders' Relationship Committee (SRC) of the Bank comprised of three members with one Executive Director and two Independent Non-Executive Directors, viz., S/ Shri Pankaj Vats, an Independent Non-Executive Director as the Chairman, B. K. Batra, DMD, and S. Ravi as members. The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders and bondholders and investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on. This Committee functions as per the terms of references provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 20 and Part D of Schedule II of the Listing Regulations.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), four SRC meetings were held on June 19, 2015, September 16, 2015, December 28, 2015 and March 29, 2016.

5. Frauds Monitoring Committee (FMC)

Composition and brief terms of reference

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been set up to detect, monitor and address frauds. As on March 31, 2016, the Committee comprised of five members, viz. S/ Shri Kishor Kharat, MD & CEO, B. K. Batra, DMD, S. Ravi, Ninad Karpe and Gyan Prakash Joshi as its members.

Number of Meetings

During the year under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), six meetings of the FMC were held on May 18, 2015, July 28, 2015, September 29, 2015, November 6, 2015, December 16, 2015 and March 29, 2016.

6. Risk Management Committee (RMC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2016, the Risk Management Committee (RMC) of the Board consisted of four members, viz. S/ Shri S. Ravi, Chairman, B. K. Batra, DMD, Ninad Karpe and Gyan Prakash Joshi as its members. The Committee assesses various risks associated with the Bank's business, their mitigation and also addresses the issues related to asset liability mismatch. The committee also monitors and reviews the Risk Management Plan of the Bank. The Risk Management Committee also fulfils the mandate/ terms of reference provided under Regulation 21 of the Listing Regulations.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), the RMC held four meetings on May 26, 2015, August 28, 2015, November 24, 2015 and January 29, 2016.

7. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the Board has been constituted. As on March 31, 2016, the Committee comprised of four members, viz. Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri B. K. Batra, DMD, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as its members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are:

a. To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which indicates the activities to be undertaken by the Bank as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013, to the Board;

b. To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and

c. To monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank from time to time.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), two meetings of the CSR Committee were held on July 28, 2015 and November 24, 2015.

8. Customer Service Committee(CSC)

Composition and brief terms of reference

To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment, a Customer Service Committee (CSC) was set up by the Bank. As on March 31, 2016, it comprised of five members viz., Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri B. K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri Ninad Karpe and Shri Gyan Prakash Joshi.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), four meetings of the CSC were held on May 1, 2015, September 30, 2015, December 16, 2015 and March 22, 2016.

9. Information Technology Committee(ITC)

Composition and brief terms of reference

The Bank has established an Information Technology Committee (ITC) to put in place an effective technology platform. The Committee's objectives is to render various services to the clients; to help in streamlining the approach; to assist in launching new products and to provide services. The Committee consisted of three members with Shri Ninad Karpe, belonging to I.T. Industry, as its Chairman and Shri B. K. Batra, DMD and Shri Pankaj Vats as its members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), five meetings of the ITC were held on June 19, 2015, July 15, 2015, August 28, 2015, October 19, 2015 and January 16, 2016.

10. Remuneration Committee (RC)

Composition and brief terms of reference

According to the directives of the Government of India and the requirements of the Companies Act, 2013, a Remuneration Committee has been set up to consider and approve the payment of annual performance-linked incentives to the MD & CEO and DMDs. The Remuneration Committee also fulfils the mandate/terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 19 and Part D of Schedule II of the Listing Regulations. As on March 31, 2016, it comprised of four members, viz. Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, as the Chairperson and Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as the members.

11. Nomination Committee (NC)

Composition and brief terms of reference

In compliance with the guidelines earlier issued by RBI, a Nomination Committee (NC) has been constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of directors elected by shareholders other than the Central Government and Central Government Banks and Institutions. In view of appointment of Independent Directors to be elected by all shareholders, the above exercise is no longer needed. However, the Nomination Committee now fulfils the mandate/terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 read with Part D of Schedule II of the Listing Regulations. As on March 31, 2016, the Nomination Committee consisted of three members, viz. Shri Ninad Karpe as the Chairman, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats as the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), one meeting of the Nomination Committee was held on June 29, 2015.

12. H R Steering Committee (HRSC)

Composition and brief terms of reference

As per the Government of India's directives, the HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters related to human resources, namely:

i. Policies pertaining to recruitment and training;

ii. Performance management, compensation and career development initiatives;

iii. Management development and succession planning; and

iv. Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan.

As on March 31, 2016, the Committee consisted of four members, viz. Shri Kishor Kharat, MD & CEO,

Shri B. K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director and Shri S. Ravi.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), seven meetings of the HRSC were held on May 26, 2015, July 15, 2015, August 28, 2015, September 30, 2015, November 4, 2015, December 16, 2015 and March 22, 2016.

13. Recovery Review Committee (RRC)

Composition and brief terms of reference

According to the Government of India's directives/ the Board's recommendation, a Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed accounts, written-off cases, OL cases, DRT cases, and so on. As on March 31, 2016, the Committee comprised of five members, viz. Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri B. K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), four meetings of the Recovery Review Committee were held on May 26, 2015, August 28, 2015, November 24, 2015 and February 12, 2016.

14. Independent Directors' Committee (IDC)

Composition and brief terms of reference

The Independent Directors' Committee (IDC) has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the Listing Regulations to:

i. Review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;

ii. Review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;

iii. Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

As on March 31, 2016, the Independent Directors' Committee comprised of four members, namely Shri S.Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats and Shri Gyan Prakash Joshi.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), one meeting of the Independent Directors' Committee was held on March 15, 2016.

15. Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NBRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of a RBI Circular dated December 22, 2014, a Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NBRC) was constituted on February 6, 2015, consisting of MD & CEO and two Independent Directors. The Committee reviews the Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative, issuance of show-cause notice, etc. As on March 31, 2016, the Committee comprised of Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats as its members.

16. Wilful Defaulters' Review Committee (WDRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of RBI Circular dated January 7, 2015, a Wilful Defaulters' Review Committee (WDRC) was constituted on February 6, 2015, consisting of MD & CEO and two Independent Directors. The Committee reviews the Wilful Defaulters' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter, issuance of show-cause notice, etc. As on March 31, 2016, the Committee comprised of Shri Kishor Kharat, MD & CEO, Shri S.Ravi and Shri Ninad Karpe as its members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2015 – March 31, 2016), one meeting of the Wilful Defaulters' Review Committee was held on September 29, 2015.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given below:

Table 2 : Directors' Attendance at the Committee Meetings (April 1, 2015 to March 31, 2016)

Sr. No.	Names of Directors	ACB		BRC		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC		IDC		NBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri Kishor Kharat, MD & CEO [w.e.f. 14.08.2015] (DIN-07266945)	-	-	5	5	15	15	-	-	4	4	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	5	5	3	3	-	-	0	0	1	1
2.	Shri M. S. Raghavan, CMD (DIN-05236790) [till June 30, 2015]	-	-	2	2	5	5	-	-	1	1	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	0	0	0	0
3.	Shri B. K. Batra, DMD (DIN- 00015732)	12	12	7	7	23	21	4	4	6	5	4	4	2	2	4	4	5	5	-	-	-	-	7	7	4	4	-	-	-	-	-	-
4.	Shri M. O. Rego, DMD [till August 13, 2015] (DIN- 00292670)	-	-	2	2	8	8	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5.	Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director (DIN- 06478173)	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	0	0	-	-	7	5	4	3	-	-	-	-	-	-
6.	Shri P. S. Shenoy [till 29.07.2015] (DIN-00108547)	3	3	2	2	7	7	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	0	0	1	1	2	2	-	-	0	0	0	0	0	0
7.	Shri S. Ravi (DIN- 00009790)	12	12	7	7	23	23	4	4	6	6	3	3	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	5	5	4	4	1	1	0	0	1	1
8.	Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971)	12	11	-	-	23	19	-	-	6	5	4	4	2	2	3	3	5	4	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
9.	Shri Pankaj Vats (DIN- 06712380)	12	12	7	7	-	-	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	5	5	0	0	1	1	-	-	4	4	1	1	0	0	-	-
10.	Shri Gyan Prakash Joshi [w.e.f. 28.08.2015] (DIN- 00603925)	7	7	4	4	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

H – Meetings Held during Director's tenure
A – Meetings Attended by the Director

Extract of the Annual Return

In terms of the provisions of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in the prescribed form MGT 9 is given herein below :

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	September 27, 2004
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Ltd.
iv.	Category/ Sub-Category of the Company	Public Limited Company/ Limited by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Contact Details: Ph: (022) 66553355, 22189111 Fax: (022) 22180411 Website: www.idbi.com
vi.	Whether listed Company	Yes
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses.	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN / GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1	IDBI Capital Market Services Ltd. 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100%	2(87)
2	IDBI Intech Ltd. IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614.	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100%	2(87)
3	IDBI MF Trustee Company Ltd. Mafatlal Centre, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100%	2(87)
4	IDBI Asset Management Ltd. Mafatlal Centre, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67%	2(87)
5	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001.	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70%	2(87)
6	IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W). Mumbai – 400 013	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48%	2(6)
7	National Securities Depository Ltd. 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U74120MH2012PLC230380	Associate	30%	2(6)
8	NSDL E-governance Infrastructure Ltd. Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U72900MH1995PLC095642	Associate	30%	2(6)
9	Biotech Consortium India Ltd. 5th floor, Anuvrat Bhawan. 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg New Delhi – 110 002	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93%	2(6)

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN / GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
10	North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFi House, Dispur, Guwahati - 781006.	U65923AS1995GOI004529	Associate	25%	2(6)
11	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14%	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital- Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individuals/ Hindu Undivided Family	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Government/	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
c) State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Financial Institutions/ Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (A)(1)	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
(2) Foreign									
a) NRIs-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	1227018622	0	1227018622	76.50	1523113202	0	1523113202	73.98	-2.52
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds	1126916	100	1127016	0.07	189079	100	189179	0.01	-0.06
b) Banks/FI	17743818	18826	17762644	1.11	18152760	0	18152760	0.88	-0.23
c) Central Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	154703233	0	154703233	9.65	152758141	158769587	311527728	15.13	5.49
g) FIIs	53567646	2020	53569666	3.34	53325920	2020	53327940	2.59	-0.75
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Finance Corporation	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0	0
NBFC	0	0	0	0	18482	0	18482	0	0
Sub-Total (B)(1)	227141613	56626	227198239	14.17	224444382	158807387	383251769	18.61	4.45
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corporate									
i) Indian	18906798	303799	19210597	1.20	17421626	300919	17722545	0.86	-0.34
ii) Overseas									

	Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
		Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
b)	**Individuals**									
(i)	Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹ 1 lakh.	86667858	14958633	101626491	6.34	89837993	14452244	104290237	5.07	-1.27
(ii)	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.	21677686	109480	21787166	1.36	22703883	109480	22813363	1.11	-0.25
(c)	**Any Others (specify)**									
	Clearing Members	548333	0	548333	0.03	2014563	0	2014563	0.10	0.07
	Non Resident Indians	3694042	1687973	5382015	0.34	3626556	1656833	5283389	0.26	-0.08
	Societies	0	28960	28960	0	0	28960	28960	0	0
	Trusts	1119742	37440	1157182	0.07	260253	36800	297053	0.01	-0.06
	Sub-Total (B)(2)	132614459	17126285	149740744	9.34	135864874	16585236	152450110	7.41	-1.93
	Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	359756072	17182911	376938983	23.50	360309256	175392623	535701879	26.02	2.52
C.	**Shares held by Custodian for GDRs &ADRs**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grand Total (A+B+C)	1586774694	17182911	1603957605	100	1883422458	175392623	2058815081	100	0

ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1.	Government of India	1227018622	76.50%	0.00%	1523113202	73.98%	0.00%	-2.52%

iii) Change in Promoters' Shareholding

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1.	**Government of India**	**No. of Shares**	**% of total shares of the Bank**	**No. of shares**	**% of total shares of the Bank**
	At the beginning of the year	1227018622	76.50%	1227018622	76.50%
	Date-wise increase/ decrease in Promoters shareholding during the year (30.12.2015)	296094580	15.58%	1523113202	73.98%
	At the end of the year	1523113202			73.98%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	Life Insurance Corporation of India	At the beginning of the year	94731366	5.91	94731366	5.91
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year (Purchase) (23.03.2016)	158761801	0	253493167	7.71
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	253493167	12.31
2.	LIC of India Market Plus Growth Fund	At the beginning of the year	17555855	1.09	17555855	1.09
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	17555855	0.85
3.	Small Industries Development Bank of India	At the beginning of the year	10500000	0.65	10500000	0.65
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	10500000	0.51
4.	United India Insurance Company Limited	At the beginning of the year	8057143	0.50	8057143	0.50
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	8057143	0.39
5.	LIC of India Market Plus-1 Growth Fund	At the beginning of the year	7902237	0.49	7902237	0.49
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	7902237	0.38
6.	LIC of India Market Money Plus Growth Fund	At the beginning of the year	6869656	0.43	6869656	0.43
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	6869656	0.33
7.	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ASERIE	At the beginning of the year	5806899	0.36	5806899	0.36
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		20.11.2015- Sale	174874	0.01	5632025	0.35
		27.11.2015- Sale	40804	0.00	5591221	0.35
		04.12.2015- Sale	149225	0.01	5441996	0.34
		18.12.2015 – Sale	32217	0.00	5409779	0.34
		25.12.2015- Sale	23860	0.00	5385919	0.34
		31.12.2015- Sale	6367	0.00	5379552	0.28
		15.01.2016- Sale	42189	0.00	5337363	0.28
		22.01.2016- Sale	51030	0.00	5286333	0.28
		29.01.2016- Sale	39494	0.00	5246839	0.28
		05.02.2016- Sale	111459	0.01	5135380	0.27
		12.02.2016- Sale	42455	0.00	5092925	0.27

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
		11.03.2016 – Purchase	24720	0.00	5117645	0.27
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	5117645	0.25
8	Macquarie Emerging Markets Asian Trading PTE Ltd	At the beginning of the year	5324000	0.33	5324000	0.33
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		10.04.2015- Sale	24000	0.00	5300000	0.33
		17.04.2015-Purchase	310435	0.02	5610435	0.35
		24.04.2015- Sale	568000	0.04	5042435	0.31
		01.05.2015- Sale	540000	0.03	4502435	0.28
		08.05.2015- Sale	1308000	0.08	3194435	0.20
		15.05.2015- Sale	1888000	0.12	1306435	0.08
		22.05.2015- Sale	448000	0.03	858435	0.05
		29.05.2015- Sale	172000	0.01	686435	0.04
		05.06.2015- Sale	160000	0.01	526435	0.03
		12.06.2015- Sale	524000	0.03	2435	0.00
		19.06.2015-Purchase	40000	0.00	42435	0.00
		26.06.2015-Purchase	108000	0.01	150435	0.01
		30.06.2015-Purchase	580000	0.04	730435	0.05
		03.07.2015-Sale	132000	0.01	598435	0.04
		10.07.2015-Purchase	12000	0.00	610435	0.04
		17.07.2015-Purchase	528000	0.03	1138435	0.07
		24.07.2015-Purchase	608000	0.04	1746435	0.11
		31.07.2015- Sale	360000	0.02	1386435	0.09
		07.08.2015-Purchase	871900	0.05	2258335	0.14
		14.08.2015-Purchase	272000	0.02	2530335	0.16
		21.08.2015-Purchase	556000	0.03	3086335	0.19
		28.08.2015- Sale	1772000	0.11	1314335	0.08
		04.09.2015- Sale	309958	0.02	1004377	0.06
		11.09.2015- Sale	484000	0.03	520377	0.03
		18.09.2015-Purchase	192000	0.01	712377	0.04
		25.09.2015- Sale	464000	0.03	24877	0.02
		30.09.2015-Purchase	500000	0.03	748377	0.05
		02.10.2015- Sale	484000	0.03	264377	0.02
		09.10.2015-Purchase	872000	0.05	1136377	0.07
		16.10.2015-Purchase	728000	0.05	1864377	0.12
		23.10.2015-Purchase	920400	0.06	2784777	0.17
		30.10.2015-Purchase	80100	0.00	2864877	0.18
		06.11.2015- Sale	1032000	0.06	1832877	0.11
		13.11.2015-Purchase	368000	0.02	2200877	0.14
		20.11.2015-Purchase	952000	0.06	3152877	0.20
		27.11.2015-Purchase	40000	0.00	3192877	0.20
		04.12.2015- Sale	2512000	0.16	680877	0.04
		11.12.2015- Sale	16000	0.00	664877	0.04
		18.12.2015- Sale	112000	0.01	552877	0.03
		25.12.2015- Sale	544000	0.03	8877	0.00
		31.12.2015-Purchase	440000	0.02	448877	0.02
		01.01.2016- Sale	264000	0.01	184877	0.01
		08.01.2016- Sale	168000	0.01	16877	0.00
		15.01.2016- Sale	16000	0.00	877	0.00

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
		25.03.2016-Purchase	24000	0.00	24877	0.00
		31.03.2016- Sale	8000	0.00	16877	0.00
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	16877	0.00
9	Ashish Ramesh Kumar Goenka	At the beginning of the year	4813753	0.30	4813753	0.30
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		05.02.2016- Sale	375000	0.02	4438753	0.23
		11.03.2016-Purchase	780000	0.04	5218753	0.25
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	5218753	0.25
10	Swiss Finance Corporation (Mauritius) limited	At the beginning of the year	4503716	0.28	4503716	0.28
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year				
		24.04.2015- Sale	4000	0.00	4499716	0.28
		08.05.2015- Sale	632000	0.04	3867716	0.24
		15.05.2015-Sale	344000	0.02	3523716	0.22
		22.05.2015-Sale	48000	0.00	3475716	0.22
		29.05.2015-Sale	32000	0.00	3443716	0.21
		05.06.2015-Sale	60000	0.00	3383716	0.21
		12.06.2015-Sale	60000	0.00	3323716	0.21
		19.06.2015-Sale	20000	0.00	3303716	0.21
		26.06.2015-Purchase	112000	0.01	3415716	0.21
		10.07.2015-Sale	36000	0.00	3379716	0.21
		24.07.2015-Purchase	4000	0.00	3383716	0.21
		31.07.2015-Sale	200000	0.01	3183716	0.20
		07.08.2015-Purchase	24000	0.00	3207716	0.20
		14.08.2015-Sale	8000	0.00	3199716	0.20
		21.08.2015-Purchase	16000	0.00	3215716	0.20
		28.08.2015-Sale	40667	0.00	3175049	0.20
		04.09.2015-Sale	1032000	0.06	2143049	0.13
		11.09.2015-Sale	312000	0.02	1831049	0.11
		18.09.2015-Purchase	12000	0.00	1843049	0.11
		25.09.2015-Sale	132000	0.01	1711049	0.11
		30.09.2015—Sale	76000	0.00	1635049	0.10
		16.10.2015- Purchase	78457	0.00	1713506	0.11
		23.10.2015-Purchase	200000	0.01	1913506	0.12
		13.11.2015-Sale	13790	0.00	1899716	0.12
		18.12.2015-Sale	16000	0.00	1883716	0.12
		25.12.2015-Sale	1840000	0.11	43716	0.00
		15.01.2016-Sale	40000	0.00	3716	0.00
		25.03.2016-Purchase	72000	0.00	75716	0.00
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	75716	0.00

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Directors						
1.	Shri Kishor Kharat, MD & CEO [w.e.f. 14.08.2015] (DIN-07266945)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
2.	Shri M. S. Raghavan, CMD [till 30.06.15] (DIN-05236790)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
3.	Shri B. K .Batra, DMD (DIN- 00015732)	At the beginning of the year	1,001	0	1,001	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	1,001	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	1,001	0	1,001	0
4.	Shri M. O. Rego, DMD [till 13.08.15] (DIN- 00292670)	At the beginning of the year	460	0	460	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	460	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	460	0	460	0
5.	Ms. Snehlata Shrivastava (DIN- 06478173)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
6.	Shri P. S. Shenoy, Independent Director [till 29.07.15] (DIN-00108547)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
7.	Shri S. Ravi, Independent Director (DIN-00009790)	At the beginning of the year	200	0	200	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	200	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	200	0	200	0
8.	Shri Ninad Karpe, Independent Director (DIN- 00030971)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
9.	Shri Pankaj Vats, Independent Director (DIN- 06712380)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
10.	Shri Gyan Prakash Joshi [w.e.f. 28.08.15] (DIN- 00603925)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
Key Managerial Personnel						
1.	Shri N. S. Venkatesh, CFO Membership No.: A024088	At the beginning of the year	160	0	160	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	160	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	160	0	160	0
2.	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary Membership No.: F7744	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in '000s)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount	10560 38 68	54539 26 92	259835 97 39	3249356299
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	2385 30 32	1019 57 35	869 57 26	42744493
Total (i+ii+iii)	**12945 69 00**	**55558 84 27**	**260705 54 65**	**329210 07 92**
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	4710 06 64	-	5545 53 89	10255 60 53
• Reduction	-	(1507 86 09)	-	(1507 8609)
Net Change	**4710 06 64**	**(1507 86 09)**	**5545 53 89**	**8747 74 44**
Indebtedness at the end of the financial year				
i. Principal Amount	17527 46 46	53064 17 80	265719 83 13	336311 47 39
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	128 29 18	986 80 39	531 25 40	16463497
Total (i+ii+iii)	**17655 75 64**	**54050 98 19**	**266251 08 53**	**337957 82 36**

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD				Total Amount (₹)
		Shri Kishor Kharat [w.e.f August 14, 2015]	Shri M. S. Raghavan [till June 30, 2015]	Shri B. K. Batra	Shri M. O. Rego [till August 13, 2015]	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	12,89,103.00	6,65,406.00	18,80,702.00	8,58,021.00	46,93,232.00
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	1,36,386.00	36,000.00	1,73,268.00	41,376.00	3,87,030.00
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-	-	-
5.	Others, please specify [OL Encashment]	-	5,22,560.00	-	-	5,22,560.00
6.	LFC	-	-	1,65,162.00	-	1,65,162.00
	Total (A)	**14,25,489.00**	**12,23,966.00**	**22,19,132.00**	**8,99,397.00**	**57,67,984.00**
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-

B. Remuneration to other directors:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors					Total Amount (₹)
	Independent Directors	Shri P. S. Shenoy	Shri S. Ravi	Shri Ninad Karpe	Shri Pankaj Vats	Shri Gyan Prakash Joshi	
	• Fee for attending Board/ Committee meetings	2,15,000	11,50,000	9,30,000	6,35,000	3,70,000	33,00,000
	• Commission	-	-	-	-	-	-
	• Others, please specify	-	-	-	-	-	-
	Total (1)	**2,15,000**	**11,50,000**	**9,30,000**	**6,35,000**	**3,70,000**	**33,00,000**
	Other Non-Executive Directors	**Ms. Snehlata Shrivastava**					
	• Fee for attending Board/ Committee meetings	-	-	-	-	-	-
	• Commission	-	-	-	-	-	-
	• Others, please specify	-	-	-	-	-	-
	Total (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (B)= (1+2)	**2,15,000**	**11,50,000**	**9,30,000**	**6,35,000**	**3,70,000**	**33,00,000**
	Total Managerial Remuneration	**57,67,984.00**					
	Overall Ceiling as per the Act[1]						

[1] Independent Directors are paid only sitting fees. All non-Executive/ Independent Directors are entitled for reimbursement of expenses for attending Board/ Committee Meetings. The remuneration for 2015-16 is well within the limits prescribed under Companies Act, 2013.

C. Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		Total Amount (₹)
		Shri N. S. Venkatesh, CFO	Shri Pawan Agrawal, CS	
1.	Gross Salary			
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	21,80,779.48	18,97,690.07	40,78,469.55
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	4,69,717.03	6,85,013.11	11,54,730.14
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-
5.	Others, please specify - OL Encashment	96,686.00	77,458.00	1,74,144.00
	LFC	75,000.00	50,000.00	1,25,000.00
	Total	**28,22,182.51**	**27,10,161.18**	**55,32,343.69**

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT / Court]	Appeal made, if any
A. Company – IDBI Bank Limited					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
B. Directors					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
C. Other Officers in Default					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		

Statement on Declaration given by Independent Directors

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Pankaj Vats and Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Directors of IDBI Bank Ltd. gave declaration on April 1, 2016, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and the same were noted by the Board of Directors on April 29, 2016.

Company's Policy on Directors' appointment and remuneration

The Bank's Policy on Directors' Appointment and remuneration is available on its website (www.idbi.com).

Board's comments on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditors or Secretarial Auditors in their report

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments under Section 186 of the Companies Act, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 relating to Loans, Guarantees or Investments are not applicable to IDBI Bank, being a banking company.

Particulars of contracts or arrangements with Related Parties on the prescribed form

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements if any, with Related Parties are given in the prescribed form AOC -2 hereunder :

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188
Nil								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount paid as advances, if any
Nil						

Sd/-

Kishor Kharat
(DIN - 07266945)
Managing Director & CEO

April 26, 2016

Statement indicating development and implementation of Risk Management Policy

The Bank follows a detailed and comprehensive Risk Management System which is constantly updated based on the Reserve Bank of India's regulatory guidelines issued in this regard from time to time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews the risk related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

Details of CSR Policy and its implementation during the year

The details on the format prescribed under Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are as follows:-

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.**

   The objective of the Bank's CSR policy is driven by the intent to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society and a sustained positive contribution to the welfare of society at large. In

the conduct of its CSR intervention, the Bank aims to act as a good corporate citizen and a socially responsible entity, identify the gaps and extend need-based contribution for the betterment of the society, contribute for the sustainable and holistic development of the underserved communities through various programs having multi-dimensional impact and generate community goodwill by making proactive interventions.

The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, promotion of sports and rural development projects.

The web-link to the CSR policy and projects or programs is http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

2. **The Composition of the CSR Committee:**

The composition of the CSR Committee is presented in the table below:

Sr. No.	Directors	Position
1.	Shri Kishor Kharat	MD & CEO
2.	Shri B K Batra	DMD
3.	Shri Ninad Karpe	Independent Director
4.	Shri Pankaj Vats	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years:**

The average net profit of the Bank for the last three financial years is ₹ 720.64 crore.

4. **Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above):**

The CSR expenditure to be incurred for the financial year 2015-16 (i.e. 2% of average net profit which is net of tax but would not include profits arising from branches outside India, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of Section 135 of the Act for last three financial years) is ₹ 14.41 crore.

5. **Details of CSR spent during the financial year:**

(a) **Total amount to be spent for the financial year:** The total amount to be spent during the financial year under CSR is ₹14.41 crore.

(b) **Amount unspent, if any:** An amount of ₹ 4.97 crore was unspent under CSR.

(c) **Manner in which the amount spent during the financial year is detailed in the following Table:**

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rupees)	Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency †
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programs	(2) Overheads		
1	To build Taru village as a 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives.	Financing Rural Development Projects	Other	Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir	3,55,00,000	26,16,323	0	3,52,53,427	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra
2	Financial assistance to free of cost student home to cover expenses of food, accommodation, clothes, books etc.	Promoting Education and Livelihood enhancement projects	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	10,50,000	3,15,000	0	10,50,000	AIM for Seva, Chennai, Tamil Nadu
3	Financial assistance towards conducting cataract surgeries of the poor.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Chennai, Tamil Nadu	12,50,000	3,12,500	0	12,50,000	Sankara Nethralaya, Chennai, Tamil Nadu
4	Financial assistance for setting-up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts in Namchi and supporting its operational cost for an initial period.	Promoting Education and Livelihood enhancement	Other	South Sikkim, Sikkim	16,90,000	4,80,000	0	10,10,000	North Eastern Development Finance Corporation, Guwahati, Assam
5	Financial assistance for providing Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) facilities in selected 400 rural schools.	i) Financing Rural Development Projects ii) Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Latur, Maharashtra and Mizapur, Uttar Pradesh	2,67,04,545	1,30,68,182	0	2,67,04,545	UNICEF, New Delhi
6	Financial assistance towards construction of a rural youth training centre in Daruthenga.	i) Promoting Education and Livelihood Enhancement ii) Financing Rural Development Projects	Other	Khurda, Odisha	22,51,170	6,88,378	0	22,51,170	Sai Anandam Trust, Bhubaneswar, Odisha
7	Financial assistance for implementation of climate smart water management project in selected villages.	Ensuring Environmental Stability	Other	Kancheepuram, Tamil Nadu	14,25,000	7,12,500	0	14,25,000	Centre of Excellence for Change, Chennai, Tamil Nadu
8	Financial assistance to meet the capital expenses, for their "Paper Envelope Making Project" aimed at creating sustainable employment opportunities for disabled persons.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Local	Mumbai, Maharashtra	4,75,000	2,37,500	0	4,75,000	National Association of Disabled's Enterprises, Mumbai, Maharashtra
9	Development of Aamkota village into a Model Village.	Financing Rural Development Projects	Other	Morigaon, Assam	35,55,200	10,58,000	0	26,15,050	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, Guwahati, Assam

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rupees)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in Rupees)**		**Cumulative expenditure up to the reporting period**	**Amount spent Direct or through implementing agency †**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
10	Financial assistance towards a rainwater harvesting project at Isabella Thoburn College.	Ensuring Environmental Stability	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	7,69,000	3,84,500	0	7,69,000	International Academy of Environmental Health & Public Sanitation, New Delhi
11	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' program wherein 5000 households in selected villages across four states are provided solar lighting systems.	i) Ensuring Environmental Stability ii) Financing Rural Development Projects	Other	Multiple districts across Uttar Pradesh, Odisha, Bihar and Jharkand	2,52,72,500	1,76,90,750	0	2,27,45,250	The Energy and Resources Institute, New Delhi
12	Financial assistance to construct gender segregated toilets in rural schools near IDBI Bank's branches across India and contribution to Swachh Bharat Kosh.	i) Financing Rural Development Projects ii) Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Multiple districts across multiple states	8,60,22,146*	1,71,44,378	0	8,60,22,146	Direct
13	Financial assistance for imparting livelihood and vocational skills training in and around Thane, Kalyan and Bhiwandi.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Thane, Maharashtra	15,00,000	7,50,000	0	15,00,000	Urivi Vikram Charitable Trust, New Delhi
14	CSR activities in two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura in Chandauli District.	Financing Rural Development Projects	Other	Varanasi and Chandauli, Uttar Pradesh	3,00,00,000	2,00,00,000	0	2,00,00,000	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh
15	Financial assistance for provision of nutritional support to drug resistant TB patients.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Local	Mumbai, Maharashtra	47,16,343*	47,16,343	0	47,16,343	National Heath Mission, Mumbai, Maharashtra
16	Financial assistance towards skill development programmes in four villages of Karnali Panchayat under the Saansad Adarsh Gram Yojana.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Vadodara, Gujarat	60,75,000	9,95,436	0	9,95,436	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat
17	Contribution to Armed Forced Flag Day Fund, constituted by Government of India, for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen, war widows and their dependents.	Welfare measures for Armed Forces Veterans and their Dependents	Other	Pan India	25,00,000	25,00,000	0	25,00,000	Direct
18	Contribution to Chief Minister's Public Relief Fund – Tamil Nadu in light of devastating floods in the state.	Others (Disaster Relief)	Other	Tamil Nadu	1,00,00,000	1,00,00,000	0	1,00,00,000	Direct
19	Financial assistance towards purchase of an ambulance van.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Patna, Bihar	4,35,000	4,35,000	0	4,35,000	Grameen Sneh Foundation, Patna, Bihar

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rupees)	Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency †
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programs	(2) Overheads		
20	Financial assistance towards purchase of a van for multipurpose use.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication	Other	Aurangabad, Maharashtra	3,40,000	3,40,000	0	3,40,000	Government Medical College and Hospital, Aurangabad, Maharashtra
Total					24,15,30,904	9,44,44,790		22,20,57,367	

* Amount net of cancellations

† Registered office address of implementing agency

6. **In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report.**

   In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, IDBI Bank has been undertaking most of its CSR activities in project/ programme mode. With phased implementation of sanctioned programmes the actual spend spills over to subsequent years in some cases. The disbursements from such previous year sanctions could not be made during 2015-16 on account of various factors such as (i) government funding for the project (disbursement of ₹ 3.53 crore cancelled), (ii) delay in implementation of the project (disbursement of ₹ 1.04 crore postponed) (iii) delay in submission of documents (disbursement of ₹ 0.33 crore postponed), and (iv) completion of project at an amount lower than the sanctioned amount (an amount of ₹ 0.40 crore saved). Additionally, two projects sanctioned at an aggregate amount of ₹ 1.79 crore in March 2016 could not be disbursed during the reporting year.

   In view of the reasons above, the Bank has been able to spend ₹9.44 crore which accounts for around 65.51% of the budgeted spend of ₹ 14.41 crore.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.**

   CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives of the company.

Sd/-

Kishor Kharat
(DIN - 07266945)
Managing Director & CEO
May 27, 2016

Statement indicating the manner of formal annual evaluation of Board, its Committees and Individual Directors

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below :

(i) Independent Directors' Committee, at its meeting held on March 15, 2016 evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board Meetings as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board at its meeting held on April 29, 2016 evaluated the performance of all the Directors on the Board (except MD & CEO, DMD and Government Director who are subject to performance review by Government of India), its own performance as well as the performance of Committees of the Board. Each Director concerned, while being evaluated by the Board, did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

Change in the nature of business, if any

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

Details of Directors or KMPs who were appointed or who resigned during 2015-16

Name of Directors	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Shri Kishor Kharat	Appointed as Managing Director & CEO of the Bank vide Government of India's Notification F.No.4/2/2015-BO.I dated August 14, 2015	14.08.2015
Shri M. S. Raghavan	Ceased to be the CMD on account of retirement on superannuation.	30.06.2015
Shri M. O. Rego	Ceased to be the DMD on account of his appointment as MD & CEO of Bank of India with effect from August 14, 2015	14.08.2015
Shri P. S. Shenoy	Ceased to be Director upon attaining the age of 70 years and completion of initial four year term as Independent Director of the Bank as per the provisions of Article 116(1)(e) read with Article 116A(i) of the Articles of Association of the Bank.	29.07.2015
Shri Gyan Prakash Joshi	Appointed as Additional Director of the Bank by the Board at its meeting held on August 28, 2015	28.08.2015

Name of KMPs	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Nil		

Names of Companies which became or ceased to be the Bank's subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies during 2015-16

Names of Subsidiaries	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Names of Associate Companies	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Names of Joint Ventures	Became / Ceased to be so	Date
Nil		

Details relating to Deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and details of deposits which are not in compliance of the requirements of Chapter V of the Act

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable on IDBI Bank.

Details of significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There were no orders passed by the regulators or courts or tribunals which impacted the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Familiarisation Programme for Independent Directors

Independent Directors were nominated/ deputed to various training programmes during 2015-16. The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Familiarisation Programme for Directors

Establishment of Vigil Mechanism

The Bank has established a Board approved Vigil Mechanism in compliance with statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is being submitted to the Board on a regular basis. During 2015-16, no personnel was denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbi.com) under the link:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Policy on Vigil Mechanism

Policy for Determining Material Subsidiaries

In terms of the requirement of Regulation 46 of Listing Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Policy for determining material subsidiaries.

Policy on dealing with Related Party Transactions

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of Listing Regulations, the Bank has formulated a Policy on dealing with Related Party Transactions.

The policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Policy on Related Party Transactions

Disclosure on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of listed entity at large

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, it is confirmed that, during 2015-16, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

Disclosure of commodity price risks or Foreign Exchange and commodity hedging activities

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

Disclosure of Accounting Treatment

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an accounting standard has been followed and hence no explanation from the management is required to be given in this regard.

Remuneration of Directors

Remuneration and perquisites of the MD & CEO and the DMD, who are appointed by Government of India, are fixed by the Government. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs are given in Table 3. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Table 3 : Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs

Salary and Allowances (As per Government Orders)	Shri Kishor Kharat, MD & CEO [w.e.f 14.08.15] - Pay ₹ 75,500/- p.m. and DA @ 125% ₹ 94,375/- Total ₹ 1,69,875/-. Shri M. S. Raghavan, CMD [till 30.06.15] - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA @ 113% ₹ 90,400/- Total ₹ 1,70,400/-. Shri B. K. Batra, DMD - Pay ₹ 71,030/- p.m. and DA @ 125% ₹ 88,787.5/- Total ₹ 1,59,817.5/-. Shri M. O. Rego, DMD [till 13.08.15] - Pay ₹ 68,960/- p.m. and DA @ 119% ₹ 82,062.4/- Total ₹ 1,51,022.4 /-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.

Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of two years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than six months of service as MD & CEO/ DMDs.
Tenure	Shri Kishor Kharat - Appointed as MD & CEO vide Government of India's notification F. No.4/2/2015-BO.I dated August 14, 2015 for a period of three years from August 14, 2015 or till the date of superannuation on September 30, 2018 or until further orders, whichever is earlier. Shri M. S. Raghavan- Appointed as CMD vide Government of India's notification F.No. 4/4/2012-BO.I dated July 5, 2013 from the date of taking over the charge for a period upto June 30, 2015 or until further orders, whichever is earlier. Shri Raghavan took charge on July 5, 2013 and superannuated as CMD on June 30, 2015. Shri B. K. Batra – Appointed as DMD vide Government of India's notification F.No.9/14/2009-BO.I dated January 12, 2012 with effect from January 13, 2012 till the date of superannuation (31.07.2016) or until further orders, whichever is earlier. Shri M. O. Rego- Appointed as DMD vide Government of India's notification F.No.7/3/2011-BO.I dated August 30, 2013 for the period of five years with effect from the date of his assuming charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Rego took charge on August 30, 2013 and ceased to be DMD with effect from August 14, 2015 on account of being appointed as MD & CEO of Bank of India.

Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board/ Committee Meeting attended by them @ ₹ 20,000/- per meeting of Board, EC and ACB and @ ₹ 10,000/- per meeting for other Board committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Independent Directors for 2015-16 is as detailed below:

Name of the Independent Director	Sitting fees paid for 2015-16 (₹)
Shri P.S. Shenoy [till 29.07.15]	2,15,000
Shri S. Ravi	11,50,000
Shri Ninad Karpe	9,30,000
Shri Pankaj Vats	6,35,000
Shri Gyan Prakash Joshi [w.e.f. 28.08.2015]	3,70,000

Disclosure under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

The remuneration of MD & CEO and DMDs who are appointed by Government of India is fixed by the Government of India as per its pay scales with applicable increase in remuneration as per Government of India norms. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees as mentioned in paragraph above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank and as per public sector scales followed by the Bank with applicable increase in the remuneration as per public sector norms. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have the relationship with many factors, including the Bank's performance. The Bank has not made any FPO and hence no comparison in market quotation of Bank's shares is possible. However, market price of the Bank's shares for 2015-16, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable in respect of remuneration of employees including KMPs and that of MD & CEO/DMDs who are getting the Government of India pay scales. As on March 31, 2016, there were

17,570 employees on the rolls of the Bank, out of which 637 employees were on contract basis and all other employees were permanent. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made above and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

General Body Meetings

(i) Details of Annual General Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of the Bank was held on August 12, 2015. Details of IDBI Bank Ltd.'s AGMs are given in Table 4.

Table 4 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.	1) September 04, 2013 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (9th AGM of the Bank). 2) June 30, 2014 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (10th AGM of the Bank). 3) August 12, 2015 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (11th AGM of the Bank).
Whether Special Resolutions were passed in previous 3 AGMs	**For 9th AGM** Special resolutions for (i) appointment of Statutory Auditors of the Bank under Section 224A of the Companies Act, 1956 and (ii) taking shareholders' approval under Section 81(1A) of the Companies Act, 1956 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the 9th AGM of the Bank held on September 04, 2013. **For 10th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board to borrow money and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the 10th AGM of the Bank held on June 30, 2014. **For 11th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval under Section 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the 11th AGM of the Bank held on August 12, 2015
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No
Person who conducted the postal ballot exercise	NA
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No

(ii) Details of Extra-Ordinary General Meetings

During 2015-16, the Bank has conducted two Extra-Ordinary General Meetings. The brief details of the resolutions passed are given in Table:

Table 5 : Details of Extra-Ordinary General Meetings (EGMs) of IDBI Bank Ltd.

	EGM held on November 4, 2015	EGM held on March 22, 2016
Location and time of the EGMs	November 4, 2015 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m.	March 22, 2016 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m.
Approval sought	Special resolution for taking shareholders' approval under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to offer, issue and allot 29,60,94,580 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 75.28 per share (including premium of ₹ 65.28 per equity share) aggregating to ₹ 2,229 crore to Government of India on Preferential Allotment basis.	Special resolution for taking shareholders' approval under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to offer, issue and allot upto 28,06,88,622 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 53.44 per share (including premium of ₹ 43.44 per equity share) aggregating upto ₹ 1,500 crore to Life Insurance Corporation of India on Preferential Allotment basis.
Scrutiniser	Shri S. N. Ananthasubramanian of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries were appointed as Scrutiniser for conducting the e-voting process, by Board of Directors on September 23, 2015	Shri S. N. Ananthasubramanian of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries were appointed as Scrutiniser for conducting the e-voting process, by Board of Directors at its meeting held on February 19-20, 2016
Date of Notice	October 1, 2015	February 20, 2016
E-voting Facility	In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 44 of Listing Regulations, remote e-voting and e-voting facility at the EGMs was provided to the members to exercise their votes. In addition, tab-voting facility was available to members at the EGM venue.	
Brief details of Scrutiniser's Report	The Scruitiniser received 1,41,28,20,498 votes from 367 members (18,57,73,904 votes from 271 members through remote e-voting and 1,22,70,46,594 votes from 96 members at the EGM). Out of 1,41,28,20,498 votes polled, 1,41,01,69,441 votes comprising 99.81% of the total, voted in favour of the resolution and 26,51,057 votes comprising 0.19%, voted against the resolution.	The Scruitiniser received 1,72,08,34,889 votes from 311 members (19,76,90,816 votes from 204 members through remote e-voting and 1,52,31,44,073 votes from 107 members at the EGM). Out of 1,72,08,34,889 votes polled, 1,71,80,57,626 votes comprising 99.84% of the total, voted in favour of the resolution and 27,77,263 votes comprising 0.16%, voted against the resolution.
	According to the Scrutiniser's report dated November 4, 2015, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Thursday, November 5, 2015 and displayed on the websites of the Bank, RTA, viz., Karvy and NSDL. It was also disclosed to stock exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.	According to the Scrutiniser's report dated March 22, 2016, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Tuesday, March 22, 2016 and displayed on the websites of the Bank, RTA, viz., Karvy and NSDL. It was also disclosed to stock exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.

Disclosures

1 No company was assisted during April 1, 2015 – March 31, 2016 in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

i. IDBI Mutual Fund (Represented by IDBI Asset Management Ltd.)- Shri Kishor Kharat, MD & CEO, is on the Board of IDBI Mutual Fund. However, IDBI Mutual Fund, being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

ii. IDBI Intech Ltd. – Shri Kishor Kharat, MD & CEO and Shri B. K. Batra, DMD are on the Board of IDBI Intech Ltd.. However, IDBI Intech Ltd., being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

2 Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by stock exchanges or Securities Exchange Board of India (SEBI) or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

2013-14	(i) RBI levied a penalty of ₹10 million on the Bank for violation of RBI instructions on KYC and AML guidelines. (ii) SEBI imposed fine of ₹ 2 lakh on the Bank for delay in receipt of disclosure notice by stock exchanges under SEBI's Takeover and PIT Regulations for acquiring 50 lakh numbers of equity shares of Welspun India Ltd. on April 22, 2010 through QIP route.
2014-15	RBI levied a penalty of ₹ 15 lakh for deviation in compliance of the provisions of Banking Regulation Act, 1949 in respect of Deccan Chronicle Holdings Ltd vide its order dated July 25, 2014.
2015-16	Nil

Code of Conduct and Ethics

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, a declaration signed by the Managing Director and CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

Declaration by MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2015-16.

Sd/-

Kishor Kharat
(DIN - 07266945)
Managing Director & CEO
May 3 , 2016

Prevention of Insider Trading

In terms of Regulation 8 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Bank has formulated a code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information. The code is available on Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

The Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section>Prevention of Insider Trading-Code of Conduct

In terms of Regulation 9 of the said Regulations, the Bank has also formulated a code of conduct to regulate, monitor and report trading by its employees and other connected persons.

CEO/ CFO Certification

In terms of Regulation 17(8) of the Listing Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2016, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Regulation 16 of Listing Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the Listing Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's BRC meetings.

Secretarial Audit

In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, the Secretarial Auditors of the Bank have done the Secretarial Audit for FY 2015-16. The Secretarial Audit Report dated May 12, 2016 is annexed to the Corporate Governance Report.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Business Line having nationwide circulation and in one regional language newspaper viz., Lokmat. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (www.idbi.com), along with the official press release and presentation made to institutional investors and analysts.

The documents referred to, but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the Bank's registered office during working hours for 21 days before the date of the AGM.

General Shareholders' Information

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2015 – March 31, 2016 are provided in Table 6 and Table 7 respectively.

Table 6 : General Shareholders' Information

i.	Date, time and venue of AGM	July 22, 2016, Friday, 3.30 p.m., at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021
ii.	Financial Year	April 1, 2015 to March 31, 2016
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of Listing Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period will commence on and from Monday, July 18, 2016, at 12:00 a.m. IST and end at 5:00 p.m. IST on Thursday, July 21, 2016.
iv.	Book closure date	July 15, 2016 to July 22, 2016 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. BSE Ltd. (BSE) Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 01 2. National Stock Exchange of India Ltd. Address: (NSE) Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 51 The payment of annual listing fee of BSE and NSE have been made on April 26, 2016 and April 22, 2016 respectively.
vi.	Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI

vii.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director/ Chief General Manager.
ix.	Financial Calendar	April 1, 2015 to March 31, 2016 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2015 were approved on August 12, 2015 2) Results for the quarter / half-year ended September 30, 2015 were approved on November 4, 2015 3) Results for the third quarter / nine months period ended December 31, 2015 were approved on February 12, 2016 4) Audited Results for the fourth quarter / year ended March 31, 2016 were approved on May 20, 2016.
x.	Last date for receipt of proxy forms	Wednesday, July 20, 2016
xi.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of respective quarter and within 60 days of the end of the financial year for annual audited results.
xii.	No. of shares and convertible instruments held by Non- Executive Directors	Shri S. Ravi, Independent Non-Executive Director held 200 shares of IDBI Bank Ltd. as on March 31, 2016
xiii.	Details of Debenture Trustee	1) Axis Trustee Services Limited , 2nd Floor, Axis House, Wadia International Centre, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025. Ph: 022-24255232. 2) SBICAP Trustee Services Limited, Appejay house, 6th Floor, 3 Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020. Ph: 022-43025503. 3) IL & FS Trust Company Limited, The IL&FS Financial Centre, Plot C- 22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Ph: 022-26593927

IDBI Bank's scrip is actively traded at NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

Table 7 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd. (BSE) : April 2015 – March 2016 (₹)

Month	NSE		BSE			NSE		BSE	
	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
April 2015	82.15	72.05	82.05	72.15	Oct 2015	89.15	75.65	89.00	75.60
May 2015	76.65	66.70	76.75	66.65	Nov 2015	93.55	82.00	93.45	82.00
June 2015	70.90	59.90	70.95	59.95	Dec 2015	93.35	82.25	93.20	82.30
July 2015	66.85	59.20	66.85	59.20	Jan 2016	89.90	55.25	89.90	55.30
Aug 2015	70.75	56.05	70.65	56.10	Feb 2016	59.45	51.55	59.30	52.00
Sept 2015	81.50	53.95	81.35	53.95	Mar 2016	70.80	59.50	70.80	59.50

Shareholding Pattern as on March 31, 2016

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2015, is presented in Table 8 and Table 9 below.

Table 8 : Shareholding Pattern as at March 31, 2016

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	1523113202	73.98
Employees	920699	0.04
Public	122911648	5.97
Hindu Undivided Family	3269892	0.16
Bodies corporate	17722545	0.86
Institutions		
A) Banks	2946447	0.14
B) Foreign Institutional Investors	53327940	2.59
C) State Finance Corporation	35680	0
D) Financial Institutions	15206313	0.74
E) Mutual Funds	189179	0.01
Societies	28960	0
Trusts	297053	0.01
Insurance Companies	311527728	15.13
NRIs	5283389	0.26
Directors, KMPs and Relatives		
(i) Shri B. K. Batra, DMD	1001	0
(ii) Shri S.Ravi, I.D.	200	0
(iii) Shri N.S.Venkatesh, CFO	160	0
NSDL (transit)	2014563	0.10
Qualified Foreign Investors	0	0
NBFC	18482	0
GRAND TOTAL	**2058815081**	**100.00**

Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, CRISIL Index, etc

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (sensex) during the period April 1, 2015 to March 31, 2016 is given in the following chart:

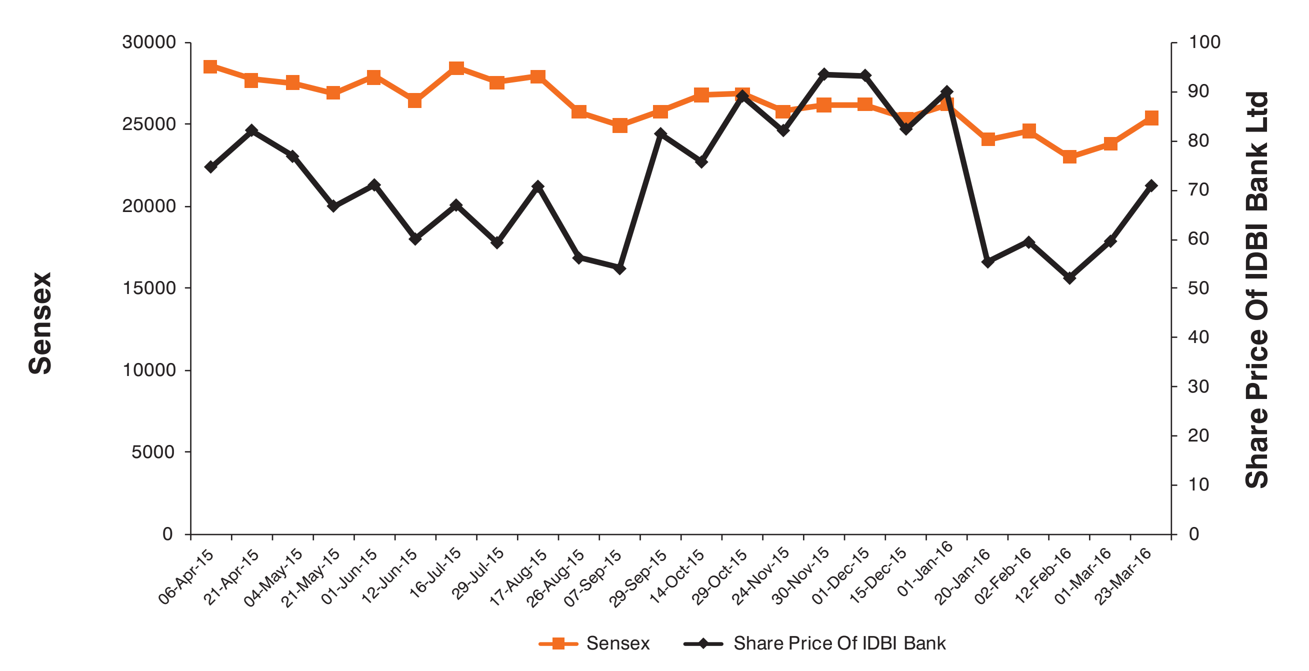

Share Transfer System and Redressal of Investor Grievances

Table 9 : Distribution Schedule as at March 31, 2016

S.No	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	374090	90.54	567529280.00	2.76
2	5001	10000	23040	5.58	179078360.00	0.87
3	10001	20000	9408	2.28	140011110.00	0.68
4	20001	30000	2522	0.61	64606420.00	0.31
5	30001	40000	1105	0.27	39739020.00	0.19
6	40001	50000	801	0.19	37886920.00	0.18
7	50001	100000	1219	0.30	90054620.00	0.44
8	100001 & above		981	0.24	19469245080.00	94.57
Total			**413166**	**100.00**	**20588150810.00**	**100.00**

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2015, one investor grievance was pending for redressal and from April 1, 2015 to March 31, 2016, 4863 investor grievances were received from shareholders/ investors by the Bank's Registrar and Transfer Agents. During the year, 4864 grievances were redressed and no grievances were pending for redressal as on March 31, 2016.

In respect of shares, no case of transfers was pending as on April 1, 2015. Between April 1, 2015 and March 31, 2016, 1,446 requests for transfer of shares were received by the Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 1,433 requests for transfer of shares were processed and 13 requests were pending as on March 31, 2016.

Disclosure with respect to Stakeholders' Relationship Committee

(a)	Name of Non-Executive director heading the Committee	Shri Pankaj Vats, Independent Director
(b)	Name and designation of the Compliance Officer	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is the Compliance Officer. He supervises the operations to ensure that they comply with the requirements of SEBI Regulations and the Listing Regulations with the Stock Exchanges, pertaining to Secretarial Compliances.
(c)	Number of shareholders' complaints received in FY 2015-16	1,212
(d)	Number not solved to the satisfaction of shareholders	-
(e)	Number of pending complaints	-

Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2015	4898	875934
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2015 to March 31, 2016	44	9120
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2015 to March 31, 2016	43	8960
(d)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying as on March 31, 2016	4855	866974
(e)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

Table 10: Details of de-materialisation and address for correspondence

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	69888	175392623	8.52
NSDL (Dematerialised)	230769	324718165	15.77
CDSL (Dematerialised)	112509	1558704293	75.71
Total	**413166**	**2058815081**	**100.00**

Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbi.com)
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – (022) 66552779, 66553062, 66552620 Fax – (022)2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbi.com
	Registrar and Transfer Agents Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel. No. (040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No. (040) 23420814 E-mail : einward.ris@karvy.com
Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	**IDBI Capital Market Services Ltd.** 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, 1st Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Asset Management Ltd.** 5th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Status of Compliance of Discretionary Requirements of Regulation 27

The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the Listing Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on corporate governance on the prescribed formats to the stock exchanges within the prescribed timelines. As regards discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the Listing Regulations, the status is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	Presently, the position of Non-Executive (Non-Whole-time) Chairman of the Bank is vacant.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the stock exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD/CEO	The Bank, now, has separate positions of a Non-Executive (Non-Wholetime) Chairman and a MD & CEO.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor, Shri Umesh Jain, CGM, reports directly to ACB.

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March 2016

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN:L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai -400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Ltd** (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2016**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March 2016 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder and applicable provisions of the Companies Act,1956;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 upto 14th May 2015 / Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015 (effective 15th May 2015);

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client - **Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - **Not applicable as the Company has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review; and**

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - **Not applicable as the Company has not bought back /proposed to buy back any of its securities during the financial year under review.**

vi. The laws as are applicable specifically to the Company are as under:

1. Bankers' Books Evidence Act, 1891;
2. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
3. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time);
4. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
5. FEMA Rules, Regulations and notifications issued from time to time;
6. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993;
7. Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;
8. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and
9. The Payment And Settlement Systems Act, 2007.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India and made effective 1st July 2015;

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 made effective 1st December 2015;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that: -

➢ The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

➢ Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➢ Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that based on the review of the Compliance mechanism established by the Company and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by the Company Secretary and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

➢ As informed, the Company has responded to notices for demands, claims, penalities,etc., levied by various statutory/ regulatory authorities and initiated actions for corrective measures, wherever found necessary.

We further report that during the audit period the Board has:

1. Issued and allotted 29,60,94,580 Equity Shares of ₹ 10/- to Government of India on preferential basis on 30th December 2015 at an issue price of ₹ 75.28 per share aggregating to ₹ 2,229 crore;
2. Issued and allotted 15,87,61,801 equity shares of ₹ 10/- to Life Insurance Corporation of India on preferential basis on 23rd March 2016 at an issue price of Rs.53.44 per share aggregating to ₹ 848 crore.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No.P1991MH040400

Sd/-
S.N.ANANTHASUBRAMANIAN
PARTNER
C.P No: 1774

Date : 12th May, 2016
Place : Thane

To,
The Members,
IDBI Bank Limited,
CIN: L65190MH2004GOI148838,
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai -400005

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No.P1991MH040400

Sd/-
S.N.ANANTHASUBRAMANIAN
PARTNER
C.P No: 1774

Date : 12th May, 2016
Place : Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2016 के लिए तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इसमें इसके पश्चात् 'एकल वित्तीय विवरण' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं. इनमें उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए दुबई शाखा की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा दुबई में बैंक के शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है.

2. यह लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित व संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखाओं में उपलब्ध रिकॉर्डों तथा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत बैंकिंग एप्लीकेशनों के माध्यम से उत्पन्न हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके. उक्त एकल वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जिन पर हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए भरोसा किया है.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस ज़िम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य

To
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter called as 'the standalone financial statements') in which are incorporated the returns of Dubai branch for the year ended as on that date, audited by the branch auditor of the Bank at Dubai.

2. The audit was planned and conducted so as to cover records available at various processing centers/ regional offices/branches and reports generated through centralized banking applications at central office level. Incorporated in the said standalone financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the Standalone Financial Statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

3. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India (RBI) from time to time, accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This

अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

4. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने इसमें अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में रखा है. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

5. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

6. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं.

responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder. We conducted our audit of the Bank in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Directors of the Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

राय

7. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा बैंक द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त एकल वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित की सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं:

   क. तुलन पत्र के मामले में यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

   ख. लाभ-हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि की स्थिति; और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

9. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग) दुबई में बैंक की शाखा तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं.

10. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है.

   (ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी अब तक की जांच से पता चलता है.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required for Banking Companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2016;

   b) in the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and

   c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 129 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

9. As required by sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that :

   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

   c) The returns received from the offices and branch of the Bank at Dubai have been found adequate for the purpose of our audit.

10. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books.

(ग) बैंक के महत्वपूर्ण परिचालन पूर्णतः स्वचालित हैं तथा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध हैं. लेखापरीक्षा केंद्रीकृत रूप से की जाती है, क्योंकि लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा डाटा उसमें केंद्रीकृत रूप में ही उपलब्ध हैं. अतएव भारत में स्थित शाखाओं द्वारा लेखा विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित दुबई शाखा के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने रिपोर्ट तैयार करने में उस पर उचित रूप से विचार किया है.

(घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

(च) यथा 31 मार्च 2016 को निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा नोट किए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं किया गया है.

(छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में अनुबंध में अलग रिपोर्ट देखें.

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(9)(सी) का संदर्भ लें.

(c) The key operations of the Bank are completely automated and key applications are integrated with the core banking system, the audit is carried out centrally as all the necessary records and data required for the purpose of the audit are centrally available therein. Therefore accounting returns are not required to be submitted by the branches in India and the report on the accounts of Dubai branch audited by the branch auditor u/s 143(8) of the Companies Act 2013 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing the report.

(d) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

(f) On the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2016 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2016 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013.

(g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(9) (c) to the standalone financial statements.

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(9)(बी) का संदर्भ लें.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts Refer Schedule 18(9)(b) to the standalone financial statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं. : 106655W

(ए. वी. कामत)
साझेदार
स. सं. 039585

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.: 101872W/W100045

(निलेश जोशी)
साझेदार
स. सं. 114749

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

(A.V. Kamat)
Partner
M. No. 039585

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

(Nilesh Joshi)
Partner
M. No: 114749

Place: Mumbai
Date: May 20, 2016

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 10(छ) के संदर्भ में)

1. हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और

Annexure to the Independent Auditors' Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

(Referred to in paragraph 10(g) of our Audit Report of even date)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited ("the Bank") as of March 31, 2016 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to a audit of internal financial controls and both issued by the Institute of

लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (क) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (ख) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियां और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (ग) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अभिभावी होने की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

राय

8. हमारी राय में, बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2016 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**	कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W	फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045
(ए. वी. कामत)	**(निलेश जोशी)**
साझेदार	साझेदार
स. सं. 039585	स. सं. 114749

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Bank has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Mukund M. Chitale & Co.**	For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W	Firm Reg No: 101872W/W100045
(A.V. Kamat)	**(Nilesh Joshi)**
Partner	Partner
M. No 039585	M. No: 114749

Place: Mumbai
Date: May 20, 2016

तुलन पत्र 31 मार्च 2016 को
Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	2058 81 51	1603 95 76
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	25662 97 40	22712 96 08
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' stock options (grants) outstanding		-	18 51
जमाराशियां / Deposits	3	265719 83 13	259835 97 39
उधार राशियां / Borrowings	4	69573 93 98	61832 45 78
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	11356 56 77	10158 46 41
कुल / TOTAL		**374372 12 79**	**356143 99 93**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13822 90 72	13152 82 66
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	2757 63 35	1489 98 51
निवेश / Investments	8	98999 43 23	97700 87 53
अग्रिम / Advances	9	215893 44 89	208376 86 65
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	7447 31 50	3060 49 62
अन्य आस्तियां / Other assets	11	35451 39 10	32362 94 96
कुल / TOTAL		**374372 12 79**	**356143 99 93**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	198306 56 80	231608 74 12
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14550 35 09	14464 49 59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M.No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M.No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28043 10 15	28153 99 20
	अन्य आय / Other income	14	3410 35 72	4007 63 21
	कुल / TOTAL		**31453 45 87**	**32161 62 41**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	21953 80 77	22406 09 95
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4129 58 42	4027 41 78
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies	18(B)(XII)	9034 86 93	4854 71 84
	कुल / TOTAL		**35118 26 12**	**31288 23 57**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) / Net Profit/ (Loss) for the year		(3664 80 25)	873 38 84
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		912 18 78	896 76 86
	कुल / TOTAL		**(2752 61 47)**	**1770 15 70**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	218 34 70
	पूंजी रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		74 66 46	229 06 58
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	65 00 00
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	200 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	120 29 68
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		45	59
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		9	25 25 37
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(2827 28 47)	912 18 78
	कुल / TOTAL		**(2752 61 47)**	**1770 15 70**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(अ)(6) 18(A)(6)		
मूल / Basic		(21.77)	5.45
न्यूनीकृत / Diluted		(21.77)	5.45
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M.No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M.No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त 205 88 15 081 (160 39 37 605) इक्विटी शेयर 205 88 15 081 (160 39 37 605) Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	2058 81 51	1603 95 76
(अनुसूची 18 टिप्पणी ग.2 (i) देखें) / (Refer Schedule 18 Note C.2 (i))		
कुल / TOTAL	**2058 81 51**	**1603 95 76**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3019 34 70	2801 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	218 34 70
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 70	**3019 34 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	747 61 73	518 55 15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	74 66 46	229 06 58
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		822 28 19	**747 61 73**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष Opening balance	1662 85 03	1712 83 66
	वर्ष के दौरान परिवर्धन* / Additions during the year* (अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 1 देखें) / (Refer Schedule 18 Note A.1)	3992 24 26	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	49 98 63
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	47 26 62	-
		5607 82 67	**1662 85 03**

* पहले पुनर्मूल्यित की गई आस्तियों के पुनर्मूल्यित भाग पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रतिवर्तन के प्रति ₹ 55 90 34 हजार (शून्य) शामिल है.
* Includes ₹ 55 90 34 Thousand (NIL) towards reversal of excess depreciation charged on the revalued portion of the assets, which were revalued earlier.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	9678 95 18	9678 75 56
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2622 57 85	19 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		12301 53 03	**9678 95 18**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5119 65 62	5025 64 51
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
	(i) स्टाफ कल्याण निधि से अंतरण Transferred from Staff Welfare Fund	-	29 01 11
	(ii) पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	47 26 62	-
	(iii) लाभ - हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	-	65 00 00
	(iv) वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		5166 92 24	**5119 65 62**
	(ख/b) स्टाफ कल्याण निधि / Staff Welfare Fund		
	प्रारंभिक शेष Opening balance	-	29 01 11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	29 01 11
		-	**-**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(घ/d) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1366 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	200 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि** **Balance in Profit and Loss Account**	(2827 28 47)	912 18 78
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**25662 97 40**	22712 96 08

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	6572 94 64	6142 36 83
(ii) अन्य से / From others	22581 07 44	24273 84 42
	29154 02 08	30416 21 25
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**39849 92 61**	**34701 26 79**
III. सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	32641 44 49	28183 96 91
(ii) अन्य से / From others	164074 43 95	166534 52 44
	196715 88 44	194718 49 35
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**265719 83 13**	**259835 97 39**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches in India	263855 36 54	257899 38 83
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1864 46 59	1936 58 56
कुल / TOTAL	**265719 83 13**	**259835 97 39**

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	230 30 00	1222 70 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(v) अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier 1 Bond	2500 00 00	2500 00 00
(vi) अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier 2 Bond	4286 20 00	4286 20 00
(vii) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	8570 00 00	9208 50 00
(VIII) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	-
(viii) अन्य* / Others *	26392 83 87	19699 05 06
II. भारत के बाहर से उधार राशियां /Borrowings outside India	23985 80 11	23207 20 72
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**69573 93 98**	**61832 45 78**

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 16171 63 67 हजार (₹7293 18 86 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 16171 63 67 thousand (₹ 7293 18 86 thousand)

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है, जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं है.
Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (₹ 850 00 00 Thousand), which does not qualify for CRAR

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I.	देय बिल / Bills Payable	989 61 93	1445 68 16
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	98 82	14 44 69
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1652 11 05	1910 53 72
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	3400 28 31	1740 18 53
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	717 49 79	834 75 77
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	142 48 28
	(घ) विविध लेनदार* (d) Sundry Creditors*	300 37 79	293 91 22
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	27 54 78	11 11 59
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	29 73 21	28 72 69
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	2527 05 41	2533 09 01
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	1711 35 68	1203 52 75
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**11356 56 77**	**10158 46 41**

* * सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय - शून्य / Dues to Micro, Small and Medium Enterprises - Nil

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1585 62 81	1804 19 12
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	12237 27 91	11348 63 54
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13822 90 72**	**13152 82 66**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE			
I	**भारत में / In India**			
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	332 77 21	365 37 41
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	365 07 00	305 90 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	848 06 40	-
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	486 10 52	-
			2032 01 13	**671 27 41**
II	**भारत से बाहर / Outside India**			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	417 31 44	65 86 58
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	198 76 50	668 75 00
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	109 54 28	84 09 52
			725 62 22	**818 71 10**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**2757 63 35**	**1489 98 51**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	87124 87 58	83491 49 11
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii) शेयर / Shares	2650 68 18	3049 46 29
	(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	3116 98 01	3540 83 02
	(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	702 03 82	702 03 82
	(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	5404 85 64	6917 05 29
		98999 43 23	**97700 87 53**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
	(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	(iii) अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
		-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**98999 43 23**	**97700 87 53**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	100730 65 60	99157 53 30
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1731 22 37	1456 65 77
	निवल निवेश / Net investments	98999 43 23	97700 87 53
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	5425 56 80	6701 32 73
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	59886 59 18	54303 77 11
(iii) मीयादी ऋण / Term loans *	150581 28 91	147371 76 81
कुल / TOTAL	**215893 44 89**	**208376 86 65**
आ B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by tangible assets **	202531 61 55	198719 15 97
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित Covered by Bank / Government guarantees***	4696 06 55	4046 35 52
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	8665 76 79	5611 35 16
कुल / TOTAL	**215893 44 89**	**208376 86 65**
इ C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	55174 51 85	51060 00 01
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	13823 42 05	9665 00 63
(iii) बैंक / Banks	241 87 04	190 38 02
(iv) अन्य / Others	122824 66 16	124617 13 92
कुल / TOTAL	**192064 47 10**	**185532 52 58**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	132 65 79	175 15 30
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	3943 26 78	4535 84 10
(ग) अन्य (c) Others	19753 05 22	18133 34 67
कुल / TOTAL	**23828 97 79**	**22844 34 07**
कुल (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**215893 44 89**	**208376 86 65**

* ₹ 8411 43 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 790 00 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (निवल) शामिल हैं.
Includes Inter Bank Participatory Certificates (Net) ₹ 8411 43 00 thousand (Previous year (₹ 790 00 00) thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against Letter of Credit issued by other banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी अ.1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)**		
	प्रारम्भिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	2785 37 89	2784 18 43
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	24 75 65	1 24 29
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	3936 33 91	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year*	45 81	4 83
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	480 92 24	477 85 71
		6265 09 40	**2307 52 18**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारम्भिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	1668 39 47	1437 54 47
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	209 53 76	234 37 14
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	5 54 88	3 52 14
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1114 34 86	964 61 94
		758 03 49	**703 77 53**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारम्भिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	424 18 61	49 19 91
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7447 31 50**	**3060 49 62**

* परिसर की बिक्री पर (शून्य) (₹ 319 हजार) का पुनर्मूल्यन रिजर्व शामिल है.

* Includes Revaluation Reserve of (Nil) (₹ 319 Thousand) on sale of Premises

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2860 89 28	2859 62 83
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2689 93 66	2341 46 99
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery and stamps	24 28	18 72
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	793 53 93	81 45 18
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	3940 19 17	2629 98 87
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	185 44 93	170 36 37
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	139 04 35	124 86 65
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	437 52 41	415 33 30
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में खर्चे / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	9 87 26	6 86 62
	(च) विविध * (f) Miscellaneous *	24394 69 83	23732 79 43
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to IV)	**35451 39 10**	**32362 94 96**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 24130 93 67 हजार (₹ 23262 33 75 हजार) का निवेश शामिल हैं. (अनुसूची 18.इ.VI)

* Includes Investment in Priority sector ₹ 24130 93 67 thousand (₹ 23262 33 75 thousand) (Schedule 18.C.VI)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	143 82 59	127 33 15
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	51833 70 39	80085 97 59
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52628 76 62	52772 87 83
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	5593 19 29	4941 47 24
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	26458 38 47	28818 50 85
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	52291 09 81	52075 45 74
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	7659 30 62	11597 57 04
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1670 99 15	1172 85 37
VIII	अन्य Others	27 29 86	16 69 31
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**198306 56 80**	**231608 74 12**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी अ.9 देखें

Refer Schedule 18 Note A.9 for description of Contingent Liabilities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest/discount on advances/bills	20772 25 49	20829 76 82
II	निवेशों से आय / Income on investments	5941 07 63	6265 51 85
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	47 07 27	69 35 36
IV	अन्य / Others	1282 69 76	989 35 17
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**28043 10 15**	**28153 99 20**

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2116 64 97	1935 31 90
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	828 61 23	1635 92 78
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	(102 91 16)	(50 18 46)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(4 03)	4 06
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	287 06 21	275 64 46
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	21 56 40	19 41 00
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	139 78 57	54 14 85
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	119 63 53	137 32 62
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3410 35 72**	**4007 63 21**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	16971 86 46	17661 45 53
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	1232 44 84	1212 02 58
III	अन्य / Others	3749 49 47	3532 61 84
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**21953 80 77**	**22406 09 95**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1674 05 07	1926 35 81
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	401 37 30	368 69 74
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	54 88 96	51 48 19
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	24 41 66	41 56 84
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास */ Depreciation on the Bank's property *	214 17 54	136 94 62
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	59 04	50 80
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 24 78	2 18 61
VIII	विधि प्रभार / Law charges	14 94 70	16 49 53
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	98 36 18	101 14 92
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	300 66 97	230 42 51

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
XI	बीमा / Insurance	224 21 47	217 60 88
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	55 47 91	50 83 42
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	321 96 77	261 17 00
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	8 08 88	4 33 07
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 62 14	3 76 53
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	310 89 87	224 05 18
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	75 14 38	62 32 49
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	42 46 06	39 90 33
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	34 30 74	25 40 23
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 07 07	8 66 49
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	36 47 63	53 84 23
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	225 13 30	199 70 36
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**4129 58 42**	**4027 41 78**

* शून्य (₹ 41 84 02 हजार) के पुनर्मूल्यन रिजर्व को घटाकर

* Net of Revaluation Reserve of Nil (₹ 41 84 02 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार/ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचना अनुसार) और भारत के बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों को अपनाया गया है. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. अनुमानों का उपयोग/ Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शाई गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण/ Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ हो तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. साख पत्र (एलसी)/ बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार उन्हें दर्शाया जाता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

4. अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन के निर्णयानुसार अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI and additional provisions as decided by the management. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहां बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहां अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्‍वासन-पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा ऋणी की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में अभिनिर्धारित किया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित रूप में सुरक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण किया है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5 निवेश/ Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित,
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें और पास थ्रू प्रमाणपत्र).
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और इनका मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held To Maturity'.

इ. मूल्यांकन

C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में :

In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को अर्जन/ बिक्री लागत में से घटाया जाता है और ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिवक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक वह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों' के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्घृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्घृत/ क्रय-विक्र न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और यूनिटों का मूल्य रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

के मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है और अनुद्धृत/ क्रय-विक्रय न किए जाने वाले अधिमान्य शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर उपयुक्त प्रतिलाभ आधार मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता पर धारित' निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने तथा ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6 डेरिवेटिव लेन-देन/ Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Hedge':

क. डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया हो. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'क्रय-विक्रय' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शंस और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर जाती है और नकदी निपटान टी + 1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों पर हुए लाभ/ हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित माहान्त निपटान की तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits/ losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास/ Fixed Assets and depreciation

i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसर का पुनर्मूल्यन किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है और उसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account.

v) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi) ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii) मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा आस्ति के अनुमानित के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. मूल्यह्रास और परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible asset is allocated over useful life of the asset as estimated by the management. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life.

viii) इन आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उपयोगी जीवनकाल से भिन्न होता है. आंतरिक निर्धारण और किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन विश्वास करता है कि नीचे दिए

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

गए अनुसार उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को प्रदर्शित करता है, जिसके दौरान प्रबंधन यह आशा करता है कि वह इन आस्तियों का प्रयोग कर सकेगा. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन/ बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.

The useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. Based on internal assessment and technical evaluation carried out, the Management believes that the useful lives as given below best represent the period over which Management expects to use these assets. Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix) प्रबंधन अन्य अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल का अनुमान निम्नानुसार लगाता है:
The Management estimates the useful lives for the fixed assets as follows:

आस्ति/ Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Estimated Useful Life (in Years)
परिसर/ Premises	61.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स/ Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी/ Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन/ Motor vehicles	5
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित)/ Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/ Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/ VSAT equipment	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं/ Consumer durables with employees	5

x) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

8 प्रतिभूतिकरण लेन-देन/ Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/ प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयीं, जारी की गयीं या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

9 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक अग्रिमों की बिक्री के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् धारित प्रावधान घटाकर बही मूल्य) से कम मूल्य पर है, तो कमी को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है. यदि बिक्री निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर है, तो आधिक्य प्रावधान को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसका उपयोग अन्य अनर्जक अग्रिमों की बिक्री से हुई कमी/ हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है. रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2014 को अनर्जक अग्रिमों की बिक्री के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि अनर्जक अग्रिमों की बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो कमी को दो वर्ष की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है. यदि बिक्री निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर है, तो आधिक्य प्रावधान को राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ-हानि विवरण में जमा किया जाता है.

In accordance with RBI guidelines on sale of non-performing advances, if the sale is at a price below the net book value (i.e. book value less provisions held), the shortfall is charged to the Statement of Profit and Loss. If the sale is for a value higher than the net book value, the excess provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall/ loss on account of sale of other non-performing advances. The RBI issued new guidelines on sale of non-performing advances on February 26, 2014. In accordance with these guidelines, if the sale of non-performing advances is at a price below the net book value, the shortfall is charged to the Statement of Profit and Loss spread over a period of two years. If the sale is for a value higher than the net book value, the excess provision is credited to the Statement of Profit and Loss in the year the amounts are received.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन/ Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

   Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

   Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) की अंतिम दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की संविदागत दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को फेडाई द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ:/ Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय है, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

12 खंड रिपोर्टिंग/ Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक -17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक की प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा समूह की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित तथा अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों को आबंटित नहीं हैं उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है, जो किसी आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

14 प्रति शेयर आय/ Earnings Per Share

i. बैंक एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 आस्तियों की अनर्जकता/ Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूलीक्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गयी हों तो अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (एएस-10)
FIXED ASSETS (AS-10)

i. परिसर में ₹2177.16 करोड़ (₹1339.70 करोड़) की लीज़ पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यन किया गया था. पुनर्मूल्यन में ₹1129.05 करोड़ की हुई निवल वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा कर दिया गया था.
Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16 crore (₹ 1339.70 crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/कार्यालय भवन का 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यन किया है. पुनर्मूल्यन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2807.29 करोड़ हुई है जो ₹ 1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यित राशि का अंतर है, जिसे 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है.
The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 crore and revalued amount of ₹4010 crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में ₹ 5607.83 करोड़ (₹ 1662.85 करोड़) शेष है.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2016 is ₹ 5607.83 crore (Previous year ₹ 1662.85 crore).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित):
Employee Benefits (AS-15) (Revised)

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं**
Defined Contribution Schemes

उन बैंक कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में पीएफएस में अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि प्रशासक समिति (निधि)'' द्वारा संचालित किया जाता है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.85 करोड़ (₹4.99 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया.
The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". During the year, ₹ 4.85 crore (₹4.99 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹53.83 करोड़ (₹44.23 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 53.83 crore (₹ 44.23 crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं**

Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है:

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2016 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016	पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन : **a) Change in benefit obligations:**				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	1739.24	514.45	1414.34	396.87
ब्याज लागत/ Interest cost	138.27	41.31	131.11	36.95
चालू सेवा लागत/ Current Service cost	44.63	28.96	35.02	22.58

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016	पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरित देयता आगम/ (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(85.07)	(39.41)	(71.85)	(39.27)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि/ Actuarial (gain)/ loss	10.94	19.85	230.62	97.32
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/ दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**1848.01**	**565.16**	**1739.24**	**514.45**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	1622.76	423.55	1445.74	411.44
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	141.18	36.85	125.78	35.80
	नियोक्ता का अंशदान/ Employer's contributions	132.58	90.9	98.62	16.65
	अन्य कंपनी से अंतरण/ Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(85.07)	(39.41)	(71.85)	(39.27)
	बीमांकिक लाभ/ (हानि)/ Actuarial gain/ (loss)	7.01	4.95	24.47	(1.07)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1818.46**	**516.84**	**1622.76**	**423.55**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	1848.01	565.16	1739.24	514.45

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016	पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ प्रावधान की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	0.00	0.00	-	-
	31 मार्च 2016 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2016	1848.01	565.16	1739.24	514.45
	31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2016	1818.46	516.84	1622.76	423.55
	अधिशेष/(घाटा)/ Surplus/ (Deficit)	**(29.55)**	**(48.32)**	**(116.48)**	**(90.90)**
घ) d)	**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2016**				
	सेवा लागत/ Service cost	44.63	28.96	35.02	22.58
	ब्याज लागत/ Interest cost	138.27	41.31	131.11	36.95
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(141.18)	(36.85)	(125.78)	(35.80)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	3.93	14.90	206.15	98.39
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**45.65**	**48.32**	**246.50**	**122.12**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016	पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015
	बट्टे खाते न डाली गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	**0.00**	**0.00**	**(31.40)**	**(14.55)**
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**45.65**	**48.32**	**215.10**	**107.57**
ङ) e)	**यथा 31 मार्च 2016 को आस्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2016**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	880.73	0.00	801.02	0.00
	कॉरपोरेट बांड/ Corporate Bonds	472.07	0.00	463.49	0.00
	विशेष जमा योजना/ Special Deposits Scheme	15.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	516.84	0.00	423.54
	अन्य/ Others	450.66	0.00	358.25	0.01
	कुल/ Total	**1818.46**	**516.84**	**1622.76**	**423.55**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर/ Discount rate	8.06%	8.07%	7.95%	8.03%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

	पेंशन यथा 31 मार्च 2016 Pension As at March 31, 2016	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2016 Gratuity As at March 31, 2016	पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	8.10%	8.10%	8.70%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
ह्रास दर/ Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 4 Years
मृत्यु दर/ Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु अंतिम रूप से (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु अंतिम रूप से (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ:**

Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹20.29 करोड़ (₹98.72 करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 20.29 crore (₹98.72 crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)/ SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्न तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:/ The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी/ Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, स्वाम्य खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भी भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/ currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो भी कवर हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory/ syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र.स. Sr. No.	विवरण/ Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year Ended March 31, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 Year Ended March 31, 2015
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
क./a.	**खंड राजस्व/ Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	24204	27003
	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	24659	23045
	ट्रेजरी/ Treasury	556	706
	कुल/ TOTAL	**49419**	**50754**
	घटाएं : अंतर-खंड राजस्व/ Less :- Inter-segment revenue	17966	18593
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय Net sales/ income from operations	**31453**	**32161**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र.स. Sr. No.	विवरण/ Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year Ended March 31, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 Year Ended March 31, 2015
ख./b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results -Profit/ (loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	(5429)	1470
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	184	(616)
	ट्रेजरी/Treasury	274	433
	कुल/TOTAL	**(4971)**	**1287**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) Total profit/ (loss) before tax	**(4971)**	**1287**
	आय कर/Income taxes	(1306)	414
	निवल लाभ/ हानि/Net profit/ (loss)	**(3665)**	**873**
ग./c.	**खंड आस्तियां/Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	206001	222259
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	150850	121701
	ट्रेजरी/Treasury	10891	7213
	अविनिधानित आस्तियां/ unallocated assets	6630	4971
	कुल आस्तियां/ Total assets	**374372**	**356144**
घ./d.	**खंड देयताएं/Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	162262	156264
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	189766	176003
	ट्रेजरी/ Treasury	230	1223
	अविनिधानित देयताएं/ Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं/ Total liabilities	**352258**	**333490**
ङ./e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	43739	65994
	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	(38916)	(54302)
	ट्रेजरी/Treasury	10661	5991
	अविनिधानित/ Unallocated	6630	4971
	कुल देयताएं/ Total	**22114**	**22654**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
- The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
- The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)/ Related Party Disclosures (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. सहायक संस्थाएं
Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.
IDBI Capital Market Services Ltd.

आईडीबीआई इंटेक लि.
IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.
IDBI MF Trustee Company Ltd.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
IDBI Asset Management Company Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
IDBI Trusteeship Services Limited.

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

III. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key management personnel of the Bank

श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-30 जून 2015 तक
Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director till 30th June 2015

श्री किशोर पी. खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ-14 अगस्त 2015 से
Shri Kishor P Kharat, Managing Director & CEO from 14th Aug 2015

श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक
Shri.Balkrishan Batra, Deputy Managing Director

श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक-13 अगस्त 2015 तक
Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director till 13th Aug 2015

श्री एन.एस. वेंकटेश, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफ़ओ
Shri N.S. Venkatesh, Executive Director & CFO

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव
Shri Pawan Agrawal, Company Secretary

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ./B.

i. पक्षकार जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किए गए
Parties with whom transaction were entered into during the year

लेखांकन मानक (एएस) 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार 'सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों' के संबंध में संबद्ध पक्षकार संबंधी किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. बैंक की सभी सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम हैं अत: सहायक संस्थाओं के साथ लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है. साथ ही एएस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है.
No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. All the subsidiaries of the Bank are State-controlled Enterprises; hence no disclosure is made for transaction with subsidiary Companies. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of relatives of Key Management Personnel.

ii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां:
Transactions/ balances with related parties:

(₹ करोड़ में)/ (₹ In crore)

विवरण Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम Jointly controlled entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां/ Deposits Received	6.14 (7.53)	0.21 (0.35)	6.35 (7.88)
अन्य बकाया देयताएं/ जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	37.59 (32.56)	1.28 (1.05)	38.87 (33.61)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	37.59 (32.56)	3.21 (1.38)	40.80 (33.94)
बकाया निवेश Investments outstanding	384.00 (384.00)	- (-)	384.00 (384.00)
प्रदत्त अग्रिम**/ Advance Given **		2.41	2.41
बकाया अग्रिम/Advances outstanding	- (-)	1.92 (0.13)	1.92 (0.13)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	- (-)	2.98 (0.18)	2.98 (0.18)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ In crore)

विवरण Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम Jointly controlled entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	- (-)	0.18 (0.02)	0.18 (0.02)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	- (-)	- (-)	- (-)
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	4.24 (3.46)	0.11 (0.08)	4.35 (3.54)
पारिश्रमिक Remuneration	- (-)	1.06 (0.61)	1.06 (0.61)
अन्य आय Other income	48.04 (38.13)	0.16 (0.12)	48.20 (38.25)
वर्ष के दौरान लाभ/ (हानि) का हिस्सा Share of profit/ (loss) during the year	7.34 (74.19)	- (-)	7.34 (74.19)

** आईडीबीआई द्वारा एमडी एवं सीईओ को उनके पुत्र श्री रोहित खरात के साथ संयुक्त रूप से आवास ऋण मंजूर किया गया. यथा 31 मार्च 2016 को उक्त ऋण के तहत कोई संवितरण नहीं किया गया था.

** Housing loan sanctioned by IDBI to MD & CEO jointly with his son, Shri Rohit Kharat. No disbursement under the loan had been made as on 31/03/2016.

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES(AS-19)

परिचालनगत पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और एटीएम शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर या तो निरसनीय हैं या अनिरसनीय परिचालनगत पट्टे हैं.

Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines (ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसनीय/ अनिरसनीय परिचालनगत पट्टों पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 291.04 करोड़ (₹256.36 करोड़) की राशि प्रभारित की गई.

During the year ₹ 291.04 crore (₹ 256.36 crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/ non-cancellable operating lease.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

तुलन पत्र की तारीख तक अनिरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
एक वर्ष के बाद नहीं/ Not Later than one year	1.97	3.60
एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	-	-

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20)/ EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in crores)	(3664.80)	873.39
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	16830 99 282	16039 51 602
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	1 307
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	16830 99 282	16039 52 909
ईपीएस (मूल) (₹) EPS (Basic) (₹)	(21.77)	5.45
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) EPS (Diluted) (₹)	(21.77)	5.45
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित आस्तियों एवं आस्थगित देयता का घटक नीचे दिया गया है:
The Component of Deferred Assets and Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ In crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2015 को As at March 31, 2015	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016	यथा 31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/ Depreciation on fixed assets	56.16	4.02	60.18
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	439.81	-	439.80
कुल (अ)/Total (A)	**495.97**	**4.02**	**499.98**
आस्थगित कर आस्ति/Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	2981.62	1013.05	3994.67
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(आईए) आदि के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	143.49	(16.98)	126.51
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती से कवर किया गया व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	8.42	0.27	1.11
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31,2016	-	56.44	56.45
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार में हानि Business Loss for the year ended March 31, 2016	-	261.44	261.44
कुल (आ)/Total (B)	**3125.96**	**1314.22**	**4440.18**
आस्थगित कर देयता/ (आस्ति)(निवल)(अ)-(आ) **Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)**	**(2629.99)**	**(1310.20)**	**(3940.20)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

कराधान के प्रावधान
Provision of Taxation

(₹ करोड़ में)/(₹ In crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2015
क. आय कर a. Income Tax	4.25	1045.60

8. संयुक्त उद्यम (एएस 27)/ JOINT VENTURES (AS-27)

कंपनी का नाम/Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता Holding
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत India	48%

एएस-27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2016 (Unaudited)	31 मार्च 2015 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2015 (Unaudited)
देयताएं/ Liabilities		
इक्विटी पूंजी एवं रिज़र्व/ Equity Capital & Reserve	384.00	384.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान/ Other Liabilities & Provisions	102.60	98.94
कुल/ Total	**486.60**	**482.94**
आस्तियां/ Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां/ Cash and Bank Balances	51.59	59.37
निवेश/ Investments	151.51	222.31

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ In crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2016 (Unaudited)	31 मार्च 2015 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2015 (Unaudited)
अचल आस्तियां/ Fixed Assets	62.47	5.11
अन्य आस्तियां/ Other Assets	137.86	105.60
विविध व्यय/ संचित हानि/ Miscellaneous Expenditure/ Accumulated Losses	83.17	90.55
कुल/ Total	**486.60**	**482.94**
पूंजी वचनबद्धताएं/ Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं/ Other Contingent Liabilities	61.47	32.59
आय/ Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय/ Income from Investments/Interest Income	16.40	17.76
अन्य आय/ Other income	(6.52)	57.79
कुल / Total	**9.89**	**75.55**
व्यय/ Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि/ Losses from Insurance Business	-	-
परिचालनगत व्यय/Operating expenses	2.55	1.35
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं/Provisions & Contingencies	0.0003	0.0061
कुल /Total	**2.55**	**1.36**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)/ Profit/ (Loss) for the Year	7.34	74.19

9. आकस्मिक देयताओं का विवरण*/ Description of Contingent Liabilities *

क./ a.

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्य-निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, यह मद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करता है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्य-निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कारपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गई गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़)- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ़ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदा
b. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
c. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं भी देखें.

*Also refer Schedule-12- Contingent Liabilities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
B DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.98%	7.29%
2	सीआरएआर- टीयर I पूंजी अनुपात (%) CRAR - Tier I Capital (%)	8.89%	8.18%
3	सीआरएआर - टीयर II पूंजी अनुपात (%) CRAR - Tier II Capital (%)	2.78%	3.58%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.67%	11.76%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	73.98%	76.50%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (अनुसूची 18.सी.2.I (ए)) Amount of equity capital raised (Schedule 18.C.2.I (A))	3077.42	0
7	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से - Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस :/PNCPS:	0	0
	पीडीआई :/ PDI:	0	2500
8	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि ; Amount of Tier 2 capital raised;		
	जिसमें से-/ of which		
	ऋण पूंजी लिखत:/ Debt capital instrument:	1900	0
	प्राथमिक शेयर पूंजी लिखतः [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	0	0

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. निवेश/ Investments

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items		यथा 31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016	यथा 31 मार्च 2015 को As at March 31, 2015
(1)	निवेश का मूल्य/ Value of Investments			
	(i)	निवेश का सकल मूल्य/ Gross Value of Investments		
		(क) भारत में (a) In India	100730.66	99157.53
		(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
	(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान/ Provisions for Depreciation		
		(क) भारत में (a) In India	1731.22	1456.66
		(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य/ Net Value of Investments		
		(क) भारत में (a) In India	98999.43	97700.87
		(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments			
	(i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1456.66	1248.46
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	780.86	301.79
	(iii)	घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	506.29	93.59
	(iv)	अंतिम शेष/Closing balance	1731.22	1456.66

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

III. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	65.00	5217.66	171.95	470.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	6,908.45	624.12	316.00
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
Non- SLR Investment Portfolio

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. SN	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'below investment grade' securities	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना Issuer composition of Non-SLR investments**					
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	1466.40	695.79	0.00	76.01	181.10
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	330.20	202.70	12.50	119.24	110.62
3	बैंक Banks	325.56	13.60	0.00	36.24	1.49
4	निजी कॉरपोरेट Private Corporates	9319.94	6118.60	1141.95	3625.68	7150.08
5	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ JV	702.04	263.17	0.00	702.04	702.04
6	अन्य/ Others	5947.64	47.05	3.86	4763.69	5927.67
	सकल कुल/ Gross Total	**18091.78**	**7340.91**	**1158.31**	**9322.90**	**14073.00**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep.	1731.23				
	कुल/ Total	**16360.56**	**7340.91**	**1158.31**	**9322.90**	**14073.00**

नोटः इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

इक्विटी/ अधिमानी शेयरों तथा राज्य स्तरीय बांडों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
NPI Investments in equity/ preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में)/ (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	राशि/ Amount
प्रारंभिक शेष/ Opening balance	**1010.63**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	457.53
वर्ष के दौरान कमी/ Reductions during the year	333.99
अंतिम शेष/ Closing balance	**1134.17**
एनपीआई के तहत धारित कुल प्रावधान/ Total provisions held toward NPI	**835.99**

V. प्रतिभूतियों का परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers of securities to/ from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ को की गई बिक्री तथा अंतरण रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 अक्तूबर 2014 के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 42/21.04.141/2014-15 और दिनांक 10 दिसंबर 2015 के रिज़र्व बैंक परिपत्र डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 65/ 21.04.141/ 2015-16 के पैरा 3 के अनुसार लेखा वर्ष के प्रारम्भ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी से/ को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण और पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन नीलामियों के तहत रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री तथा एचटीएम से प्रतिभूतियों के अंतरण को छोड़कर वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हैं.

a. During the year ended March 31, 2016, the value of sales and transfers of securities to/ from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/ from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by Banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and transfer of securities from HTM in terms of RBI Circular DBOD NO. BP.BC.42/21.04.141/2014-15 dated October 7, 2014 and para 3 of RBI Circular DBR.NO.BP.BC.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015) have not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

ख. रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 अक्तूबर 2014 के परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 42/21.01.141/2014-15 के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा को क्रमिक रूप से घटाकर 19 सितंबर 2015 तक एनडीटीएल के 24 प्रतिशत से 22 प्रतिशत करने के लिए सूचित किया गया था. इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के 10 दिसंबर 2015 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बी.सी. 65/21.04.141/2015-16 के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा को क्रमिक रूप से 9 जनवरी 2016 तक एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से कम कर 21.5 % करने और 7 जनवरी 2017 तक 20.50 प्रतिशत करने के लिए सूचित किया गया था. तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 12,410.09 करोड़ बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एचएफ़टी/ एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

b. In terms of RBI circular DBOD.BP.BC.No.42/21.01.141/2014-15 dated 7th October, 2014, the Banks were advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 24 per cent of NDTL to 22 per cent by September 19, 2015 in a graduated manner. Further in terms of RBI Circular DBR.NO.BP.B.C.65/21.04.141/2015-16 dated December 10, 2015, the Banks were advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 22 per cent of NDTL to 21.5 percent by January 9, 2016 and to 20.50 per cent by January 7, 2017 in a graduated manner. Accordingly, during the current financial year the Bank has transferred SLR securities with book value of ₹ 12,410.09 crores from HTM category to HFT/AFS category as per the extant RBI guidelines.

VI. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन
Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष/ Year ended	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख से Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	अभ्युक्ति Remarks
2016 (चालू वर्ष) 2016 (Current year)	-	-	शून्य Nil
2015 (पिछले वर्ष) 2015 (Previous year)	-	-	शून्य Nil

VII. डेरिवेटिव/ Derivatives

1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप/ Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. S. No.	विवरण/ Particulars	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	39.57	30,914.91	460.00	30900.80
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	4.94	205.54	0.00	111.63

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. S. No.	विवरण/ Particulars	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपाश्र्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	4.94	(9.91)	(4.44)	(5.43)

क. 31 मार्च 2016 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण सहायता) कॉरपोरेट ग्राहकों को बैंक की कुल वर्तमान ऋण सहायता का 92.07.%(64.23.%) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2016 is at 92.07% (64.23%) of the total current exposure from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2016 को स्वैप का स्वरुप और शर्तें निम्नानुसार हैं;

b. The nature and terms of the Swap as on March 31, 2016 are set out below:

स्वरुप Nature	संख्या Nos	अनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	240	10,328.76	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	256	10543.65	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

स्वरुप Nature	संख्या Nos	अनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	23	775.00	मिफोर MIFOR	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	28	880.00	मिफोर MIFOR	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	14	4,218.80	एसआईआरएस SIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	10	4,041.57	एसआईआरएस SIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	57.43	सीआईआरएस CIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	69.70	सीआईआरएस CIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	4	32.29	बेसिस स्वैप Basis Swap	अस्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Float Payable v/s Float Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	12	11,925.90	एसआईआरएस SIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2015 को स्वैप का स्वरुप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2015 are set out below :

प्रकृति Nature	संख्या Nos	अनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	123	7,793.97	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	158	11,179.38	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	29	1,000.00	मिफोर MIFOR	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	35	1,080.00	मिफोर MIFOR	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	20	4,544.02	एसआईआरएस SIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	16	4,438.65	एसआईआरएस SIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	6	563.14	सीआईआरएस CIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	4	301.63	सीआईआरएस CIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज Hedge	4	210	एसआईआरएस SIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
हेज Hedge	5	250	सीआईआरएस CIRS	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
हेज (डीआईएफ़सी) Hedge (DIFC)	9	9,062.50	एसआईआरएस SIRS	अस्थिर देय बनाम स्थिर प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में)
(₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	8,175.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	167.42
(ii)	31 मार्च 2016 को एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	303.56
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iii)	एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iv)	एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर्स a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i)	बैंक हेजिंग तथा साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं. The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.
(ii)	बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन ढांचा, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं. जोखिम प्रबंध विभाग, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है. The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization structure, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager. The Risk Management Department is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.
(iii)	ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव क्रय-विक्रय करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, पीवी01, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के ज़रिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है. Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/ counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/ counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, PV01, gaps, Greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.
(iv)	डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं. The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sl. No	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2016) Current Year (MAR 2016)		पिछला वर्ष (मार्च 2015) Previous Year (MAR 2015)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt)				
	(क) हेजिंग के लिए a) For hedging	39.57	11925.90	1,887.70	9522.50
	(ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	16766.46	30914.91	21,204.57	30900.80
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	1479.89	376.91	1,355.61	154.59
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(1,415.73)	(215.45)	(1,473.66)	(138.32)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit Exposure (2)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	10.88	303.88	46.06	195.88
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	2,815.61	556.31	2,895.96	500.11
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sl. No	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2016) Current Year (MAR 2016) मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	पिछला वर्ष (मार्च 2015) Previous Year (MAR 2015) मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	1.28	416.74	14.36	373.50
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.14	7.28	0.04	16.97
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	क) हेजिंग पर a) on hedging				
	-अधिकतम - Maximum	36.85	450.45	25.24	422.44
	-न्यूनतम - Minimum	1.28	124.81	6.67	282.85
	ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	-अधिकतम - Maximum	0.53	21.28	2.71	23.74
	-न्यूनतम - Minimum	0.00325	0.2128	0.000910	0.4861

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII आस्ति गुणवत्ता
Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण तथा अग्रिम, उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. SN	मदें/ Items		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)		6.78	2.88
(ii)	एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) Movement of NPAs (Gross)			
	(क) (a)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	12684.97	9960.16
	(ख) (b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	19086.60	6100.81
	(ग) (c)	वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	6896.50	3376.00
	(घ) (d)	अंतिम शेष Closing balance	24875.07	12684.97
(iii)	निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव Movement of Net NPAs			
	(क) (a)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	5992.52	4902.30
	(ख) (b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	9797.27	1792.97
	(ग) (c)	वर्ष के दौरान कमी/पुनर्वर्गीकरण Reduction/ Reclassification during the year	1146.40	702.75
	(घ) (d)	अंतिम शेष Closing balance	14643.39	5992.52

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. SN	मदें/ Items	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव** **Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	6633.97	4973.50
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	9204.38	4202.48
	(ग) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (c) Write-off/ write back of excess provision	5696.99	2542.01
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	10141.36	6633.97
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलिक प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात** **Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	**57.24%**	**66.63%**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. 31 मार्च 2016 को पुनर्संरचित खातों के प्रकटन/ Disclosure of Restructured Accounts as on 31 March 2016

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार ₹/ Type of Restructuring ₹		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत/ Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य/ Others					कुल/ Total				
	आस्ति का वर्गीकरण ₹/ Asset Classification ₹ विवरण/ Details ₹		मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल/ Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2015 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* Restructured Accounts as on 1 April 2015 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	66	7	22	-	95	-	-	-	-	-	141	53	156	-	350	207	60	178	-	445
		बकाया राशि Amount outstanding	8099.19	485.28	1974.52	-	10558.99	-	-	-	-	-	8623.35	658.16	1095.40	-	10376.90	16722.54	1143.44	3069.92	-	20935.89
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	452.42	12.25	12.72	-	477.40	-	-	-	-	-	269.94	1.38	32.12	-	303.44	722.36	13.64	44.85	-	780.84
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	15	4	0	0	19	15	4	0	-	19
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	2613.49	3765.92	0.00	0	6379.41	2613.49	3765.92	0.00	-	6379.41
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	18.20	0.05	0.00	0	18.25	18.20	0.05	0.00	-	18.25
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	(3.00)	(4.00)	-	-	7	(3.00)	(4.00)	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.56	(6.86)	(34.70)	-	-	41.56	(6.86)	(34.70)	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.00	(0.30)	-	-	0.30	0.00	(0.30)	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और/ अथवा जोखिम भार लगना बंद हो गया अत: इन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	6				6	-				-	19				19	25				25
		बकाया राशि Amount outstanding	451.40				451.40	-				-	830.44				830.44	1281.84				1281.84
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	115.14				115.14	-				-	73.20				73.20	188.33				188.33
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का न्यूनीकरण[1] Downgradations of restructured accounts during the FY[1]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	(15)	7	8	-	-	-	-	-	-	-	(31)	19	11	1	0	(46)	26	19	1	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(972.07)	208.04	764.02	-	-	-	-	-	-	-	(3100.93)	718.46	2381.21	1.26	0.00	(4073.00)	926.51	3145.23	1.26	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	(19.78)	7.10	12.68	-	-	-	-	-	-	-	(15.00)	10.64	4.36	0	0.00	(34.78)	17.74	17.04	0.00	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10	0	10	-	-	14	-	14
		बकाया राशि Amount outstanding	-	-	668.15	-	668.15	-	-	-	-	-	-	-	264.38	0	264.38	-	-	932.54	-	932.54
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आकड़े*)[2] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[2]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	44	7	25	-	76	-	-	-	-	-	92	23	172	3	290	136	30	197	3	366
		बकाया राशि Amount outstanding	5721.22	208.04	2434.77	0.00	8364.04	-	-	-	-	-	8133.12	4484.38	3489.23	34.26	16141.00	13854.34	4692.43	5924.00	34.26	24505.03
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	212.41	7.10	45.84	-	265.34	-	-	-	-	-	139.34	10.69	26.70	0	176.72	351.75	17.79	72.53	0.00	442.07

*मानक पुनर्संरचित अग्रिम जो उच्चतम प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं, के आकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हो)।
[1] ऊपर वर्णित न्यूनीकरण गतिविधि मानक से अवमानक/ संदिग्ध श्रेणी में है, 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीडीआर के अंतर्गत ₹ 972.07 करोड़ बकाया के 15 मामले तथा सीडीआर को छोड़कर अन्य ₹ 3100.93 करोड़ के बकाया 31 मामले डाउनग्रेड हुये।
[2] 31 मार्च 2016 को समाप्त नौ महीने की अवधि के दौरान ₹ 2756.88 करोड़ बकाया के 109 मामले वापस लिए गए/ चुकौती की गई/ प्रावधानित किए गए/ पुनर्संरचना असफल हो गई/एओडी।
[3] उपर्युक्त वर्णित प्रावधान केवल उचित मूल्य में कमी के कारण किए गए प्रावधान दर्शाते हैं।
*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
[1] Downgradations mentioned above are from Standard to Sub Standard/ Doubtful category. 15 cases with outstanding ₹ 972.07 Crore under CDR and 31 cases with outstanding ₹ 3100.93 Crore other than CDR were downgraded during the FY 2015-16 year ended 31 March 2016.
[2] 109 Cases with outstanding ₹ 2756.88 Crore were revoked/ repaid/ fully provided/ restructuring failed/ AOD during the nine months ended 31 March 2016.
[3] Provision thereon represents only provision made for diminution for fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में)
(₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 वर्ष के लिए For the year March 31, 2016	31 मार्च 2015 वर्ष के लिए For the year March 31, 2015
(i)	खातों की संख्या/ No. of Accounts	6	4
(ii)	एस सी/ आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर/ Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	525.99	50.79
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	207.66	70.10
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल/ Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	9.92	45.90
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/(हानि)/ Aggregate gain/ (loss) over net book value	(318.33)	19.31

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल/ Total	
	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1154.45	1147.08	-	-	1154.45	1147.08

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एआरसी को बेचे गए 3 खातों के संबध में ₹ 322.02 करोड़ की कमी हुई थी जिसमें से वित्त वर्ष 2016 में ₹161.01 करोड़ बट्टे खाते डाले गए है और शेष ₹ 161.01 करोड़ की राशि को वित्तीय वर्ष 2017 की चार तिमाहियों के दौरान बट्टे खाते में डाला जाएगा.

During FY 2015-16, there was a shortfall of ₹ 322.02 crore in respect of 3 accounts sold to ARCs of which, ₹161.01 crore have been written off during FY 2016 and balance ₹161.01 crore would be written off in four quarters of FY 2017.

4. अन्य बैंक से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

Details of non-performing financial assets purchased from other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.		मदें/ Items	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-

5. अन्य बैंक को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

Details of non-performing financial assets sold to other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	मदें/Items	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	-	-
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	-	-
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल/Aggregate consideration received	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in crore)

मदें/ Items	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provisions towards Standard Assets for the year	1649.56	498.83

IX. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ Items	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	8.33%	9.45%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.01%	1.35%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	1.60%	1.92%
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@/ Return on assets@	(1.09%)	0.29%
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां एवं अग्रिम)# [₹ करोड़ में]/ Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	25.18	26.21
6	प्रति कर्मचारी लाभ (हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in crore]	(0.21)	0.05

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फौर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

@ Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी जाती हैं.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) inter Bank deposits are excluded.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

X. एक्सपोजर/ Exposure

1. संपदा क्षेत्र को ऋण सहायता
Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता/ Direct exposure		
(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	33148.99	31774.97
उपर्युक्त में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम Of above priority sector advances	13237.50	12054.31
(ख) वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - (b) Commercial Real Estate –		
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	3537.28	3549.75
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	0.00	507.48
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता- (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
क. आवासीय a. Residential,		-
ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate		-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
2. अप्रत्यक्ष ऋण सहायता Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	6210.15 -	4630.06 -
कोई अन्य अप्रत्यक्ष ऋण सहायता/ Any other - Indirect Exposure	65.55	83.32
कुल/ Total	42961.97	40038.10

2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2116.97	1871.99
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	423.35	447.06

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	428.68
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपाश्र्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	68.00	77.92
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	356.00	431.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stock brokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance will the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	193.44	207.27
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	-	-
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर **Total Exposure to Capital Market**	**3157.76**	**3463.91**

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश को ऋण सहायता**
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़) (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी/ Risk Category	31 मार्च 2016 को ऋण (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2016	31 मार्च 2016 को धारित प्रावधान Provision held as at March31, 2016	31 मार्च 2015 को ऋण सहायता(निवल) Exposure (net) as at March 31, 2015	31 मार्च 2015 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2015
नगण्य/Insignificant	7,681.61	-	4251.56	-
निम्न / Low	7,129.96	-	3810.24	-
मध्यम/ Moderate	121.78	-	20.01	-
उच्च/ High		-	-	-
अति उच्च/Very High		-	-	-
नियंत्रित/ Restricted		-	-	-
ऑफ-क्रेडिट/Off-credit		-	-	-
कुल/ **Total**	**14,933.35**	**-**	**8081.81**	**-**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XI. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं
Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं को बैंक का एक्सपोजर, केवल **शून्य** मामलों को छोड़कर जहां एकल उधारकर्ता सीमा निदेशक मंडल के अनुमोदन से 15% से अधिक थी, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहा. इस मामले में यथा 31 मार्च 2016 को मंजूर सीमाएं और बकाया राशि पूंजी निधियों (गैर-निधि एक्सपोजर सहित) के प्रतिशत के रूप में निम्नानुसार रहीं:

During the Year ended March 31, 2016, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, except in **NIL** case where single borrower limit of 15% was exceeded with the approval of the Board of Directors. In respect of this case, the sanctioned limits and outstanding as % of capital funds (including non-funded exposure) were as follows, as on March 31, 2016:

	एकल/ समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2016 को कुल प्रतिबद्ध ऋण सहायता Total Committed Exposure as at March 31, 2016, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2016 को बकाया राशि Total Outstanding as at March 31, 2016, as % of Capital Fund
(i)	**एकल उधारकर्ता का नाम** **Name of the single borrower**		
	कोई नहीं/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
(ii)	समूह का नाम **Name of the group**		
	कोई नहीं/ NIL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/ Provision for depreciation on Investment	385.95	248.31
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/ Provision towards NPA	3507.11	1622.86
मानक आस्ति के लिए प्रावधान/ Provision towards Standard Asset	1649.56	498.83
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान/ Provision for Restructured Assets (including FITL)	(581.89)	364.19
करों के लिए किए गए प्रावधान/ Provision made towards Taxes	4.25	1045.60
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/ Deferred Tax Assets (Net)	(1310.20)	(631.65)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	5298.42	1608.85
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ/ Other Provision and Contingencies	81.67	97.73
कुल / Total	**9034.87**	**4854.72**

XIII. अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

यथा 31 मार्च 2016 को उन अग्रिमों की कुल राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ 596.30 करोड़ (₹ शून्य) है तथा अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य समरूप आधार पर ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ 596.30 crore (₹ Nil) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2016 is ₹Nil on Pari-passu basis(₹ Nil).

XIV. अस्थायी प्रावधान/ Floating Provisions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष/ Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा/ The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण में कमी की राशि/ Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष/ Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XV. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन/ Disclosure of Complaints/ Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)
Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं./ No. of Complaints pending at the beginning of the year	428	887
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं./ No. of Complaints received during the year	49444	62273
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं./ No. of Complaints redressed during the year	48812	62732
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं./ No. of Complaints pending at the end of the year	1060	428

2. **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय**
Awards passed by the Banking Ombudsman

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
i	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं./ No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
ii	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं./ No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iii	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं./ No. of Awards implemented during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iv	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं./ No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें**
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं./ No. of Complaints pending at the beginning of the year	351	278
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं./ No. of Complaints received during the year	48566	40623
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं./ No. of Complaints redressed during the year	48664	40550
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं./ No. of Complaints pending at the end of the year	253	351

XVI. **प्रतिभूतिकरण**
Securitisation

क. दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋणों के किसी समूह को प्रतिभूतिकृत नहीं करवाया है.
a. During the year ended March 31, 2016, the Bank has not securitized any pools of retail loans.

बैंक की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
The detail of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016	31 मार्च 2015 को As at March 31, 2015
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण आस्तियों/ प्रतिभूतिकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या# / Total number of loan assets securitized/ Pools of retail loans securitized #	-	-
प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य/ Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल/ Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि) */ Net gain/ (loss) on account of securitization*	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण :/ Details of services provided by way of :		

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016	31 मार्च 2015 को As at March 31, 2015
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा)/ Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	194.01	236.54
बकाया चलनिधि सुविधा **/ Outstanding liquidity facility **	11.20	12.13
बकाया शोधन देयता/ Outstanding servicing Liability	-	-

खुदरा ऋणों के समूह
Pools of retail loans.

* अभिलाभ (व्ययों को घटाकर निवल)
Gain (net of expenses)

**प्रत्यक्ष समनुदेशन मामलों के लिए ₹ शून्य (₹ शून्य) शामिल हैं जिसमें से ₹ शून्य (₹ शून्य) गारंटी के रूप में है.
** Includes ₹ Nil (₹ Nil) for direct assignment cases of which ₹ Nil (₹ Nil) is in the form of a guarantee.

ख. प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को प्रायोजित नहीं किया गया है.
b. There are no SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions.

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars		संख्या/(₹ राशि करोड़ में) No./ Amount in ₹ crore
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या */ No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions*		-
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि/ Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank		-
3.	तुलन पत्र की तारीख तक एमआरआर का पालन करने हेतु बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet		-
	क. a	तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर Off-balance sheet exposures	
		पहली हानि/ First loss	
		अन्य/ Others	
	ख b	तुलन पत्र एक्सपोजर On-balance sheet exposures	
		पहली हानि/ First loss	
		अन्य/ Others	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars			संख्या/(₹ राशि करोड़ में) No./ Amount in ₹ crore
4	एमआरआर के अतिरिक्त प्रतिभूतिकृत लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR			205.21
	क a .	तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर Off-balance sheet exposures		-
	i.	स्वयं के प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर Exposure to own securitizations		-
			पहली हानि/ First loss	-
			अन्य/ Loss	-
		ii.	अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	-
			पहली हानि/ First loss	-
			अन्य (दूसरी हानि ऋण सुविधा) Others (second loss credit facility)	194.01
	ख. b .	तुलन पत्र एक्सपोजर On-balance sheet exposures		-
		i.	स्वयं प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर/ Exposure to own securitisations	-
			पहली हानि / First loss	-
			अन्य (चलनिधि सुविधा)/Others (liquidity facility)	11.20
		ii.	अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर/ Exposure to third party securitisations	-
			पहली हानि/ First loss	-
			अन्य/ Others	-

* इसमें केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेन-देन से संबंधित एसपीवी को ही शामिल किया गया है.

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transaction may be reported here.

नोट : प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए बैंक द्वारा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को प्रायोजित नहीं किया गया है.

Note: There are no Special Purpose Vehicles (SPV) sponsored by the Bank for securitization transactions.

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई मानक आस्ति प्रतिभूतिकरण के लिए बाहर नहीं दी गई है.

During the years ended March 31, 2016, there were no standard assets securitized-out by the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVII. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.
The Bank has not issued any Letter of Comfort during the year.

XVIII. बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2015
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	47.46	37.57
बजाज एलिआंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	7.04	5.54
	54.50	**43.11**

XIX. दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalty

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2015
1	रिजर्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.07	शून्य Nil
2	रिजर्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.01	0.009

IDBI BANK

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2015
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में की गई जाँचों के संबंध में संदिग्ध लेन-देन करने के लिए किए गए प्रयास हेतु एसटीआर दायर न करने के लिए लगाया गया दंड (शाखाओं द्वारा प्रधान अधिकारी को घटनाओं की सूचना न देने के कारण) Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.02	शून्य Nil
4	रिज़र्व बैंक RBI	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (i) के तहत दंड. Penalty under section 47A (i) of the Banking regulation Act, 1949.	शून्य Nil	0.15
		कुल प्रदत्त दंड/ Total Penalties Paid	**0.10**	**0.16**

XX. आस्ति देयता प्रबंधन/ Asset Liability Management

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2016)

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities (as on March 31, 2016)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से अधिक व 3 माह तक 29 days & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits 1	2,422.47	9,506.73	7,782.33	4,826.63	28,849.11	18,663.24	67,156.22	87,087.80	14,744.43	24,680.87	2,65,719.83
अग्रिम 1 Advances 1	1,661.60	3,254.99	2,722.52	2,192.68	12,073.45	3,799.12	15,846.69	82,765.39	35,667.66	55,909.35	2,15,893.45
निवेश Investments	13,510.92	16,398.83	0.03	140.20	1,642.10	893.58	1,908.35	9,748.05	7,820.86	46,936.51	98,999.43
उधार 1 Borrowings 1	1.64	734.06	-	808.51	1,796.35	2,962.12	13,385.90	12,899.04	10,659.94	26,326.38	69,573.94
विदेशी मुद्रा आस्तियां 2 Foreign Currency assets 2	573.96	4,571.63	224.99	1,033.38	10,294.54	7,897.07	8,354.96	7,142.32	5,056.04	6,056.88	51,205.78
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	23.73	2,915.73	726.31	864.27	7,702.41	6,700.33	8,277.43	8,050.99	8,183.93	4,762.36	48,207.49

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

1. इसमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   Includes foreign currency balances.
2. इसमें विदेशी मुद्रा-रूपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इसमें विदेशी मुद्रा-रूपया विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
   Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

XXI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	38430.10	41182.35
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	14.46%	15.85%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण/ Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	21184.99	60516.54
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.36%	15.03%

3 एक्सपोजर का संकेंद्रण/Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/ customers	62329.21	61501.50
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	14.55%	13.77%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4 एनपीए का संकेन्द्रण/ Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top four NPA accounts	11576.97	3365.33

XXII. क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	17064.50	1449.72	8.50	15260.45	1402.94	9.19
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	8718.54	997.22	11.44	10463.26	933.74	8.92
3	सेवाएँ/Services	10404.90	634.12	6.09	8817.86	542.24	6.15
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	20730.57	676.99	3.27	18166.92	175.99	0.97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
	कुल योग (अ) Sub-total (A)	**56918.51**	**3758.05**	**6.60**	**52708.49**	**3054.90**	**5.80**
आ) B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	105.71	4.81	4.55	-	-	-
2	औद्योगिक क्षेत्रों में अग्रिम Advances to industries sector	102855.23	18196.19	17.69	71111.39	5419.87	7.62
3	सेवाएं/ Services	19653.07	1150.67	5.85	36530.77	2983.13	8.17
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	19228.03	236.32	1.23	55441.01	1227.07	2.21
5	अन्य/ Others	27716.31	1529.03	5.52			
	कुल योग (आ) Sub-total (B)	**169558.35**	**21117.02**	**12.45**	**163083.18**	**9630.07**	**5.91**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**226476.86**	**24875.07**	**10.98**	**215791.67**	**12684.97**	**5.88**

*** उप क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया अग्रिमों के 10% से अधिक है.**

*** Sub sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding advances to that sector.**

XXIII. **एनपीए में उतार-चढ़ाव/ Movement of NPAs**

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
उल्लिखित वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	12684.97	9960.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	19086.60	6100.81
उप-जोड़ (अ)/Sub-total (A)	**31771.57**	**16060.97**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
घटाएं/ Less:-		
(i) उन्नयन/ Upgradations	562.75	607.95
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	874.33	1159.19
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाली गयी राशि* Technical/ Prudential Write-offs*	4531.56	1560.29
(iv) उक्त (iii) को छोड़कर बट्टे डाले गए खाते*/ Write-offs other than (iii) above*	927.87	48.56
उप जोड़ (आ)/Sub-total (B)	**6896.51**	**3375.99**
परवर्ती वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	**24875.06**	**12684.98**

* कुल बट्टे खाते डाले गए/ *Total Write off

XXIV. निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि का स्टॉक तथा उन पर की गई वसूलियां
Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon as per the format below.

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते का आरंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	5159.36	3651.11
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	4531.56	1560.29
उप-योग (अ)/ Sub-total (A)	9690.92	5211.40
घटाएँ : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूलियां/ परिवर्तन (निवल) (आ) Less: Recoveries/ changes (net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	409.62	52.04
31 मार्च को अंतिम शेष (अ-आ)/Closing Balance as at 31st March (A-B)	9281.30	5159.36

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXV. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व/ Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
कुल आस्तियां/ Total Assets	24 574.86	25 728.48
कुल एनपीए//Total NPAs	4 838.05	31.07
कुल राजस्व/Total Revenue	1 218.79	1 105.49

XXVI. प्रायोजित तुलन पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम/ Name of the SPV sponsored	
देशी/Domestic	विदेशी/Overseas
शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

XXVII. ऋण चूक स्वैप/Credit Default Swaps

बैंक एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व और उनकी सीडीएस पोजीशनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक गणना पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं के बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज करने के लिए मानक मॉडल का प्रयोग करता है. एफ़आईएमएमडीए इस प्रयोजन के लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व प्रकाशित करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

XXVIII. अंतर-समूह एक्सपोजर/Intra-Group Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

(क)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	
(a)	Total amount of intra-group exposures	2234.60
(ख)	शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि*	
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures*	2234.60
(ग)	ऋणदाताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत**	
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	0.52152%
(घ)	अंतर समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का विवरण और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो.	
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	No

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIX. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ़)/ Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous year
डीईएएफ़ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	10.08	Nil
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ़ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	10.87	10.23
घटाएँ : दावों के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.86	0.15
डीईएएफ़ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	20.09	10.08

XXX. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर/Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी ऋण नीति में वर्णित है अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ 47.62 करोड़ (₹102.38 करोड़) रहा तथा इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2016 को ₹ 415.76 करोड़ (₹ 308 करोड़) रही.

Bank obtains the information based on an internally developed system on Unhedged Foreign Currency Exposure from its clients on a periodic basis and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2016 towards this exposure amounts to ₹ 47.62 crore (₹ 102.38 crore) and capital held towards the risk is ₹ 415.76 crore (₹ 308 crore) as on 31-03-2016.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXXI. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) :/ Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets				
1 कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		28804.07		34420.31
नकदी बहिर्वाह/ Cash Outflow				
2 खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	89850.50	8901.13	77148.40	7596.06
(i) स्थिर जमाराशि/ Stable deposits	1678.35	83.92	2375.55	118.78
(ii) कम स्थिर जमाराशियां/ Less stable deposits	88172.15	8817.22	74772.85	7477.28
3 असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	42113.37	31493.23	56794.49	34144.84
(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	467.76	116.93	16911.15	4227.18
(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	38618.01	28348.69	28319.44	18353.75
(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	3027.60	3027.60	11563.91	11563.91

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		893.26		176.17
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से : Additional requirements, of which	7783.02	7650.40	5438.62	5342.46
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	7635.67	7635.67	5331.78	5331.78
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	--	--	--	--
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	147.35	14.74	106.84	10.68
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	2244.09	2244.09	1540.70	1540.70
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	220573.50	10887.54	215496.74	10774.84
8	**कुल नकदी बहिर्वाह/Total Cash Outflows**		62069.65		59575.07
नकद अंतर्वाह/Cash Inflows					
9	प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	2632.36	2047.36	1862.00	1862.00
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	35819.20	17909.60	8069.24	4034.62
11	अन्य नकद अंतर्वाह/Other cash inflows	9598.24	9598.24	8824.27	8824.27

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष Current year			पिछले वर्ष Previous year
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
12	कुल नकदी अंतर्वाह/Total Cash Inflows	48049.79	29555.19	18755.51	14720.89
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA		28804.07		34420.31
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		32513.46		44854.18
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		88.59%		76.74%

चूंकि एलसीआर संबंधी दिशानिर्देश जनवरी 2015 से लागू हैं, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ों में केवल जनवरी 2015 से मार्च 2015 की अवधि शामिल की गई है.

Previous year figures covers period from January 2015 to March 2015 only as the LCR guidelines are applicable since January 2015.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार प्रस्तावित किए हैं. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient Banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा:
Definition of LCR :

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

———————————————————————————— > = 100%

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.

The LCR requirement are binding on Banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for Banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां:
High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएल में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाज़ार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केन्द्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यत: अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 8%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, Banks must hold a stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central Bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (8% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

कुल निवल नकदी बहिर्वाह:/ Total net cash outflows:

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.
Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash in flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन:/ Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशानिर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.
The Bank has well organised liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा समय में बैंक केवल देशी मुद्रा में एलसीआर बनाए रखता है. वर्ष 2015-16 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 88.59% था (पिछले वर्ष अर्थात् जनवरी 2015 से मार्च 2015 के लिए एलसीआर 76.74% था).
As per the regulatory guidelines, presently Bank maintains LCR in domestic currency only. The average LCR of the Bank for the year 2015-16 was at 88.59% (Previous Year i.e. from January 2015 to March 2015 LCR was at 76.74%)

ग. अन्य प्रकटन
C OTHER DISCLOSURES

1. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप)/ Employees' Stock Option scheme (ESOP)

i. शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1,31,98,965 ऑप्शन (1,31,98,965 ऑप्शन) मंजूर किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1,31,98,965 options (1,31,98,965 options) granted to eligible employees as detailed herein below:

समाप्त वर्ष/Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या/Number of Options Granted
31 मार्च 2001/March 31, 2001	16,76,951
31 मार्च 2002/March 31, 2002	25,54,352
31 मार्च 2003/March 31, 2003	32,77,542
31 मार्च 2004/March 31, 2004	21,47,669
31 मार्च 2005/March 31, 2005	19,58,451
31 मार्च 2006/March 31, 2006	8,85,000
31 मार्च 2008/March 31, 2008	6,99,000
कुल/Total	**1,31,98,965**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. ऑप्शन के ब्योरे:/ Detail of Options:

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹ में) Exercise Price (in ₹)	31 मार्च 2015 को बकाया ऑप्शन Options O/s. as at March 31, 2015	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2016	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2016 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2016	31 मार्च 2016 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2016	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
शृंखला I: 22 अगस्त 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	-	-	-	-	83,317	-
शृंखला II: 1अक्तूबर 2000 Tranche II : October 1, 2000	14,26,035	28.49	-	-	-	-	9,63,171	4,62,864
शृंखला III: 1 जनवरी 2001 Tranche III : January 1, 2001	1,67,599	30.54	-	-	-	-	1,28,867	38,732
शृंखला IV: 1 अप्रैल 2001 Tranche IV : April 1, 2001	21,34,225	29.73	-	-	-	-	15,97,867	5,36,358
शृंखला V: 1 अक्तूबर 2001 Tranche V : October 1, 2001	4,20,127	26.2	-	-	-	-	2,97,219	1,22,908
शृंखला VI: 1 अप्रैल 2002 Tranche VI : April 1, 2002	32,23,415	23.88	-	-	-	-	25,04,118	7,19,297

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹ में) Exercise Price (in ₹)	31 मार्च 2015 को बकाया ऑप्शन Options O/s. as at March 31, 2015	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2016	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2016	31 मार्च 2016 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2016	31 मार्च 2016 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2016	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
शृंखला VII : 1 दिसंबर 2002 Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.5	-	-	-	-	47,881	6,246
शृंखला VIII : 1 अप्रैल 2003 Tranche VIII : April 1, 2003	21,47,669	30.3	-	-	-	-	15,03,876	6,43,793
शृंखला IX : 1 अप्रैल 2004 Tranche IX: April 1, 2004	16,41,549	50.95	-	-	-	-	9,83,721	6,57,828
शृंखला X : 1 जुलाई 2004 Tranche X: July 1, 2004	3,16,902	58.06		-	--	-	2,81,691	35,211
शृंखला XI : 1 अप्रैल 2006 Tranche XI : April1, 2006	8,85,000	98.11	-	-	-	-	2,27,877	6,57,123
शृंखला XII : 25 अगस्त 2007 Tranche XII: Aug 25, 2007	6,99,000	75.70	44,660	1,095	43,565	-	2,71,405	4,27,595

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. अन्य/ Others

i. (अ) वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को निम्नानुसार अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर आबंटित किए गए :

(A) During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

हिताधिकारी Beneficiary	आबंटन प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 10) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in `)	प्रति शेयर प्रीमियम शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन Equity Shares on preferential allotment basis	2,229.00	29,60,94,580	75.28	65.28	30 दिसंबर 2015 December 30, 2015
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India (LIC)	अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन Equity Shares on preferential allotment basis	848.42	15,87,61,801	53.44	43.44	23 मार्च 2016 March 23, 2016

(आ) वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग किए जाने पर 1095 (18345) इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.

(B) 1095 (18 345) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees.

ii. बैंक ने ऋण आस्ति स्वैप के अंतर्गत एक उधारकर्ता से मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश में 77.49 एकड़ भूमि अर्जित की थी. तदनुसार वित्तीय विवरण में 'अन्य आस्तियां' शीर्ष के अंतर्गत 'दावे की पूर्ति में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां' के अंतर्गत ₹ 280.15 करोड़ की राशि शामिल है. रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार जब तक स्वैप की गई गैर-बैंकिंग आस्तियों का निपटान नहीं कर दिया जाता तब तक बैंक अप्राप्त आय को हिसाब में न ले. अतः बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 253.32 करोड़ की ब्याज आय को प्रतिवर्तित किया है.

The Bank had acquired 77.49 acres of land at Mirzapur, U.P. from one of the borrower under the debt assets swap. Accordingly an amount of ₹ 280.15 crore is included under "Non-Banking assets acquired in satisfaction of claim" under "Other Assets" in the financial statement. As per RBI directive, the Bank should not recognize unrealized income till the swapped non-Banking assets are disposed off. Hence Bank has reversed an interest income of ₹ 253.32 crore during financial year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. कॉरपोरेट समाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट :
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि ₹ 14.41 करोड़
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year ₹ 14.41crore

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि :
b. Amount spent during the year:

विवरण/ Particulars	₹ करोड़ में/ ₹ in crore
नकद में/ In cash	9.42
नकद भुगतान किया जाना है /Yet to be paid in cash	0.02
कुल/Total	**9.44**

iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.
Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

v. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 288.84 करोड़ (₹ 528.06 करोड़) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹288.84 crores (₹ 528.06 crores).

vi. रिज़र्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 31/ 21.04.018/ 2015-16 के अनुसरण में बैंक ने 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गए उधारों में कमी के कारण नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के पास रखी गई अपनी जमाराशियों को 'अन्य आस्तियां' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया है. अब तक इन्हें 'निवेश' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. इन जमाराशियों पर अर्जित ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है. अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. पूर्ववर्ती अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है. वर्गीकरण के उपर्युक्त परिवर्तन से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अथवा प्रस्तुत पिछले वर्ष के लिए बैंक के लाभ/ हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

vii. Pursuant to RBI Circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, effective from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD, SIDBI and NHB on account of shortfall in lending to priority sector under 'Other Assets'. Hitherto these were included under 'Investments'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Hitherto such interest

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

income was included under 'Interest earned-Income on Investments'. Figures for the previous periods have been regrouped/ reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit/ loss of the Bank for the year ended March 31, 2016 or the previous year presented.

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं, और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर

Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

(किशोर खरात) (Kishor Kharat) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer	(बी. के. बत्रा) (B.K. Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	(एस. रवि) (S. Ravi) निदेशक Director	(एन.एस. वेंकटेश) (N.S. Venkatesh) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

वित्तीय विवरणों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर

Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं. For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W अभय वी कामत Abhay V Kamat साझेदार/ (स. नं. 039585)/ Partner (M.No. 039585)	कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045 निलेश आर जोशी Nilesh R Joshi साझेदार (स. नं. 114749)/ Partner (M.No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. Cash flow from Operating Activities**		
(1) **कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ** **Net profit before tax and extra-ordinary items**	(4970 75 54)	1287 32 92
(2) **गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:** **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	4 03	(4 06)
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	214 17 54	136 94 62
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना/ निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	10351 35 52	4445 06 28
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/ हानि (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	102 91 16	50 18 46
- सामान्य रिज़र्व में अंतरण/ Transfer to General reserve	47 26 62	0
	5744 99 33	**5919 48 22**
(3) **परिचालन आस्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:** **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(1787 41 54)	(17488 37 70)
- अग्रिम / Advances	(15740 22 13)	(14286 76 29)
- अन्य आस्तियां / Other assets	(1511 44 34)	(134 08 56)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(352 71 67)	(1754 09 01)
(4) **परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:** **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	7741 48 20	1686 68 75
- जमा राशियां / Deposits	5883 85 75	24062 34 14
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(319 69 66)	17 83 44
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from Operating activities**	**(341 16 06)**	**(1976 97 01)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
- अचल आस्तियों की खरीद (निवल बिक्री) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(656 05 81)	(264 18 30)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(656 05 81)**	**(264 18 30)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015
इ. C.	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	3077 43 59	21 46
	- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(142 48 82)	(51 21 88)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**2934 94 77**	**(51 00 42)**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	1937 72 90	(2292 15 73)
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	14642 81 17	16817 90 94
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**16580 54 07**	**14525 75 21**
	नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)		13822 90 72	13035 76 70
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)		2757 63 35	1489 98 51
कुल / TOTAL		**16580 54 07**	**14525 75 21**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M. No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045

निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M. No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), इसकी पाँच सहायक कंपनियों (बैंक और इसकी सहायक कंपनियां सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था तथा तीन सहयोगी कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2016 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसमें इसके पश्चात् 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं. समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में शामिल कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेने और अनुमान लगाने, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने एवं उसे बनाए रखने, जो सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण होने वाली तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबन्धित लेखांकन रिकॉर्ड परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, जिन्हें उपयुक्त रूप से बैंक में निदेशक मंडल द्वारा बैंक के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं.

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), its five subsidiaries, (the Bank and its subsidiaries together referred to as "the Group"), one jointly controlled entity and three Associate Companies, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016, and the Consolidated Profit and Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements")

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Board of Directors of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies and Jointly controlled entity in accordance with accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act , read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associate companies and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और विषयों, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा में शामिल किया जाना अपेक्षित है, शामिल किया है.

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक से सम्बद्ध वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर विचार करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार सही और उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के प्रयोजन से दिशा देता है. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की सटीकता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तार्किकता तथा साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों से संबन्धित पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च 2016 को समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की समेकित स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अन्य मामले

(क) समेकित वित्तीय विवरणों में पाँच सहायक कंपनियों, और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2016 को ₹1034.30 करोड़ की कुल आस्तियां,

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in sub-paragraph (a) of the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entity as at March 31, 2016, and their consolidated loss and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

(a) The consolidated financial statements include the financial statements of five subsidiaries, and one jointly controlled entity whose financial statements

उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 252.51 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 17.85 करोड़ का निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाते हैं जिसकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है. समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं, के संबंध में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 24.60 करोड़ का निवल लाभ समूह के हिस्से के रूप में शामिल है. ये वित्तीय विवरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमारे पास प्रस्तुत की गई हैं और इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, और सहयोगी कंपनियों के बारे हमारी राय को समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक राशियों और प्रकटीकरणों सवाल है, में शामिल किया गया है. साथ ही हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक संस्थाओं, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था और सहयोगी कंपनियों का संबंध है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों में दो सहयोगी कंपनियों के बारे में, समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 25.62 करोड़ के समूह का हिस्सा भी शामिल है जिसका वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा प्रबंधन द्वारा हमारे पास प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में सम्मिलित राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित है, पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

(ग) एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं.

reflect total assets of ₹ 1034.30 crores as at March 31, 2016, total revenues of ₹ 252.51 crores and net cash inflows amounting to ₹ 17.85 crores for the year ended on that date which have not been audited by us.. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 24.60 crores for the year ended 31st March, 2016, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one associate company, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entity and associate company, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act, insofar as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entity and associate company, is based solely on the reports of the other auditors

(b) The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 25.62 crores for the year ended March 31, 2016, as considered in the consolidated financial statements, in respect of two associate companies, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act in so far as it relates to the aforesaid associate companies, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us, by the management, these financial statements are not material to the Group.

(c) The financial statements of one of the associate companies are not considered in the consolidated financial results of the group for the year ended March 31, 2016, as the audited/unaudited financial statements were not available. In our opinion and according to the information and explanations given to us, by the management, these financial statements are not material to the Group.

(d) During current financial year, the accounts of associate companies and jointly controlled entity were incorporated in the consolidated financial statements in accordance with the provisions of the Companies Act 2013

समेकित विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट को किए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर और एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुलब्धता पर हमारी विश्वसनीयता के बारे में उपर्युक्त मामले के बारे में संशोधित नहीं किया गया है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे.

(ख) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण तैयार करने से संबन्धित कानून में अपेक्षित अनुसार उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जो उन बहियों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जांच से पता चलता है.

(ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुरक्षित संबन्धित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

(ङ) बैंक के निदेशक मंडल से यथा दिनांक 31 मार्च 2016 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड किया है, तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर भारत में निगमित किसी भी समूह कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार यथा 31 मार्च 2016 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य करार नहीं किया गया है.

(च) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में अनुबंध में अलग से दिए गए हमारे रिपोर्ट को

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements of two associate companies certified by the Management and non availability of the financial statement of one of the associate company.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

(c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

(d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on March 31, 2016 taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled company incorporated in India, none of the directors of the Group companies, its associate companies and jointly controlled company incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2016 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

(f) With respect to adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Bank and operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure which is based

देखें जो भारत में निगमित धारिता कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है. हमारी रिपोर्ट भारत में निगमित धारिता कंपनियों, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करती है.

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल किए जाने के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(14)(ख) देखें.

ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर, तात्विक पूर्वानुमेय हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है - ऐसी मदों के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(14)(क) देखें जो समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंध रखता है.

iii. बैंक तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है.

on the auditors' reports of the Holding company, subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Holding company's, subsidiary companies', associate companies', jointly controlled entity's incorporated in India, internal financial controls over financial reporting.

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the auditors of its subsidiaries and jointly controlled entity:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group, its associate company and jointly controlled entity– Refer Schedule 18(14)(b) to the consolidated financial statements.

ii. Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts – Refer Schedule 18(14)(a) to the consolidated financial statements in respect of such items as it relates to the Group, its associates and jointly controlled entity.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank and its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

ए. वी. कामत
साझेदार
स. सं. 039585

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045

निलेश जोशी
साझेदार
स. सं. 114749

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

A.V. Kamat
Partner
M. No 039585

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nilesh Joshi
Partner
M. No: 114749

Place: Mumbai
Date: May 20, 2016

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की और के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् ''बैंक'' के रूप में निर्दिष्ट) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है और इसकी सहायक कंपनियों, एक सहयोगी कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की लेखापरीक्षा उक्त तारीख को संबंधित संस्था की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र सनदी लेखाकारों की फर्मों द्वारा की गई थी.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') तथा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

Annexure to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the IDBI Bank Limited as of and for the year ended March 31, 2016, We have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "the Bank") and the audit of its subsidiary companies, one associate company and jointly controlled company, which are companies incorporated in India, was carried out by the firms of chartered accountants who were entitled to carry out the audit of respective entity as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the of the Bank, its subsidiary companies, its associate companies and jointly controlled companies, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to audit of internal financial controls andboth issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ कंपनी की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

राय

हमारी राय में बैंक, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में निगमित हैं, में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

The Bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank, its subsidiary companies, its associate companies and jointly controlled company, which

से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2016 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावकारिता के बारे में अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्टें, पाँच सहायक कंपनियों, एक सहयोगी कंपनी और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के बारे में हैं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, लेखापरीक्षकों की भारत में निगमित ऐसी कंपनियों की तद्नुरूपी रिपोर्टों पर आधारित हैं, तीन सहयोगी कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावकारिता के बारे में अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जो भारत में निगमित उन तीन सहयोगी कंपनियों के बारे में है, जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं, समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/ जानकारी समूह में महत्वपूर्ण नहीं हैं.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 106655W

ए. वी. कामत
साझेदार
स. सं. 039585

कृते **चोकशी एंड चोकशी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W/W100045

निलेश जोशी
साझेदार
स. सं. 114749

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2016

are companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as it relates to five subsidiary companies, one associate company and one jointly controlled company, which are companies incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such companies incorporated in India. The audit reports for three associate companies were not available.

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operative effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to three associate companies incorporated in India, whose audit reports were not available , our opinion on the adequacy and operative effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Group is not affected as these financial statements/information are not material in the Group.

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 106655W

A.V. Kamat
Partner
M. No 039585

For **Chokshi & Chokshi LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg No: 101872W/W100045

Nilesh Joshi
Partner
M. No: 114749

Place: Mumbai
Date: May 20, 2016

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2016 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	2058 81 50	1603 95 76
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	25999 62 03	22770 75 27
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		0	18 51
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		61 45 62	51 19 63
जमाराशियां / Deposits	3	265087 39 34	259522 95 28
उधार राशियां / Borrowings	4	69573 93 98	61832 45 78
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	11475 79 36	10262 82 69
कुल / TOTAL		**374257 01 83**	**356044 32 92**
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13827 37 92	13156 82 07
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	2460 60 72	1485 85 25
निवेश / Investments	8	98812 45 99	97346 92 57
अग्रिम / Advances	9	215893 44 89	208376 86 65
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	7521 92 50	3079 95 09
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	35741 19 81	32597 91 29
कुल / TOTAL		**374257 01 83**	**356044 32 92**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	198376 36 30	231649 22 51
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14550 35 09	14464 49 59
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M. No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M. No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28058 20 01	28164 27 24
	अन्य आय / Other income	14	3518 05 46	4189 23 04
	कुल / TOTAL		**31576 25 47**	**32353 50 28**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	21930 97 73	22387 14 56
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4205 82 59	4104 63 89
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		9063 22 83	4904 46 21
	कुल / TOTAL		**35200 03 15**	**31396 24 66**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि) / Net Profit/ (Loss) for the year		(3623 77 68)	957 25 62
	घटाएं: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Less: Share of Profit in Associate		50 22 26	-
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		17 26 11	15 45 74
	समूह लाभ/ (हानि) / Group Profit/ (Loss)		**(3590 81 53)**	**941 79 88**
	आगे लाया गया लाभ / Profit brought forward		641 60 46	564 81 87
	कुल / TOTAL		**(2949 21 07)**	**1506 61 75**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	218 34 70
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		74 66 46	229 06 58
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		3 81 04	68 85 98
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	200 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	120 29 68
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		45	59
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		3 88 05	28 40 21
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		(3031 57 07)	641 64 00
	कुल / TOTAL		**(2949 21 07)**	**1506 61 75**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18 (8)		
मूल / Basic		(21.33)	5.87
न्यूनीकृत / Diluted		(21.33)	5.87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M. No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M. No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid-up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 205 88 15 081 (160 39 57 605) इक्विटी शेयर 205 88 15 081 (160 39 57 605) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up	2058 81 50	1603 95 76
(अनुसूची 18 टिप्पणी 3 एवं 4 देखें) (Refer Schedule 18 Note 3 & 4)		
कुल / TOTAL	**2058 81 50**	**1603 95 76**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3019 34 72	2801 00 02
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	218 34 70
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 72	**3019 34 72**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	825 21 07	596 14 49
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	285 08 56	229 06 58
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1110 29 63	**825 21 07**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1662 85 03	1712 83 66
	वर्ष के दौरान परिवर्धन* / Additions during the year* (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) / (Refer Schedule 18 Note.1)	3992 24 26	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	49 98 63
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	47 26 62	-
		5607 82 67	**1662 85 03**

*पहले पुनर्मूल्यित की गई आस्तियों के पुनर्मूल्यित भाग पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रतिवर्तन के प्रति ₹ 55 90 34 हजार (शून्य) शामिल है.
*Includes ₹ 55 90 34 Thousand (NIL) towards reversal of excess depreciation charged on the revalued portion of the assets, which were revalued earlier.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	9678 95 19	9678 75 57
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2622 57 85	19 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		12301 53 04	**9678 95 19**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क) सामान्य रिज़र्व (a) General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5370 43 74	5272 88 11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2 13 64	3 91 21
	(i) स्टाफ कल्याण निधि से अंतरित Transferred from Staff Welfare Fund	-	29 01 11
	(ii) पूनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण Transferred from Revaluation Reserve	47 26 62	-
	(iii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित Transferred from Profit and Loss account	-	65 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	36 69
		5419 84 00	**5370 43 74**
	(ख) स्टाफ कल्याण निधि (b) Staff Welfare Fund		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	-	29 01 11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	29 01 11
		-	**-**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (d) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1366 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	200 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(3031 57 07)	641 60 48
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**25999 62 03**	**22770 75 27**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	6572 94 64	6142 36 83
(ii) अन्य से / From others	22220 61 19	24203 06 21
	28793 55 83	**30345 43 04**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**39849 92 61**	**34701 26 79**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	32641 44 49	28183 96 90
(ii) अन्य से / From others	163802 46 41	166292 28 55
	196443 90 90	194476 25 45
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**265087 39 34**	**259522 95 28**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	263222 92 75	257586 36 72
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1864 46 59	1936 58 56
कुल / **TOTAL**	**265087 39 34**	**259522 95 28**

(₹ 000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	230 30 00	1222 70 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(v) अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier 1 Bond	2500 00 00	2500 00 00
(vi) अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier 2 Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vii) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर 2 पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier 2 Capital)	8570 00 00	9208 50 00
(viii) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	-
(ix) अन्य* / Others *	26392 83 87	19699 05 06
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	23985 80 11	23207 20 72
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**69573 93 98**	**61832 45 78**

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 16171 63 67 हजार (₹ 7293 18 86 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 16171 63 67 thousand (₹ 7293 18 86 thousand)

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है, जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं.
Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand), which does not qualify for CRAR

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ ‘000 में / ₹ in ‘000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	989 61 93	1445 68 16
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	98 82	14 44 69
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1639 98 72	1899 30 89
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	3400 28 31	1740 18 53
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	718 18 52	837 75 25
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and Dividend Tax payable	10 49 66	148 38 06
	(घ) विविध लेनदार* (d) Sundry Creditors*	322 01 60	303 22 19
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/TDS/Other taxes payable	29 62 43	12 85 54
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	31 10 64	30 83 52
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other Provisions	2532 59 64	2537 83 85
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	1800 89 09	1292 32 01
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**11475 79 36**	**10262 82 69**

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय - शून्य / Dues to Micro, Small and Medium Enterprise - NIL

(₹ ‘000 में / ₹ in ‘000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1590 10 01	1808 18 53
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	12237 27 91	11348 63 54
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13827 37 92**	**13156 82 07**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	55 36 28	376 86 94
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	345 45 30	290 27 21
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	848 06 40	-
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	486 10 52	-
		1734 98 50	**667 14 15**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	417 31 44	65 86 58
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	198 76 50	668 75 00
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	109 54 28	84 09 52
		725 62 22	**818 71 10**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**2460 60 72**	**1485 85 25**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	87263 70 13	83615 33 25
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	2932 53 63	3070 17 97
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	3131 46 28	3555 32 31
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	25 50 00	25 50 00
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs)	5459 25 95	7080 59 04
			98812 45 99	**97346 92 57**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other Investments (shares)	-	-
			-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**98812 45 99**	**97346 92 57**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		100543 68 36	98803 58 35
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation		1731 22 37	1456 65 78
	निवल निवेश / Net Investments		**98812 45 99**	**97346 92 57**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation		-	-
	निवल निवेश / Net investments		-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A			
(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	5425 56 80	6701 32 73
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	59886 59 18	54303 77 11
(iii)	मीयादी ऋण */ Term loans *	150581 28 91	147371 76 81
	कुल / TOTAL	**215893 44 89**	**208376 86 65**
आ B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	202531 61 55	198719 15 97
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	4696 06 55	4046 35 52
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	8665 76 79	5611 35 16
	कुल / TOTAL	**215893 44 89**	**208376 86 65**
इ C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	55174 51 85	51060 00 01
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	13823 42 05	9665 00 63
(iii)	बैंक / Banks	241 87 04	190 38 02
(iv)	अन्य / Others	122824 66 16	124617 13 92
	कुल / TOTAL	**192064 47 10**	**185532 52 58**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	-	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	132 65 79	175 15 30
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	3943 26 78	4535 84 10
	(ग) अन्य (c) Others	19753 05 22	18133 34 67
	कुल / TOTAL	**23828 97 79**	**22844 34 07**
	कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**215893 44 89**	**208376 86 65**

* ₹ 8411 43 00 हजार (पिछले वर्ष (₹ 790 00 00) हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (निवल) शामिल है.
Includes Inter Bank Participatory Certificates (Net) ₹ 8411 43 00 thousand (Previous year (₹ 790 00 00) thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against Letter of Credit issued by other banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note 1)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2792 63 86	2791 44 40
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	24 75 65	1 24 29
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	3936 33 91	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year *	45 81	4 83
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	482 87 83	479 66 94
		6270 39 78	**2312 96 92**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	1738 37 50	1503 10 49
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	218 49 65	239 38 03
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	6 43 86	4 11 02
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1179 83 40	1025 64 31
		770 59 89	**712 73 19**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	480 92 83	54 24 98
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**7521 92 50**	**3079 95 09**

* परिसर की बिक्री पर ₹ 319 हजार (शून्य) का पुनर्मूल्यन रिजर्व शामिल है.

* Includes Revaluation Reserve of ₹ 319 thousand (Nil) on sale of premises

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2854 75 77	2893 45 65
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	2732 72 89	2373 04 60
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	24 30	18 74
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	793 53 93	81 45 18
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	3951 42 73	2634 63 61
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds pending allotment	185 44 93	170 36 37
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	154 71 82	134 53 61
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	432 14 53	410 38 11
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses/ Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	9 87 26	6 86 62
	(च) विविध * (f) Miscellaneous*	24626 31 65	23892 98 80
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**35741 19 81**	**32597 91 29**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 24130 93 67 हजार (₹23262 33 75 हजार) का निवेश शामिल है.

* Includes Investment in Priority Sector ₹ 24130 93 67 thousand (₹ 23262 33 75 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2016 As at 31-03-2016	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	149 52 35	132 21 07
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	51833 70 39	80085 97 59
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52627 71 95	52772 75 16
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	5593 19 29	4941 47 24
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	26458 38 47	28818 50 85
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	52291 09 81	52075 45 74
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	7659 30 62	11597 57 04
VII	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1735 90 04	1207 66 68
VIII	अन्य Others	27 53 38	17 61 14
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**198376 36 30**	**231649 22 51**

आकस्मिक देयताओं के ब्योरे के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी 14 देखें.

Refer Schedule 18 Note 14 for description of Contingent Liabilities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED**		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances/bills	20772 25 31	20829 75 01
II	निवेशों से आय / Income on Investments	5941 43 53	6265 87 65
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	37 16 78	68 29 70
IV	अन्य / Others	1307 34 39	1000 34 88
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**28058 20 01**	**28164 27 24**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2177 75 16	2115 74 46
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	829 03 59	1639 96 68
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(100 75 92)	(44 06 41)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(3 95)	3 84
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	287 06 21	275 64 46
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and / or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	139 78 57	54 14 85
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	185 21 80	147 75 16
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3518 05 46**	**4189 23 04**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	16949 03 42	17642 50 14
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	1232 44 84	1212 02 58
III	अन्य / Others	3749 49 47	3532 61 84
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**21930 97 73**	**22387 14 56**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1762 61 13	2011 21 32
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	403 55 57	371 07 45
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	56 45 05	52 74 35
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	28 56 84	49 69 61
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास */ Depreciation on the Bank's property *	217 81 60	141 24 78
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	94 62	70 06
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 46 43	2 39 58
VIII	विधि प्रभार / Law charges	15 10 94	16 61 21
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	100 66 71	103 55 58
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	302 64 94	232 35 50

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
XI	बीमा / Insurance	224 50 03	217 87 49
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	55 48 28	50 81 08
	(ख) कार्ड और एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	321 96 77	261 17 00
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	10 07 76	7 01 75
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write-off cases	3 62 14	3 76 53
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	307 28 03	221 36 80
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	42 35 89	28 78 04
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	42 58 67	39 96 98
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	37 26 16	28 51 54
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 07 07	8 66 49
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	36 47 63	53 84 23
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	227 30 33	201 26 52
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**4205 82 59**	**4104 63 89**

* शून्य हजार (₹ 41 84 02 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व को घटाकर
* Net of Revaluation Reserve of Nil thousand (₹ 41 84 02 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार :
Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस) को पूरा करती हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. कंपनी द्वारा लेखांकन नीतियों का सतत् रूप से प्रयोग किया गया है और ये पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and notified by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the company and are consistent with those used in the previous year.

2. समेकन तैयार करना:
Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस)-21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक (एएस)-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी-''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries/associate /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard (AS)-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associate/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2016.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह लेन-देनों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

IDBI BANK

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses c) its Associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/Associates is recognized in the financial statements as goodwill/capital reserve.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiaries:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत / India	100	100
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं : Non Financial Subsidiary:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड DBI Intech Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत / India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	भारत / India	54.70	54.70

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत / India	48	48
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं: Associates:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	भारत / India	30	30
2)	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL E-Governance Infrastructure Ltd	भारत / India	30	30
3)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Ltd	भारत / India	27.93	27.93

3. अनुमानों का उपयोग
Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण
Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

Interest income is recognized on accrual basis except in the case of nonperforming assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.

Commissions on Letter of Credit (LC)/Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन ऋण करार / पुनर्संरचना पैकेज में विनिर्दिष्ट विनियोजन के क्रम के अनुसार किया जाता है.

In case of advances, recovery is appropriated as per the order of appropriation specified in the loan agreement / restructuring package.

vii. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में,

In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

क. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

a. Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ख. तुलन पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

b. Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.

c. Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

घ. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.

d. Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

ङ. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.

e. Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered. Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

viii. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,

In case of IDBI Asset Management Ltd,

क. निवेश प्रबंधन शुल्कः निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.

a. Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

ख. अन्य आय : ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

b. Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

ग. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेखांकन नीति में बदलाव और उसका प्रभावः

c. Change in accounting policy from current year F.Y. 2015-16 and its impact :

(i) नए निधि ऑफर (एनएफओ): नए निधि ऑफर को शुरू करने से संबंधित व्यय को उस वर्ष की लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं तथा सीमित अवधि वाली योजना के लिए इसे योजना की अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. यदि कंपनी ने 36 महीने की अवधि के दौरान निरंतर स्वरूप की निधियों के मामले में एनएफ़ओ व्ययों के परिशोधन की पूर्ववर्ती नीतिगत प्रक्रिया का प्रयोग जारी रखा होता तो चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 का लाभ ₹ 37,03,172/- अधिक होता.

New Fund Offer (NFO): Launch expense relating to New Fund Offer are to be charged to the statement of Profit and Loss in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is charged to Statement of Profit and Loss over the tenure of the scheme. Had the company continued to use the earlier policy method of amortizing the NFO expenses in case of open ended funds over a period of 36 month the profit of the current year F.Y. 2015-16 would have been higher by ₹ 37,03,172/-.

(ii) दलालीः निरंतर स्वरूप की इक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं के मामले में अदा की गई प्रारंभिक दलाली को 36 महीने की अवधि में और किसी अन्य निरंतर स्वरूप की योजना के मामले में कर लगाकर वसूली की जाने वाली अवधि तक परिशोधित किया जाएगा. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में योजना की अवधि के दौरान प्रारंभिक दलाली परिशोधित की जाएगी. यदि कंपनी ने उस वर्ष में अपफ्रंट दलाली प्रभारित करने की पूर्व नीतिगत प्रक्रिया का प्रयोग करना जारी रखा होता जिसमें वह उपगत होता है तो चालू वर्ष का लाभ ₹ 1,20,16,204/- कम होता.

Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving Scheme schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme, over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme. Had the company continued to use the earlier policy method of charging the upfront brokerage in the year in which it is incurred the profit of the current year would have been lower by ₹ 1,20,16,204/-.

ix. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में,

In case of IDBI MF Trustee Company Ltd,

क. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

a. Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. अन्य आय: निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

b. Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

x. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत उपगत की जाती है. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संपर्क केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है. अन्य आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याज से राजस्व का निर्धारण बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर किया जाता है.

In case of IDBI Intech Ltd, Revenue from contracts priced on time and material basis are recognized when services are rendered & related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognised on achievement of milestone basis and on transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales. Other Income is accounted on Accrual basis. Revenue from Interest is recognised as a time proportion basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

xi. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में,

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.,

क. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit which are accounted for on accrual basis.

यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष/ वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशुद्ध ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.

Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/ s amount outstanding against, such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.

जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.

Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

b. Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

xii. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

(i) **प्रीमियम आय:**

Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

For non-linked business, premium (net of service tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है.

For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.

Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है.

Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) **संबद्ध निधि से आय:**

Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) **निवेशों पर अर्जित आय:**

Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है.

Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है.

Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments.

लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है.

Profit or Loss on sale of equity shares and mutual funds units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”.

संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) शुल्क और प्रभार

Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.

Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis.

(v) पुनर्बीमा प्रीमियम:

Reinsurance premium:

पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुए समझौते या सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय का निर्धारण करते समय हिसाब में ली जाती है. किए गए पुनर्बीमा पर लाभ या कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम में से घटाया जाता है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit or commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(vi) **अर्जन लागत:**

Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

(vii) **प्रदत्त लाभ:**

Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं.

Death, rider and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due.

संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं.

Withdrawals & Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(viii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन:**

Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, इरडा विनियमन व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिजर्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act 1938, IRDA regulations and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. **अग्रिम और प्रावधान:**

Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारित ऋणों और अग्रिमों को बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के प्रावधान अनुसार किया जाता है.

Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.

The Bank makes countercyclical buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board and utilizes the same within the limits and in the circumstances permitted by RBI.

6. **निवेश:**

Investments:

अ. वर्गीकरण:

A. Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. परिपक्वता तक धारित

Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा

Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित

Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है.

Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां

Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

Other Approved Securities

iii. शेयर

Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड

Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम

Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)

Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:

B. Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held to Maturity'.

इ. मूल्यांकन :

C. Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में :

In determining the acquisition cost of an investment:

क. सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ब. खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग. लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ एफआईएमएमडीए के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ड़) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.

Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन :

D. Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

I. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,

In case of IDBI Assets Management Ltd,

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है.तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग किया जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

II. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में,

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary.

III. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में,

In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों का गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

ख. अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.

b. Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

ग. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

c. Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

घ. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

d. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

IV. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars/notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अ) वर्गीकरण:

A) Classification:

i. तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पावधि निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

आ) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

B) Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती है जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन है.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/ traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रास हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

इ) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार

C) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मुद्रा बाज़ार लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे - वाणिज्यिक कागजातों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफ़आईएमएमडीए से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued at prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

ई) निवेशों का अंतरण

D) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

7. डेरिवेटिव लेन-देन:

Derivative Transactions:

अ. हेज के रूप में नामित लेन-देनों में :

A. In Transactions designated as 'Hedge':

i. डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ii. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognized over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

iii. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

iv. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. 'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेन-देनों में:
B. In Transactions designated as 'Trading':

i. क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ii. एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. फ़्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेन-देन
C. Transactions in Futures and Options

i. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट/ ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में सावधि जमा, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट में लेन-देनों को संविदा के कल्पित क्रय-विक्रय मूल्य पर खरीद एवं बिक्री के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन पत्र की तारीख को फ़्यूचर्स की खुली संविदा को उसके कल्पित मूल्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलनपत्र की तारीख तक फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट के खुली संविदा के मूल्य में घट-बढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के प्रयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीद या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बेचे गए ऑप्शनों के खुली संविदा के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या शेष राशियों का समंजन करके अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप

D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित आस्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख को हिसाब में लिया जाता है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

Fixed Assets and depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में दर्शाया किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.

The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है और उसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account.

v. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.

In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. मूल्यह्रास और परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है..

Depreciation on tangible asset is allocated over useful life of the asset as estimated by the management. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life.

viii. इन आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उपयोगी जीवनकाल से भिन्न होता है. आंतरिक निर्धारण और किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन विश्वास करता है कि ऊपर दिए गए अनुसार उपयोगी जीवनकाल अवधि को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रबंधन इन आस्तियों के प्रयोग हेतु आशा करता है. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. Based on internal assessment and technical evaluation carried out, the Management believes that the useful lives as given below best represent the period over which Management expects to use these assets. Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix. प्रबंधन अन्य अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल का अनुमान निम्नानुसार लगाता है

The Management estimates the useful lives for the other fixed assets as follows:

आस्ति / Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) / Estimated Useful Life (in Years)
परिसर / Premises	61.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी /Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन /Motor vehicles	5
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT equipment	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	5

x. पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,

B. In case of IDBI Assets Management Ltd.

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर ऊँची दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी / Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (1 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर /IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with Employees	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

v. एकल रूप से ₹ 5000 या उससे कम की लागत वाली अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, अचल आस्तियों को उनकी अर्जन लागत और उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने की लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है. बेचे गए सॉफ्टवेयरों, जिन पर स्वामित्व अधिकार कंपनी के पास है, को लागत पर पूंजीकृत किया गया है. 31 मार्च 2015 तक अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जा रहा था. कंपनी अब कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुपालन में 1 अप्रैल 2015 से सीधी रेखा पद्धति के माध्यम से इस प्रकार मूल्यह्रास करती है कि आस्तियों का उनके उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यह्रास हो जाता है. मूल्यह्रास प्रक्रिया में बदलाव के वित्तीय प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 39.79 लाख के मूल्यह्रास का पुनरांकन किया गया है. वे कम्प्यूटर जिनमें 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हुआ है अब उनमें अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास किया जा रहा है. अचल आस्तियों के परिवर्धन / से घटाव पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन/घटाव, जो भी मामला हो, की तारीख से/तक आनुपातिक आधार पर किया जाता है. एएस 26 के अनुसरण में अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है.

C. In case of IDBI Intech Ltd, Fixed assets are stated at cost of acquisition, including any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use, less accumulated depreciation. The Softwares sold, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at cost. Depreciation on fixed assets was being provided as per WDV method up to 31st March, 2015. The company now provides Depreciation as per Straight Line Method w. e. f. 1st April 2015, in compliance with Schedule II to the Companies Act, 2013, such that the assets are depreciated over their useful life. Financial impact of change in the depreciation method resulted in to writing back of depreciation of ₹ 39.79 lacs. Computers which were depreciated at the rate of 60 per cent are now being depreciated as per provisions of Schedule II. Depreciation on additions to/ deletions from fixed assets is provided on pro rata basis from / up to the date of such addition/deletion as the case may be. Intangible Assets (Computer Software) are amortised equally over a period of five years in compliance with AS 26.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में,

D. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षा के अनुसार कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000 से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed under of schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition as per the requirement of schedule II of the Companies Act 2013.

ii. अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में मूर्त आस्तियों-अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर किया जाता है. अचल आस्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है. अर्जन के वर्ष में ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है. अमूर्त आस्तियों का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति पर अर्जन / विकास लागत पर किया जाता है तथा सीधी रेखा पद्धति आधार पर उनके आकलित आर्थिक जीवनकाल के दौरान परिशोधित किया जाता है.

E. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Tangible Assets Fixed Assets are valued at original cost less accumulated depreciation and impairment losses. Fixed Assets are amortised over their estimated useful life as specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 on a straight-line method. Assets retired from active use are fully depreciated.Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated. Intangible assets are measured at cost of acquisition/development and amortised over their estimated economic life on a straight-line method.

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष

Computer Software – 3 years.

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष

Web Trading Portal – 3 years.

स्टॉक एक्सचेंज सदस्यता कार्ड - 4.75% प्रति वर्ष पर.

Stock Exchange Membership Card - at 4.75% p.a.

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट्स के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है. कंपनी इसका परिशोधन 21 वर्षों में करती है, बशर्ते ऐसा कोई साक्ष्य न हो कि इसका उपयोगी जीवनकाल कम है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use. The company amortises it over 21 years unless there is evidence that its useful life is shorter.

ऊ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में,

F. In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. प्रबंधन द्वारा अनुमानित या निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on lower of useful life for each class of asset as estimated by the management or as prescribed, which is stated below:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) /Useful Life (in Years)
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर / Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण / Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

9. प्रतिभूतिकरण लेन-देन:

Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control of the contractual rights

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10. प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के कमतर शोधन मूल्य तथा वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य के आधार पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक अग्रिमों के विक्रय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से धारित प्रावधानों को घटाकर) पर किया गया हो तो कमी को लाभ-हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है. यदि विक्रय निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया हो तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिवर्तन नहीं किया जाता है बल्कि उसका उपयोग अन्य अनर्जक अग्रिमों के विक्रय के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने में किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2014 को अनर्जक अग्रिमों के विक्रय के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुसार यदि अनर्जक अग्रिमों का विक्रय निवल बही मूल्य से कम में किया जाता है तो कमी को दो वर्ष की अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है. यदि विक्रय निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि प्राप्त होने के वर्ष की लाभ-हानि विवरण में जमा कर दिया जाता है.

In accordance with RBI guidelines on sale of non-performing advances, if the sale is at a price below the net book value (i.e. book value less provisions held), the shortfall is charged to the Statement of Profit and Loss. If the sale is for a value higher than the net book value, the excess provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing advances. The RBI issued new guidelines on sale of non-performing advances on February 26, 2014. In accordance with these guidelines, if the sale of non-performing advances is at a price below the net book value, the shortfall is charged to the Statement of Profit and Loss spread over a period of two years. If the sale is for a value higher than the net book value, the excess provision is credited to the Statement of Profit and Loss in the year the amounts are received.

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Assets Management Ltd, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपांतरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपांतरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में, विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

D. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित दर पर रूपांतरित किया जाता है. रूपांतरण के फलस्वरूप होनेवाले विनिमय दर अंतर को वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

E. In case of IDBI Intech Ltd, Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Foreign monetary assets and liabilities are translated at the rate prevailing as on the date of balance sheet. The resulting exchange rate difference in translation are recognised in the Profit and Loss account for the year.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेन-देन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

F. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

12. कर्मचारी लाभ

Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, भविष्य निधि और ईएसआईसी में अंशदान का हिसाब उपचय के आधार पर रखा जाता है. कंपनी ने उपदान और छुट्टी नकादीकरण के भावी भुगतान के लिए एक न्यास का निर्माण किया है जिसका निधीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ किया जाता है. वार्षिक उपदान अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान के प्रयोजन के लिए निर्धारण अनुसार किया जाता है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपदान संबंधी देयताओं का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस प्रकार की बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता और निधि में किए गए अंशदान के बीच के अंतर को देयता/ आस्ति, जो भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Intech Ltd, Contribution to Provident Fund & ESIC is accounted on accrual Basis. The Company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognized as a liability / asset, as the case may be.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,

C. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार दर्ज की जाती है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

निर्धारित अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

क) **भविष्य निधि**

a) **Provident Fund**

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) उपदान

b) **Gratuity**

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2016 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज़ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. एम्प्लॉईज ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date 31st March, 2016. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण

c) **Leave Encashment**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.

Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,

D. In case of IDBI Asset Management Ltd,

क) उपदान:

a) **Gratuity:**

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधियन उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) भविष्य निधि:

b) **Provident fund:**

कंपनी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

c) **Short term employee benefits:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss account of the year in which the services are rendered.

घ) प्रतिपूरित अनुपस्थिति:

d) **Compensated absences:**

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. इस देयता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

The company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

ड. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

E. Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.

Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognized on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

ii. नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Project Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.

The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में,

F. In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

i. कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के कारण भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में किए गए अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है. कंपनी की उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है.

The Company's contribution on account of retirement benefits in the form of Provident Fund and Superannuation Fund is charged to revenue. The gratuity and leave encashment liability of the company are covered under the scheme with Life Insurance Corporation of India and the yearly contribution is paid to LIC.

ii. भविष्य निधि एक निर्धारित अंशदान योजना है और संबंधित निधि में अंशदान के देय होने पर अंशदान को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

iii. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की अनुमोदित समूह उपदान पॉलिसी में अंशदान करती है. उपदान संबंधी देयता निर्धारित लाभ दायित्व है और इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एएस 15 (संशोधित) के अनुसार किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

The Company contributes to an approved Group Gratuity Policy with the LIC of India. Gratuity liability are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.

iv. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान करती है. अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए अनुमानों के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

The Company contributes to the Group Leave Encashment Policy with the LIC of India. Short term compensated absences are provided for based on estimates.

v. बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.

Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

13. खंड रिपोर्टिंग

Segment Reporting:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. समूह चार खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं व अन्य बैंकिंग परिचालनों में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा समूह की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है. समूह ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में प्रकट किया है. समूह मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः समूह को मुख्यतः देशी खंड में ही परिचालन करनेवाला माना जाता है और इसलिए कोई भौगोलिक खंड रिपोर्ट योग्य नहीं हैं.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other banking operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Group. The Group has disclosed business segment as the primary segment. The Group primarily operates in India, hence the group has considered operating predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

ii. खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

आ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.,

B. Life Insurance Joint Venture – IDBI Federal Life Insurance Company Ltd,

i. आईसीएआई द्वारा जारी ''खंडवार रिपोर्टिंग'' पर एएस-17 के साथ पठित आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 ('विनियम') के अधीन अभिनिर्धारित प्राथमिक खंडों के आधार पर कंपनी ने खंडवार सूचना को शेयरधारक एवं पॉलिसीधारक - सहभागिता (जीवन), गैर सहभागिता (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य एवं समूह), परिवर्तनीय गैर-संबद्ध (पेंशन एवं समूह) और संबद्ध (जीवन एवं पेंशन) कारोबार के रूप में वर्गीकृत और प्रकटन किया है.

Based on the primary segments identified under IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations 2002 ('the Regulations') read with AS-17 on "Segmental Reporting" issued by ICAI, the Company has classified and disclosed segmental information into Shareholder & Policyholder – Participating (Life), Non Participating (Life, Pension, Health & Group), Variable Non-Linked (Pension & Group) and Linked (Life & Pension) businesses.

ii. चूंकि कंपनी का कारोबार परिचालन भारत में प्रभावी है और सभी पॉलिसियां भारत में ही लिखित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

There are no reportable geographical segments, since the business operations of the Company are given effect to in India and all the policies are written in India only.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. **आबंटन कार्यप्रणाली**

Allocation methodology

राजस्व और व्यय, आस्तियां और देयताएं जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य और संबंधित खंडों के लिए निर्धारणीय योग्य हैं उन्हें उन संबंधित खंडों के लिए सीधे आबंटित किया गया है.

Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment.

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्ययों को निम्नलिखित पद्धति से विशिष्ट कारोबार खंडों को आबंटित किया गया है जो नियमित आधार पर लागू है.

Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on a consistent basis.

क. खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य व्ययों का आबंटन वास्तविक आधार पर किया जाता है.

a. Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis.

ख. अन्य व्यय (मूल्य ह्रास और परिशोधन सहित), जो कारोबार खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य नहीं हैं, का आबंटन निम्न में से किसी एक आधार पर किया जाता है.

b. Other expenses (including depreciation and amortization), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:

- जारी बीमा पॉलिसियों / प्रमाणपत्रों की संख्या

  Number of policies/certificate of insurance issued
- भारित वार्षिकीकृत प्रीमियम

  Weighted Annualized Premium
- निधि आकार/ निधियों की संख्या

  Fund Size / Number of funds
- प्रीमियम आय

  Premium Income
- प्रवर्तमान पॉलिसियों की संख्या

  Number of policies in force
- दावों की संख्या

  Number of claims

आबंटन की पद्धति का निर्धारण व्यय की प्रकृति और विभिन्न कारोबारी खंडों से इसके तार्किक सह संबंधों के आधार पर किया गया है.

The method of allocation has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

14. कराधान

Taxation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में वर्ष के दौरान वर्तमान आयकर प्रावधान और आस्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना प्रचलित अधिनियमित कर दरों के आधार पर, लेखांकन अवधि की समाप्ति पर, संचित समय अंतराल पर की जाती है. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की गणना और उसके प्रावधान कर क़ानूनों के अनुसार किए जाते हैं जो भावी आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है. युक्तियुक्त साक्ष्य होने पर कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर अदा करेगी की स्थिति में इसे आस्ति के रूप में माना जाता है. तदनुसार इसकी संभावना होने पर कि इससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी के पास जाएगा और आस्ति का आकलन विश्वासपूर्वक किया जा सकता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर को तुलन पत्र में आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

B. In case of IDBI Intech Ltd, Income tax comprises the current tax provision and the change in the deferred tax asset or liability in the year. The deferred tax assets and liabilities are calculated on the accumulated timing difference at the end of an accounting period based on prevailing enacted tax rates. Minimum Alternative Tax (MAT) is worked out and provided in accordance to the tax laws, which gives future economic benefit in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax in future. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the balance sheet when it is probable that the future economic benefit associated with it will flow to the company and the asset can be measured reliably.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में वर्तमान कर का आकलन आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान की जानेवाली/ आयकर प्राधिकारियों से वसूल की जानेवाली अनुमानित राशि के आधार पर किया जाता है. समय अंतराल का कर प्रभाव, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय का अंतर है, एक या अधिक परवर्ती अवधियों में प्रतिवर्तन के लिए उपयुक्त होता है तथा इसे आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित देयता के रूप में दर्ज किया जाता है. आस्थगित कर आस्ति और देयता समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित किए जाते हैं. इनका आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का प्रयोग करते हुए किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियां निर्धारित की जाती है और उचित निश्चयता की स्थिति में उस सीमा तक आगे ले जायी जाती हैं कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके एवज में आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी. तथापि, जहां अनवशोषित मूल्यह्रास और आगे ले जायी गई हानि हैं, आस्थगित कर आस्ति का सृजन केवल तभी किया जाता है जब आस्तियों के समाशोधन की वास्तविक निश्चयता हो. यह यथोचित रूप से और निश्चित न हो पाने पर कि पर्याप्त रूप से भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो पाएगी जिसके एवज में आस्थगित कर की वसूली की जा सकेगी, आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इस सीमा तक कम कर दी जाती है. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधिक समय-सीमा के भीतर सामान्य आयकर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.

C. In case of IDBI Capital Market Services Ltd., Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act. The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date. Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets. The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized. Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

ई. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. : आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ को ध्यान में रखते हुए संबंधित अवधि के लिए आयकर का प्रावधान किया जाता है. जीवन बीमा सेवा पर सेवा कर देयता का समंजन इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त कर से उपलब्ध सेवा कर जमाओं से किया जाता है. अप्रयुक्त जमाओं, यदि कोई हो, को समंजन के लिए आगे ले जाया जाता है.

D. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Provision for income tax for the period is made after taking into consideration the benefits admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Service Tax liability on life insurance service is set-off against the service tax credits available from tax paid on input services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट के मामले में आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात् आयकर क़ानूनों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (संबन्धित अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतरालों के कर प्रभाव को दर्शाने वाले) शामिल हैं. चालू आयकर के लिए चालू कर प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा कर भत्तों और रियायतों के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है. आस्थगित कर, आस्थगित कर आस्तियां और देयताएँ समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित की जाती हैं जो आयकरों के लिए प्रस्तावित लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच के परिणाम होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर क़ानूनों का प्रयोग करके किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अधिनियमन की तारीख शामिल होती है. युक्तियुक्त निश्चयता की स्थिति में आस्थगित कर आस्तियां उस सीमा तक निर्धारित की जाती हैं कि आस्तियों की वसूली भविष्य में की जा सके. तथापि, जहां कराधान क़ानूनों के अंतर्गत अनवशोषित अनर्जकता और आगे ले जायी गई हानि है, आस्थगित कर आस्तियां तभी निर्धारित की जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चयता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्य के औचित्य के आकलन के लिए किया जाता है.

E. In case of IDBI Asset Management Ltd, Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period). Current taxes Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. Deferred taxes Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ के मामले में वर्तमान वर्ष के लिए कर का निर्धारण वर्तमान कर क़ानूनों के आधार पर किया जाता है तथा वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय के बारे में देय कर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. कर योग्य आय और लेखांकन आय में अंतर की वजह से समय अंतराल के कारण आस्थगित कर को दर्शाया जाता है जो कि एक अवधि में आरंभ होकर परवर्ती एक या अधिक अवधियों में प्रतिवर्तित हो सकते हैं. आस्थगित कर आस्ति, निर्धारित की जाती है और वास्तविक निश्चयता के साथ केवल उस सीमा तक आगे ले जायी जाती है कि भविष्य में आस्ति की वसूली हो जाएगी. उन मामले में जहां युक्तियुक्त साक्ष्य द्वारा समर्थित कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है, आस्थगित कर आस्ति लेखांकन बहियों में उपचित नहीं होती है.

F. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit & loss account. Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future. In cases where there is no virtual uncertainty supported by convincing evidence, the Deferred tax asset is not accrued in books of accounts.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ए. आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात आयकर क़ानूनों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतरालों के कर प्रभाव को दर्शाने वाले) शामिल हैं. चालू आयकर के लिए चालू कर प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा कर भत्तों और रियायतों के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है. आस्थगित कर, आस्थगित कर आस्तियां और देयताएँ समय अंतरालों के प्रति उत्तरदायी भावी कर परिणामों के लिए निर्धारित की जाती हैं जो आयकरों के लिए प्रस्तावित लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच के परिणाम होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के आकलन तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर क़ानूनों का प्रयोग करके किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अधिनियमन की तारीख शामिल होती है. युक्तियुक्त निश्चयता की स्थिति में आस्थगित कर आस्तियां उस सीमा तक निर्धारित की जाती हैं कि आस्तियों की वसूली भविष्य में की जा सके. तथापि, जहां कराधान क़ानूनों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाई गई हानि है, आस्थगित कर आस्तियां तभी निर्धारित की जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चयता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्य के औचित्य आकलन के लिए किया जाता है.

G. In case of IDBI MF Trustee Company Ltd, Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period). Current taxes Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. Deferred taxes Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

15. प्रारंभिक खर्च

Preliminary Expenses:

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन दस वर्षों की अवधि तक किया जाता है. इस प्रकार से प्रारंभिक खर्चों (जो वर्तमान में बट्टे खाते नहीं डाले गए या समायोजित नहीं हैं) को आईआरडीए के प्रावधानों के अंतर्गत यथा उल्लिखित शेयर पूंजी की अनुसूची में समायोजित किया जाता है.

Life Insurance Joint Venture- IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Preliminary expenses are amortized over a period of ten years. Such preliminary expenses (to the extent not written off or adjusted) are adjusted in the schedule of Share Capital as prescribed under the IRDA regulations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

16. प्रति शेयर उपार्जन

Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

17. आस्तियों की अनर्जकता

Impairment of Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूलीयोग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

A. In case of IDBI Bank Ltd, Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realizable value of the asset.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ के मामले में, आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर अनर्जकता का कोई संकेत होने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्ति की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. आस्तियों की रखाव राशि इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाने पर आस्ति को अनर्जक माना जाता है. अनर्जक हानि, यदि कोई है, को आस्ति के अनर्जक निर्धारण होने वाले वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. जब ऐसा संकेत मिलता है कि अनर्जक हानियां अब समाप्त या न्यून हो गईं हैं तो पूर्व वर्षों में दर्शाई गई अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन दर्ज किया जाता है.

B. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the carrying amounts of the assets are reviewed at each Balance Sheet date for impairment based on internal / external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment loss recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the assets no longer exists or has decreased.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.- प्रबंधन वाह्य और आंतरिक स्रोतों का प्रयोग करते हुए किसी आस्ति के अनर्जक होने के संकेत के बारे में आवधिक मूल्यांकन करता है. अनर्जकता उन मामलों में होती है जहां रखाव मूल्य भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य, जिसके आस्ति के निरंतर प्रयोग और इसके आकस्मिक निपटान से बढ़ाने की संभावना होती है, से बढ़ जाता है. व्यय की जाने वाली अनर्जक हानि का निर्धारण उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार आस्ति के उच्चतर निवल बिक्री मूल्य या वर्तमान मूल्य पर रखाव राशि के आधिक्य के रूप में किया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Management periodically assesses, using external and internal sources, whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment occurs where the carrying value exceeds the present value of future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal. The impairment loss to be expensed is determined as the excess of the carrying amount over the higher of the asset's net sales price or present value as determined above.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट के मामले में, कंपनी किसी आस्ति के अनर्जक होने के संकेत के बारे में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आवधिक मूल्यांकन करती है. यदि ऐसे किसी संकेत का पता चलता है तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है. यदि आस्ति की वसूली योग्य राशि इसके रखाव राशि से कम है तो रखाव राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से कम कर दी जाती है. कमी को अनर्जक हानि के रूप में माना जाता है तथा लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. यदि तुलन पत्र की तारीख को ऐसे कोई संकेत हैं कि पूर्ववर्ती आकलित अनर्जक हानि अधिक समय तक नहीं रहेगी तो वसूली योग्य राशियों का पुनर्मूल्यन किया जाता है और आस्ति को अधिकतम मूल्य ह्रासित पुरानी लागत के अधीन वसूली योग्य राशि में दर्शाया जाता है. अनर्जकता के बाद, आस्ति के संशोधित रखाव राशि पर, इसकी शेष उपयोगी अवधि के लिए, मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है

D. In case of IDBI Asset Management Ltd, The Company assesses at each Balance Sheet Date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में आस्ति की रखाव राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि अनर्जकता के किसी संकेत का पता लगाया जा सके. यदि ऐसे किसी संकेत का पता चलता है तो आस्ति के वसूली योग्य राशि के बारे में आकलन किया जाता है. जब कभी किसी आस्ति की रखाव राशि या इसकी नकदी जनरेट करने वाली इकाई वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, अनर्जक हानि का निर्धारण किया जाता है. वसूली योग्य राशि, आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से अधिक होती है जिसका निर्धारण अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों के आधार पर किया जाता है जो अपने वर्तमान मूल्य पर भुनाए जाते हैं. सभी अनर्जक हानियों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त अनुमानों में परिवर्तन की स्थिति में किसी अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन किया जाता है तथा इसे लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

E. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated. An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account. An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर अनर्जकता का कोई संकेत होने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्ति की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. आस्तियों की रखाव राशि इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाने पर आस्ति को अनर्जक माना जाता है. अनर्जक हानि, यदि कोई है, को आस्ति के अनर्जक निर्धारण होने वाले वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. जब ऐसा संकेत मिलता है कि अनर्जक हानियां अब समाप्त या न्यून हो गई हैं तो पूर्व वर्षों में दर्शाई गई अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन दर्ज किया जाता है.

F. In case of IDBI Intech Ltd, the carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses no longer exist or have decreased.

18. पूर्व अवधि समायोजन

Prior period adjustments:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, पूर्व वर्षों की मदों, वर्ष के दौरान समायोजन/उद्भूत/निपटाए गए/नोट किए गए दावे, यदि मूर्त प्रकृति के हों तो पूर्व अवधि के व्ययों/आय से अथवा यदि मूर्त प्रकृति के न हों तो संबंधित लेखा शीर्षों से नामे/जमा किए जाते हैं.

In case of Idbi Trusteeship Services Ltd., Earlier year items, adjustment / claims, arisen/ settled/ noted during the year, if material in nature, are debited/ credited to prior period expenses/ income or respective heads of account, if not material in nature.

19. नकदी प्रवाह विवरण

Cash Flow Statements:

अ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर लेखा मानक में (एएस-3) में वर्णित ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के अनुसार तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व निर्माण, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग अलग किया जाता है.

A. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., Cash Flow Statements are prepared in accordance with "Indirect Method" as explained in the Accounting Standard on Cash Flow Statements (AS-3). The Cash flows from regular revenue generating, financing and investing activity of the company are segregated.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवल लाभ को गैर नकदी प्रकृति के लेन-देनों के लिए लागू करने, किसी आस्थगित राशियों अथवा पूर्व या भविष्य में परिचालन वाले नकदी प्राप्तियों या भुगतानों से संबंधित संचयी जमा राशियों अथवा आय मदों या नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से संबद्ध व्ययों के लिए समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग अलग किया जाता है.

B. In case of IDBI Asset Management Ltd, Cash Flows are reported using indirect method whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरणों के लेखा मानक 3 में निर्धारित किए गए अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया जाता है तथा यह कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों पर नकदी प्रवाह को दर्शाता है. नकदी प्रवाह विवरण में प्रदर्शित नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा मांग राशियां शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

C. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company. Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

20. पट्टे

Leases:

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में पट्टे की व्यवस्थाएं, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व के बारे में सभी जोखिम और लाभ वास्तव में पट्टाकर्ता में निहित हैं, का निर्धारण परिचालनगत पट्टे के रूप में किया जाता है. परिचालनगत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान 'किराया दरें और करों' के अंतर्गत लाभ-हानि लेखे में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

A. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में, परिचालनगत पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया, पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

B. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Lease Payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of profit and loss account as per terms of lease agreement.

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., वे पट्टे जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ अपने पास रखता है, उन्हें परिचालनगत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. पट्टा अवधि के दौरान, परिचालनगत पट्टा किरायों को, व्यय जैसा लागू हो, के रूप में निर्धारित किया जाता है.

C. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the leased term are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognized as an expense, as applicable, over the lease period.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, वे पट्टे जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ अपने पास रखता है, उन्हें परिचालनगत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालनगत पट्टा किरायों को, पट्टा अवधि के दौरान व्यय के रूप में लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है.

D. In case of IDBI Asset Management Ltd, Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term, are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, पट्टे की व्यवस्थाओं, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व के बारे में जोखिम और प्रासंगिक प्रतिफल वास्तव में पट्टाकर्ता में निहित हैं, का निर्धारण परिचालनगत पट्टे के रूप में किया जाता है. परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत पट्टे के किराए को सीधी रेखा आधार पर लाभ-हानि लेखे में निर्धारित किया जाता है.

E. In case of IDBI Intech Ltd, Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the statement of profit & loss on straight - line basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

21. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, समूह द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नही किया जाता है ओर निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है..

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.

iv. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

आ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी, दावों (बीमा दावों के अलावा), वाद, निर्धारण, अर्थदंडों, दंडों आदि के लिए प्रावधान सृजित करती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसी आकस्मिक देयताओं के लिए प्रकटन किया जाता है जहाँ संभावित देयता या वर्तमान देयता के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु संभवतः नहीं होगी. ऐसी देयताएं जहाँ संभावित देयता या वर्तमान देयता के संबंध में राशियों के बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम है, वहां कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.

B. Life Insurance Joint Venture - IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Company creates a provision for claims (other than insurance claims), litigation, assessment, fines, penalties, etc. when there is present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में कंपनी पूर्व घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होने पर उसके लिए प्रावधान करती है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना होती है तथा देयता राशि के लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं होती है. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी, प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. तथापि, यदि वास्तव में निश्चित हो कि कोई आर्थिक लाभ होने वाला है तो आकस्मिक आस्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, आस्ति तथा संबंधित आय को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें बदलाव होता है.

C. In case of IDBI Asset Management Ltd, The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में पिछले घटनाक्रमों के कारण वर्तमान दायित्व होने पर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत हो जिसके संबंध में उचित प्रावधान किया जा सकता है. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. आकस्मिक आस्तियां दर्शाई नहीं जाती हैं. अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों का निर्धारण सभी बकाया ऋणों के मामले की समीक्षा के बाद किया जाता है. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान उनकी उगाही के बारे में प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के बाद किया जाता है. ऐसे किसी भी संदिग्ध ऋण के मामले में वसूली के आसार न होने पर उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा.

D. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, a provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized. Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same shall be written off.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में गणना में पर्याप्त मात्रा में अनुमान सहित प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि देयताओं के निपटान के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं का निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि उनका नोट में प्रकटन किया जाता है. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही प्रकटन किया जाता है.

E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

ऊ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में प्रावधान का निर्धारण तब किया जाता है जब पिछले घटनाक्रम के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा इसकी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता पड़ेगी तथा इसके संबंध में उचित प्राक्कलन किया जा सकता है. आकस्मिक देयताओं को नोटों के माध्यम से प्रकट किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को दर्शाया नहीं जाता है.

F. In case of IDBI Intech Ltd, A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past event and it is possible that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Contingent Liabilities are disclosed by way of notes. Contingent Assets are not recognised.

ए. आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टीशिप कंपनी लि. के मामले में कंपनी पिछले घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होने पर उसके लिए प्रावधान करती है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना होती है तथा देयता राशि के लिए एक उचित प्राक्कलन किया जा सकता है. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन उस स्थिति में किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जिसमें संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं होगा. जब किसी ऐसे संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व की संभावना हो जिसके बारे में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान करने या प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी, प्रावधान प्रतिवर्तित किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. तथापि, आकस्मिक आस्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि वास्तव में यह निश्चित हो कि कोई आर्थिक लाभ होने वाला है तो आस्ति तथा संबंधित आय को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें बदलाव होता है.

G. In case of IDBI MF Trustee Company Ltd, The Company created a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (एएस-10)
FIXED ASSETS(AS-10)

i. परिसर में ₹ 2177.16 करोड़ (₹ 1339.70 करोड़) की पट्टाधृत भूमि (पुनर्मूल्यित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यन किया गया. पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप हुई ₹ 1129.05 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया गया.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16 crore (₹ 1339.70 crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने यथा 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/ कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यन किया है. पुनर्मूल्यन से उत्पन्न ₹ 2807.29 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि, जो ₹ 1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यित राशि के बीच अंतर राशि है, को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया गया.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 crore and revalued amount of ₹ 4010 crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शेष ₹ 5607.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1662.85 करोड़) रहा.

The balance in revaluation reserve as at March 31, 2016 is ₹ 5607.83 crore (Previous year ₹ 1662.85 crore).

iv. मूल्यहास:

Depreciation :

आस्ति Asset	बैंक द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में Lives of assets estimated by Bank (in Years)
परिसर/ Premises	61.35
फर्नीचर और फ़िक्सचर/Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी/ Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन/Motor vehicles	5
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित)/ Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/VSAT equipment	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं/ Consumer durables with employees	5

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अचल आस्तियों का उपर्युक्त उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है. प्रबंधन का विश्वास है कि किए गए आंतरिक मूल्यांकन तथा तकनीकी आकलन के आधार पर वर्तमान में मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए विचारार्थ अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल अचल आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य के अनुमान को उचित रूप से दर्शाता है.

The above useful lives of fixed assets are different than those specified under schedule II of Companies Act 2013. The management believes that based on internal assessment and technical evaluation carried out, useful life of fixed assets currently considered for the purpose of depreciation fairly reflect its estimate of the useful lives and residual values of fixed assets.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. ने प्रभावी अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए 1 अप्रैल 2014 से अपनी नीति में संशोधन किया है. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अनुसार सिफ़ारिश की गई उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन किया है. परिणामस्वरूप, ₹ 0.37 करोड़ (₹ 0.16 करोड़ के आस्थगित कर को घटाकर) की राशि उन आस्तियों के संबंध में सामान्य रिज़र्व के प्रारंभिक शेष में दर्शाई गई है जिनका शेष उपयोगी जीवनकाल 1 अप्रैल 2014 को शून्य है. शेष मूर्त आस्तियों के संबंध में कंपनी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल्यह्रास का प्रावधान करने की अपनी पद्धति को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर 'अवलिखित मूल्य पद्धति' के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर 'सीधी रेखा पद्धति' में बदल दिया है. तदनुसार, कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में ₹ 2.44 करोड़ की राशि दर्शाई है जो पिछले वर्षों में लगाया गया अतिरिक्त मूल्यह्रास है जिसे 31-03-2015 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण में 'असाधारण मद' के रूप में दर्शाया गया है. इसके फलस्वरूप 31-03-2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.68 करोड़ की राशि तक उच्चतर मूल्यह्रास लगाया गया है और इस सीमा तक लाभ कम है.

IDBI Capital Market Services Ltd has revised its policy for providing depreciation on fixed assets effective from April 1, 2014. The company has changed the estimated useful life of fixed assets in line with the recommended useful life as per Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013. Consequently, an amount of ₹ 0.37 crore (net of deferred tax of ₹ 0.16 crore) had been charged to the opening balance of General Reserves in respect of assets whose useful remaining life is Nil as at April 1, 2014. In respect of remaining tangible assets, the Company had with retrospective effect changed its method of providing depreciation from the 'Written down Value' method, at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 to 'Straight Line' method, over their estimated useful life as specified in Schedule II to Companies Act 2013. Accordingly, company has recognised an amount of ₹ 2.44 crore in Profit & Loss Statement being additional depreciation charged in the earlier years which has been shown as an 'Exceptional item' in the statement of profit and loss for the year ended 31-03-2015. This had resulted in higher depreciation charge for the year ended 31-03-2015 to the extent of ₹ 0.68 crore and the profit is lower to this extent.

आईडीबीआई इंटेक लि. 31 मार्च 2015 तक अवलिखित बही मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान करता था. कंपनी अब से कंपनी अधिनियन, 2013 की अनुसूची II के अनुपालन में 1 अप्रैल 2015 'सीधी रेखा पद्धति' के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान करती है जिससे आस्तियों का उनके उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यह्रास हो जाए. तदनुसार, इसमें ₹ 0.40 करोड़ के मूल्यह्रास का पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनरांकन हुआ. इससे संचित मूल्यह्रास कम हुआ है और लाभ में ₹ 0.40 करोड़ की वृद्धि हुई है. 60% की दर से मूल्यह्रासित किए जाने वाले कंप्यूटरों को अब अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रासित किया जा रहा है. अचल आस्तियों में परिवर्धन/ विलोपन पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन/ विलोपन, जो भी मामला हो, की तारीख से/ तक आनुपातिक आधार पर किया जाता है. अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को एएस-26 के अनुपालन में 5 वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है.

IDBI Intech Ltd. was providing as per WDV method upto 31st March 2015. The company now provides depreciation as per straight line method w.e.f from 1st April 2015, in compliance to Schedule II to the Companies Act, 2013, such that the assets are depreciated over their useful life. Accordingly there is a retrospective write back of depreciation

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

for ₹ 0.40 crore. This has reduced accumulated depreciation and increased the profit by ₹ 0.40 crore. Computer which are depreciated at the rate of 60% are now being depreciated as per provisions of Schedule II. Depreciation on addition to/ deletions from fixed assets is provided on pro-rata basis from/ up to the date of such addition/ deletion as the case may be. Intangible assets (Computer software) are amortised equaly over a period of 5 years in compliance of AS-26.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान कर रही है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर विचार करने के पश्चात् निर्धारित की जाती है. यदि अचल आस्ति के अर्जन के समय उसके उपयोगी जीवनकाल या अनुवर्ती समीक्षा पर शेष उपयोगी जीवनकाल के बारे में प्रबंधन का अनुमान कमतर है तो उपयोगी जीवनकाल/ शेष उपयोगी जीवनकाल के बारे में प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्चतर दर पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. चूंकि नए कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन है, अतः कुछ आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दर संशोधित की गई है और कुछ आस्तियों की मूल्यह्रास दर में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव को चालू वित्तीय वर्ष में और साथ ही संबंधित लाभ/ हानि वर्ष में आस्ति के शेष बचे उपयोगी जीवनकाल में समायोजित किया जाएगा. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है :

IDBI Asset Management Ltd., is providing depreciation on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per the schedule II of the Companies Act 2013 . If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. As there is change in the useful life of the assets mentioned in the new Companies Act 2013, the rate of depreciation has been revised in respect of certain assets and the impact on account of change in depreciation rate in some of the assets would be adjusted in the current financial year as well as in the remaining useful life of the asset against the respective profit/ loss of the year. Prsuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी **Class of Fixed Assets**	मूल्यह्रास की पुरानी दर (% में) - (एसएलएम आधार) **Old Rate of Depreciation (In %) – (SLM Basis)**	मूल्यह्रास की नई दर (% में) - एसएलएम आधार (1 अप्रैल 2014 से लागू) **New Rate of Depreciation (In%) – SLM basis (applicable from April 01, 2014)**
फर्नीचर और फिक्सचर Furniture & Fixtures	8.33	9.50
कार्यालय उपकरण Office Equipment	8.33	19.00
आईटी हार्डवेयर IT Hardware	33.33	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ Consumer durables with Employees	20.00	20.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

एकल रूप से ₹ 0.025 करोड़ से अधिक लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 0.025 करोड़ से कम लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 0.025 crore is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 0.025 crore is fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है. एकल रूप से ₹ 5000 या उससे कम की लागत वाली अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale. Fixed assets individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लि. ने अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया है. लागत में क्रय मूल्य और आस्ति को उसके आशायित उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने से सीधी जुड़ी लागत शामिल है. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट रूप में हरेक श्रेणी की आस्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से/ बिक्री की तारीख तक आनुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है.

IDBI FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD. has stated the Fixed Assets at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति/Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) /Useful Life (in Years)
पट्टाधृत उन्नयन/Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर/Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण/Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण/Office equipment	5
फर्नीचर और फिक्सचर/Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन/Motor Vehicles	8

कंप्यूटर युक्त अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. इन्हें उपयोग में लाये जाने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयरों में महत्वपूर्ण उन्नयनों को उस समय पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभाव्य हो कि ऐसा उन्नयन आस्ति को उसके मूलतः आकलित कार्य-निष्पादन मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगा और ऐसे व्यय को विश्वसनीय ढंग से आकलित और आस्ति में जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्यय सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान परिशोधित किए जाते हैं. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)

EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होने पेंशन का विकल्प दिया है, जो 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में नियुक्त हुए हैं, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के स्थायी प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) को प्रशासकों की समिति' द्वारा संचालित किया जाता है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.85 करोड़ (₹ 4.99 करोड़) का अंशदान किया गया और उसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". During the year, ₹ 4.85 crore (₹ 4.99 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

1 अप्रैल, 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 53.83 करोड़ (₹ 44.23 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 53.83 crore (₹ 44.23 crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.43 करोड़ (₹ 0.50 करोड़) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि लेखे में डाले गए हैं.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the company has recognized ₹ 0.43 crore (₹ 0.50 crore) for the year ended 31st March 2016 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.67 करोड़ (₹ 0.66 करोड़) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि लेखे में डाले गए हैं.

In case of IDBI Asset Management Ltd the company has recognized ₹ 0.67 crore (₹ 0.66 crore) for the year ended 31stMarch 2016 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.10 करोड़ (₹ 0.08 करोड़) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि लेखे में डाले गए हैं.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the company has recognized ₹ 0.10 crore (₹ 0.08 crore) for the year ended 31st March 2016 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए ₹ 2.21 करोड़ (₹ 2.29 करोड़) लाभ-हानि लेखे में डाले गए हैं.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the company has recognized ₹ 2.21 crore (₹ 2.29 crore) for the year ended 31stMarch 2016 for the contribution towards statutory provident fund, Employee State Insurance, Group Term insurance& Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं**

Defined Benefit Schemes

बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा में पांच वर्ष या इससे अधिक पूरे कर लिए हैं, उसे जाते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 10,00,000 है.

b. In case of IDBI Capital Market Services Ltd,the Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 1000000.

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए कंपनी ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

c. In case of IDBI Asset Management Ltd, In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के भावी भुगतान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका निधीयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. एलआईसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार भुगतान के प्रयोजन के लिए वार्षिक ग्रेच्युटी अंशदान किए जाते हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकिक

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. ऐसी निर्धारित बीमांकिक देयता और निधि में अंशदान के अंतर को देयता/ आस्ति, जैसा भी मामला हो, माना जाता है.

d. In case of IDBI Intech Ltd, the company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognized as a liability/asset, as the case may be.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दौरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक मान्यताओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिकृत भाग के प्रतिनिधि) द्वारा एलआईसी योजना में निधि संचयन और वर्ष के अंत में देयताओं की राशि में अंतर का निर्धारण करना मान्यताप्राप्त है और इसे लाभ- हानि खाते में देयता के समायोजित प्रभार के रूप में दिखाया जाता है.

e. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, The company has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company.

On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined as year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognised and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

f. In case of IDBI Federal LifeInsuranceCompany Ltd, The Company has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

छ. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है.

g. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2016 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2016 which is as per AS-15(R).

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No	विवरण/Particulars	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	ग्रेच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016	पेंशन Pension यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015	ग्रेच्युटी Gratuity यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन/** Change in benefit obligations				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व/ Projected benefit obligation, beginning of the year	**1739.24**	**522.13**	**1414.34**	**403.59**
	ब्याज लागत/Interest cost	138.27	41.88	131.11	37.47
	वर्तमान सेवा लागत/Current Service cost	44.63	30.34	35.02	23.93
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)/ Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम)/ Liability Transferred In/(Out)	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(85.07)	(40.85)	(71.85)	(40.46)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि/Actuarial (gain)/loss	10.94	20.61	230.62	98.00
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व/ Projected benefit/obligation, end of the year	**1848.01**	**574.11**	**1739.24**	**522.53**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015	
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य/ Fair value of plan assets, beginning of the year	1622.76	430.39	1445.74	417.27
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल / Expected return on plan assets	141.18	37.42	125.78	36.31
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	132.58	92.65	98.62	18.45
	अन्य कंपनी से अंतरण/ Transfer from other company	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ/Benefits paid	(85.07)	(40.85)	(71.85)	(40.46)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)/Actuarial gain / (loss)	7.01	5.02	24.47	(1.17)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1818.46**	**524.63**	**1622.76**	**430.39**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना आस्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at end of the year	-	574.12	1739.24	522.53
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य NetPresent value of benefit obligation at end of the year	1848.01	574.12	1739.24	522.53
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	1818.46	524.63	1622.76	430.39
	अधिशेष / (घाटा)/Surplus/(Deficit)	**(29.55)**	**(49.50)**	**(116.48)**	**(92.15)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015	
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत/ Net cost for the year**				
	सेवा लागत/Service cost	44.63	30.34	35.02	23.94
	ब्याज लागत/Interest cost	138.27	41.87	131.11	37.47
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(141.18)	(36.97)	(125.78)	(36.31)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/loss	3.93	15.58	206.15	99.17
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता Transitional liability recognized during the year	-	-	-	-
	वर्ष की निवल लागत/Net cost as per above	**45.65**	**50.83**	**246.50**	**124.27**
	बट्टे खाते में न डाले गए बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	-	-	-	-
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	-	-	(31.40)	(14.55)
	वर्ष की निवल लागत /Net cost of the year	**45.65**	**50.83**	**215.10**	**109.72**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015	
ङ/ e)	**आस्तियों की श्रेणी /Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां/ Government of India Assets	880.73	0.44	801.02	0.94
	कॉरपोरेट बांड / सावधि जमा/ Corporate Bonds / FD	472.07	0.23	463.49	0.44
	विशेष जमा योजना/Special Deposits Scheme	15.00	-	-	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां/ Insurer Managed Funds	-	522.43	-	428.48
	अन्य /Others	450.66	1.52	358.25	0.53
	कुल/Total	**1818.46**	**524.63**	**1622.76**	**430.39**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर/Discount rate	8.06%	7.35% से 8.07% तक From 7.35% to 8.07%	7.95%	7.77% से 9.07% तक From 7.77% to 9.07%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर/ Rate of return on plan assets	8.10%	7.8% से 8.10% तक From 7.8% to 8.10%	8.70%	7.98% से 8.70% तक From 7.98% to 8.70%
	वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary escalation rate	5.75%	5% से 10% तक From 5 % to 10%	5.75%	5% से 11.90% तक From 5% to 11.90%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016		यथा 31 मार्च 2015 March 31, 2015	
	ह्रास दर/Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.13% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.94% 2.13% for service less than 5 Years and 1.94% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 5 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 5 Years
	मृत्यु दर/Mortality Rate	भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से/ Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से / Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ**

Other long term benefits

बैंक के अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टियों को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य

Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period –FY 2015-16

संस्था/Entity	राशि ₹ करोड़ में Amt in ₹ crore
आईडीबीआई बैंक लि./IDBI Bank Ltd	304.2
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	2.9
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.7
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ IDBI Capital Market Services Limited	0.1
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ IDBI Trusteeship Services Ltd	0.1

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

बैंक के अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टियों को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.

Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 20.29 करोड़ (₹ 98.72 करोड़) को लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 20.29 crore (₹ 98.72 crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टी को 30 दिन तक के लिए संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 0.76 करोड़ (₹ 0.79 करोड़) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए राजस्व या लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leaves up to a maximum of 30 days which is payable/forencashment as per the policy on their separation. During the year, ₹ 0.76 crore (₹ 0.79 crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

3. ईसॉप का प्रयोग
ESOPs EXCERCISED

वर्ष के दौरान बैंक ने कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग करने पर 1095 (18345) इक्विटी शेयर आबंटित किए.

The Bank has allotted 1 095 (18 345) equity shares during the year against ESOPs exercised by the Bank employees.

4. भारत सरकार को आबंटित इक्विटी शेयर
EQUITY SHARES ALLOTTED TO GOI

वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर निम्नलिखित रूप में इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	प्रति शेयर प्रीमियम शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	अधिमानी आबंटन आधार पर इक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	2,229.00	29,60,94,580	75.28	65.28	30 दिसंबर 2015 December 30, 2015
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	अधिमानी आबंटन आधार पर इक्विटी शेयर Equity Shares on preferential allotment basis	848.42	15,87,61,801	53.44	43.44	23 मार्च 2016 / March 23, 2016

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

समूह ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. बैंक के परिचालन निम्नलिखित तीन कारोबार खंडों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों के परिचालन, जो समेकित हैं, अन्य बैंकिंग परिचालनों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं.

The group has disclosed business segment as a primary segment. The operations of the Bank are covered under following three business segments as under and the operations of subsidiaries and Joint venture companies that are consolidated are covered under Other Banking operations.

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेन-देन बैंकिंग सेवाएँ भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएँ, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year ended Mar 31, 2016 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 Year ended Mar 31, 2015 (लेखापरीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग/Corporate/Wholesale Banking	24146	26987
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	24659	23045
	ट्रेजरी/Treasury	556	672
	अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking operations	181	243
	कुल / TOTAL	**49542**	**50947**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व Less :- Inter-segment revenue	17966	18593
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**31576**	**32354**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि)** Segment Results -Profit/(loss) before tax		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग/Corporate/Wholesale Banking	(53 70)	1515
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	184	(6 16)
	ट्रेजरी/Treasury	274	399
	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking operations	33	87
	कुल / TOTAL	**(48 79)**	**1386**
	घटाएंः अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय/Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) Total profit/ (loss) before tax	**(48 79)**	**1386**
	आय कर /Income taxes	(12 88)	444
	निवल लाभ/ (हानि) Net profit/ (loss)	**(35 91)**	**942**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण/Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016 Year ended Mar 31, 2016 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 Year ended Mar 31, 2015 (लेखापरीक्षित) (Audited)
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	205594	221479
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	150849	121701
	ट्रेजरी / Treasury	10891	7213
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking operations	238	536
	अविनिधानीत कॉरपोरेट आस्तियां / Unallocated corporate assets	6684	5001
	कुल आस्तियां / Total assets	**374257**	**355930**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	161667	155871
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	189766	176003
	ट्रेजरी / Treasury	230	1223
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking operations	144	122
	अविनिधानीत कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**351806**	**333219**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली एफटीपी प्रणाली के अनुसार परिकलित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
- The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
- The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

6. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का ब्योरा
Details of Key Management Personnel

संस्था / Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd.	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - 30 जून 2015 तक Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director till 30th June 2015 श्री किशोर पिराजी खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 14 अगस्त 2015 से Shri Kishor Piraji Kharat, Managing Director & CEO from 14th Aug 2015 श्री बाल कृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक Shri Balkrishan Batra, Deputy Managing Director श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक - 13 अगस्त 2015 तक Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director till 13th Aug 2015 श्री एन.एस. वेंकटेश, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ Shri N.S. Venkatesh, Executive Director & CFO श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव Shri Pawan Agrawal, Company Secretary
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	श्री डी.सी. जैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 31 अगस्त 2015 तक Shri D. C. Jain, Managing Director & CEO till August 31, 2015 श्री नागराज गारला, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 23 अक्तूबर 2015 से Shri Nagaraj Garla, Managing Director & CEO from October 23, 2015 श्री वी. गोपीनाथ, मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri V. Gopinath, Chief Financial Officer श्रीमती क्रिस्टीना डिसूज़ा, कंपनी सचिव Smt. Christina D'souza, Company Secretary
आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	श्री इंद्रपाल एस. कालरा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Inderpal S. Kalra, Managing Director & CEO
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	श्री विघ्नेश शहाणे, सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक Shri Vighnesh Shahane, CEO & Whole Time Director
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	श्री सत्य नारायण बाहेती, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Satya Narayan Baheti, Managing Director & C.E.O

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था /Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक /Key Management Personnel
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	श्री सत्य नारायण बाहेती, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Satya Narayan Baheti, Managing Director & C.E.O श्री अमित भावसार, सीएफओ Shri Amit Bhavsar, CFO श्री मनेश जिंदानी, कंपनी सचिव Shri Manesh Jiandani, Company Secretary
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	श्री बी. बालचन्द्र, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. - 4 फरवरी 2016 से Shri B. Balachandra, Managing Director & CEO from February 4, 2016 श्री एच.जी. रोकड़े, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - 29 जनवरी 2016 तक Shri H, G. Rokade, Managing Director & CEO till January 29, 2016

ii) **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेन-देन किया गया**

Parties with whom transactions were entered into during the year

एएस - 18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेन-देनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंध कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

In Terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of Banker-customer Relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii) **संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन/ के पास शेषराशियां**

Transactions/balances with related parties:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	
	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
प्राप्त जमाराशियां / Deposit Received	0.21	0.35
बकाया अन्य देयताएं/ जमाराशियां / Other Liabilities/ Deposits Outstanding	1.28	1.05
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	3.21	1.38
निवेश / Investment	-	-
दिए गए अग्रिम / Advances given	2.41	-
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	1.92	0.13

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	
	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	2.98	0.18
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज/ Interest paid on advances	0.18	0.02
अग्रिमों पर उपचित ब्याज/ Interest accrued on advances	-	-
जमाराशियों पर ब्याज/ Interest on Deposits	0.11	0.08
पारिश्रमिक/ प्रतिपूर्तियां / Remuneration/Reimbursements	3.19	2.62
अन्य आय/ Other income	0.16	0.12
वर्ष के दौरान लाभ/-हानि का अंश/ Share of profit/-loss during the year	-	-

7. पट्टे (एएस-19)/ Leases (AS-19)

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ के आवास और स्वचालित टेलर मशीन शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर या तो निरसनीय या गैर-निरसनीय परिचालनगत पट्टा है.

Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines (ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसनीय परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखे में ₹ 221.40 करोड़ (₹ 263.60 करोड़) प्रभारित किए गए और गैर-निरसनीय योग्य परिचालनगत पट्टे हेतु ₹ 4.15 करोड़(₹ 4.85 करोड़) लाभ-हानि लेखे में प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों के रूप में प्रभारित किए गए.

During the year ₹ 221.40 crore (₹ 263.60 crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease & ₹ 4.15 crore (₹ 4.85 crore) has been charged to the Profit & Loss Account towards lease charges paid/payable on non-cancellable operating lease.

तुलन पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:

The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	2.26	4.29
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	0.40	0.01

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2016 March 31, 2016	31 मार्च 2015 March 31, 2015
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in crore)	(3591)	942
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	16833 16 108	160 39 51 602
जोड़ें: मंजूर की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव Add : Dilutive impact of ESOP granted	-	1307
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	16833 16 108	160 39 52 909
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(21.33)	5.87
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS(Diluted) (₹)	(21.33)	5.87
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

9. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्न प्रकार से हैं:

The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष 2015-16 के लिए For the year 2015 - 2016	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31,2016	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
आस्थगित कर देयताएं: / Deferred Tax Liability:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets (*आईसीएमएस द्वारा मूल्यह्रास पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव के लिए समायोजन) (* Adjusted for effect of change in Depreciation method by ICMS)	4.54	61.03	56.49
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortisation of marketing & distribution expenses	(0.50)	0.03	0.53
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व निधि* / Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961	-	439.81	439.81
कुल (अ) / Total (A)	**4.04**	**500. 87**	**496.83**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष 2015-16 के लिए For the year 2015 - 2016	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31,2016	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
आस्थगित कर आस्ति: Deferred Tax Asset:			
अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	1211.70	3512.49	2300.79
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-Tax Act, 1961	(16.94)	126.57	143. 51
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	(0.10)	0.22	0.32
ग्रेच्युटी / Gratuity	0.10	0.17	0.07
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	0.02	0.20	0.19
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Restructured Advances	(200.79)	484.95	685.74
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	270.14	270.14	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	0.27	1.11	0.84
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31,2016	56.44	56.44	-
कुल (आ) / Total (B)	**1320.84**	**44 52.30**	**3131.46**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल) (ए)-(बी) **Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)**	**(1316.79)**	**(3951.43)**	**(2634.64)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. **यथा 31 मार्च 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:**

Summarized financial information of the subsidiaries, associates and JV as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2016 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. **Parent : IDBI Bank Ltd**	96.92%	27721.79	103.18%	(3664.80)
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय: Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.09%	313.05	(0.26%)	9.28
2. आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	0.13%	37.65	(0.12%)	4.22
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd	0.34%	97.17	(0.10%)	3.48
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	1.08	0.00%	0.17
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.46%	131.85	(1.07%)	38.10
विदेश: / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित **Minority Interests in all subsidiaries**	0.21%	61.46	(0.49%)	17.26
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) **Associates (Investment as per the equity method)**				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.01%)	0.40
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.69%)	24.60
3. एनएसडीएल - ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	(0.71%)	25.22
विदेश / Foreign:	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
(आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी विधि के अनुसार निवेश) (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	1.05%	300.83	(0.21%)	7.34
विदेश / Foreign	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
कुल / TOTAL	100%	28603.42	100%	(3551.99)
हटाई गई / Elimination	(1.91%)	(544.98)	1.09%	(38.83)
निवल कुल / Net Total	98.09%	28058.44	101.09%	(3590.82)

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

11. दंड का प्रकटन / DISCLOSURE ON PENALTY:

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

संस्था का नाम / Name of the Entity	विनियामक निकाय Regulatory Body	दंड की राशि (₹) Penalty Amount (₹)
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	7,47,000.00
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	1,02,000.00
आईडीबीआई बैंक लि. /IDBI Bank Ltd	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	2,00,000.00
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / IDBI MF Trustee Company Limited	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / IDBI Federal Life Insurance Company Ltd	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd	-	शून्य /Nil
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. / IDBI Capital Market Services Ltd	सेबी/ SEBI	1666667.00
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd	-	शून्य /Nil

12. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'उद्यमों' के संबंध में यथाप्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम ऐसा नहीं है जिसकी समूह पर देयताएं शेष हों और जो 31 मार्च 2016 को 45 दिन से अधिक बकाया हो गई हों. अत: वर्ष के अंत में प्रदत्त/ देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों के बारे में ऐसी कोई संबंधित जानकारी नहीं दी गई है जिसका उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन किया जाना आवश्यक हो (पिछले वर्ष शून्य).

Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no micro, small & medium enterprise to which the Group owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2016 and hence no disclosure relating to amounts unpaid as at the year ended together with interest paid/payable as required under the said act is given (previous year Nil)

13. पूंजीगत लेखे में निष्पादन के लिए शेष संविदओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ₹ 288.84 करोड़ (₹ 528.90 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 288.84 crore (₹ 528.90 crore).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

14. आकस्मिक देयता*: / CONTINGENT LIABILITY*

क. दीर्घावधि संविदाएं

a. Long term contracts

बैंक में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आवधिक रूप से अनुमानित मूर्त हानियों के लिए डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का आकलन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने समीक्षा की है और सुनिश्चित किया है कि लेखा-बहियों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर अनुमानित मूर्त हानियों के लिए किसी भी कानून/ लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law / accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ख. लंबित मुकदमों के लिए

b. For Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और अपने वित्तीय विवरणों में, जहां कहीं आवश्यक है, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहां लागू है, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने दिनांक 27-02-2015 के धारा 143(3) के अंतर्गत अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

In case of IDBI Asset Management Ltd, For the AY 2012-13 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 27-02-2015 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग ने दिनांक 15-03-2016 के धारा 143(3) के अंतर्गत अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

For the AY 2013-14 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 15-03-2016 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एम वैट) कर-निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 0.43 करोड़ की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. वर्ष के दौरान ₹ 0.15 करोड़ की अभ्यापत्ति के अंतर्गत तदर्थ भुगतान किया गया है.

In the MVAT assessment for the financial year 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 0.43 crore on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regards. An adhoc payment under protest of ₹ 0.15 crore has been made during the year.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.50 करोड़) जिसमें 18% की दर से ₹ 0.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.21 करोड़) का ब्याज शामिल है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, Claims against the company not acknowledged as debt – ₹ 0.79 crore (PY ₹ 0.50 crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.28 crore (P Y ₹ 0.21 crore).

कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 61.18 करोड़ के आयकर के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 27.01.2015 का मांग नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता ने सूचित किया है कि कंपनी के विरुद्ध कर मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

A demand notice dated 27.01.2015 was received raising a demand for payment of income tax of ₹ 61.18 crore for the Asst. Year 2012-13. The notice has been contested by the company before the appropriate authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 0.20 करोड़ के आयकर के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 21.03.2016 का मांग नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता ने सूचित किया है कि कंपनी के विरुद्ध कर मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

A demand notice dated 21.03.2016 was received raising a demand for payment of income tax of ₹ 0.20 crore for the Asst. Year 2013-14. The notice has been contested by the company before the appropriate authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

सेबी ने दिनांक 28 नवंबर 2014 के आदेश के जरिए आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. सहित सभी 6 मर्चेन्ट बैंकरों, जिन्होंने दिसंबर 2012 में आए एक आईपीओ में बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) के रूप में कार्य किया था, पर संयुक्त रूप से तथा पृथकत: अदा किए जाने के लिए ₹ 1 करोड़ का दंड लगाया है. सभी 6 मर्चेन्ट बैंकरों ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिभूति एवं अपील अधिकरण (सैट) के समक्ष संयुक्त रूप से अपील की है. अपील के निपटान के लंबित होने तक ₹ 0.17 करोड़ की राशि (आनुपातिक राशि) का निर्धारण नहीं किया गया है.

SEBI vide order dated November 28, 2014 has imposed a penalty of ₹ 1 crore jointly and severally to be paid by all the 6 Merchant Bankers including IDBI Capital Market Services Ltd who acted as Book Running Lead Managers (BRLMs) in one of the IPOs which came out in December 2012. All 6 Merchant Bankers have jointly appealed before Securities and Appellate Tribunal (SAT) against the above order. Pending disposal of the appeal, amount of ₹ 0.17 crore (the proportionate amount) has not been recognized.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

सेवा कर विभाग ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) और नियम 6(3बी) के प्रावधानों के अनुपालन का हवाला देते हुए 07.05.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी से ब्याज के साथ ₹ 1.60 करोड़ की राशि विप्रेषित करने के लिए कहा है. हालांकि आईडीबीआई कैपिटल सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3बी) यथा उल्लिखित गैर-बैंकिंग कंपनी सहित बैंकिंग कंपनी तथा वित्तीय संस्था के अर्थ के भीतर नहीं आता है. मामला प्रधान सेवा कर आयुक्त के समक्ष लंबित है. कंपनी को उसके सलाहकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध सेवा कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

A show cause notice has been issued by the Service Tax Dept on 07.05.2015 citing non compliance of provisions of Rule 6(3) and Rule 6(3B) of Cenvat Credit Rules 2004 and asked the company to remit ₹ 1.60 crore along with interest though IDBI Capital do not fall within the meaning of a Banking company and financial institution including a non-Banking company as mentioned in Rule 6(3B) of Cenvat Credit Rules 2004. The matter is pending before Principal Commissioner of Service Tax. The Company has also been advised by its counsel that the service tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made

पूंजी खाते पर निष्पादन किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़).

Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for: ₹ Nil lakhs (PY ₹ 0.55 crore).

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप के अंतर्गत प्रतिबद्ध परियोजना के संबंध में ₹ 0.17 करोड़ की राशि दर्शायी नहीं गई है क्योंकि परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ही पूरा हो पाएगा.

An amount of ₹ 0.17 crore has not been recognized in respect of a project committed under Corporate Social Responsibility (CSR) activity by the company during the financial year 2015-16 as the execution of the project will be completed only during the financial year 2016-17.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में,

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

	विवरण / Particulars	2015-16 (₹ करोड़ में) 2015-16 (₹ in crore)	2014-15 (₹ करोड़ में) 2014-15 (₹ in crore)
	कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे Claims against the company not acknowledged as debt :		
i)	कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii)	भूतल परिसर के लिए लाइसेंसदाता द्वारा नगर पालिका कर मांग Municipal Taxes demand by Licensor for basement premises	0.29	0.29

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण / Particulars		2015-16 (₹ करोड़ में) 2015-16 (₹ in crore)	2014-15 (₹ करोड़ में) 2014-15 (₹ in crore)
iii)	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ रु (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crores (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same		

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं :

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Contingent Liabilities are as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2016 As at March 31, 2016
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य/Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) / Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य/Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company	0.00
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां / Guarantees given by or on behalf of the company	शून्य/Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/ liabilities in dispute, not provided for - आयकर (नीचे टिप्पणी सं. 3.34 देखें) - Income Tax (See Note No. 3.34 below) - सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कुछ पोजिशनों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) - Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	 105.88 11.95
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य/Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे / Policy related claims under litigation	10.22

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,

In case of IDBI Intech Ltd,

(क) गारंटियां: कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 1.05 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2016 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 1.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.13 करोड़) रही.

(a) Guarantees:The Company has issued Bank guarantee of ₹ 1.05 crore to customers for its IT Projects. As at 31st March 2016, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 1.05 crore (P.Y ₹ 0.13 crore).

(ख) पूर्व कर्मचारियों को देय वेतन: कंपनी को जयपुर उच्च न्यायालय तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, दिल्ली के आदेश के अनुसार पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के पूर्व कर्मचारियों को ₹ 0.06 करोड़ की प्रतिकर राशि अदा करनी होगी. कंपनी द्वारा उसका प्रतिवाद किया जा रहा है.

(b) Salary Payable to Ex employees: The Company may have to pay compensation amounting to Rs 0.06 crore to Ex employees of the erstwhile OBST Vertical as per the Jaipur High Court Order and the Regional Labour Commissioner Delhi. The same is being contested by the company.

*अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं भी देखें.

*Also refer Schedule 12 Contingent Liabilities

15. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर /Unhedged Foreign Currency Exposure:

बैंक अपनी ऋण नीति में दिए गए विवरण के अनुसार, अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी करता है और अपने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि विदेशी मुद्रा दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाले घाटे को कम से कम किया जा सके.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक आवधिक आधार पर अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के परिणाम स्वरूप होने वाले संभावित घाटे की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का पालन करता है. इस एक्सपोजर के लिए 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण की राशि ₹ 47.62 करोड़ (₹ 102.38 करोड़) तथा 31.03.2016 को जोखिम के लिए धारित पूंजी ₹ 415.76 करोड़ (₹ 308 करोड़) है.

Bank obtains the information based on an internally developed system on Unhedged Foreign Currency Exposure from its clients on a periodic basis and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2016 towards this exposure amounts to ₹ 47.62 crore (₹ 102.38 crore) and capital held towards the risk is ₹ 415.76 crore (₹ 308 crore) as on 31-03-2016.

16. अन्य /Others:

i. रिजर्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.31/21.04.018/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में कमी के कारण नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी के पास रखी अपनी जमा राशियों को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत शामिल किया है. अब तक इन्हें 'निवेशों' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. इन जमा राशियों पर ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज - अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है. अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था. पिछली अवधियों के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनःसमूहित और पुनःवर्गीकृत किया गया है. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष या प्रस्तुत पिछले वर्ष के लिए बैंक के लाभ/ हानि पर वर्गीकरण में उपर्युक्त परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Pursuant to RBI Circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, effective from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD, SIDBI and NHB on account of shortfall in lending to priority sector under 'Other Assets'. Hitherto these were included under 'Investments'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Hitherto such interest income was included under 'Interest earned-Income on Investments'. Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit/ loss of the Bank for the year ended March 31, 2016 or the previous year presented.

ii. बैंक ने ऋण आस्ति अदला-बदली के अंतर्गत एक उधारकर्ता से मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में 77.49 एकड़ भूमि अर्जित की है. तदनुसार, ₹ 280.15 करोड़ की राशि वित्तीय विवरण में 'अन्य आस्तियों के अंतर्गत ''दावे की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां'' के तहत शामिल की गई है. रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक को अप्राप्त आय को तब तक नहीं दर्शाना चाहिए जब तक अदला-बदली की गई गैर-बैंकिंग आस्तियों का निपटान नहीं हो जाता है. अतएव बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 253.32 करोड़ की ब्याज आय को रिवर्स किया है.

The Bank had acquired 77.49 acres of land at Mirzapur, U.P. from one of the borrower under the debt assets swap. Accordingly an amount of ₹ 280.15 Crore is included under "Non-Banking assets acquired in satisfaction of claim" under "Other Assets" in the financial statement. As per RBI directive, the Bank should not recognize unrealized income till the swapped non-Banking assets are disposed off. Hence Bank has reversed an interest income of ₹ 253.32 crore during financial year.

iii. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दो सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समेकन के लिए विचार में लिए गए हैं.

During the Current Financial year, the Unaudited Financial statements of two associate companies, provided by the Management, are considered for consolidation.

vi. बैंक पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि., एक सहयोगी कंपनी, में 25% शेयर (₹ 25 करोड़) धारित करता है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ में समूह का हिस्सा ₹ 18.90 करोड़ था और आस्तियों में हिस्सा ₹ 355.82 करोड़ था. कंपनी के वित्तीय परिणाम को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित परिणाम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं थे. बैंक के प्रबंधन का अभिमत है कि इससे चालू वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय परिणाम पर तात्विक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

The Bank holds 25% shares (₹ 25 crore) in North Eastern Development Finance Corporation Limited, an associate company. As per the available audited Financial Statements of the Company for the financial year 2014-15 the group's share in profit was ₹ 18.90 crore and the share in assets was ₹ 355.82 crore. The Financial results of the company are not considered in the consolidated results of the group for the year ended 31st March 2016 as the audited/ unaudited financial statements were not available. The management of the Bank is of the opinion that this will not materially impact the consolidated financial results of the Bank for the current year.

17. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

18. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सहयोगी कंपनियों के लेखे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं. पिछले वर्ष तक सहयोगी कंपनियों के लेखों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं थी. अतएव पिछले वर्ष के आंकड़े वस्तुतः तुलनीय नहीं हैं.

18. Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped /rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year. During the current financial year, the accounts of associate companies were incorporated in the consolidated financial statements. Till last year, the accounts of the associate companies were not required to be incorporated in consolidated financial statements. Hence, the figures of previous year are not exactly comparable.

वित्तीय विवरणों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

(किशोर खरात) (Kishor Kharat) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer	(बी. के. बत्रा) (B.K. Batra) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	(एस. रवि) (S. Ravi) निदेशक Director	(एन.एस. वेंकटेश) (N.S. Venkatesh) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

वित्तीय विवरणों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M.No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M.No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net Profit Before Tax and extra-ordinary items	(4911 49 22)	1401 16 41
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	3 95	(3 84)
- साधारण रिज़र्व में अंतरण Transfer to General Reserve	47 31 84	5 23
- मूल्यहास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (net of revaluation reserve)	217 81 60	140 81 58
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ write off of Loans/ Investments and other provisions	10361 47 66	4464 83 94
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of investments	100 75 92	44 06 41
	5815 91 75	**6050 89 73**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन: Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
- निवेश / Investments	(1691 59 65)	(17493 14 92)
- अग्रिम / Advances	(15756 42 17)	(14291 39 25)
- अन्य आस्तियां / Other assets	(1542 40 37)	(142 14 73)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(388 76 32)	(1738 48 29)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
- उधार राशियां / Borrowings	7741 48 20	1686 68 75
- जमा राशियां / Deposits	5564 44 06	23950 11 06
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(309 42 80)	(13 10 39)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in/generated from operating activities	**(566 77 30)**	**(1990 58 04)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
- अचल आस्तियों की खरीद (निवल बिक्री) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(714 85 33)	(271 62 50)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in / raised from investing activities	**(714 85 33)**	**(271 62 50)**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015
इ. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	3077 43 59	21 45
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(150 49 64)	(61 23 89)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**2926 93 95**	**(61 02 44)**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	1645 31 32	(2323 22 98)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	14642 67 32	16848 84 34
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**16287 98 64**	**14525 61 36**
नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	13827 37 92	13039 76 11
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	2460 60 72	1485 85 25
कुल / TOTAL	**16287 98 64**	**14525 61 36**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम चितले एंड कं.
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W
अभय वी कामत
Abhay V Kamat
साझेदार/ (स. सं. 039585)/ Partner (M.No. 039585)

कृते चोकशी एंड चोकशी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101872 W/ W100045
निलेश आर जोशी
Nilesh R Joshi
साझेदार (स. सं. 114749)/ Partner (M.No. 114749)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं के साथ विवरण

STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "ए" : सहायक कंपनियां

Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
रिज़र्व एवं अधिशेष Reserves & Surplus	184 94 59	125 82 18	(102 83 41)	87 61	24 52 07
कुल आस्तियां / Total Assets	332 28 58	153 17 84	105 65 13	1 16 79	39 73 10
कुल देयताएं (पूंजी तथा रिज़र्व को छोड़कर)/ Total Liabilities (excluding capital and reserves)	19 23 99	21 32 38	8 48 54	9 18	2 08 21
निवेश/Investments	91 10 47	1	82 22 91	1 08 52	-
टर्नओवर/ Turnover	67 94 13	68 13 38	47 16 49	63 96	58 49 21
कराधान पूर्व लाभ/ Profit before taxation	14 25 50	58 38 24	(5 74 75)	22 38	6 38 12
कराधान के लिए प्रावधान/ Provision for taxation	4 97 43	(20 27 85)	9 22 67	5 08	(2 16 03)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
कराधान पश्चात् लाभ/ Profit after taxation	9 28 06	38 10 39	3 47 92	17 30	4 22 09
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित)/ Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	Nil	19 24 13	Nil	Nil	Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100.00%	100.00%

* शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल सर्विसेज लि. के पास है
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Services Ltd

नोट/ Notes:

1. टर्नओवर प्रत्येक संस्था द्वारा अपने वित्तीय विवरण में रिपोर्ट की गई कुल आय है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है या जिन्हें बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''बी'': सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	**बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited**	**नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd**	**एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd**	**पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited**	**आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.**
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2016 March 31, 2015	31 मार्च 2016 March 31, 2015	31 मार्च 2016 March 31, 2015	31 मार्च 2016 March 31, 2015	31 मार्च 2016 March 31, 2016
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर/ Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**					
	इक्विटी शेयरों की संख्या/ Number of equity shares	150 00 04	1200 00 00	1200 00 00	2500 00 00	38400 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि/ Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	1500 00 40	12000 00 00	12000 00 00	25000 00 00	384 00 00
	धारिता % की मात्रा Extend of Holding %	27.93%	30.00%	30.00%	25.00%	48.00%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 30% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 30%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. में 30% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL e-Governance Infrastructure Ltd being 30%, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त कॉरपोरेशन लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	आईडीबीआई फेडरल में 48% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/ joint venture is not Consolidated	N.A.	N.A.	N.A.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं Audited/ Unaudited Financial Statements for year ended 31st March 2016 are not available	N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	6 11 78	104 13 26	843 99 01	161 07 15	300 83 27

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ ‘000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
6.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि / Profit / Loss for the year ended March 31, 2016					
	i. समेकन में शामिल/ i. Considered in Consolidation	40 38	24 59 78	25 22 10	-	7 33 53
	i. समेकन में शामिल नही i. Not Considered in Consolidation	0	0	0	-	0

1. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरूनहीं हुआ है : कोई नहीं.
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None

2. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया हो अथवा जिनको बेच दिया गया हो : कोई नहीं.
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: None

3. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. को वर्ष 2015-16 के लिए अलेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एएस-23 के अनुसार समेकित किया गया है.
   Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd & NSDL e-Governance Infrastructure Ltd have been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited financials statements for the year 2015-16.

(किशोर खरात)
(Kishor Kharat)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)
(S. Ravi)
निदेशक
Director

(एन.एस. वेंकटेश)
(N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 20 मई 2016 / Date: May 20, 2016

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2016)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2016)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2016 को पिलर III प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2015-16 (Basel III)>> March 2016 लिंक पर अलग से प्रदर्शित किए गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2016 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2015-16 (Basel III)>> March 2016

आईडीबीआई बैंक ... मीट आयोजित की

मुंबई | आईडीबीआई बैंक ने ... मीट का आयोजन किया।

IDBI Bank receives ASSOCHAM Award

IDBI Bank ... ASSOCHAM ... financial inclusion schemes ... state for ... mit cum ... held at Mu...

बेहतर प्रबंधन के लिए आईडीबीआई बैंक को मिला आईएसओ 27001:2013 प्रमाण-पत्र

नई दिल्ली। आईडीबीआई बैंक ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन (आईएसओ 27001:2013) प्राप्त किया है। आईडीबीआई बैंक उन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है जिसे सूचना सुरक्षा में नवीन आईएसओ मानक के लिए अद्यतन किया गया है। आईडीबीआई बैंक के सीएमडी एमएस राघवन ने बताया यह प्रमाण-पत्र आईडीबीआई बैंक की सूचना, सुरक्षा, प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) नए बेहतीन व्यवहार, नियंत्रण और ...

IDBI Bank, LIC to jointly offer Centre's insurance scheme

OUR BUREAU
Mumbai, April 13

Public sector lender IDBI Bank and Life Insurance Corporation of India have entered into a memorandum of understanding to implement the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for savings bank account-holders of the bank.

PMJJBY is aimed at addressing a societal issue through the social security system, the bank said in a statement.

Earlier this month, Dena Bank, another public sector entity, also tied up with LIC to offer a similar scheme.

PMJJBY, a life insurance ... is one of the three ... Centre in ...

Financial Inclusion initiative by IDBI Bank flagged off by Prime Minister Narendra Modi

Prime Minister Narendra Modi flagged off 101 e-Rickshaws and 501 Cycle Rickshaws funded by IDBI Bank as micro enterprise loan, in association with Bhartiya Micro Credit (BMC), a Business Correspondent of the Bank, in Varanasi on September 18th. In the pic: Kishor Kharat, MD & CEO, IDBI Bank ...

IDBI बैंक का सेल्फ–सर्विस ब्रांच ... लांच

... आईडीबीआई बैंक ने अपनी शाखा में ... सर्विस ... किया। ... लिए वैयक्तिकृत ... उनके अनुरोध ... साथ ही, 24×7 ... ड्राफ्ट और ... बैंक ग्राहकों के ... सुविधाओं को ... पहला बैंक ... टीएम की तरह ... के उप प्रबंधक ... बी.के. बत्रा और एम.ओ. ... डीएमडी ने इस कियोस्क का ... किया। बैंक की इस तरह के ...

IDBI Bank pays Dividend to GoI

Kishor Kharat, MD & CEO, IDBI Bank ... the dividend cheque to Arun Jaitley ... Government of India, in presence ...

आईडीबीआई बैंक लि. को भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

मुंबई, 15 सितंबर 2015 – आईडीबीआई बैंक लि को वर्ष 2014–2015 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की ... बैंकों ... श्रेणी के अंतर्गत ... पुरस्कार से ... के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ श्री किशोर खरात ने की पुरस्कार ग्रहण किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की. कार्यक्रम ... आईडीबीआई बैंक लि. के उप प्र... निदेशक श्री बी. के. बत्रा और ... डॉ. सुनील कु...

IDBI Bank digitises loan processing

Public sector lender IDBI Bank has digitised the loan processing system for its retail loans such as education loans, personal loans and auto loans. Earlier, the online loan processing feature was available for home loans and loan against property. The bank believes the process of digitisation would ensure standardisation in processing/sanction and disbursements of these loans. Moreover, with the process being online, the turnaround time for these loans will also be reduced.

BS REPORTER

IDBI Bank gets Rs 2,229 crore

NEW DELHI: ... lender IDBI ... government ... crore into ... preferential shares.

The said ... received on the ... Bank on Tuesday.

"Receipt of ... amount of Rs 2,2... government towa... tial allotment of eq... the bank said in a ... ng.

IDBI Bank shares ... 0 apiece on BSE ... cent from previ...

IDBI Bank looking to double business by FY1...

Will catch up with the industry average of 12-15% growth, says MD & CEO

To raise ₹20,000-cr capital via equity ...

Will also mop up funds through issue of bonds, monetising non-core assets

May pick up stake in NSDL's paym...

IDBI Bank inaugurates "Security Operations Centre (SOC)"

IDBI Bank has set up a state-of-the-art Security Operations Centre (SOC) at its Data Centre, Belapur, Navi Mumbai. On the Information Security Day, Bank's SOC was inaugurated by Kishor Kharat, MD & CEO in the presence of B. K. Batra, DMD and other senior officials of the Bank and its IT sub...

आइडीबीआइ, मुद्रा बैंक का करार

मुंबई : छोटे उद्यमों को दिए जाने वाले लोन की रीफाइनेंसिंग के लिए आइडीबीआइ बैंक ने मुद्रा बैंक के ... करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ... तहत ... को दस लाख रु...

IDBI Bank launches JustTab

IDBI Bank has introduced its tab banking solution christened JusTab, which will facilitate opening of bank accounts at the customers' door steps by using tablets.

रूपांतरण बैंक का
Transforming Bank

रूपांतरण ज़िंदगियों का
Transforming Lives

रूपांतरण भारत का
Transforming India

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टोल फ्री नं.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-66937000.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
Non-Toll Free No.: 022-66937000.

www.idbi.com @idbi_bank /IDBIBank +IDBIBank /idbibank /idbibank CIN: L65190MH2004GOI148838

concept, content and design at aicl [info@aicl.in] www.sapprints.com

FORM A

1.	Name of the Company/Bank	IDBI Bank Ltd.
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March 2016
3.	Type of Audit observation	Unmodified- Standalone Financial statements
4.	Frequency of observation	Repetitive

(Kishor Kharat)
Managing Director &
Chief Executive Officer

(S.Ravi)
Audit Committee Chairman

(N.S. Venkatesh)
Executive Director &
Chief Financial Officer

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

For Mukund M Chitale & co.
Chartered Accountants
FRN – 106655W

Abhay V Kamat
Partner (M.No. 039585)

For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN – 101872W/W100045

Nilesh R Joshi
Partner (M.No. 114749)

Place : Mumbai
Date : May 20, 2016

OR A

1.	Name of the Company/Bank	IDBI Bank Ltd.
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March 2016
3.	Type of Audit observation	Unmodified- Consolidated Financial statements
4.	Frequency of observation	Repetitive

(Kishor Kharat)
Managing Director &
Chief Executive Officer

(S.Ravi)
Audit Committee Chairman

(N.S. Venkatesh)
Executive Director &
Chief Financial Officer

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
वित्त एवं लेखा विभाग
Finance & Accounts Dept.
IDBI BANK LIMITED

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

For Mukund M. Chitale & co.
Chartered Accountants
FRN – 106655W

Abhay V Kamat
Partner (M.No. 039585)

For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN – 101872W/W100045

Nilesh R Joshi
Partner (M.No. 114749)

Place : Mumbai
Date : May 20, 2016

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे
अ.	**बैंक के बारे में सामान्य जानकारी**	
1	कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
4	वेबसाइट	www.idbi.com
5	ई-मेल आईडी	idbiequity@idbi.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2015-16
7	क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)	कोड: 64191- आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है.
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलनपत्र के अनुसार)	1. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ट्रेजरी सेवाएं
9	लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कार्यकलाप के जाते हैं.	1,846 शाखाएं
i.	अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 का ब्योरा दें)	1- डीआईएफसी, दुबई में बैंक की एक शाखा है.
ii.	राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	1,845 शाखाएं
10	बाजार, जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है. (स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय)	बैंक राष्ट्रीय लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है. बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा द्वारा भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
आ.	**बैंक का वित्तीय विवरण**	
1	प्रदत्त पूंजी (₹ लाख में)	2,05,881.51
2	कुल कारोबार (₹ लाख में)	31,45,345.87
3	कर पश्चात् कुल लाभ (₹ लाख में)	-3,66,480.25
4	कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आईडीबीआई बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का 1.31% व्यय किया (भारत के बाहर स्थित शाखाओं से हुए लाभ तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हैं और उसके अनुपालन में हैं).
5	उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है:-	

क्र.सं.	कार्यकलाप	सीएसआर परियोजनाओं की सं.	राशि (₹ लाख)
क.	स्वास्थ्य	6	360.16
ख.	ग्रामीण विकास	3	236.74
ग.	शिक्षा	4	27.49
घ.	सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण	2	7.18
ङ.	पर्यावरण	3	187.88
च.	अन्य दान	2	125.00
	कुल	**20**	**944.45**

कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप, आईडीबीआई बैंक अपने अधिकांश कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को परियोजना/ कार्यक्रम के रूप में करता रहा है. कार्यक्रमों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुछ मामलों में परवर्ती वर्षों में वास्तविक व्यय अधिक हो जाता है. इसके अतिरिक्त, कुछ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के मामले में (i) परियोजना के लिए सरकारी निधीयन, (ii) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, (iii) दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब, और (iv) मंजूर राशि की तुलना में कम राशि में परियोजना पूरा करने जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुछ अपेक्षित संवितरण जारी नहीं किए जा सके. साथ ही, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मार्च 2016 में दो मंजूर परियोजनाओं को संवितरण नहीं किया जा सका है.

ऊपर उल्लिखित कारणों से, बैंक ₹ 9.44 करोड़ व्यय कर पाया है जो व्यय के लिए निर्धारित ₹ 14.41 करोड़ के बजट का लगभग 65.51% है.

2015-16 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किए गए व्यय का क्षेत्र-वार वर्गीकरण:

i. स्वास्थ्य

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	शंकर नेत्रालय, चेन्नई, तमिलनाडु	चेन्नई, तमिलनाडु में गरीबों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी का आयोजन.	3.13
2	यूनिसेफ, नई दिल्ली	महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के चुने हुए 400 ग्रामीण स्कूलों में जल, सफाई प्रबंध तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना.	130.68
3	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान तथा स्वच्छ भारत कोष (एसबीके)	देशभर में आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के नजदीक ग्रामीण विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण तथा एसबीके में अंशदान.	171.44
4	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई, महाराष्ट्र	मुंबई, महाराष्ट्र में दवा प्रतिरोधी टीबी मरीजों को पौषणिक सहायता का प्रावधान.	47.16
5	ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन, पटना, बिहार	पटना, बिहार में एक एंबुलेंस वैन की खरीद.	4.35
6	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बहुद्देशीय उपयोग के लिए वैन की खरीद.	3.40
कुल			**360.16**

ii. ग्रामीण विकास

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई, महाराष्ट्र	लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में अन्य कार्यकलापों के साथ, सामुदायिक तंत्र को मजबूत करते हुए तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी तथा स्वामित्व मॉडल के आधार पर तारुगाँव को एक 'आदर्श ग्राम' के रूप में तैयार करना.	26.16
2	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), गुवाहाटी, असम	मोरीगांव जिला, असम में आमकोटा गाँव का आदर्श ग्राम के रूप में विकास.	10.58
3	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	दो गांवों में सीएसआर कार्यकलापों का संचालन - वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले में भभौरा.	200.00
कुल			**236.74**

iii. शिक्षा

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	एआईएम फॉर सेवा, चेन्नई, तमिलनाडु	लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भोजन, आवास, कपड़े, पुस्तकें आदि पर व्ययों हेत छात्रावास सहायता.	3.15
2	साईं आनंदम ट्रस्ट, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	दारूथेंगा, ओड़ीशा में ग्रामीण युवा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण.	6.88
3	उरिवी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र	ठाणे, कल्याण और भिवंडी, महाराष्ट्र में आजीविका और व्यावसायिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना.	7.50
4	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत वड़ोदरा, गुजरात में करनाली पंचायत के चार गांवों में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन.	9.95
कुल			**27.48**

iv. सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी, असम	नामची, सिक्किम में डिजाइनर मोमबत्तियों तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्पों के विपणन के लिए एक शोरूम स्थापित करना तथा प्रारम्भिक अवधि के लिए इसकी परिचालन लागत सहायता.	4.80
2	नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइजेज़, मुंबई, महाराष्ट्र	अशक्त व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से उनके 'कागज के लिफाफे बनाने की परियोजना' के पूंजी व्ययों को पूरा करना.	2.38
कुल			**7.18**

v. पर्यावरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर चेंज, चेन्नई, तमिलनाडु	कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु के चुनिंदा गांवों में क्लाइमेट स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन.	7.13
2	इन्टरनेशनल एकेडमी ऑफ एनवायरॉनमेंटल हेल्थ एंड पब्लिक सैनिटेशन, नई दिल्ली	इसाबेला थोबुर्न कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वर्षा-जल संग्रहण परियोजना के लिए सहायता.	3.85
3	द एनर्जी एंड रिसॉर्स इंस्टीट्यूट, (टीईआरआई), नई दिल्ली	'लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को सहायता जिसका उद्देश्य चार राज्यों के चुनिंदा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना है.	176.91
कुल			**187.89**

vi. अन्य

क्र. सं.	कार्यकलाप/ संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1	सशस्त्र सैन्य-बल फ्लैग दिवस निधि	भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सशस्त्र बल फ्लैग दिवस निधि में अंशदान.	25.00
2	मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष, (सीएमपीआरएफ), तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए सीएमपीआरएफ में अंशदान.	100.00
कुल			**125.00**

इ. अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?	हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक संस्थाएं हैं अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि..
2	क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबार दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें.	नहीं
3	क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबार दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं के प्रतिशत की सूचना दें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक].	नहीं

ई. कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1 कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे

क.	**कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	लागू नहीं
	नाम	श्री विनय कुमार
	पदनाम	कार्यपालक निदेशक
ख.	**कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	लागू नहीं
	नाम	श्रीमती रंजना परांजपे
	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक, कॉरपोरेट रणनीति एवं संवाद विभाग.
	टेलिफोन नं.	022- 66552249
	ई-मेल आईडी	rv.paranjape@idbi.co.in

2 सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास .... के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित अंशधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ*	हाँ#
7.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य अंशधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित, अंशधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है.								

नोट:

* सीएसआर नीति लिंक - http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

बैंक की नीतियाँ अर्थात् ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर तथा बीसीएसबीआई कोड जनता की जानकारी के लिए ग्राहकों की जानकारी के लिंक पर उपलब्ध हैं: http://www.idbi.com/customer-care-centre.asp

सिद्धान्त 1 - बैंक मुख्यतः केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है.

सिद्धान्त 2 - सिद्धान्त 2 के अंतर्गत अधिकतर कार्यकलाप बैंक की ऋण नीति तथा उत्पाद दिशानिर्देशों द्वारा संचालित हैं जो गोपनीय हैं.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ, जो विधिवत् रूप से तैयार की गई हैं, बैंक के विभिन्न कार्यों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करती हैं. ये विनियामक तथा सांवधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं.

2क. यदि किसी भी सिद्धान्त के संबंध में क्र.सं. 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक सही का निशान लागाएं)

(किसी भी सिद्धान्त के लिए नीति न होने के कारणों का उल्लेख किया जाए)

1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें यह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में हो.	बैंक में पी7 के संबंध में कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है, तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेवार रूप से संबद्ध रहा है. बैंक, विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा इसने भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा, बैंक बैंकिंग सुधारों, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सुधारों के लिए नीति निर्माताओं से संबद्ध रहा है.
3.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं.	
4.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है.	
5.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है.	
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3 कारोबार दायित्व संबंधी अभिशासन

कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक.	बैंक का कारोबार दायित्व कार्य-निष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा.
क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	हाँ. कारोबार दायित्व रिपोर्ट को www.idbi.com पर देखा जा सकता है. यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी तथा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होगी.

उ. सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

1. सिद्धान्त 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

1.	क्या आचार नीति, घूसख़ोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है ? हाँ/नहीं.	हाँ, यह केवल बैंक पर लागू है. बैंक के पास भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन और निधियों के दुर्विनियोजन की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था है. बैंक ने सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की हैं. सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा सामान्य रूप से सतर्कता मामलों से संबंधित अथवा विशिष्ट रूप से बैंकों के लिए जारी अद्यतन परिपत्र/ दिशानिर्देश बैंक के इंट्रानेट पर रखे गए हैं. साथ ही, इन दिशानिर्देशों को बैंक के लिए सतर्कता मैनुअल के रूप में समेकित किया गया है तथा इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है. बैंक में निवारक सतर्कता को मजबूत करने के लिए सतर्कता विभाग हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मुख्यतः निवारक सतर्कता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनाई जानेवाली गतिविधियों का विस्तार से वर्णन रहता है. ऐसे उपायों का सारांश निम्नानुसार है: • **अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणियां (एआरएएल):** (क) आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी की ऑनलाइन प्रस्तुति अनिवार्य कर दी गई है. (ख) बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणियों की नमूना जांच करना जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी अधिकारियों, अर्थात् महाप्रबंधक (ग्रेड ई) और उनसे उच्चतर अधिकारियों तथा आस्तियों और देयताओं की शेष वार्षिक विवरणियों की 10% विवरणियां शामिल हैं. • **संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची (एएलएसओ):** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से उन अधिकारियों के बारे में वार्षिक आधार पर एक सहमत सूची तैयार की जाती है जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा को लेकर उनके विरुद्ध शिकायतें, संदेह या शंकाएं हैं. • **संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची:** केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची वार्षिक रूप से तैयार/ समीक्षा की जाती है. • **संवेदनशील पदों की पहचान और स्टाफ का आवर्तन:** संवेदनशील पदों की पहचान वार्षिक आधार पर की जाती है तथा इस संबंध में बैंक के विभिन्न वर्टिकलों से मासिक/ तिमाही फीडबैक लेकर बैंक द्वारा ऐसे पदों के बारे में कार्य आवर्तन नीति को लागू किया जाता है. • **बैंक में संवेदनशील पदों पर स्टाफ आवर्तन की निगरानी की जाती है तथा मासिक / तिमाही रिपोर्ट में इसकी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को दी जाती है:** मानव संसाधन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची (एएलएसओ)/ संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (एलओडीआई) में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील कार्यभार न सौंपें जाएँ. इसकी निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जाती है.

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:**
  प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवेदन फॉर्म/प्रपत्र डाऊनलोड योग्य फॉर्मेट में बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं. संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और दी जानेवाली सूचनाओं की जानकारी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दी गई है तथा यह आवेदन फॉर्म का हिस्सा भी है. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक समान कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए रूप में मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसजीजीआरएस) को सक्रिय किया गया है. प्रत्येक माह दी गई निविदाओं/ संविदाओं को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है. सुरक्षा में कमियों को दूर करने के लिए फिनेकल प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है. धोखाधड़ियों को नियंत्रित/ रोकने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली को एक साधन के रूप में लागू किया गया है.
- **सीटीई प्रकार के निरीक्षण:**
  सतर्कता विभाग, वेंडर को भुगतान, निविदा या संविदा आदि प्रदान करने जैसी मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने/ सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की गई संविदाओं का यादृच्छिक आधार पर अध्ययन तथा समीक्षा करता है. ऐसी जांच का उद्देश्य केवल अनाचार का पता लगाना और उल्लंघन करने वाले अधिकारी को सतर्कता के दृष्टिकोण से दंडित करना भर नहीं है, बल्कि बैंक की प्रणालियों/ प्रक्रियाओं में सुधार में मदद करना भी है ताकि बेहतर तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण के साथ-साथ भावी संविदाओं में चूकों/ अनियमितताओं से बचा जा सके.
  पहली बार बनने वाले अनर्जक आस्ति खातों (एफटीएनपीए), अतिशीघ्र एनपीए बनने वाले मामलों (क्यूएम), एकबारीय निपटान मामलों (ओटीएस)/ बातचीत (एनएस) से तय मामलों की जांच की जाती है.
  चौकसी और पता लगाना सतर्कता विभाग के कार्यों में एक कार्य है और इस कारण एफटीएनपीए, क्यूएम, ओटीएस/ एनएस मामलों की जांच यादृच्छिक आधार पर की जाती है. इन मामलों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग मनमाने तरीके से न किया जाए, बल्कि इनका उपयोग उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाए तथा बैंक में प्रणाली और प्रक्रियाओं की तुलना में वर्तमान कार्यप्रणालियों की जांच उन कारकों को हटाने या कम करने के उद्देश्य से करते हुए की जाए जो भ्रष्टाचार और अनाचार के लिए मौका प्रदान करती हैं, साथ ही यह पता लगाने के लिए कि स्टाफ जवाबदेही मौजूद है या नहीं.
- **आकस्मिक सतर्कता दौरा :**
  सामान्य कार्यकाल में तथा धोखाधड़ी/ दुरुपयोग की घटना को रोकने के प्रति जागरूकता लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सतर्कता अधिकारियों द्वारा चुनिंदा शाखाओं का आकस्मिक सतर्कता दौरा किया जाता है.

	• **निवारक सतर्कता समितियां (पीवीसी)/ अंचल निवारक सतर्कता समितियां (ज़ेडपीवीसी):** बैंक का सतर्कता विभाग सुनिश्चित करता है कि सतर्कता से संबन्धित विषयों/मामलों को निपटाने और उन पर विचार-विमर्श के लिए अंचल निवारक सतर्कता समितियों की बैठक सभी नौ अंचलों में तिमाही में एक बार की जाए. इससे सतर्कता को लेकर जारी किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों पर चर्चा के अलावा उनकी शाखाओं/ प्रोसेसिंग केन्द्रों में उन कमजोर बिन्दुओं/ क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलती है जो धोखाधड़ी/ अनाचार की दृष्टि से असुरक्षित हैं, ताकी कमजोर क्षेत्रों में निगरानी को कड़ा किया जा सके. इन बैठकों में नामिती प्रतिनिधि के रूप में सतर्कता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं. • **सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएं :** पूरे बैंक में सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं जिनमें बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) उपस्थित रहते हैं. इन कार्यशालाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि निवारक सतर्कता एक सक्रिय कार्य है जिसमें बैंक में, विशेष कर, धोखाधड़ी, अनाचार, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, साथ ही बैंक को किसी प्रकार की वित्तीय या प्रतिष्ठागत हानि से बचाया जा सके और सामान्य रूप में संगठन को मजबूत किया जा सके. • **बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा:** - सभी मामलों में समग्र प्रगति की निगरानी करना तथा एमडी एवं सीईओ के साथ तिमाही आधार पर संरचित बैठक का आयोजन करना तथा ऐसी संरचित बैठकों में उभरने वाले कार्य बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना. - बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा से संबंधित मामलों पर तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को ज्ञापन प्रस्तुत करना. • **त्वरित दंडात्मक कार्रवाई:** मुख्य सतर्कता अधिकारी अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की निगरानी करते हैं. • **सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन:** केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है. स्टाफ सदस्यों/ जनता/ ग्राहकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए शाखाओं/ कार्यालयों में सप्ताह के दौरान सेमिनार, बैठकें, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं. • **सतर्कता संबंधी शिकायतें** मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से प्राप्त शिकायतों की जांच सुनिश्चित करते हैं और जहां जरूरी हो वहाँ उचित कार्रवाई करते हैं.
क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/कांट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होता है?	नहीं, यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कांट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू नहीं होता है.

2.	पिछले वित्तीय वर्ष में अंशधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.	वर्ष 2015-16 के दौरान 49,444 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 31 मार्च 2016 तक लगभग 98%, अर्थात् 48,812 शिकायतों का निवारण किया जा चुका था. 31 मार्च 2016 तक निवारण किए गए सामान्य बैंकिंग शिकायतों का औसत कार्यवाही समय लगभग 2 कार्यदिवस था. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति तैयार की है जिसमें बेंचमार्क समयसीमा 19 दिन निर्धारित है, जबकि अनुमत समयसीमा 21 दिन है. यह शिकायतों के निवारण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है. वर्ष 2015-16 के दौरान सतर्कता विभाग को 111 शिकायतें प्राप्त हुईं. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता की दृष्टि से की गई. शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों का ब्योरा निम्नानुसार है :

यथा दिनांक 01.04.15 को लंबित	2015-16 के दौरान प्राप्त	2015-16 के दौरान निवारण	यथा दिनांक 31.03.16 लंबित
0	1,212	1,212	0

2. सिद्धान्त 2 : कारोबार द्वारा ऐसे उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

1.	3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.	i. **बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए):** बेसिक बचत बैंक जमा खाता (पहले नो फ्रिल खाता के नाम से जाना जाता था), जिसके लिए शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, में अब तक बैंकिंग से वंचित और गरीब लोगों के वित्तीय वंचन के सामाजिक सरोकार का व्यापक रूप से ध्यान रखा गया है. ii. **व्यक्तियों/ संयुक्त ऋणदाताओं के समूह (जेएलजी)/ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए ऋण:** बैंक ने उन सुविधाहीन उधारकर्ताओं तक अपनी पहुँच बनाई है जिनके पास संपार्श्विक प्रतिभूति, नियमित रोजगार और स्पष्ट ऋण रिकॉर्ड नहीं है. बैंक का सूक्ष्म ऋण पर जोर केवल उद्यमिता को सहायता और गरीबी उन्मूलन के लिए ही नहीं, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तीकरण तथा लघु एवं सीमांत किसानों, कारीगरों, भूमिहीन श्रमिकों आदि सहित समुदायों के उत्थान के लिए भी तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य उनके व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य घरेलू खर्चों, उच्च लागत वाले कर्जों की चुकौती आदि के लिए निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करना है. बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुगमकर्ता (बीएफ़) के माध्यम से भी सूक्ष्म ऋण प्रदान किए जाते हैं. 31 मार्च 2016 तक बैंक ने 66 कॉरपोरेट और 1884 व्यक्तियों को बीसी/ बीएफ़ के रूप में नियुक्त किया. बैंक ने भारतीय माइक्रो क्रेडिट (बैंक का बीसी) के सहयोग से 18 सितंबर 2015 को वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए तथा उन्होंने इस उत्पाद के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मंजूरी पत्र तथा ई-रिक्शा वितरित किए. इससे उधारकर्ताओं की अधिक आय तो सुनिश्चित हुई, साथ ही पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ-साथ पूर्ववर्ती सायकल रिक्शाचालकों द्वारा उठाए जा रहे शारीरिक कष्ट भी कम हुए.

iii. **आईडीबीआई सूर्य शक्ति:** इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए परिवारों, कृषि क्षेत्र तथा अन्य स्थापनाओं में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना है. इस उत्पाद को गाँवों/ अर्ध शहरी/ शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों, किसानों, एसएचजी, होटलों और अस्पतालों के लिए सोलर वॉटर हीटर, सोलर लाइटिंग सिस्टम और सोलर पंप खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है. लाभार्थी 1800, 2200, 3000 और 5000 वाट पीक डी सी सरफेस सिस्टम के लिए सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम [(फ्लैट प्लेट कलेक्टर (एफ़पीसी) आधारित या इवैकुएटेड ट्यूबुलर कलेक्टर (ईटीसी) आधारित], विभिन्न फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स वाले सोलर लाइटिंग सिस्टम और सोलर फोटोवोल्टिक लगाने का चुनाव कर सकते हैं. सामाजिक दृष्टिकोण से यह उत्पाद बिजली रहित या बिजली की कटौती वाले इलाकों में बिजली प्रदान करता है.

iv. **आईडीबीआई आरएसईटीआई:** आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है. संस्थान अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देता है ताकि वे स्व-रोजगार के लिए कोई काम शुरू कर सकें. संस्थान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और समाज के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है. 2011 में अपनी शुरुआत से संस्थान ने 2,914 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जिनमें 793 उम्मीदवारों को वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित किया गया. ये उम्मीदवार अब कई लाभदायक कामों में लगे हुए हैं. प्रशिक्षित उम्मीदवारों में अजा और अजजा प्रत्येक श्रेणी में 11%, अपिव में 21% तथा अल्प संख्यक श्रेणी में 9% हैं. संस्थान अपने उम्मीदवारों की बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करता है.

v. "**ग्रीन परियोजनाओं**" का निधीयन जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर, जैव ईंधन, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा वितरण और प्रबंधन योजनाएँ आदि), ऊर्जा दक्षता (ऊर्जा संग्रहण इकाइयां, ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी और उपकरण आदि) और टिकाऊ परियोजनाएं (जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन परियोजनाएं, भूमि उपयोग परियोजनाएं आदि) शामिल हैं. इस प्रयोजन के लिए बैंक ने यूएस डॉलर 5 बिलियन एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर 2015 में 5 वर्ष के लिए ग्रीन बांड शुरू किये जो सिंगापुर स्टॉक एक्स्चेंज में यूएस डॉलर 350 मिलियन राशि के लिए सूचीबद्ध हैं.

2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे उपलब्ध कराएं (वैकल्पिक) : i. समूची मूल्य शृंखला में पिछले वर्ष से अब तक सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण के दौरान कमी? ii. पिछले वर्ष से अब तक ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान पाई गई कमी?	लागू नहीं
3.	क्या कंपनी के पास संवहनीय सोर्सिंग के लिए तैयार प्रक्रिया है (परिवहन सहित)? i. यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत संवहनीय रूप में सोर्स किया गया? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें.	लागू नहीं
4.	क्या कंपनी ने अपने कार्य-स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?	लागू नहीं
5.	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्टों की रिसाइक्लिंग के लिए कोई प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों की रिसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10% के रूप में). साथ ही लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें	लागू नहीं
3	**सिद्धान्त 3: कारोबार को अपने सभी कर्मचारियों की सुख-सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए**	
1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं.	17,570 (इसमें बैंक में संविदात्मक रोजगार के आधार पर अधिकारी संवर्ग में छह कर्मचारी और संविदा आधार पर 631 एक्जीक्यूटिव शामिल हैं)
2.	कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/ अनियत आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या बताएं.	637
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं.	5,204
4.	कृपया शारीरिक रूप से अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं.	329
5.	क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?	प्रथा के अनुसार, बैंक ने किसी भी यूनियन/ संघ को मान्यताप्राप्त यूनियन/ संघ का दर्जा नहीं दिया है.
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों में कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	यद्यपि किसी भी यूनियन/ संघ को मान्यताप्राप्त दर्जा नहीं दिया गया है, बैंक में परिचालनरत मुख्य यूनियनों/ संघों की संभावित सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है : i. ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईआईडीबीआईओए) : 11,755 सदस्य (लगभग 75% अधिकारी) ii. ऑल इंडिया आईडीबी एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईआईडीबीईए): 963 सदस्य (लगभग 49.5% कामगार कर्मचारी) iii. आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन (आईडीबीआईओओ) : लगभग 371 सदस्य (लगभग 2.5% अधिकारी) iv. आईडीबीआई कर्मचारी संघ (आईडीबीआईकेएस): लगभग 979 सदस्य (लगभग 50.5% कामगार कर्मचारी)

7.	कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें.		
क्र. सं.	**श्रेणी**	**2015-16 के दौरान दर्ज शिकायतें**	**यथा 2015-16 की समाप्ति पर लंबित शिकायतें**
i.	बाल मजदूरी/ जबरन मज़दूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii.	यौन उत्पीड़न	2	1
iii.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य
8.	उल्लखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?		
i.	स्थायी कर्मचारी	66%	
ii.	स्थायी महिला कर्मचारी	58%	
iii.	कैजुअल/ अस्थायी/ संविदा कर्मचारी	21%	
iv.	शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी	61%	

4. सिद्धान्त 4: कारोबार को सभी अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, विशेष रूप से उनके लिए जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य अंशधारकों को मैप किया है? हाँ/नहीं.	हाँ.
2.	उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर अंशधारकों की पहचान की है?	हाँ.
3.	क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर अंशधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है. यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.	बैंक ने अजा/ अजजा/ पीडबल्यूडी और अपिव के लिए महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक पद के अधिकारियों को मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) और अंचल संपर्क अधिकारी (जेडएलओ) के रूप में नियुक्त किया है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपका बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पीडबल्यूडी के लिए अलग से रोस्टर रखता है.

5. सिद्धांत 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

1.	क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कांट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?	मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियां बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, कांट्रैक्टरों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती है. बैंक मानवाधिकारों पर लागू सभी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है. **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच):** बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति अपनाई है. बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. कर्मचारियों में पीओएसएच के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से परस्पर संवादवाला ऑडियो/ वीडियो ई-लर्निंग मॉड्यूल बैंक के इंट्रानेट पर रखा है. बैंक अपने ग्राहकों के अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है तथा उनका सम्मान करता है.

		शिकायतों का निवारण बैंक यह स्वीकार करता है कि ग्राहक बैंक के मुख्य घटक हैं और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए बैंक ने "ग्राहक अधिकार नीति" तैयार की है साथ ही नागरिक चार्टर भी तैयार किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बैंक के प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है.
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने अंशधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निवारण का प्रतिशत क्या है?	2015-16 के दौरान दो यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से एक शिकायत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया.

6. सिद्धान्त 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए

1.	क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कांट्रैक्टरों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?	यह नीति केवल आईडीबीआई बैंक पर लागू होती है. बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली तकनीक के प्रयोग, सर्वर वर्चुअलाइजेशन आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011, जो 1 मई 2012 से प्रभावी है, का अनुसरण कर रहा है.
2.	क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए रणनीतियां/ पहल-कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक बताएं.	हाँ. आईडीबीआई बैंक ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के अपने प्रयासों के अंतर्गत सोलर पॉवर लाइट तथा रोड लाइट लगाने में संगठनों की सहायता की है. साथ ही, आईडीबीआई बैंक ने भारत के चयनित राज्यों के सुदूरवर्ती गांवों के परिवारों में सौर शक्ति चलित विभिन्न सामान प्रदान कर स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करने में प्रमुख संगठनों के साथ भागीदारी की है, ताकि वे अनवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें. **नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण :** ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण बढ़ती चिंता और जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयत्रों के कारण अन्य पर्यावरण संबंधी खतरों के संबंध में बढ़ती चिंता को देखते हुए अब नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया गया है जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है. इस बदलाव के अनुसार, आईडीबीआई बैंक पवन, सौर, लघु जल विद्युत आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है. नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15-17 फरवरी 2015 के दौरान आयोजित प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा विश्व सम्मेलन में आईडीबीआई बैंक ने वर्ष 2015-19 की 5 वर्षीय अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता संवर्धन के लिए ₹ 14,700 करोड़ सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

		स्वच्छ ऊर्जा: बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थात् नवीकरणीय, सोलर सेल/ मॉड्यूल परियोजनाओं, सह-उत्पादन, ऊर्जा दक्षता उपकरण परियोजनाओं आदि पर आधारित संभाव्य ग्रीन परियोजनाओं के निधीयन के लिए पहल की है. भारत सरकार और यूएसएआईडी, विश्व बैंक आदि जैसी विविध बहुपक्षीय एजेंसियों के सहयोग से आईडीबीआई बैंक बहुपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंजूर निधियों का संवितरण करता रहा है. अब तक बैंक ऐसी 10 से भी अधिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया चिलर एनर्जी इफिशिएन्सी प्रोजेक्ट (आईसीईईपी) को पूरा किया. साथ ही, आईडीबीआई बैंक ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए ऊर्जा बचत वाली लाइटिंग और दक्ष वातानुकूलन प्रणाली, सोलर वाटर हीटर लगाने, जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि जैसे बहुत से पहल कार्यों की शुरुआत की है.
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.	हाँ.
		पर्यावरणीय जोखिम आकलन बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है. मौजूदा जोखिम निगरानी नीति मंजूरी पत्र में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण कर व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सभी सहायता प्राप्त ग्राहक स्थायी आधार पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण दें. क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?	आईडीबीआई बैंक सरकारी क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसने स्वच्छता विकास तंत्र (सीडीएम) पर कार्य करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया है. बैंक की कार्बन क्रेडिट सेवाओं में मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकारी सेवाएं, निधीयन, सीडीएम परियोजनाओं के पंजीकरण, कार्बन क्रेडिट की बिक्री के लिए वाणिज्यिक सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. बैंक ने अनुमानित कार्बन क्रेडिट प्राप्य राशियों को ध्यान में रखकर कॉरपोरेटों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नवोन्मेषी उत्पाद 'कार्बन क्रेडिट प्राप्य राशियों पर प्रारंभिक वित्त' शुरू किया है.
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक बताएं.	i. बैंक अव्यवहार्य आईटी उपकरणों के निपटान के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करता है तथा इसलिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार तथा लागू की है. साथ ही, बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अप्रचलित आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेंडरों की नियुक्ति की है.
		ii. बैंक द्वारा अपनी कई कारोबार प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है जिसमें कागजों का उपयोग कम करने के लिए कागज रहित बैठकों का आयोजन आदि सम्मिलित है.
		iii. जहां कहीं भी संभव है, बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि) के लिए तथा बाहरी संप्रेषण के लिए ग्राहकों (खातों के मासिक विवरण, विभिन्न आवेदन-फॉर्म, निधि अंतरण सुविधा आदि), शेयरधारकों (वार्षिक रिपोर्ट), कारोबार भागीदारों, विनियामकों तथा सरकार आदि के साथ सम्प्रेषण में पेपर आधारित मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहा है.

		iv. बैंक ने अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों को निदेश दिये हैं कि कागजों की खपत को बचाने के लिए वे उधारकर्ताओं/ वेंडरों आदि को भुगतान / ऋणों का संवितरण खातों में जमा/ आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से करें.
		v. बैंक ने कागजों की खपत कम करने के लिए कर्मचारियों से संबंधित लगभग सभी कार्यों जैसे वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन आदि को स्वचालित कर रखा है.
		vi. सर्वर वर्चुलाइजेशनः डेटा केन्द्रों में सर्वर फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्चुलाइजेशन तंत्र लागू किया है जिसके माध्यम से वर्चुलाइज्ड वातावरण में एप्लिकेशन को लाकर पर्याप्त रूप से वैयक्तिक बाह्य सर्वरों की संख्या में कमी की गई है. इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत और ऊष्मा संचारण में कमी हुई है.
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जनरेट उत्सर्जन/ अपशिष्ट सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?	सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालन में न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट जनरेट होता है.
7.	सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) है.	विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से इस प्रकार का कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है.
7.	**सिद्धांत 7: जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार जवाबदेही के साथ करने चाहिए**	
1.	क्या आपकी कंपनी किसी कारोबार और वाणिज्य मंडल अथवा संस्थानों की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है:	हाँ. i. एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्थाओं का संघ (एडफिएप) ii. भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) iii. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) iv. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) v. भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) vi. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
2.	क्या आपने उपर्युक्त संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण में सुधार या प्रगति के लिए समर्थन/ उस हेतु प्रचार किया है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो मुख्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दें. (ड्रॉप बॉक्सः सरकार एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, भोजन सुरक्षा, स्थाई कारोबार सिद्धांत, अन्य)	प्रमुख भूमिका में होने के कारण बैंक हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के लिए जबावदेही के साथ संबद्ध रहा है.
8	**सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए**	
1.	क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.	भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के मिशन को ध्यान में रखते हुए बैंक ने देश की कम बैंकिंग/ बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के पथ पर बढ़ना आरंभ कर दिया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल-कार्य किए गए हैं:
		(i) कम लागत वाली लघु आकार की शाखाओं और आईसीटी समर्थित कारोबार प्रतिनिधि मॉडल, दोनों के माध्यम से लगभग 500 बैंक-रहित सब सर्विस एरिया (एसएसए) (लगभग 1200 गांवों को मिलाकर) में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक ने बैंक-रहित गांवों में 244 शाखाएं भी खोली हैं.
		(ii) देश भर में ₹ 541.35 करोड़ (₹ 2,450 औसत शेष) जमाराशि के साथ 22 लाख से अधिक बीएसबीडीए खाते खोले गए हैं. इसमें पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए लगभग 10.7 लाख खाते (₹ 90 करोड़ जमाराशि) शामिल हैं
		(iii) बैंक ने लगभग 25,000 पेंशनभोगियों को आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से उनके घर तक वृद्धावस्था पेंशन वितरण के लिए रायपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ के साथ गठजोड़ किया है.

		(iv) बैंक ने तीन जिलों में बीसी मॉडल के माध्यम से मनरेगा मजदूरी के वितरण के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गठजोड़ किया है. इसके लगभग 26 हजार लाभार्थी हैं.
		(v) वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन का एक अभिन्न भाग है. बैंक की ग्रामीण शाखाएं अपने सेवा क्षेत्र में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बाह्य वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन करती हैं. 2015-16 के दौरान, लगभग 850 कैंपों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 18,000 ग्रामीणों ने भाग लिया. बैंक वित्तीय उत्पादों के बारे में मनोरंजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन करता है. आज तक ऐसे लगभग 250 से अधिक नाटकों का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा, बैंक ने प्रायोगिक आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 115 स्कूलों में वित्तीय साक्षरता कैम्पों का भी आयोजन किया. लगभग 8 हजार विद्यार्थियों को मूल वित्त/ बैंकिंग संबंधी विषयों पर शिक्षित किया गया.
		(vi) लगभग 30 लाख खाते आधार से जोड़े गए हैं जो सब्सिडी वितरण और लाभ को आधार के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा कर, लीकेज और छुटपुट चोरी को बंद कर सरकार के संकल्प को पूरा करने हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं.
		कई वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों की शुरुआत करने के अतिरिक्त बैंक अपने सीएसआर पहल-कार्यों के माध्यम से बहुआयामी प्रभाव रखने वाले वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अल्प सुविधाप्राप्त समुदायों के दीर्घकालिक और समग्र विकास के लिए भी अंशदान करता है.
2.	क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाए जाते हैं?	वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम आंतरिक टीम द्वारा बाहरी एजेंसियों के सहयोग से, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के प्रावधान और बीसी केंद्रों के कार्मिकों के लिए चलाए जाते हैं.
		समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास से संबंधित सीएसआर परियोजनाएं अधिकांशतः एनजीओ, सरकारी संस्थाओं तथा कुछ सीमा तक बैंक की शाखाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं.
3.	क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?	हाँ, कार्यान्वयन भागीदार द्वारा सीएसआर पहल-कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गतः
		• पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 90 करोड़ जमा आधार के साथ 10 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं.
		• 22 लाख खाते बेसिक बचत खाते अर्थात् बैंक के वित्तीय समावेशन पहल-कार्य के अंतर्गत शून्य शेष के साथ खुले खाते हैं जो ₹ 541.35 करोड़ की जमाराशि के साथ हैं.
		• लोगों द्वारा इन खातों का उपयोग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात्, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने के लिए भी किया गया है.
		• बैंक और सरकार को सूक्ष्म बीमा योजनाओं और पेंशन योजनाओं द्वारा वंचित लोगों को वित्तीय मुख्य धारा से विधिवत् रूप से जोड़ने में मदद मिली है.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा आरंभ परियोजनाओं का विवरण?

प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से की जाने वाली आईडीबीआई बैंक की सामुदायिक विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

क्र . सं.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य	2015-16 में किया गया व्यय (₹ लाख)
i.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, महाराष्ट्र (2012-13 में मंजूर)	लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में अन्य कार्यकलापों के साथ, सामुदायिक तंत्र को मजबूत करते हुए तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी तथा स्वामित्व मॉडल के आधार पर तारुगाँव को एक 'आदर्श ग्राम' के रूप में तैयार करना.	26.16
ii.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), गुवाहाटी, असम (2014-15 में मंजूर)	मोरीगांव जिला, असम में आमकोटा गाँव का आदर्श ग्राम के रूप में विकास.	10.58
iii.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश (2014-15 में मंजूर)	दो गांवों में सीएसआर कार्यकलापों का संचालन - वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले में भभौरा.	200.00

5. क्या आपने इन सामुदायिक विकास के पहल-कार्यों को समुदाय द्वारा सफलता पूर्वक अपनाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं ? कृपया लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

समुदाय के विकास को लक्ष्य कर सीएसआर गतिविधियों को सभी स्थानीय आबादी और जमीनी स्तर के लाभार्थियों सहित संबंधित अंशधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस तरह समुदाय को शुरुआत में ही शामिल किया जाता है और परियोजना के सभी चरणों के दौरान इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि समुदाय द्वारा इन पहल-कार्यों को सफलता पूर्वक अपनाया जा सके.

9 सिद्धान्त 9: कारोबार उत्तरदायी तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा होना चाहिए और उन्हें महत्व देने वाला होना चाहिए.

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं.

प्राप्त कुल शिकायतों में से यथा 31 मार्च 2016 को लगभग 2% अर्थात् 1,060 शिकायतें लंबित थीं. इनमें से 1,011 शिकायतों का निपटान '19 कार्यदिवसों में', 14 शिकायतों का निपटान '20-21' दिनों में और 35 शिकायतों का निपटान '21 कार्यदिवसों में' किया गया. सभी लंबित मामलों का निपटान 28 अप्रैल 2016 तक कर दिया गया.

2. सामान्यतः स्थानीय कानून के अधिदेश के अनुसार क्या कंपनी, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है. हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं

3. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के लिए अंशधारकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रुझान के बारे में कुछ किया है?

बैंक सतत आधार पर ग्राहक फीडबैक प्राप्त करता है. इसके अलावा, बैंक उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं तथा प्रत्याशाओं का मूल्यांकन तथा आकलन करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है. वर्ष 2015-16 के दौरान एक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया. सर्वेक्षण की प्रश्नावली में ग्राहक सेवा के विविध पहलुओं को शामिल किया गया था. सर्वेक्षण के परिणाम से यह पता चला कि ग्राहक सामान्य तौर पर बैंक के उत्पाद और सेवाओं से संतुष्ट थे.

Business Responsibility Report

Sr. No.	Particulars	Details
A. General Information about the Bank		
1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L65190MH2004GOI148838
2	Name of the Company	IDBI Bank Limited
3	Registered address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
4	Website	www.idbi.com
5	E-mail id	idbiequity@idbi.co.in
6	Financial Year reported	2015-16
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Code: 64191-IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.
8	List three key products/ services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	1. Corporate/ Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Treasury Services
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1,846 branches
i.	Number of International Locations (Provide details of major 5)	1- The Bank has a Branch at DIFC, Dubai
ii.	Number of National Locations	1845 branches
10	Markets served by the Company (Local/ State/ National/ International)	The Bank serves customers in national locations. Customers are also served through the Bank's international branch.
B. Financial Details of the Bank		
1	Paid up Capital (in ₹ lakh)	2,05,881.51
2	Total Turnover (in ₹ lakh)	31,45,345.87
3	Total profit after taxes (in ₹ lakh)	-3,66,480.25
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	In 2015-16, IDBI Bank's spends on CSR activities amounted to 1.31% of its average net profits (excluding profits arising from branches outside India and any dividends received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of Companies Act, 2013) of the last three financial years ending March 31, 2013, March 31, 2014 and March 31, 2015.
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	

Sr. No.	Activity	No. of CSR projects	Amount (₹ lakh)
a.	Health	6	360.16
b.	Rural Development	3	236.74
c.	Education	4	27.49
d.	Socio- Economic Empowerment	2	7.18
e.	Environment	3	187.88
f.	Other Donations	2	125.00
TOTAL		**20**	**944.45**

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, IDBI Bank has been undertaking most of its CSR activities in project/ programme mode. With phased implementation of programmes the actual spend spills over to subsequent years in some cases. Further, in some CSR projects, some of the expected disbursements could not be released in 2015-16 on account of various factors such as (i) Government funding for the project, (ii) delay in implementation of the project (iii) delay in submission of documents, and (iv) completion of project at an amount lower than the sanctioned amount. Additionally, two projects sanctioned in March 2016 could not be disbursed during the reporting year.

In view of the reasons stated above, the Bank has been able to spend ₹ 9.44 crore which accounts for around 65.51% of the budgeted spend of ₹ 14.41 crore.

Segment-wise classification of expenditure incurred under CSR during 2015-16:

i. Health

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Sankara Nethralaya, Chennai, Tamil Nadu	Conducting cataract surgeries of the poor in Chennai, Tamil Nadu.	3.13
2	UNICEF, New Delhi	Providing Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) facilities in selected 400 rural schools of Maharashtra and Uttar Pradesh.	130.68
3	Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan and Swachh Bharat Kosh (SBK)	Construction of gender segregated toilets in rural schools near IDBI Bank's branches across India and contribution to SBK.	171.44
4	National Heath Mission, Mumbai, Maharashtra	Provision of nutritional support to drug resistant TB patients in Mumbai, Maharashtra.	47.16
5	Grameen Sneh Foundation, Patna, Bihar	Purchase of an ambulance van in Patna, Bihar.	4.35
6	Government Medical College & Hospital, Aurangabad, Maharashtra	Purchase of a van for multipurpose use in Aurangabad, Maharashtra.	3.40
Total			**360.16**

ii. Rural Development

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra	Building Taru village as a 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives in Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir.	26.16
2	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Guwahati, Assam	Developing of Aamkota village into a Model Village in Morigaon District, Assam.	10.58
3	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh	Conducting CSR activities in two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura in Chandauli District.	200.00
Total			**236.74**

iii. Education

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	AIM for Seva, Chennai, Tamil Nadu	Supporting a students' home to cover expenses of food, accommodation, clothes, books etc. in Lucknow, Uttar Pradesh.	3.15
2	Sai Anandam Trust, Bhubaneswar, Odisha	Construction of a rural youth training centre, Daruthenga, Odisha.	6.88
3	Urivi Vikram Charitable Trust, Mumbai, Maharashtra	Imparting livelihood and vocational skills training in and around Thane, Kalyan and Bhiwandi, Maharashtra.	7.50
4	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat	Conducting skill development programmes in four villages of Karnali panchayat under the Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY), Vadodra, Gujarat.	9.95
Total			**27.48**

iv. Socio-Economic Empowerment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	North Eastern Development Finance Corporation, Guwahati, Assam	Setting-up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts in Namchi, Sikkim and supporting its operational cost for an initial period.	4.80
2	National Association of Disabled's Enterprises, Mumbai, Maharashtra	Meeting the capital expenses, for their "Paper Envelope Making Project" aimed at creating sustainable employment opportunities for disabled persons.	2.38
Total			**7.18**

v. Environment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Centre of Excellence for Change, Chennai, Tamil Nadu	Implementation of climate smart water management project in selected villages of Kancheepuram district, Tamil Nadu.	7.13
2	International Academy of Environmental Health & Public Sanitation, New Delhi	Supporting a rainwater harvesting project at Isabella Thoburn College, Lucknow, Uttar Pradesh.	3.85
3	The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi	Supporting TERI's 'Lighting a Billion Lives' program wherein 5000 households in select villages across four states are provided with solar lighting systems.	176.91
Total			**187.89**

vi. Others

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1	Armed Forces Flag Day Fund	Contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, constituted by Government of India, for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen, war widows and their dependants.	25.00
2	Chief Minister's Public Relief Fund (CMPRF), Tamil Nadu	Contribution to CMPRF, Tamil Nadu in light of devastating floods in the state.	100.00
Total			**125.00**

C. Other Details

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes. The Bank has five domestic subsidiaries namely, IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd, IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	No
3	Do any other entity/ entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].	No

D. BR Information

1 Details of Director/ Director's responsible for BR

a.	**Details of the Director/ Director's responsible for implementation of the BR policy/ policies**	
	DIN Number	NA
	Name	Shri Viney Kumar
	Designation	Executive Director
b.	**Details of BR Head**	
	DIN Number	NA
	Name	Smt. Ranjana Paranjape
	Designation	Chief General Manager, Corporate Strategy & Communications Dept.
	Tel. No.	022- 66552249
	Email ID	rv.paranjape@idbi.co.in

2 Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/ policies (Reply in Y/N)

Sr. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
3.	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y#
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Sr. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
10.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Head of Departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the adherence to implementation of policies mandated by the RBI.								

Note:

* Link to CSR Policy - http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the BCSBI codes are available for public viewing under Customer Education through this link: http://www.idbi.com/customer-care-centre.asp

Principle 1 – The Bank mainly follows the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission.

Principle 2 – Most of the activities under Principle 2 are governed by the Bank's Credit Policy and product guidelines which are confidential.

The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly and indirectly. They are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies.

2a. If answer to Sr. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

(Reasons for not having policy for any of the principle(s) needs to be mentioned)

1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having a policy for P7:
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	The Bank does not have a documented policy for P7, however, it has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
4.	It is planned to be done within next 6 months	
5.	It is planned to be done within the next 1 year	
6.	Any other reason (please specify)	

3	**Governance related to BR**	
	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	The BR performance of the Bank will be submitted on an annual basis to the Board.
	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes. The BR Report can be viewed at www.idbi.com. This report will be published annually and will be a part of the Bank's Annual Report.

E. Principle-wise performance

1	Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability	
1.	Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.	Yes, it covers the Bank only. The Bank has effective mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds. The Bank has framed the internal guidelines and procedures to deal with Vigilance matters in conformity with Central Vigilance Commission (CVC) guidelines. All the latest circulars/guidelines pertaining to vigilance matters in general or specific to Banks issued by CVC are hosted on the Bank's Intranet for benefit of all employees. Further these guidelines have been compiled in the form of Vigilance Manual for the Bank which is updated annually. With a view to strengthen preventive vigilance in the Bank, the Annual Action Plan (AAP) for the Vigilance Department is prepared every financial year elaborating the gamut of activities to be undertaken focusing mainly on preventive vigilance. The gist of such measures is as under: • **Annual Returns of Assets and Liabilities (ARALs) filed by officers:** a) Online submission of ARAL has been made mandatory. b) To undertake sample scrutiny of the ARALs submitted by Officers of the Bank which includes all officers coming under the CVC's jurisdiction i.e.; General Managers (Grade E) and above and 10% of the remaining ARALs. • **Agreed List of Suspected Officers (ALSO):** An agreed list of officers against whom there are complaints, doubts or suspicion related to their honesty or integrity is prepared annually in consultation with the CBI authorities. • **List of Officers of Doubtful Integrity (LODI):** As per CVC guidelines, list of officers of Doubtful integrity is prepared / reviewed annually. • **Identification of Sensitive posts and Rotation of Staff:** Identification of Sensitive posts is done annually and implementation of job rotation policy of officials in such posts is carried out in the Bank by obtaining monthly/ quarterly feedback from various verticals of the Bank in this regard. • **Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the CVC in monthly/ quarterly reports:** It is ensured by the HR Department that the officers appearing in ALSO/ LODI lists are not posted in sensitive assignments which are monitored by Vigilance Department.

- **Leveraging of Technology:**
  As per CVC guidelines for improving Vigilance Administration by leveraging technology, all application forms/ proforma are made available on the Bank's website in downloadable formats. All documents needed to be enclosed and the information to be provided is clearly explained on the website and is also part of the application form. Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) as advised by Ministry of Finance for uniform implementation in PSBs has been made active. Tenders/ Contracts awarded every month are displayed on the Bank's website. Improvement in FINACLE system to plug security loopholes is continuously effected. Fraud Monitoring System has been put in place as a tool to control/ prevent frauds.
- **CTE Type Inspections:**
  Vigilance Department conducts studies and scrutiny of contracts awarded at random basis for streamlining/ strengthening the existing systems and procedures like vendor payments, award of tenders and contracts etc. The objective of such examination is not limited to the detection of malpractices and punishment of errant officials found guilty from Vigilance angle but to help bring improvement in the systems/ procedures in the Bank so as to avoid recurrence of lapses/ irregularities in the future contracts, apart from ensuring better technical and financial control. Scrutinise First Time Non Performing Asset (FTNPA), Quick Mortality (QM), One Time Settlement (OTS)/ Negotiated Settlements (NS) cases.
  Surveillance and detection is one of the functions of Vigilance Department and therefore scrutiny of FTNPA, QM, OTS/ NS cases is undertaken on random basis. Such cases are scrutinized to ensure that discretionary powers are not exercised arbitrarily but in a fair and transparent manner and examination of the existing practices vis-à-vis systems and procedures in the Bank with a view to eliminate or minimise factors which provide opportunities for corruption or malpractices and to ascertain whether the Staff Accountability exists.
- **Surprise Vigilance Visits (SVVs):**
  In order to bring awareness in the rank and file to curb occurrence of frauds/ misappropriations, SVVs of selected branches is undertaken by the Vigilance officers as envisaged in the annual action plan.

		• **Preventive Vigilance Committees (PVC)/ Zonal Preventive Vigilance Committees (ZPVC):** Vigilance Department of the Bank ensures that ZPVC meetings are being conducted at all nine zones of the Bank once in a quarter to meet and discuss issues/ matters relating to Vigilance. This envisages, apart from discussing the latest guidelines issued in areas with vigilance overtones, identification of weak spots/ areas in their branch/ processing centers which are vulnerable to frauds/ malpractices with a view to plug the loopholes, if any, and tighten monitoring of deficient areas. These meetings are attended by officials from Vigilance Department as nominee representatives. • **Vigilance Awareness Workshops:** Vigilance Awareness Workshops are conducted across the Bank which are attended by Chief Vigilance Officer (CVO) of the Bank. At these workshops, it is emphasised that Preventive Vigilance is a proactive function having a focus on preventing frauds, malpractices, misappropriations and corruption in the Bank in particular, as also to avoid the Bank from any Financial or Reputation Loss and strengthen the organisation in general. • **Review of Vigilance activities in the Bank:** - To monitor the overall progress in relation to all matters and to conduct Structured Meeting with MD & CEO on a quarterly basis and follow up the action points emerging at such structured meetings. - To submit a Memorandum to the Board of Directors on a quarterly basis on matters relating to Review of Vigilance activities in the Bank. • **Prompt Punitive Action:** The Chief Vigilance Officer (CVO) monitors for prompt punitive action by the Disciplinary Authorities against the delinquent officials. • **Observance of Vigilance Awareness Week (VAW):** VAW is observed annually as per CVC guidelines. Seminars, meetings, competitions etc. are being organised at the branches/ offices during the week to disseminate awareness against corruption amongst staff/ public/ customers. • **Vigilance Complaints:** The Chief Vigilance Officer ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required.
	Does it extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs / Others?	No, it doesn't extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

During 2015-16, 49,444 customer complaints were received, of the same, about 98% i.e. 48,812 complaints were resolved by March 31, 2016. The average TAT of general banking complaints that were resolved by March 31, 2016 was approximately 2 working days. The Bank has put in place a Board approved Grievance Redressal Policy which has laid benchmark time limit of 19 days against 21 days permitted and which outlines the Bank's approach and commitment to complaint resolution.

During 2015-16, 111 complaints were received by Vigilance Department. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones through various authorities.

The details of shareholders' complaints are as under:

Pending as on 01.04.15	Received during 2015-16	Redressed during 2015-16	Pending as on 31.03.16
0	1,212	1,212	0

2 Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities

i. **Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA):** The design and implementation of BSBDA (earlier known as No frills account) with requirement of zero balance, has to a large extent, addressed the social concern of financial exclusion of the hitherto unbanked and deprived class of people.

ii. **Micro Loan for Individuals/ Joint Lenders Group (JLG)/ Self Help Group (SHG) members:** The Bank has reached out to underprivileged borrowers who may lack collateral security, regular employment and a demonstrable credit history. The Bank's micro credit thrust is designed not only to support entrepreneurship and alleviate poverty but also to empower women and to uplift communities, including Small and Marginal Farmers, Artisans, landless labourers etc. It aims to fulfil the funding needs for their occupation, education, health, other household expenses, repaying of high cost debt etc. Micro loans are also extended through Bank's appointed Business Correspondent (BC)/ Business Facilitators (BF). As on March 31, 2016 the Bank has appointed 66 corporate and 1884 individuals as BC/ BF. The Bank, in association with Bhartiya Micro Credit (BC of the Bank), organised an event in Varanasi on September 18, 2015 which was attended by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to distribute sanction letters and e-rickshaws to borrowers under this product. This has assured higher income to borrowers while safeguarding ecology and alleviating the physical hardship faced by erstwhile cycle rickshaw operators.

		iii. IDBI Surya Shakti: It aims to encourage utilisation of solar energy in households, farms and other establishments for electricity generation. The product is meant for extending financial assistance for purchase of solar water heater, solar lighting system and solar pumps to individuals, farmers, SHG, hotels and hospital in rural/ semi urban/ urban areas. The beneficiary may choose to install solar water heating systems (either a Flat Plate Collector (FPC) based or Evacuated Tubular Collector (ETC) based), solar lighting system of various photovoltaic modules and Solar Photo Voltaic Pumping system for 1800, 2200, 3000 and 5000 Watt peak DC surface system. This product provides electricity in areas with no power or areas facing power cuts. **iv. IDBI RSETI:** Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) sponsored by IDBI Bank is located in Satara District of Maharashtra. The institute imparts training to unemployed youths from semi-urban and rural areas so that they can take up some vocation for self-employment. The institute gives special emphasis in training candidates of below poverty line and weaker section of the society. Since inception in 2011, the Institute has trained nearly 2,914 candidates out of which 793 are trained in 2015-16. These candidates are now in various stage of gainful engagement. The trained candidates comprise of 11% each in SC and ST category, 21% in OBC and 9% in minority category. The institute also helps its candidates for credit linkage from banks. v. Funding of **"Green Projects"** that includes sectors viz., renewable energies (wind, solar, biomass, hydropower, renewable energy distribution and management projects etc.), Energy Efficiency (energy storage units, energy efficiency technology and equipments etc.) and sustainable projects (water management, waste management, transportation projects, land use projects etc.). For this purpose, bank has launched Green Bonds in November 2015, for a tenor of 5 years under the US$ 5 billion MTN Programme that is listed on the Singapore Stock Exchange for an amount of US$ 350 million.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i. Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	NA

3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	NA
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	NA
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	NA
3	**Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees**	
1.	Please indicate the total number of employees.	17,570 (Includes six number of employees on contractual employment with the Bank in the officers' cadre and 631 Executives on contract basis.)
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.	637
3.	Please indicate the Number of permanent women employees	5,204
4.	Please indicate the Number of permanent employees with disabilities	329
5.	Do you have an employee association that is recognised by management?	As per practice, the Bank has not given recognised union status to any of the unions/ associations.
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the following is the tentative membership position of major unions/ association operating in the Bank: i. All India IDBI Officers' Association (AIIDBIOA): 11,755 members (about 75% of officers) ii. All India IDBI Employees' Association (AIIDBEA): 963 members (about 49.5% of workmen employees) iii. IDBI Officers' Organisation (IDBIOO): approximately 371 members (about 2.5% of officers) iv. IDBI Karmachari Sangh (IDBIKS): approximately 979 members (about 50.5% of workmen employees)

7. Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

Sr. No.	Category	No of complaints filed during 2015-16	No of complaints pending as on end of 2015-16
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
ii.	Sexual harassment	2	1

iii.	Discriminatory employment	Nil	Nil
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?		
i.	Permanent Employees	66%	
ii.	Permanent Women Employees	58%	
iii.	Casual/ Temporary/ Contractual Employees	21%	
iv.	Employees with Disabilities	61%	

4	**Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.**	
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?	Yes
3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for SC/ ST/ PWD and OBC, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.
5	**Principle 5: Businesses should respect and promote human rights**	
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	The Bank's various policies protecting the human rights, directly or indirectly, cover operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs etc. The Bank follows all applicable guidelines on human rights. **Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH):** The Bank has in place Prevention of Sexual Harassment at Workplace Guidelines in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Bank has set up two Internal Complaints Committees, to redress the complaints received regarding sexual harassment. With an objective of creating awareness about the POSH among the employees, an interactive audio/ video enabled e-learning module has been hosted on the Bank's intranet. The Bank is fully aware of the rights of its customers and respects the same.

		Redressal of Complaints The Bank acknowledges that the customer is the core constituent of the Bank and their rights should be protected. To this end, the Bank has formulated, a Customer Rights Policy and also has a Citizens Charter in place. Further, the Bank is a member of BCSBI and has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	There were two complaints filed on Sexual Harassment during 2015-16, out of these one complaint was satisfactorily resolved.
6	**Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment**	
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	The Policy covers IDBI Bank only. The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology, virtualisation of servers, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes. IDBI Bank, in its endeavour to address environmental issues, assisted organisations in installation of solar powered lights and street lamps. IDBI Bank has also partnered with a leading organisation to provide clean energy options in the form of various solar powered articles to households in the remotest villages of selected states across India, thus reducing their dependency on non-renewable energy alternatives.
		Financing of New and Renewable energy projects: With the rising concerns regarding the greenhouse effect and other environmental hazards caused by the fossil fuel based power plants, focus has now moved towards generation of power using renewable resources, which are environment friendly as well as available in abundance. In line with this shift, IDBI Bank has been extending financial assistance for setting up renewable energy projects such as Wind, Solar, Small Hydro etc. At the 1st Renewable Energy Global Meet held on February 15-17, 2015 by the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, IDBI Bank has given commitment of assistance of ₹ 14,700 crore with capacity addition of 3,000 MW to Renewable Energy sector during the five year period 2015-19.

		Clean energy: The Bank has taken initiatives for funding potential green projects based on clean technologies viz., renewable, solar cell/ module projects, co-generation, energy efficiency equipment projects etc. In association with the Government of India and various multilateral agencies viz., USAID, World Bank etc. IDBI Bank has been channelising disbursement of grant funds for implementation of multilateral projects. So far, the Bank has been associated with implementation of over 10 such projects. During the year, IDBI Bank completed India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP) in association with the Government of India and World Bank. Also, IDBI Bank has initiated various steps for reduction of its carbon footprints like introduction of energy saving lighting and efficient air-conditioning system, installation of solar water heaters, water conservation and rain water harvesting, plantation etc.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes.
		The Environmental Risk Assessment forms an integral part of Bank's Credit Appraisal system. Existing credit risk monitoring policy broadly ensures that all assisted clients are complying with the regulatory guidelines relating to sustainable environmental protection and pollution control by stipulating suitable conditions in the sanction letter.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	IDBI Bank was the 1st public sector bank to establish an exclusive cell working on Clean Development Mechanism (CDM). The Bank's carbon credit services included technical consultancy for assessment, funding, registration of CDM projects, commercial advisory for sale of carbon credits etc. Bank introduced an innovative product 'Upfront Finance against Carbon Credits Receivables' for extending financial assistance to corporates against projected carbon credit receivables.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	i. The Bank assesses potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipments and therefore the Bank has documented and implemented a Board approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipments as per the policies and procedures laid down by the Government of India.
		ii. The Bank has automated many of its business processes including conducting paperless meetings etc. to reduce usage of the papers.
		iii. Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper based media for communicating internally (approvals, circulars etc.), externally with the customers (monthly statement of accounts, various application forms, fund transfer facility etc.), shareholders (Annual Reports), business partners, regulators and Governments etc.

		iv. The Bank has directed all its branches/ offices to make payments to borrowers, vendors, etc./ disbursement of loans through credit to the account/ RTGS/ NEFT, to save paper consumption.
		v. The Bank has automated most of its staff related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, etc. thereby reducing the paper consumption.
		vi. Server Virtualisation: To reduce the server footprints in the data centers, the Bank has implemented a Server Virtualisation mechanism through which number of individual physical servers has been reduced considerably by moving the applications in virtualised environment. This has resulted in less consumption of electric power supply and reduced heat transmission.
6.	Are the Emissions/ Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?	Being in the service sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste.
7.	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	No such show cause/ legal notice from Central Pollution Control Board (CPCB)/ State Pollution Control Board (SPCB) have been received by the Bank during the financial year under review.
7	**Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**	
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	Yes. i. Association of Development Financing Institutions in Asai and the Pacific (ADFIAP) ii. Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) iii. Indian Banks Association (IBA) iv. The Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) v. Indian Institute of Bank Management (IIBM) vi. National Institute of Bank Management (NIBM)
2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	The Bank being one of the key players has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.
8	**Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development**	
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.	Bank has embarked upon the path of financial inclusion of the underbanked/ unbanked population of the country in terms of the mission of the Government of India and the RBI. Towards this goal, the following initiatives have been taken:
		(i) About 500 unbanked Sub Service Areas (SSAs) (consisting of about 1200 villages) have been provided with basic banking services either through low-cost small format branches or through the ICT enabled Business Correspondent Model. Further, the Bank also opened 244 branches in unbanked villages.

		(ii) More than 22 lakh BSBDAs with deposit balance of ₹ 541.35 crore (Average balance of ₹ 2450 have been opened across the country. This includes about 10.7 lakh accounts (deposit balance of ₹ 90 crore) opened under the PMJDY scheme.
		(iii) Bank has tied up with Raipur Nagar Nigam (RNN), Chhattisgarh, for distribution of old age pension to about 25,000 pensioners through the ICT based BC model, at their door step.
		(iv) Bank has also tied up with Government of Chhattisgarh for distribution of MNREGA wages through the BC model in three districts. There are about 26 thousand beneficiaries.
		(v) Financial literacy is an integral part of financial inclusion. Bank's rural branches conduct outdoor financial literacy camps at least once a month in their services area. During 2015-16, about 850 camps have been held which were attended by about 18,000 villagers. Bank also conducts street plays in rural areas, educating the people about financial products, in the form of entertainment. More than 250 such plays have been conducted till date. Besides, the Bank also organised Financial Literacy camps in 115 schools across the states of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh on pilot basis. About 8 thousand students were imparted education on basic finance/ banking related topics.
		(vi) About 30 lakh accounts are linked with Aadhaar, thus paving the way for Government's resolve to distribute subsidies and benefits directly into bank accounts through Aadhaar, to plug leakages and pilferages.
		Besides undertaking several financial inclusion initiatives, the Bank through its CSR initiatives also contributes towards sustainable and holistic development of the underserved communities through various programs having multi-dimensional impact.
2.	Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGOs/ Government structures/ any other organisation?	The programmes related to financial inclusion are undertaken by an in-house team with the help of external agencies, particularly for provision of technology and personnel manning the BC outlets.
		CSR projects related to inclusive growth and equitable development are largely undertaken through NGOs, Government structures and to a certain extent through Bank's branches.

3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	Yes, impact assessment of CSR initiatives is carried out by the implementing partner. Besides, under the financial inclusion plan of the Bank:
		• More than 10 lakh accounts under PMJDY have been opened with a deposit base of ₹ 90 crore.
		• 22 lakh accounts are basic SB accounts, i.e., accounts opened with zero balance under financial inclusion initiatives of the Bank with a deposit balance of ₹ 541.35 crore.
		• These accounts have also been utilised by the people to participate in the social security schemes, viz., Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Atal Pension Yojana (APY), launched by the Government of India.
		• The micro insurance schemes and the pension scheme have helped the Bank and the Government in formally inducting the deprived people into the financial mainstream.

4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?

A table delineating the community development projects of IDBI Bank, undertaken in collaboration with reputed organisations, is as follows:

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Expenditure (₹ lakh) incurred in 2015-16
i.	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra (Sanctioned in 2012-13)	Building Taru village as a 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives in Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir.	26.16
ii.	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Guwahati, Assam (Sanctioned in 2014-15)	Developing of Aamkota village into a Model Village in Morigaon District, Assam	10.58
iii.	Central Public Works Department, Varanasi, Uttar Pradesh (Sanctioned in 2014-15)	Conducting CSR activities in two villages - Suzabad in Varanasi District and Bhabhaura in Chandauli District.	200.00

5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	CSR projects aimed at developing the community are designed in consultation with all relevant stakeholders, including the local populace and ground-level beneficiaries. As such, involvement of the community is ensured at the beginning and participation of community in all steps of implementation of the project ensures that the initiative is successfully adopted by the community.

9	**Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner**	
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Out of the total complaints handled, about 2% i.e. 1,060 complaints were pending as on March 31, 2016. Out of these, 1,011 complaints were resolved 'within 19 working days', 14 complaints were resolved 'within 20-21 days' and 35 complaints were resolved 'post 21 working days'. All pending cases were resolved by April 28, 2016.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/ N.A./ Remarks (additional information)	NA
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Nil
4.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	The Bank captures customer feedback on an on-going basis. Apart from this, the Bank also conducts an annual survey to assess and measure their needs, requirements and expectations. During 2015-16, an online customer satisfaction survey was conducted. The survey comprised of a questionnaire on various aspects of customer service. The survey results revealed that the customers were generally satisfied with the products and services of the Bank.